खण्ड-275, अंक-3
मंगलवार, 28 अग्रहायण, शक संवत् 1889
(19 दिसम्बर, 1967 ई0)

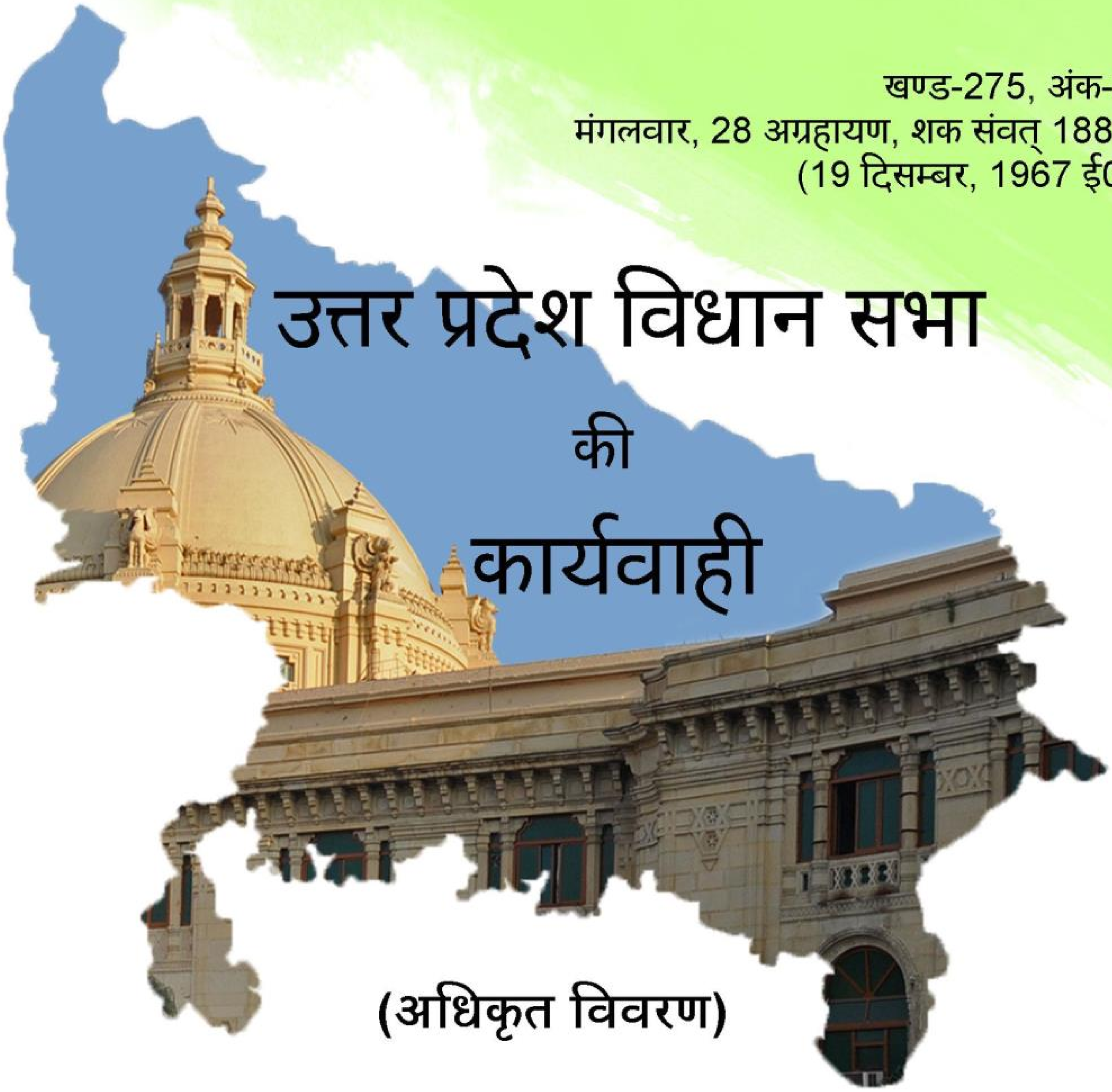

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 275 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १९ दिसम्बर, १९६७

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री जगदीश शरण अग्रवाल की अध्यक्षता में आरंभ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३९९

अंगने लाल, श्री
अजीत प्रताप, श्री
अठई राम, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अब्दुल खालिक, श्री
अब्दुल मुईज खाँ, श्री
अयोध्या प्रसाद, श्री (मिर्जापुर)
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अर्जुन, श्री
अवधनाथ, श्री
अशरफ अली खाँ, श्री
अशर्फी लाल, श्री
अश्वनी कुमार, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश", श्री
अहमदउल्ला खाँ, श्री
आत्मा, श्री
आनन्द सिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
ईश्वर शरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उदय प्रताप, श्री
उदयवीरसिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उमादत्त, श्री
ऊदल, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार सरन, श्री
ओम् प्रकाश, श्री
ओम् प्रकाश सिंह, श्री
कन्धई लाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री (इटावा)
कन्हैयालाल, श्री (झाँसी)
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला प्रसाद, श्री (जौनपुर)
कमला प्रसाद, श्री (बहराइच)
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याण सिंह, श्री
कामता सिंह, श्री
कालीचरण, श्री
काशीनाथ, श्री
किशनलाल, श्री
किशनलाल बिलेर, श्री
किशनसिंह, श्री
किशुन लाल, श्री
कृष्णबहादुर, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदार राज जंगबहादुर राणा, श्री
केशरी लाल, श्री
केशव देव, श्री
खूब सिंह, श्री

खेमा, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद, श्री (मथुरा)
गंगाभक्तसिंह, श्री
गंगाराम, श्री
गंगास्वरूप भटनागर, श्री
गजाधर, श्री
गयाप्रसाद, श्री (उपनाम मास्टर साहब)
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाशंकर, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गिरिराज सिंह, श्री
गिरीशचन्द्र तिवारी, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपालराम दास, श्री
गोविन्द नारायण तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
गौरीशंकर सर्राफ, श्री
गौरीसिंह राठौर, श्री
घनश्याम गिरि, महन्त
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रकिशोर, श्री
चन्द्रकुमार, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्र बली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रशेखर, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरणसिंह, श्री
चेतराम पचपेड़ा, श्री
चेतराम वर्मा, श्री
जंगबहादुर, श्री
जगत सिंह, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण त्रिपाठी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगपतसिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान, श्री
जयनारायणसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह, श्री
जवाहरलाल, डाक्टर
जवाहिरलाल, श्री
जसोदानन्द, श्री
जानकीप्रसाद, श्री
जितेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
जियाउर्रहमान, श्री
जी० एस० चौधरी, श्री
जुगलकिशोर, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
जैदत्तसिंह, श्री
जैनूराम, श्री
झारखण्डे राय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकमसिंह, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दलसिंह, श्री
दशरथ, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
दृगराजसिंह, श्री
देवराम, श्री
देवीचरण अग्निहोत्री, श्री
देवीदयाल सेन, श्री
देवीसहाय बाजपेयी, श्री
देवीसेवक, श्री
देवेन्द्रसिंह, कुंवर
देशराज सिंह, श्री
धनराज यादव, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मगजसिंह, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीरसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
ध्रुव कुमार, श्री
नन्हेलाल, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरवदेश्वर, श्री

नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाजहसन, श्री
निहालसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेमपालसिंह, श्री
नौनिहालसिंह, श्री
पब्बरराम, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पीतमसिंह, श्री
प्यारेलाल, श्री (अलीगढ़)
प्रतापनारायण तिवारी, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभाकरत्रिपाठी, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमदत्त, श्री
फूलसिंह, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बजरंगबली, ब्रह्मचारी
बदनसिंह, श्री
बद्दलराम, श्री
बद्रीप्रसाद अवस्थी, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलवीरसिंह, श्री (मेरठ)
बलवीरसिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बसन्तलाल, श्री (जालौन)
बसन्तलाल, श्री (लखनऊ)
बसन्त सिंह, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबू सिंह, श्री
बिशन लाल, श्री
बुधिराम, श्री
बृज किशोर, श्री
बृजपाल सिंह, श्री
बृज मोहन दास अग्रवाल, श्री
बेचनराम, श्री (मिर्जापुर)
बेचनराम, श्री (वाराणसी)
बेनी बाई, श्रीमती
बेनीसिंह अवस्थी, श्री
बैजनाथ, श्री (बलिया)
बैजनाथ, श्री (वाराणसी)
ब्रह्माश्रम, स्वामी
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौती, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भग्गूराम, श्री (उपनाम भृगुनाथ)
भारतसिंह चौहान, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भुवनेश भूषण, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भैरवदत्त धूलिया, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलाप्रसाद तिवारी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मकसूद हुसैन, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मदन मोहन सिंह श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्नालाल, श्री
मन्नीलाल, श्री
मन्सादीन, श्री
मलिखानसिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महरामसिंह, श्री
महिपालसिंह, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रप्रतापसिंह, कुंवर
महेशकुमार, श्री
माताप्रसाद, श्री
मानसिंह, श्री
मारकंडे, श्री
मुंशीलाल चमार, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्शीलाल, श्री
मुरलीधर, श्री
मुलायमसिंह, श्री
मुल्कीराज, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुहम्मद महमूद अली खां, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री

मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (उपनाम लल्लन जी)
योगेश्वर प्रसाद, श्री
रईसउद्दीन, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (कानपुर)
रघुनाथ सिंह, श्री (झांसी)
रघुनाथसिंह वर्मा, श्री
रघुराज, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मैनपुरी)
रफी मुहम्मद खां, श्री
रमाकांत, श्री
रमावल्लभ मिश्र, श्री
रमाशंकर अग्रवाल, श्री
रवीन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राज किशोर, श्री
राजदेव, श्री
राज नाथ, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबली, श्री
राजबहादुर, श्री (जौनपुर)
राजबहादुर, श्री (सीतापुर)
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबहादुर द्विवेदी, श्री
राज राजेश्वर, श्री
राजाराम, श्री (देवरिया)
राजाराम, श्री (बलिया)
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअंजोर, श्री
रामअचलसिंह सेंगर, श्री
रामअधार, श्री
रामअधीन सिंह, श्री
रामआसरे, श्री
रामकरन, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री
रामकुमार, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र जोशी, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरन दोहरे, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदत्त, श्री
रामदास, श्री
रामदुलारे पटेल, श्री
रामदुलारे, श्री (गोंडा)
रामदुलारे, श्री (राय बरेली)
रामदेव, श्री (गोंडा)
रामदेव, श्री (प्रतापगढ़)
रामनरेश पांडेय, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ, श्री (मिर्जापुर)
रामनाथ, श्री (शाहजहांपुर)
रामनारायण, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
रामप्रकाश त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री (आगरा)
रामप्रसाद, श्री (गढ़वाल)
रामप्रसाद, श्री (राय बरेली)
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामश्री राजपूत, श्री
रामसजीवन, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसरनसिंह, श्री
रामसिंह, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसेवक, श्री
रामस्वरूप, श्री (देहरादून)
रामस्वरूप, श्री (प्रतापगढ़)
रामस्वरूप, श्री (मैनपुरी)
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरसिंह, श्री
रूप नरायन, श्री

लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मी शंकर, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लाखन, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
वरमेश्वर पांडेय, श्री
वसी नकवी, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विशुनप्रतापसिंह, श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री (उपनाम झंगन साहू)
विश्वनाथ सिंह, श्री
वीर बहादुर, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेश्वर त्यागी, श्री
शंकर सिंह, चौधरी
शकुंतला देवी, श्रीमती
शफकत जंग, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शराफत हुसैन, रिजवी श्री
शशिभूषण सिंह, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शीतलादीन, श्री
शुगन चन्द मजदूर, श्री
श्याम सिंह, श्री
श्रीनाथ, श्री
श्री नारायण तिवारी, श्री
श्रीपति मिश्र, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
श्री शंकर शर्मा, श्री (उपनाम लालो शर्मा वकील)
सईद अहमद, श्री
सन्तू, श्री
सरजूप्रसाद, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिकराम, श्री
सियाराम, श्री,
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेव, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीलकुमार विद्यार्थी, श्री
सोहनलाल, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरिगेनराम, श्री
हरिहरनाथ अग्रवाल, श्री (उपनाम हरी बाब)
हरिहरबख्शसिंह, राजा
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीशचन्द्र सिंह, श्री
हरीसिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरीसिंह, श्री (मेरठ)
हिम्मतबहादुर, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—उप मुख्य मंत्री, श्री रामप्रकाश तथा उद्योग मंत्री, श्री प्रभुनारायण सिंह भी उपस्थित थे।

*प्रश्नोत्तर

मंगलवार १९ दिसम्बर, १९६७

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न ।]

बहेड़ी तहसील में बैगुल नदी के बांध से सिंचाई

*१—कुंवर महेन्द्रप्रतापसिंह (जिला बरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बरेली, तहसील बहेड़ी में ग्राम खमरिया के पास बल्ली एक्वीडेक्ट पर जो कच्चा बांध प्रति वर्ष बनाया जाता है उस पर पिछले तीन वर्षों में कितना रुपया व्यय हुआ ?

सिंचाई मंत्री (श्री टम्बरेश्वरप्रसाद)—

जिला बरेली, तहसील बहेड़ी, ग्राम खमरिया के पास पश्चिमी बैगुल नदी पर कच्चा बांध बनाने में १९६४–६५, १९६५–६६ एवं १९६६–६७ में क्रमशः ११,६५० रु०; ८,४९४ रु० तथा १०,८४९ रु० व्यय हुए ।

*२—कुंवर महेन्द्रप्रतापसिंह—

क्या यह सही है कि बल्ली ऐक्वीडेक्ट को इस समय सिर्फ गन्ने की फसल को पानी मिलता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसको शीघ्र पक्का बना दिये जाने की व्यवस्था करेगी तथा खरीफ तथा रबी दोनों फसलों को पानी मिल सकेगा ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

बैगुल नदी पर धौरा जलाशय से बल्ली एक्वीडेक्ट के द्वारा धान तथा गन्ना दोनों फसलों को पानी दिये जाने का प्रस्ताव है, किंतु पिछले सूखे के वर्षों में धौरा जलाशय पूरा नहीं भरा जा सका जिसके कारण जनवरी से जून के समय में गन्ने की सिंचाई के लिए पानी नहीं दिया जा सका । सामान्य वर्षा वाले वर्षों में ऐसा नहीं होगा । बल्ली एक्वीडेक्ट पक्का बना हुआ है ।

रामगढ़ पम्प कैनाल में पानी की कमी

*३—श्री रघुबीर (जिला गाजीपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर, ब्लाक काशिमाबाद के अन्तर्गत ग्राम रामगढ़ के निकट तमसा नदी में गत कई माह से पम्प कैनाल नहीं चल रही है जिससे हजारों बीघा गन्ने की फसल सूख रही है ? यदि हां, तो इसे बचाने का क्या प्रबन्ध सरकार कर रही है ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

रामगढ़ पम्प कैनाल अप्रैल से लगातार ३० जून तक चली है किन्तु नदी में पानी कम होने के कारण यह नहर अपने पूरे डिस्चार्ज से नहीं चलाई जा सकी ।

---

*उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ४१ के अन्तर्गत छापे गये ।

माह अप्रैल, १९६७ के शुरू में काश्तकारों को यह सूचना दे दी गई थी कि नदी में पानी कम होने के कारण नहर पूरे डिस्चार्ज से नहीं चल सकेंगी, अतः काश्तकारान गन्ना अपने सिंचाई के साधन के बल पर ही बोवें ।

[१९ दिसम्बर, १९६७ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

चन्द्रप्रभा बांध तथा कर्मनाशा नदी के बाधों से सिंचाई

*१—श्री चन्द्रशेखरसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि चन्द्र प्रभा और कर्मनाशा बन्धे से कितनी लम्बी नहरें निकाली गयीं आर बन्धों के सिंचाई की क्षमता क्या है ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

वाराणसी जिला अन्तर्गत चन्द्र प्रभा बांध केवल स्टोरेज जलाशय है जिसमें से कोई नहर नहीं निकाली गई है । यह बांध मुजफ्फरपुर वियर को पानी देता है जिससे १४०.७९७ कि०मी० लम्बी नहरों का निर्माण किया गया है । चन्द्र प्रभा बांध तथा मुजफ्फरपुर वियर की प्रस्तावित वार्षिक सींच की क्षमता ३६,००० एकड़ है ।

कर्मनाशा नामक कोई बांध नहीं है लेकिन कर्मनाशा नदी पर भैंसोरा बांध, नौगढ़ बांध, मूसा खण्ड बांध तथा लतीफशाह बांध है । प्रथम तीन बन्धों का जल लतीफशाह बांध में आता है जिससे सिंचाई हेतु ६६६.३०० कि०मी० लम्बी नहरों का निर्माण किया गया है । इन बन्धों की कुल मिलाकर प्रस्तावित वार्षिक सींच की क्षमता १,८३,५१८ एकड़ है ।

*२—श्री चन्द्रशेखरसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिला अन्तर्गत, जरखोर ग्राम के पास एक रेगुलेटर बनाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

वाराणसी जिले के अन्तर्गत चन्द्र प्रभा नदी में जरखोर ग्राम के पास रेगुलेटर बनाने की योजना नहीं है । अतएव उसमें कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

टांडा पम्प नहर से सिंचाई

*३—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—

तारांकित प्रश्न संख्या २, नत्थी (ख), दिनांक १६ जून, १९६७ के उत्तर के संबंध में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के कि ने ग्रामों को सिंचाई टांडा पम्प कैनाल की तीनों शाखाओं से होती है ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के ७४ ग्राम सिंचाई हेतु टांडा पम्प नहर की उप-शाखाओं की सीमा के अन्तर्गत हैं ।

*४—श्री मुक्तिनाथ राय—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि खरीफ १३७४ फसली में सगड़ी तहसील में टांडा पम्प कैनाल की समस्त माईनरों ने सूखे के दिनों में कितने एकड़ धान की फसल में पानी दिया और उससे सरकार को कितना राजस्व प्राप्त हुआ, कित । क्षेत्रफल उक्त नहर के कमांड में है ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

सगड़ी तहसील में खरीफ १३७४ फसली में सूखे के दिनों में टांडा पम्प नहर की उपशाखाओं द्वारा १७३ एकड़ धान की फसल को पानी दिया गया और उससे सरकार को रु० २,२८२ का राजस्व प्राप्त हुआ। सगड़ी तहसील का १३,१४० एकड़ कृषि योग्य क्षेत्र नहरी सीमा के अन्तर्गत पड़ता है परन्तु धान का प्रस्तावित क्षेत्र केवल १,३१४ एकड़ ही है।

पौड़ी–गढ़वाल जिले में नदियों से क्षति

*५—श्री योगेश्वरप्रसाद (जिला चमोली)—

क्या सरकार को यह विदित है कि पौड़ी-गढ़वाल जिले में देवलखिर्सू विकास क्षेत्र के अन्तर्गत बरसाती नदियों से प्रति वर्ष चल एवं अचल संपत्ति को भारी क्षति पहुंचती है एवं मुसौली (कांट्य्या) ग्राम में सतत भूमि कटाव के परिणाम स्वरूप भूम धसनें (लैंड स्लाइड) का भारी भंयउत्पन्न हो गया है? यदि हां, तो सरकार नें इस ओर क्या सुरक्षात्मक कदम उठाया है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस सम्भावित खतरे को रोकने का तुरन्त प्रयास करेगी?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

पौड़ी-गढ़वाल जिले में देवलगढ़ (खिर्सू) विकास क्षेत्र के अन्तर्गत केवल भटीसेरा गधेरा से हानि पहुंचती है। मुसौली ग्राम में पिछले वर्ष भूमि धंसने (लैंडस्लाइड) के कारण कुछ खेत मलबे से ढक गये थे। इस प्रकार की घटनायें पर्वतीय क्षेत्रों में प्राय होती ही रहती हैं। इतने ऊंचे स्तर के लिए कोई भी नियंत्रण योजना नहीं बनाई जा सकती है।

बदायूं जिले में उसहत बांध

*६—श्री बृजपालसिंह (जिला बदायूं)—

क्या मेरी इस सूचना को सत्य मान कर कि बदायूं जिलें में गंगा पर बना मुण्डी कटरा बांध जो गत वष टूट चुका है तथा ग्राम नीलानगला के पास पुनः टूटने की संभावना हो गई, तो क्या सरकार बतायेगी कि वह उसके सुधार व रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

मुण्डी कटरा बांध नहीं बल्कि बदायूं जिलें में गंगा पर उसहत तथा रिडायर्ड उसहत बांध है जिसके समीप मुण्डी व कटरा ग्राम स्थित हैं। उक्त बांध गत वर्ष नहीं टूटा था और अब भी सुरक्षित है, नदी की धारा नीला नगला ग्राम के समीप बह रही है इसलिए सुरक्षा हेतु वहां एक रिटायर्ड बांध का निर्माण प्रस्तावित है, लेकिन इस वर्ष इस कार्य के लिए धन उपलब्ध नहीं है।

*७—श्री बृजपालसिंह—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रश्न (१) में उल्लिखित बांध की मरम्मत के लिये सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष १९६०–६१ से १९६५–६६ तक प्रतिवर्ष क्या आर्थिक सहायता दी गई तथा क्या सुधार कार्य किया गया?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३७१ पर)

*८—श्री भृगुनाथ (जिला गोरखपुर)—

[९वें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ४४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

अकबरपुर रजबहा को पानी

*९--श्री केशरीलाल (जिला कानपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला कानपुर के अन्तर्गत अकबरपुर रजबहा को सिंचाई के लिये पानी इस वर्ष दिये जाने की क्या व्यवस्था है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद--

रजबहा अकबरपुर में इस वर्ष सिंचाई के लिये पानी दिये जाने के लिये रजबहे की सालाना सफाई हर साल की भांति कर दी गई है। पानी की उपलब्धि के अनुपात में उपरोक्त रजबहे को पानी दिया जा रहा है और आगे भी दिया जावेगा।

रुद्रपुर विकास क्षेत्र में सिंचाई साधनों का अभाव

*१०--श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिले के रुद्रपुर विकास क्षेत्र के बाढ़ के १२६ वर्ग मील में सरकार की ओर से सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या उस लाके म मांग के अनुसार बिजली पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं जिससे किसान बिजली के सहारे नदियों का पानी सिंचाई के काम में ला सके ? क्या सरकार सिंचाई के कुछ अन्य साधन भी उस इलाके में लगायेगी ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद--

प्रश्नगत क्षेत्र में राजकीय सिंचाई साधनों से सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है और कोई नई परियोजना भी इस क्षेत्र के लिय नहीं बनायी गई है। निजी नलकूपों व पंपिंग सेटों के लिये आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार बिजली देन की व्यवस्था राजकीय विद्युत, परिषद्, द्वारा की जा सकती है।

बिनावर तथा वजीरगंज ब्लाक में बिजली के खम्भों को क्षति

*११--श्री गौरीसिंह राठौर (जिला बदायूं)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बिनावर व वजीरगंज ब्लाक, जिला बदायूं में मई, १९६७ में हुई ओला वृष्टि एवं आंधी के कारण बिजली के कितने खंभे गिर गये और उन खंभों से संबंधित कितने सरकारी व कितने निजी ट्यूबवेल कनेक्शन प्रभावित हुये ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद--

मई, १९६७ में हुई ओलावृष्टि एवं आंधी के कारण बदायूं जिले के बिनावर तथा वजीरगंज ब्लाक में ३७ बिजली के खंभे गिरे जिन्हें बदला गया और १६९ खंभे मुड़ गये जिन्हें सीधा करना पड़ा। इन ब्लाकों में ५५ जगह बिजली क तार टूट पाय गय। इन सब कारणों से क्रमशः ३३ तथा ७५ राजकीय एवं निजी नलकूप प्रभावित हुये।

*१२--श्री गिरजाशंकर तिवारी (जिला बाराबंकी) तथा श्री चन्द्रकुमार त्रिवेदी (जिला बाराबंकी)--

[१८ दिसम्बर, १९६७ को प्रश्न संख्या १०४ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

गोरखपुर जिले में रियांव तथा अन्य गांवों को बिजली न मिलना

*१३--श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार कृपया प्रश्न संख्या ४१ जो विधान सभा के प्रथम सत्र १९६७ के पहले मंगलवार के संदर्भ में बताने का कष्ट करेगी कि क्या उस गांव में बिजली देने के लिये सरकार ने प्रश्नकर्ता को कोई पत्र गतवर्ष लिखा था ? यदि हां, तो उसे देखते हुये क्या प्रयास किया जा रहा है ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

जी हां। रियांव, जिला गोरखपुर के विद्युतीकरण के लिये लगभग १.९४ मील लम्बी ११ के० वी० तथा ०.९५ मील एल० टी० लाइन का निर्माण करना पड़ेगा और इस कार्य में लगभग ४४ हजार रुपये व्यय होने का अनुमान है। इसके विद्युतीकरण की अभी संभावना नहीं है क्योंकि वर्तमान समय में ग्रामों के विद्युतीकरण के लिये धन उपलब्ध नहीं है।

*१४—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार कृपया इस संदर्भ में प्रश्न संख्या ४२ के सिलसिले में बतायेगी कि ग्राम बेलकुर भसहा, सइवाकोल, धेवरपार, ददरी, सेमरा, बैरिया खास, पिड़तनी में बिजली कब तक दी जा रही है जिस से लोग नलकूप और पंपिंग सेट चला सकें?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

ग्राम बेलकूर, भैसहा, सइवाकोल, धेवरपार, ददरी सेमरा, बैरिया खास, पिड़तनी का विद्युतीकरण अभी संभव नहीं है।

श्री चतुर्वेदी, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, वाराणसी के विरुद्ध कार्यवाही

*१५—श्री निहालसिंह तथा श्री हिम्मतबहादुरसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि श्री चतुर्वेदी, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, वाराणसी का वह पत्र जो वाराणसी के एक सोशलिस्ट विधायक को लिखा था सोशलिस्ट विधायक ने जो पत्र श्री चतुर्वेदी को लिखा था उन दोनों पत्रों को तत्कालीन मुख्य मंत्री के सभा सचिव ने भूतपूर्व मुख्य सचिव श्री के० के० दास को अपने पत्र के साथ उचित कार्यवाही करने के लिये दे दिया था, अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं तो क्यों? क्या सरकार इस संबंध में एक जांच समिति बैठायेगी जो इन सोशलिस्ट विधायक महोदय की परिवहन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ करके जो अनुचित लाभ उठाया है उसकी पूरी छानबीन करें और अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करें?

उप मुख्य मंत्री (श्री रामप्रकाश)—

ऐसी शिकायत प्राप्त होने के पश्चात्, श्री चतुर्वेदी, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), वाराणसी का स्थानान्तरण गाजियाबाद में सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) के पद पर कर दिया गया। उसके बाद श्री चतुर्वेदी से इस विषय में स्पष्टीकरण प्राप्त करने के पश्चात्, यह मामला जांच के लिये सतर्कता विभाग को सौंप दिया गया है।

चूंकि इस मामले की जांच सतर्कता आयोग द्वारा हो रही है अतः इस समय जांच समिति बैठाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् विभाग, अलीगढ़ के खिलाफ शिकायत

*१६—श्री किशनलाल दिलेर (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ डिवीजन विद्युत्, विभाग के अधिशासी अभियंता के विरुद्ध जनता द्वारा १९६७ को भेजी गई शिकायतें सिंचाई एवं विद्युत्, मंत्री को मिली हैं? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं तो क्यों?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

श्री मलखान सिंह, ग्राम कुंजलपुर, डा० गहतौली, जिला अलीगढ़ का एक शिकायती कार्ड दिनांक २९ मई, १९६७ विभाग में मिला था। उस में कहा गया था कि उनका एग्रीमट इत्यादि हो गया है और उन्हें कनेक्शन शीघ्र दिलवाया जाय जो उन्हें १० अक्तूबर, १९६७ को मिल गया।

फैजाबाद-डिवीजन में रोडवेज रूट पर प्राइवेट बस सर्विस

*१७—श्री राजबहादुर द्विवेदी (ज़िला फैजाबाद)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें अप्रैल, १९६७ में फैजाबाद के कुछ नागरिकों द्वारा इस प्रकार का प्रार्थना-पत्र मिला है कि कई प्राइवेट बसें रोडवेज रूट पर बिना परमिट के चलती हैं ?

श्री रामप्रकाश—

जी नहीं ।

*१८—श्री राजबहादुर द्विवेदी—

क्या परिवहन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्राइवेट बस नं० यू० पी० एक्स० ८६९, यू० पी० एक्स० ५७५, यू० पी० एक्स० ९८१, यू० पी० एक्स० ९८२, यू० पी० एक्स० ९६२, यू० पी० डी० ४८९५ को विगत मार्च, अप्रैल तथा मई, १९६७ में किन-किन रूटों पर चलने के लिये परमिट प्रदान की गई हैं और कितने दिनों के लिये ?

श्री रामप्रकाश—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

फीरोजाबाद मे बिजली सप्लाई में अव्यवस्था

*१९—श्री रमाशंकर अग्रवाल (जिला आगरा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा जिले के फीरोजाबाद नगर में जून, १९६७ माह में कितनी बार बिजली अचानक बन्द हुई है ? क्या यह सही है कि जून सन् १९६७ में बिजली के बार-बार अचानक बन्द हो जाने के कारण बार-बार वाटर-वर्क्स तथा अन्य कारखाने बन्द हो जाने से व्यापार को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है ? और इसकी शिकायत वहां के निवासियों ने सरकार से की है ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

सप्लाई कम्पनी के रेकार्ड्स के अनुसार जून, १९६७ में बिजली ६७ बार बन्द हुई । इसका कारण कम्पनी द्वारा निर्धारित मांग से अधिक बिजली का लेना था, ऐसी परिस्थिति में नुकसान होना स्वाभाविक है । दिनांक २४ जुलाई, १९६७ से लाइसेन्सधारी को नव निर्मित १३२ के० वी० सब स्टेशन से थोक में बिजली दिये जाने के फलस्वरूप अब कोई शिकायत नहीं है ।

ज्ञानपुर तहसील में नलकूप

*२०—श्री मुरलीधर (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिले की ज्ञानपुर तहसील में सन् १९६६-६७ के वर्ष में कुल कितने नलकूप निर्माण करने की योजना थी, तथा उसमें से कितने का निर्माण कार्य पूरा हो चुका था कितने अधूरे हैं ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

वाराणसी जिले की ज्ञानपुर तहसील में सन् १९६६-६७ में २ नलकूप लगाने की योजना थी जिसके स्थान पर ३१ नलकूपों की सफलता पूर्वक ड्रिलिंग की गई । इसमें से १० नलकूपों का विद्युतीकरण इसी वर्ष हुआ है । शेष का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

*२१--श्री मुरलीधर--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ज्ञानपुर तहसील में इस वर्ष कितने नलकूप बेकार पड़े रहे और क्या तथा उनके सुधार में क्या कठिनाई है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--

ज्ञानपुर तहसील में इस वर्ष १९६६-६७ में ३ नलकूप फेल हो जाने के कारण बन्द रहे। इन में से दो नलकूप बन कर तैयार हैं और उनका विद्युतीकरण शेष है। तीसरे नलकूप पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

फैजाबाद जिले में सरकारी नलकूप

*२२--श्री राम नारायण (जिला फैजाबाद) तथा श्री राज बहादुर द्विवेदी (जिला फैजाबाद)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष १९६४-६५, १९६५-६६ में फैजाबाद जिले में कितने स्टेट ट्यूबवेल लगाने की योजना थी ? उनमें से कितने ट्यूबवेल बन चुके और कितने बाकी हैं ? जो बाकी हैं, उनके न बनाने का क्या कारण है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--

फैजाबाद जिले में वर्ष १९६४-६५ में १३ एवं १९६५-६६ में २८ नलकूपों के बनाने का लक्ष्य था। इन ४१ नलकूपों में से ४० नलकूप अब तक खोदे जा चुके हैं। केवल १९६५-६६ का एक नलकूप बाकी है। इस पर रिग मशीनों की कमी के कारण कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका।

*२३-२४--श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)--

(न्याय मंत्री की प्रार्थना पर ९ जनवरी, १९६८ के लिये स्थगित किये गये।)

मुजफ्फरनगर जिले में नलकूपों को बिजली

*२५--श्री सरदार सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुजफ्फरनगर में हजारों कनेक्शन निजी नलकूप के लिये बिजली लगाने हेतु स्वीकृत हैं उन्हें सरकर बिजली दिलाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही हैं ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--

जिला मुजफ्फरनगर में मार्च, १९६७ के अन्त में करीब १,५०० ऐसे मामले थे जिनमें बिजली का कनेक्शन स्वीकृत हो चुका था पर बिजली न दी जा सकी थी। इस मद में उपलब्ध धनराशि को ध्यान में रखते हुये इस वित्तीय वर्ष १९६७-६८ में उक्त जिले में ४०० निजी नलकूपों को बिजली देने का लक्ष्य रक्खा है जिसमें से अक्तूबर, १९६७ तक ४११ का विद्युतीकरण किया जा चुका है और वर्ष का लक्ष्य पूरा हो गया है।

कोटबाग के निकट बिजली की लाइन

*२६--श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)--

क्या विद्युत् मंत्री बतायेंगे कि जिला नैनीताल, तहसील रामनगर में कोटाबाग के लिये जो एक बिजली की लाइन चेरपुर नामक स्थान में लगभग ३ मील तक लगाई गई थी अब इसे उखाड़ा जा रहा है ? यदि हां, तो किस कारण ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

सपरार डैम के पूर्व की जमीन

*२७—श्रीमती बेनी बाई (जिला झाँसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सपरार डैम के पूर्व की ओर जो खाली जमीन पड़ी थी, उसके पट्टे किसानों को दे दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब और क्या वह सभी पट्टे झाँसी जिले की मऊ तहसील के किसानों को दिये गये हैं या मध्य प्रदेश के किसानों को भी ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

सपरार डैम के पूर्व की ओर सिंचाई विभाग की कोई जमीन खाली नहीं पड़ी थी अतएव उसके पट्टे किसानों को दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

बझेड़ा रजबहा के पतरौल के खिलाफ शिकायत

*२८—श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

प्रथम सन् १९६७ के पहले मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या १ के उत्तर के संदर्भ में क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि उपरोक्त मामले की जांच श्री वी० पी० माथुर, परगनाधीश तिलहर, जिला शाहजहांपुर द्वारा की जा रही है और उन्होंने अभी तक अपनी जांच की रिपोर्ट सरकार को नहीं दी है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

शासन के पास इस मामले में श्री वी० पी० माथुर, परगनाधीश, तिलहर, द्वारा जांच किये जाने के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है । इस मामले में आवश्यक जांच तहसीलदार, तिलहर ने फरवरी, १९६६ में की थी और उनकी रिपोर्ट पर आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है । पतरौल का स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

फरीदपुर ब्रांच के बझेड़ा रजबहा पर कुलाबे

*२९—श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बरेली की फरीदपुर ब्रांच के बझेड़ा रजबहा पर सन् १९६५-६६ में कितने टेम्परोरी कुलाबा रबी की आबपासी के लिये लगाये गये और वह किसके आदेश से लगाये गये ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

सन् १९६५-६६ में रबी की आबपाशी के लिये उक्त रजबहा पर कोई भी फसली कुलाबा नहीं लगाया गया और न कोई मंजूरी दी गई ।

शारदा विद्युत् की लाइन हल्द्वानी तहसील में न पहुंचना

३०—श्री इन्द्रलाल—

२० जून, सन् १९६७ के प्रश्न संख्या २३ के क्रम में क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह योजना कब बनाई गई और इसके खर्चे का प्राक्कलन क्या है ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

यह योजना जून, १९६५ में बनाई गई थी । इसका प्राक्कलन लगभग २ लाख ३४ हजार रुपये है ।

बस्ती जिले में नलकूप

*३१—श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि १९६७–६८ में बस्ती जनपद की किन-किन तहसीलों में कितने नलकूप लगाने की योजना है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

बस्ती जनपद में वर्ष १९६७–६८ में दो नलकूप खलीलाबाद तहसील में और एक नलकूप हरैया में लगाये जा चुके हैं। अब इस जनपद में इस वर्ष और नलकूप लगाने की योजना नहीं है।

मोदीनगर क्षेत्र में नलकूपों से सिंचाई

*३२—श्री सरजूप्रसाद (जिला मेरठ)—

क्या सरकार बताएगी कि जिला मेरठ, क्षेत्र मोदीनगर में कितने राजकीय नलकूप चालू अवस्था में हैं उनका कितना-कितना कमांडिंग एरिया है ? सरकार कब तक ३०० एकड़ के कमांड पर राज नलकूप लगाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

जिला मेरठ के मोदीनगर क्षेत्र (निर्वाचन) के अन्तर्गत भोजपुर तथा कुछ खरखौदा विकास क्षेत्र का क्षेत्रफल आता है। इस क्षेत्र में ५३ राजकीय नलकूपों में से ४८ नलकूप चालू अवस्था में हैं। इन नलकूपों का कमांड एरिया ३२,८०० एकड़ है। नए राजकीय नलकूप ३०० एकड़ के कमांड के आधार पर ही बनाए जा रहे हैं।

उन्नाव जिले में रिठवा ड्रेन पर पुल

*३३—श्री मीखालाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार शारदा कैनाल, हरदोई डिवीजन, हरदोई से निकलने वाली रिठवा ड्रेन पर, जो उन्नाव जिले के ग्राम कबरोई के पास सई नदी में गिरती है उसके मुख्य रास्तों पर पुल बनवाने की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कहां-कहां ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

मुख्य रास्तों पर तीन पुल मौजूद हैं। अन्य कोई पुल बनाने का विचार सिंचाई विभाग द्वारा नहीं है।

निगोही ब्लाक में नलकूप न लग सकना

*३४—श्री रामनाथ दीक्षित (जिला शाहजहांपुर)—

क्या विद्युत् एवं सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गत अप्रैल मास में निगोही, जिला शाहजहांपुर की सार्वजनिक सभा में राजस्व मन्त्री ने सिंचाई व्यवस्था हेतु निगोही ब्लाक में चार राजकीय नलकूप लगवाने का आश्वासन दिया था और इस सम्बन्ध में उन्होंने एक पत्र भी उन्हें हाल ही में प्रेषित किया था, तो यह नलकूप बनाने का काम कब आरम्भ होगा और कब तक बन जायेंगे ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

प्रश्न में उल्लिखित क्षेत्र की एक सार्वजनिक सभा में राजस्व मन्त्री जी ने गत माह अप्रैल में उक्त क्षेत्र में नलकूप लगाए जाने की बात कही थी। बाद में यहां पर नलकूप निर्माण की सम्भावना की जांच की गई परन्तु राजकीय नलकूप का निर्माण व्यावहारिक नहीं पाया गया।

चारबाग, रोडावेज वर्कशाप से बस के पार्ट की चोरी

*३५—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ), श्री प्यारेलाल (जिला मेरठ) तथा श्री केशरी लाल (जिला कानपुर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि दिनांक २ जून, १९६७ को एक नई बस जिसका नं० यू० पी० एच० २५७६ है चारबाग रोडवेज वर्कशाप में सौंपी गई थी जिसके वर्कशाप में प्रवेश होते ही उसमें से काफी कीमती तथा महत्वपूर्ण सामान की चोरी हो गई जिस कारण से वह नई बस बिना एक दिन भी रोड पर चले वर्कशाप में ८ दिन तक खड़ी रही ? यदि हां, तो सरकार ने इस प्रकार की चोरियों को रोकने के लिए क्या-क्या कदम अब तक उठाए हैं ?

श्री रामप्रकाश—

दिनांक १६ जून, १९६७ को कथित बस चारबाग रोडवेज वर्कशाप को सौंपी गई थी। दिनांक २८–२९ जून, १९६७ की रात को उसका प्रौपलर शफ्ट स्लाइडिंग योक जिसका मूल्य १९२.९४ रु० है, चोरी चला गया। इस प्रकार की चोरियां रोकने के लिए परिवहन आयुक्त ने आदेश दिए हैं कि गाड़ियों को सुरक्षित स्थानों पर रखें, चौकीदारों की गश्त पर नजर रखें और किसी अपरिचित व्यक्ति को अन्दर न घुसने दें।

दरियाबाद विकास खंड में झील से पानी की निकासी

*३६—श्री गिरजाशंकर (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार को पता है कि ग्राम ताशीपुर, विकास खण्ड दरियाबाद, जिला बाराबंकी में एक बड़ी झील है जिसमें अधिक पानी हो जाने के कारण पतीपुर, तासीपुर, सराय रज्जन, अद्दरा, विबियापुर आदि ग्रामों के सभी खेत तथा कुछ मकान जलमग्न हो जाते हैं जिससे सारी फसल नष्ट हो जाती है और किसान दुखी व परेशान रहते हैं ? यदि हां, तो गत पिछले वर्षों से सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

झील का पानी जो इन ग्रामों को प्रभावित करता है, एक प्राकृतिक नाला द्वारा जौरी नदी में निकल जाता है।

पिछले वर्ष मकानों के जलमग्न हो जाने व फसल नष्ट होने की सिंचाई विभाग को कोई सूचना नहीं मिली। इस वष की वर्षा म भी इस क्षेत्र में कोई भाग जलमग्न नहीं है ।

३७—श्री गिरजाशंकर—

यदि नहीं, को तो क्या अब इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए किसानों के इस महान कष्ट को दूर करने के लिए कोई नाला निकालेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

इसकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

*३८–३९—श्री जगदीशनारायण त्रिपाठी—

[न्याय मन्त्री की प्रार्थना पर ९–१–६८ के लिए स्थगित किए गए।]

नटखेड़ा ग्राम के लिये बिजली की मांग

१४०—श्री बद्रीप्रसाद अवस्थी (जिला लखनऊ)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम नटखेड़ा, पोस्ट आलमबाग, जिला लखनऊ में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है ? यदि नहीं, तो वहां बिजली लगाने की व्यवस्था हो जायगी ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

इस ग्राम में बिजली पहुंचाने की अभी कोई योजना नहीं बनी है।

विकास क्षेत्र, म्याऊं में नलकूप की बोरिंग

४१—श्री चन्द्रकिशोर (जिला फतहपुर), श्री बृजपाल सिंह (जिला बदायूं), श्री सियाराम (जिला एटा) तथा श्री दर्लसिंह (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जिले के विकास क्षेत्र, म्याऊं के ग्राम पमोली, धरमपुर में सरकारी नलकूप का बोरिंग जो गत वर्ष १९६६ में प्रारम्भ हुआ था परन्तु कुछ समय के लिए रोक दिया गया था ऐसा क्यों किया गया? अब उस नलकूप का निर्माण कब तक होगा?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

बदायूं जिले के विकास क्षेत्र, म्याऊं में पमोली धरमपुर नाम का ग्राम नहीं है। ग्राम ग्योती धरमपुर विकास क्षेत्र म्याऊं में एक नलकूप का बोरिंग हस्त छिदाई मशीन से सन् १९६५ में प्रारम्भ किया गया था, परन्तु स्ट्रेटा उपयुक्त न होने के कारण बोरिंग रद्द करना पड़ा।

*४२—श्री गौरीराम (जिला गोरखपुर)—

[विस्तृत होने के कारण पुनावचार पर हटा दिया गया।]

गोरखपुर जिले में बिजली की दर

*४३—श्री गौरीराम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के ग्रामों में जो बिजली दी गई है उसका क्या रेट है?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

सूचना नत्थी किए गए ब्योरे म दी हुई है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३७२ पर)

राज्य विद्युत् परिषद् कर्मचारियों को बोनस न मिलना

*४४—श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर) तथा श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् ने केन्द्रीय श्रम मन्त्रालय की सलाह के बावजूद पेमेन्ट आफ बोनस एक्ट के अन्तगत अभी तक अपन कमचारियों को बोनस क्यों नहीं बांटा? और इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

विद्युत् परिषद् का मत है कि उनके कर्मचारियों को पेमेन्ट आफ बोनस ऐक्ट के अन्तर्गत बोनस देय नहीं है। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

*४५—श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

[न्याय मन्त्री की प्रार्थना पर ९-१-६८ के लिए स्थगित किया गया।]

एटा जिले के लिये नलकूप

*४६—श्री लटूरीसिंह (जिला एटा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ब्लाक अलीगंज व ब्लाक जैथरा, जिला एटा में सन् १९६७–६८ में कितने सरकारी ट्यूबवेल बनाने की योजना है और वह कहां-कहां बनाए जा रहे हैं ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

ब्लाक अलीगंज व ब्लाक जैथरा जिला एटा में सन् १९६७–६८ में सरकारी नलकूप बनाने की कोई योजना स्वीकृत नहीं है। एटा जिले के लिए विश्व बैंक की सहायता से नलकूपों का एक बड़ा कायक्रम प्रस्तावित है यह योजना स्वीकार हो जाने पर इन खण्डों में भी नलकूप लग जायेंगे।

*४७—श्री योगेश्वरप्रसाद—

[७वें गुरुवार के लिए स्थगित किया गया।]

*४८—श्री योगेश्वरप्रसाद—

[७वें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ७८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

कम्पिल–सिवारा मार्ग पर पुलिया

*४९—श्री गिरीशचन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज, विकास क्षेत्र के अन्तर्गत कम्पिल-सिवारा मार्ग पर मनिकपुर स्केप पर पुलिया के निर्माण का प्राविधान कब किया जायगा ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

फर्रुखाबाद जिले का कम्पिल-सिवारा मार्ग जिला परिषद्, फर्रुखाबाद, के अधिकार क्षेत्र में है। यह मार्ग मानिकपुर स्केप को ५ मील ७ फर्लांग पर काटता है। इस स्थान पर पुलिया के निर्माण का प्राविधान तभी किया जा सकता है जब उक्त सड़क को जिला परिषद्, फर्रुखाबाद अधिकतम बाढ़ की सतह से ऊंचा कर दें। अन्यथा इस पुलिया के निर्माण से कोई लाभ न होगा।

रजबहा गंग नहर से मंडुरा ग्राम टेल पर पानी न पहुंचना

*५०—श्री विष्णुस्वरूप (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सैकरान निरगाजनी रजबहा गंग नहर, डिवीजन, रुड़की की टेल ग्राम मंडुरा, जिला मुजफ्फरनगर पर अप्रैल, मई, जून म पानी क्यों नहीं आया जिसक कारण टेल के सारे कमांड की भारी हानि हुई है ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

ग्राम मंडुरा में राजबहा मेन बसेड़ा के कुलाबा नं० ४७, ४८ व टेल से सिंचाई होती है। कुलाबा नं ४७ व ४८ से ग्राम में पर्याप्त सिंचाई हुई। किन्तु टेल के कमान्ड में गूलों की अत्यन्त न्यूनता तथा चकबन्दी में पुरानी गूलों के प्राप्ति समाप्त हो जाने के कारण उसके क्षेत्र में सिंचाई नहीं हुई।

मुजफ्फरनगर–मुबारिकपुर बस सर्विस की मांग

*५१—श्री सरदारसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह सही है कि राजकीय रोडवेज की गाड़ी मुजफ्फरनगर से गांव मुबारिकपुर चलती थी, इस समय बन्द है जिसके कारण इस क्षेत्र की जनता को भारी परेशानी है ? यदि हां, तो रोडवेज की गाड़ी कब तक चालू हो जायगी ?

श्री रामप्रकाश—

पुरबालियान से मुबारकपुर तक सड़क खराब होने तथा नाले का पुल ठीक न होने के कारण यह गाड़ी केवल मुजफ्फरनगर से पुरबालियान तक चल रही है जो मुबारिकपुर से लगभग तीन किलोमीटर की दूरी पर है । जब सड़क और पुल ठीक हो जायेंगे बस आगे तक जाना शुरू कर देगी ।

श्री एस० डी० पंडित, सिंचाई कार्यशाला, इज्जतनगर के विरुद्ध शिकायतें

*५२—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई कार्यशाला, इज्जतनगर, बरेली के कार्य-प्रबन्धक, श्री एस० डी० पंडित के विरुद्ध अक्तूबर, १९६६ से अब तक भ्रष्टाचार, कुनबापरस्ती आदि से सम्बन्धित कितनी शिकायत उन्हें अथवा उनके विभाग को प्राप्त हुई और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

श्री एस० डी० पंडित, कार्य प्रबन्धक के विरुद्ध एक प्रश्नावली व ६ शिकायतें प्राप्त हुई थीं । जांच के उपरान्त इनमें लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं हुए ।

*५३—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या यह सही है कि उक्त कार्य प्रबन्धक बरेली कार्यशाला ही में लगातार ६ वर्षों से कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो उन्हें एक ही स्थान पर इतनी लम्बी अवधि तक रोक रखने के क्या कारण हैं ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

सिंचाई कार्यशाला बरेली में १८–११–६१ से कार्य प्रबन्धक के पद पर कार्य कर रहे थे । उनका स्थानान्तरण मेरठ कार्यशाला को दिनांक ८–८–१९६७ को कर दिया गया ।

लखनऊ में आटा चक्कियों का समय बढ़ाने का सुझाव

*५४—श्री राधेश्याम कपूर (जिला लखनऊ)—

क्या विद्युत् मन्त्री बतायेंगे कि लखनऊ में आटा चक्की चलाने की सायंकाल ५ बजे के बाद अनुमति नहीं है जिससे दफ्तर आदि में कार्य करने वाले वेतनभोगी व्यक्तियों को अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि इन कर्मचारियों को प्रायः ५ बजे ही अवकाश होता है । अतः क्या विद्युत् मन्त्री सायंकाल ५ बजे का समय बढ़ाकर ७ बजे तक करके इनकी कठिनाइयों को दूर करेंगे ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

शाम के समय प्रकाश का अधिक विद्युत् भार होने के कारण सर्दियों में ५ बजे और गर्मियों में ६ बजे शाम के बाद विद्युत् प्रयोग की अनुमति आटा चक्की तथा अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए नहीं है । अतः प्राविधिक रूप से आटा चक्कियों के समय में परिवर्तन करना सम्भव नहीं है ।

बिलारी तहसील में बिजली की अव्यवस्था

*५५—श्रीमती इन्द्र मोहनी (जिला मुरादाबाद) तथा श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या सरकार को पता है कि मुरादाबाद जिले की तहसील बिलारी में बिजली विगत छः महीनों से अधिकतर फेल होती है जिससे नलकूप चल नहीं पाते ? यदि हां, तो सरकार इसके लिए क्या कर रही है ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

जी हां। फरवरी और मार्च, १९६७ में गंगा, शारदा व यमुना बिजली घरों में पानी की कमी के कारण कम बिजली उपलब्ध होने की वजह से तथा मई, जून, १९६७ में सिंचाई हेतु अधिक मांग होने पर ट्रांसफारमरों को ओवरलोडिंग से बचाने के लिए बिजली मुरादाबाद की बिलारी तहसील में अक्सर बन्द करना पड़ी।

२—हापुड़ में १३२ के० वी० सब स्टेशन बन जाने पर मुरादाबाद के ट्रांसफारमरों का अतिरिक्त भार हापुड़ से सब स्टेशन पर डाल दिया गया और अब बिलारी क्षेत्र की विद्युत् सप्लाई सुचारु रूप से चल रही है।

नकुड़ क्षेत्र में सिंचाई

*५६—श्री नारायणसिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्र नकुड़ (सहारनपुर) में ग्राम देधनारे से ग्राम कौलखेवड़ी तक व ग्राम बिसलहेड़ा से कुन्डा कलां तक व ग्राम रानीपुर बरसी से सरसवां तक सिंचाई के लिए कोई प्रबन्ध कब तक किया जायगा ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

ग्राम देवनारे। (न कि देधनारे) से कोल खेवड़ी के बीच का क्षेत्र नाले से कटानों के कारण असमतल है। इसके अतिरिक्त वर्षा ऋतु में नाले में बाढ़ आ जाने से पानी भर जाता है। अतः यह क्षेत्र राजकीय नलकूप के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। नहर कमांड के बाहर होने के कारण नहर से भी सिंचाई की कोई योजना नहीं है।

ग्राम बिसलहेड़ा से कुन्डा कलां के बीच के क्षेत्र में ३ राजकीय नलकूप लगे हुए हैं। शेष क्षेत्र सोनोली नदी के पास होने के साथ नदी की कटानों के कारण असमतल है। अतएव नलकूप निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। नहर कमांड के बाहर होने के कारण नहर से भी सिंचाई की कोई योजना नहीं है।

ग्राम रानीपुर बरसी से सरसवां के क्षेत्र में एक नलकूप लगा हुआ है। शेष क्षेत्र खादर क्षेत्र है जिसकी भूमिगत जल श्रोत (स्प्रिंग लेवेल) काफी ऊंची है। इस कारण यह क्षेत्र राजकीय नलकूप के लिए उपयुक्त नहीं है।

खुरहट पम्प नहर से सिंचाई

*५७—श्री श्रीनाथ (जिला आजमगढ़)—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की खुरहट पम्प नहर से कितने गांवों में कितने एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती है ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

आजमगढ़ जिले की खुरहट पम्प नहर से कुल ३४ ग्रामों में सिंचाई की जाती है। सिंचाई का क्षेत्र फल प्रत्येक वर्ष घटता बढ़ता रहता है, क्योंकि वह पूर्णतया कृषकों के सिंचाई करने व बोए हुए रकबे पर निर्भर रहता है। १९६६–६७ में कुल ग्रामों के २,९१४ एकड़ क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान की गई।

*५८—श्री श्रीनाथ—

क्या उक्त नहर दे से कोई शाखा निकाल कर ग्राम सोनिसा, कमालपुर, बकरी, कर दिया आदि गांवों की भूमि की सिंचाई की व्यवस्था करने का विचार कर रहे हैं ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*५९—श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

[न्याय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित किया गया।]

गाजीपुर जिले के लिये नलकूप

*६०—श्री रघुवीर—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना में गाजीपुर जिले में कितने सरकारी नलकूप लगाने की योजना है और किन स्थानों पर ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

नये नलकूपों का कार्यक्रम अब प्रतिवर्ष उपलब्ध संसाधनों के अनुसार बनता है। इसलिए यह बताना सम्भव नहीं है कि १९६६-७२ में गाजीपुर जिले में कितने नलकूप बन सकेंगे। नलकूप लगने का स्थान जिला सिंचाई और विद्युत् समिति द्वारा निश्चित होता है।

छिबरामऊ ब्लाक में सिंचाई साधनों का अभाव

*६१—श्री रामप्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि ब्लाक छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद में ग्राम कुंअरपुर, लाट्टेपुर से लकर ग्राम बसुआ मई तक लगभग ६ हजार एकड़ भूमि के लिये सिंचाई के कोई साधन उपलब्ध नहीं है और क्या सरकार कोई व्यवस्था करने का विचार रखती है और कब तक ? क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि फर्रुखाबाद के जनपद में फोर्थ प्लान में कितने राजकीय नलकूप देने की व्यवस्था है ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

जी हां प्रश्न में उल्लिखित क्षेत्र में राजकी सिंचाई साधनों की व्यवस्था नहीं है। सिंचाई व्यवस्था के उद्देश्य से सर्वेक्षण प्रगति पर है। फर्रुखाबाद जिले में चौथी योजना में निर्मित किये जाने वाले नलकूपों की संख्या दे सकना इस समय सम्भव नहीं है क्योंकि अब नए धसने वाले नलकूपों का जिलेवार वितरण शासन द्वारा उपलब्ध साधनों के अनुसार वर्ष प्रतिवर्ष किया जाता है।

जामनी बांध का निर्माण

*६२—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला झांसी में बन रहे जामनी बांध को किस सन् तक बन जाना था और नहरों को पानी देना था ? अब तक न बन सकने का क्या कारण है और कब तक बांध बन जायगा और नहरों को पानी देगा ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

पहले जामनी बांध का निर्माण सन, १९६६-६७ में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित था तथा नहरों में पानी दिया जाना जलाशय में पानी भरने के बाद प्रस्तावित था। अभी तक कार्य पूर्ण न होने का प्रमुख कारण यह है कि इस जलाशय से मध्य-प्रदेश को पानी देने के सम्बन्ध में

अन्तिम निर्णय लेने में काफी समय लगा जिससे कार्य के डिजाइन इत्यादि को अन्तिम रूप देने में विलम्ब हुआ। इसके साथ ही कुछ प्राकृतिक तथा टेक्नीकल कारण भी थे। वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार जलाशय तथा नहरों का निर्माण सन, १९७१ तक पूर्ण होने की आशा की जाती है तथा नहरों में पानी जलाशय भरने के उपरान्त ही दिया जा सकेगा।

आजमगढ़ बस स्टेशन की आय

*६३—श्री नखदेश्वर (जिला आजमगढ़)—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर रोडवेज में आजमगढ़ स्टेशन की इनकम पिछले तीन वर्षों की विभिन्न वर्षों में कितनी रही है? क्या क्रमशः आमदनी बढ़ी है? या घटी है तो क्यों?

श्री रामप्रकाश—

आजमगढ़ बस स्टेशन की आय पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित रही है :

वर्ष	आय रु०
१९६४–६५	२२,०८,६२२.०२
१९६५–६६	२४ ९८,९०५.८०
१९६६–६७	२५,७३,५८०.१८

आमदनी क्रमशः बढ़ी ही है, घटी नहीं।

लालपुर तथा बहुता ग्रामों को बिजली न मिलना

*६४—श्री ऊदल—

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गांव लालपुर, बहुता, तहसील हैदरगढ़, बाराबंकी को विद्युतीकरण हेतु सन, १९६५–६६ की सूची में रखा गया है? यदि हां तो विद्युतीकरण अब तक क्यों नहीं किया गया? क्या वहां खम्भे तथा दूसरा सामान विद्युतीकरण हेतु बहुत दिनों से रखा हुआ है?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

जी हां, ग्राम लालपुर तथा बहुता को विद्युतीकरण हेतु सन्, १९६५-६६ की सूची में रक्खा गया था, परन्तु कुल लागत की १५ प्रतिशत आय प्राप्त न होने के कारण इनका विद्युतीकरण सम्भव नहीं है।

*६५—श्री ऊदल—

क्या विद्युत्, मंत्री यह बतायेंगे कि उक्त गांवों में मार्च, १९६७ म पांच व्यक्तियों ने ट्यूबवेल के कनेक्शन हेतु विभाग से एग्रीमेंट किये हैं और पांच व्यक्तियों को ट्यूबवेल का कनेक्शन मजूर है?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

जी हां, ग्राम लालपुर तथा बहुता के पांच व्यक्तियों ने मार्च, १९६७ में व्यक्तिगत नलकूप के कनेक्शन हेतु विभाग से एग्रीमट किय ह और पांच अन्य व्यक्तियों को कनेक्शन मजूर हुये हैं।

बड़हलगंज बस स्टेशन के लिये भूमि

*६६—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर रीजन में बड़हलगंज में बस स्टेशन बनाने के लिये भूमि लेने की कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो यह कार्यवाही किस तारीख से शुरू हुई है और ३१ जुलाई, १९६७ तक इसकी क्या प्रगति हुई?

श्री रामप्रकाश—

जी हां। गोरखपुर रीजन में बड़हलगंज में बस स्टेशन बनाने के लिये भूमि लेने की कार्यवाही की जा रही है। यह कार्यवाही १९५२ से शुरू की गयी थी तथा ५ बार पृथक-पृथक स्थानों पर भूमि अर्जित करने का प्रयत्न किया गया था लेकिन सब प्रयत्न असफल रहे हैं अतः प्रधान प्रबन्धक, राजकीय रोडवेज, गोरखपुर को किसी उचित भूमि पर बस स्टेशन बनाने के लिये भूमि का शीघ्र चयन करने के आदेश दिये गये हैं।

नकुड़ क्षेत्र में जमुना के बांध का कटाव

*६७—श्री नारायणसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नकुड़ क्षेत्र में जमुना के बांध के कटाव धोधा मजरा व रानीपुर बरसी के बीच हो रहा है जिसके फलस्वरूप कई गांव खतरे में हैं, उनका क्या प्रबन्ध किया जा रहा है? क्या सरकार इस कटाव को रोकने के लिये २ मील का बांध उत्तर-दक्षिण की ओर बनाने का कार्य शुरू करेगी? यदि हां तो कब तक, और नहीं तो क्यों?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित यमुना कमेटी के नियमानुसार कोई बांध नदी के किनारे से चार फर्लांग से कम फासले पर नहीं बनाया जा सकता। अतः नदी के अत्यन्त समीप स्थित ग्रामों की सुरक्षा के लिए बांध का निर्माण सम्भव नहीं है।

सुरक्षा के लिए ग्राम टोला मजरा की आबादी ऊंचे स्थान पर बसा दी गई है। जहां तक ग्राम रानीपुर बरसी का सम्बन्ध है उसे बचाने के लिए एक रिंग बांध बनाने की योजना विचाराधीन है।

गोरखपुर जिले में ग्राम्य विद्युतीकरण योजना

*६८—श्री अश्वनीकुमार (जिला गोरखपुर)—

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६७-६८ में गोरखपुर जिले के किन-किन गांवों में ग्राम विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत बिजली दी जायगी?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

ग्राम्य विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत वर्ष १९६७-६८ में अभी गोरखपुर जिले के किसी भी गांव को बिजली देने की योजना नहीं है।

राज्य विद्युत् परिषद् से रेलवे को डैमरेज

*६९—श्री गजाधर (जिला बहराइच)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने १९६६-६७ में कितने रुपये रेलवे को डैमरेज अदा किया है?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद--

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् ने वर्ष १९६६-६७ में ४,९३,५०२ रु० डेमरेज रेलवे को अदा किया।

*७०--श्री गजाधर--

क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि समय के अन्दर माल न छुड़ाने के क्या कारण हैं तथा उसके लिये कौन-कौन उत्तरदायी हैं?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद--

रेलवे रसीद अथवा भारी सामान उतरवाने के लिए क्रेन समय से उपलब्ध न होने के कारण ही मुख्यतया समय के अन्दर माल न छुड़ाया जा सका। विलम्ब अनिवार्य था और उसका उत्तरदायित्व व्यक्ति विशेष पर निश्चित नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त प्रशासन के बिजली घरों की रेलवे साइडिंग छोटी होने के कारण भी माल निर्धारित समय में नहीं छुड़ाया जा सका।

फतेहपुर व इलाहाबाद जिले में सिंचाई योजना

*७१--श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर तथा इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदियों से पम्प द्वारा पानी उठा कर सिंचाई की व्यवस्था करने की कोई स्कीम है? यदि हां तो वह क्या है तथा कब तक चालू हो जायगी?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद--

जी हां, एक योजना इलाहाबाद जिले म श्रृंगवेरपुर गांव के निकट गंगा नदी से पानी को उठाकर मरिहान ब्रांच में डालकर सिंचाई करने की तथा दूसरी योजना फतेहपुर जिले में रेन गांव के निकट यमुना नदी से पानी को उठा कर फतेहपुर ब्रांच में डाल कर सिंचाई करने की तैयार की जा रही है। योजनाओं के प्राक्कलन बन जाने पर उन्हें भारत सरकार के जल और विद्युत आयोग को स्वीकृति के लिये भेजा जायगा। यह योजनाएं भारत सरकार से उनके लिये अतिरिक्त धन मिलने पर ही कार्यान्वित हो सकेंगी। इनके बनने का कोई निश्चित कार्यक्रम अभी निर्धारित नहीं किया जा सकता

घोंघी नदी की पुरानी धारा खोलने की प्रार्थना

*७२--श्री धनराज यादव (जिला बस्ती) तथा श्री जैदत्त सिंह (जिला बस्ती)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में घोंघी नदी की पुरानी धारा जो बन्द करके दूसरी तरफ मोड़ कर कूड़ा नदी में सोहांस के पास मिला दिया गया है और कृषकों के प्रार्थना-पत्र पर पुनः खोलना स्वीकार किया गया था अभी तक नहीं खोला गया? यदि हां, तो सरकार कब तक उस बन्द पुराने नदी के रास्ते को खुलवाने का विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद--

घोंघी नदी की पुरानी धारा को खोलने के लिए कोई स्वीकृति नहीं दी गई है फिर भी गर्मी में पानी कम होने पर, मौके पर मिट्टी खुदवाकर देखा जायेगा और तब ही खुलवाने के बारे में कोई निश्चय हो सकता है।

सैदपुर तहसील में नलकूपों से सिंचाई

*७३—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ट्यूबवेल नं० ४९ नायक डीह तथा ट्यूबवेल नं० २२९ खीधासानपुर, तहसील सैदपुर, जिला गाजीपुर की कमान्ड एरिया क्या है और सिंचाई कितने एकड़ की होती है और गांव आहिथैली, सोनियों पार, कूड़ा, खाँसहां निखिद्दीपुर, आलमपुर आदि गांव की सिंचाई की क्या व्यवस्था है ? क्या नायक डीह के पश्चिम एक ट्यूबवेल लगाना विचाराधीन है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील में राजकीय नलकूप संख्या २२९ खीयासानपुर के नाम से कोई नलकूप नहीं है। नलकूप संख्या ५९ नायकडीह (न कि संख्या ४९) का कृषि योग्य अधिकृत क्षेत्र ८०० एकड़ है। सन् १९६५–६६ व १९६६–६७ में इस नलकूप से क्रमशः ४४२ व ४५४ एकड़ क्षेत्र की सिंचाई की गई।

ग्राम अहिरौली (न कि अहिथैली) सोनियापार, बूढ़ा अलमी (न कि कूढ़ा) तथा आलमुपुर के क्षेत्र नलकूप संख्या ५९ के कमान्ड में है। खासहां निखिद्दीपुर नाम का कोई ग्राम उक्त तहसील में नहीं है। ग्राम नायकडीह के पश्चिम में एक नलकूप लगाने की सम्भावना है तथा विस्तृत सर्वेक्षण के पश्चात् जिला स्तरीय समिति द्वारा स्थल अनुमोदित किये जाने पर बनाया जायगा यदि क्षेत्र के कृषक द्विस्तरीय उपकर पद्धति अपनाने को तैयार होंगे तथा नलकूप के ४,००० वार्षिक घंटे चलने की सम्भावना पाई जायेगी।

नैनीताल जिले में अर्जुन नाला से क्षति तथा तराई क्षेत्र में सिंचाई साधनों का अभाव

*७४—श्री रामदत्त (जिला नैनीताल)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनको इस बात की जानकारी है कि नैनीताल जिले की काशीपुर व बाजपुर तहसीलों के एक भाग में अर्जुन नाला के उत्पात से किसानों की जमीनें विगत दो वर्षों से कटती चली जा रही हैं और बाढ़ से फसलों को भारी क्षति पहुंची है ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

अर्जुन नाले की बाढ़ से भूमि भी कटी है और ग्रामों को क्षति भी पहुंची है।

*७५—श्री रामदत्त—

क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जिले के तराई क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था करने के कितने ट्यूबवेल वर्ष १९६७–६८ में लगाने की योजना है ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

जिला नैनीताल के तराई क्षेत्र में कोई भी राजकीय नलकूप वर्ष १९६७–६८ में लगाने की योजना नहीं है।

*७६—श्री चन्द्रशेखरसिंह तथा श्री भृगुनाथ—

[प्रश्नकर्ताओं से स्पष्टीकरण के अभाव में हटा दिया गया।]

झगहा क्षेत्र में सिंचाई

*७७—श्री रामपति (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार गोरखपुर जिलान्तर्गत झगहा क्षेत्र के कछार इलाके में किसानों को फसल के लिये ट्यूबवेल या अन्य सिंचाई साधनों द्वारा पानी देने की कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या और कब तक पानी का प्रबन्ध हो जायगा ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

प्रथम भाग—जी नहीं।

द्वितीय भाग—प्रश्न ही नहीं उठता।

बस टिकटों की दर में परिवर्तन का सुझाव

*७८—श्री राधश्याम कपूर—

क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि बसों के टिकटों की कीमत में कोई संशोधन करने जा रहे हैं जिससे टिकटों की दरें १०, १५, २० पसे आदि १२, २२ पैसे के स्थान पर हो जायेंगी, जिससे जनता म छोटी रेजगारी क कारण कण्डक्टरों क पूरे पैसे न देने पर जो परेशानी होती है वह दूर हो जायगी।

श्री राम प्रकाश—

अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

अकबरपुर तहसील में बिजली कनेक्शनों की स्वीकृति

*७९—श्री रामनारायण—

क्या सिंचाई व विद्युत मंत्री, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के उन व्यक्तियों की सूची मय पते देने का कष्ट करेंगे जिनसे विभाग के साथ ३० माच, सन् १९६७ तक बिजली का कनेक्शन देने का इकरारनामा हो चुका था, इनम से कितने व्यक्तियों को कनेक्शन नहीं दिये गये ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

३० मार्च, १९६७ तक १४ व्यक्तियों के इकरारनामे किये गये जिनकी सूची संलग्न है। इनमें से ३ व्यक्तियों को कनेक्शन दिया गया और शेष ११ व्यक्तियों को कनेक्शन नहीं दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३७३ पर)

बेला-बिधूना सड़क पर बन्नापुर बस बुकिंग आफिस

*८०—श्री रघुनाथसिंह (जिला कानपुर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला कानपुर में बेला-विधूना रोड पर बारनपुर में रोडवेज का बुकिंग आफिस बन्द कर देन से जनता को घोर असुविधा हो गई है तथा जनता में घोर असन्तोष और क्षोभ व्याप्त है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध म क्या किया ?

श्री रामप्रकाश—

यह सत्य है कि राजकीय रोडवेज के कानपुर क्षेत्र में जिला कानपुर में बेला-विधूना रोड पर बन्नापुर, न कि बारनपुर जैसा कि प्रश्न में उल्लिखित है, में रोडवेज का बुकिंग आफिस आय की कमी के कारण दिनांक १२ मई, ६७ से बन्द कर दिया गया था। परन्तु जनता की मांग पर उक्त स्थान पर बस स्टेशन पुनः २४ नवम्बर, ६७ से प्रारम्भ कर दिया गया है।

नवगढ़ तहसील में बिलार नदी का कटाव

*८१—श्री धनराज यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में नवगढ़ तहसील में छितरापार गांव के पास बिलार नदी के कटाव से कृषि योग्य भूमि बराबर कटती जा रही है तथा कुछ समय पूर्व सरकार ने उक्त स्थान का सर्वे कराके उक्त नदी की धारा मोड़ कर नदी सीधी करने की योजना बनाई थी ? यदि हां, तो कब तक नदी की धारा सीधी कर दी जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

जी हां। जहां तक नदी की धारा को सीधा करने का प्रश्न है इस पर सिंचाई अनुसन्धान केन्द्र, रुड़की के परामर्श से विचार किया गया परन्तु प्राविधिक एवं आर्थिक दृष्टि से यह व्यवहारिक नहीं पाया गया।

फर्रुखाबाद से बस परमिटों के लिये प्रार्थना-पत्र

*८२—श्री महरमसिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १ मई से जून, १९६७ से प्रथम सप्ताह तक राज्य सरकार एवं परिवहन आयुक्त, रीजन कानपुर को ऐसे कितने प्रार्थना-पत्र, फर्रुखाबाद के निवासियों के प्राप्त हुये हैं जिनमें नोटीफिकेशन नं० ५५१—आर० टी० ए/२—६७, दिनांक १ अप्रैल, १९६७ को पुनः प्रकाशित करने के सम्बन्ध में मांग की गई हो ? सरकार ने प्रार्थना-पत्रों पर क्या-क्या कार्यवाही की है ?

श्री रामप्रकाश—

केवल दो पत्र रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिसर, कानपुर को प्राप्त हुये थे। जिन के फलस्वरूप परमिटों के लिये प्रार्थना-पत्रों की प्राप्ति की तारीख बढ़ाकर ३० सितम्बर, ६७ कर दी गई और नोटिफिकेशन सं० ८० आर० टी० ए०/११ (२)-६७ दिनांक १६ अगस्त, ६७ द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इसकी सूचना दे दी गई। पत्र लेखकों को अलग से भी रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिसर ने अपने पत्र सं० १८९९/आर० टी० ए० १३०मिस०/६३ दिनांक २ सितम्बर, ६७ द्वारा सूचित कर दिया था।

*८३—श्री चन्द्रशेखर तथा श्री अश्वनीकुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण हटा दिया गया।]

विद्युत् विभाग में लाइन इन्स्पेक्टरी के लिये परीक्षा

*८४—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बिजली विभाग द्वारा १० अगस्त, १९६६ को चीफ इंजीनियर द्वारा रेगुलर लाइन इंसपेक्टर पद के लिये कोई काम्पीटेन्सी टेस्ट हुआ था ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

जी नहीं।

*८५—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

उपरोक्त परीक्षा में जितने लोग पास हुये क्या सभी को रेगुलर लाइन इन्स्पेक्टर पद पर प्रोमोट कर दिया गया है ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

प्रश्न नहीं उठता।

सराय चौरी गांव की नहर में पानी न आने की शिकायत

*८६—श्री कन्हैयालाल (जिला इटावा)—

क्या सरकार को मालूम है कि मौजा सराय चौरी में जो कि इटावा डिवीजन में स्थित है, में दो साल से नहर का पानी नहीं पहुंच रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस वष वहां पानी पहुंचाने का प्रबन्ध करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

मौजा सरांय चौरी में पिछले दो वर्षों में नहर में पानी पहुंचता रहा है। इसलिये इस वर्ष किसी विशेष प्रबन्ध की आवश्यकता नहीं है ?

फर्रुखाबाद रोडवेज डिपो में भ्रष्टाचार की जांच

*८७—श्री रामप्रकाश त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद डिवीजन रोडवेज डिपो के भ्रष्टाचार का विवरण देते हुये जो मैंने शिकायत अप्रल, १९६७ में परिवहन मंत्री के नाम से भेजी थी, उसमें अंकित विविध प्रमाणों, रिपोर्टों तथा शिकायतों को क्या देखा जा चुका है। यदि हां, तो शिकायत पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री रामप्रकाश—

शिकायत सतर्कता विभाग को भेजी गई थी और उन्होंने मामला सी० आई० डी० को दे दिया है। सी० आई० डी० की जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

दनऊर गांव में सिंचाई कार्य

*८८—श्री अयोध्याप्रसाद आर्य (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम दनऊर, जनपद देवरिया में जो बांध तथा रेगुलेटर वित्तीय वर्ष, १९६५–६६ में बनने वाले थे, उनके अब तक न बनने का क्या कारण है ? तथा कब तक बन जायेंगे ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

यह बांध तथा रेगुलेटर बनाये जा रहे हैं। रेगुलेटर का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है और शेष मिट्टी का कार्य शीघ्र पूर्ण करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

बदरीनाथ मार्ग पर जीप दुर्घटना

*८९—श्री रामस्वरूप (जिला देहरादून)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १५ जुलाई, १९६७ को सूर्यास्त के बाद रात्रि में बद्रीनाथ मार्ग पर जो जीप गाड़ी खड्ड में गिरी है उसमें देहरादून रोडवेज क्षेत्र के सहायक प्रधान प्रबन्धक का ऋषि केश में जाने का क्या कारण था ?

श्री रामप्रकाश—

सहायक प्रधान प्रबन्धक, देहरादून तथा तीन अन्य व्यक्ति कथित जीप गाड़ी से ऋषिकेश-बद्रीनाथ मार्ग के निरीक्षण के लिये गये थे।

सेवापुरी ब्लाक में नलकूप से सिंचाई

*९०—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव गहरपुर, सारंगपुर, दशरथपुर, खड़ौरा, ब्लाक सेवापुरी, तहसील व जिला वाराणसी, में सिंचाई हेतु ट्यूबवेल लगाने का सर्वे हो चुका है ? यदि हां, तो ट्यूबवेल कब तक लग जायेगा तथा उक्त ब्लाक में गांव मटुंडा, रामडीहवां में भी ट्यूबवेल लगाने की योजना है ? यदि हां, तो इस स्थान पर कब तक ट्यूबवेल लगेगा ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

प्रथम भाग : जी हां ।

दूसरा भाग—

वाराणसी जिले के लिये विश्व बैंक की सहायता से राजकीय नलकूपों का एक बड़ा कार्यक्रम प्रस्तावित है । इस योजना के स्वीकार होने पर प्रश्न-गत स्थानों पर भी नलकूप लगा जायेंगे ।

बरहेती गांव से नहरी पानी लेने के लिये प्रार्थना-पत्र

*९१—श्री कल्यानसिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सिंचाई एवं विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बरहेती, परगना व तहसील कोल, जिला अलीगढ़ के कृषकों की ओर से तत्रस्थ "महेसपुर माइनर" में उक्त बरहेती ग्राम के निकट के 'साइफन' के डाइमीटर को कम से कम १० फीट करने अथवा वहां एक पुलिया का निर्माण करने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र सरकार को हाल ही में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

ग्राम बरहेती के कृषकों का प्रार्थना पत्र महेशपुर माइनर के निकट साइफन के डाइमीटर को बड़ा करन के लिये आया था ।

चूंकि साइफन पर कैचमेंट एरिया केवल डेढ़ वर्गमील है, अतएव ढाई फुट व्यास के नल इतने क्षेत्र से जल निकासी के लिये पर्याप्त हैं । अत: साइफन का डाइमीटर १० फुट करने की आवश्यकता नहीं है ।

प्रार्थना-पत्र में जल की निकासी के लिये एक और पुलिया के निर्माण की मांग की गई थी किन्तु ऊपर बताये गये कारणों से पानी की निकासी के लिये किसी और पुलिया के निर्माण की आवश्यकता नहीं है ।

देवरिया जिले में सिंचाई विभाग के कर्मचारी

*९२—श्री दशरथ (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जनपद के सिंचाई विभाग में प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की अलग-अलग संख्या क्या है और उनमें अनुसूचित जातियों की अलग-अलग संख्या कितनी है ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

देवरिया जनपद में नियुक्त कर्मचारियों की कुल संख्या एवं उनमें से अनुसूचित जातियों की संख्या का अधिष्ठानानुसार वर्गीकरण निम्न है:—

श्रेणी		कुल सख्या	उनमें से अनुसूचित जातियों की संख्या
१—प्रथम श्रेणी	..	२	..
२—द्वितीय श्रेणी	..	४९	..
३—तृतीय श्रेणी	..	५२९	१५
४—चतुर्थ श्रणी	..	७८५	५७

रोडवेज क्षेत्र, गोरखपुर में गबन के मामले तथा कर्मचारियों का बकाया वेतन

*९३—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करगे कि अप्रैल, १९६४ से ३० जून, १९६७ तक गोरखपुर रीजन में कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिनके काम किये हुये दिनों के वेतन अब तक नहीं मिले? यदि हां, तो क्यों ?

*९४—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश में कितन अधिकारी ऐसे ह जिन पर गबन के चार्ज प्रमाणित हो गये हैं और उनसे वे पैसे वसूल हो रहे हैं? यदि हां, तो अब तक उन्हें निलम्बित क्यों नहीं किया गया ?

श्री रामप्रकाश—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

फर्रुखाबाद जिले में विद्युत् सप्लाई व्यवस्था

*९५—श्री महरमसिंह—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में सिंचाई के लिये कितने ऐसे पावर कनेक्शन स्वीकृत है जिनको अभी तक बिजली नहीं मिली? न मिलने का क्या कारण है ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

फर्रुखाबाद जिले में ३० अक्तूबर, १९६७ तक २,६०० ऐसे पावर कनेक्शन स्वीकृत ह जिनको बिजली नहीं मिली। कारण यह है कि बोर्ड के पास सीमित धन है जो जिलों में वितरित हो चुका है और वह इस जिले में समाप्त है ।

*९६—श्री महरमसिंह—

क्या विद्युत् मंत्री को पता है कि फर्रुखाबाद नगर में अक्सर दिनों में कई घंटों तक बिजली बन्द रहती है जिसके कारण कोल्ड स्टोरेज तथा व्यावसायिक कार्यों में इस वर्ष क्षति हुई है तथा जनता को भी परेशानी हुई है क्या सरकार इसकी तुरन्त उचित व्यवस्था करेगी ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद--

फर्रुखाबाद नगर की बिजली व्यवस्था का दायित्व फर्रुखाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी फतेहगढ़ पर है। फर्रुखाबाद नगर में बिजली कभी कभी ही बन्द रही है और इसका कारण लाइनों में ब्रेक डाउन हो जाना रहा है। इस प्रकार बन्द हुई बिजली शीघ्र ही इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी द्वारा अपने डीजल इंजन चला कर फिर से चालू करदी जाती रही है।

बहादुरगंज का विद्युतीकरण

*९७--श्री रघुवीर--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर, ब्लाक काशिमाबाद के अन्तर्गत कस्बा बहादुरगंज में कब बिजली लगाई गई ?

श्री टम्बरश्वरप्रसाद--

जिला गाजीपुर के कस्बा बहादुरगंज का विद्युतीकरण दिनांक २४ जनवरी, १९६१ को हो चुका है।

मैंनपुरी जिले में नहर शाखा बेवर से पानी न मिलना

*९८--श्री जगदीशनारायण त्रिपाठी (जिला मैंनपुरी)--

क्या सिंचाई मंत्री महोदय को पता है कि मैंनपुरी जिले में नहर शाखा बेवर में अधिकारियों द्वारा समय में पानी न छोड़ जाने के कारण हजारों एकड़ रबी की फसल सूख गई और खरीफ की परवट भी न की जा सकी ? यदि हां तो सरकार किसानों को समय पर पानी देने की गारंटी करने के लिये क्या कदम उठाने जा रही है

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद--

मनपुरी जिले में नहर शाखा बेवर में पानी यथा शक्ति समय पर छोड़ा गया, अतः हजारों एकड़ रबी की फसल सूख जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। लोअर गंगा नहर को उसके कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की आवश्यक मरम्मत करने के लिये जून सन् १९६७ से बन्द करने के लिये बाध्य होना पड़ा जसके कारण बेवर शाखा भी उस माह में न चल सकी और खरीफ की पलेवा उस माह में न हो सकी चूंकि लोअर गंगा नहर के अब सब निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं इसलिये उपलब्ध पानी को बेवर ब्रांच में भी विधिवत दिया जा सकेगा। इन नहरों का चलना गंगा नदी में जल की उपलब्धता पर निभर है। इसलिये हर किसान को समय पर पानी देने की गारन्टी देना संभव नहीं है।

अमापुर ब्लाक में बरसाती नाला की भूमि

*९९--श्री सियाराम--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम नगला किशन, मजरा अर्जुनपुर, नौआबाद ब्लाक अमापुर जिला एटा के पास चकबन्दी से बरसाती नाले के लिये भूमि छोड़ी गई है ? यदि हां तो यह नाला कब तक खुद जावेगा ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद--

प्रथम भाग--

जी हां।

द्वितीय भाग--

इस नाले का निर्माण धन उपलब्ध होने पर निर्भर है। जिसके विषय में इस समय कुछ कह सकना संभव हीं है।

*१००—श्री ओंकारसरन (जिला मुरादाबाद) तथा श्री गुलाबसिंह (जिला देहरादून)—

[न्याय मंत्री की प्रार्थना पर ८वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

मुरादनगर ब्लाक में ड्रेनों से फसल को क्षति

*१०१—श्री जे० एस० चौधरी (जिला मेरठ)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि मुरादनगर ब्लाक तहसील गाजियाबाद में सौन्धा ड्रेन और आर्डिनेंस फैक्टरी ड्रेन से खरीफ की फसल को अधिक हानि पहुंची है ? यदि हां तो क्या सरकार क्षति-ग्रस्त किसानों को कोई तकावी या मालिया मुआफी देने पर विचार करेगी ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

प्रथम भाग—

मुरादनगर ब्लाक, तहसील गाजियाबाद में सौंधा ड्रेन तथा आर्डिनेंस फैक्ट्री के पानी से खरीफ की फसल को अधिक हानि नहीं पहुंची है ।

द्वितीय भाग—

प्रश्न ही नहीं उठता ।

हरदोई जिले में नलकूप

*१०२—श्री धर्मगर्जासिंह (जिला हरदोई)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले में कितने सरकारी ट्यूबवल हैं और उनमें से कितने चालू हैं और कितने बन्द हैं और कब से तथा सरकार बन्द ट्यूबवैलों को चलाने के बारे में कब तक व्यवस्था कर रही है ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

हरदोई जिले में इस समय कुल ६९ राजकीय नलकूप हैं जिनमें से ६७ चालू हालत में हैं । शेष दो बन्द नलकूपों में से नलकूप संख्या २ हरदोई ग्रुप १६ अक्तूबर, १९६७ से और नलकूप संख्या २२ (बिलग्राम ग्रुप) ११ जून, १९६७ से बन्द हैं । इन्हें शीघ्रातिशीघ्र चलाने की व्यवस्था की जा रही है ।

अतारांकित प्रश्न

विद्युत् परिषद् के अन्तर्गत उपभोक्ता जमा योजना

१—श्री गिरजाशंकर (जिला बाराबंकी) तथा श्री चन्द्रकुमार (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है जो लोग देहात में अब बिजली का कनेक्शन लेंगे उनको प्रति खंभे की दर से कुछ पैसे भी जमा करना होगा ? और क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि प्रति खंभा किसानों से किस दर से वसूल किया जायगा ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

धनाभाव के कारण उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत्, परिषद्, ने "उपभोक्ता जमा योजना" नाम की एक योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत भावी उपभोक्ता को अपने नलकूप। पंपिंगसेट के कनेक्शन के पूरे एस्टीमेट का खर्चा परिषद् के पास जमा करना पड़ता है और सब रकम जमा होने पर इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि १ महीने के अन्दर उपभोक्ता को कनेक्शन मिल जाय । उसे यह भी विकल्प (option) है कि बनाई जाने वाली विद्युत्, लाइन क लिये १,००० रुपये

प्रति फर्लांग की दर से खर्चा जमा कर दें। इस स्थिति में तीन महीने के अन्दर कनेक्शन देने का प्रयत्न किया जाता है। जमा की गई धनराशि पर उपभोक्ता को ३ प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज दिया जाता है।

सगड़ी तहसील में बिजली घर के लिये अध्याप्त भूमि का मुआवजा

२—श्री मुक्तिनाथ राय—

प्रश्न संख्या ५३, दिनांक २० जून, १९६७ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रतापपुर के किसानों को दिय जान वाल मुआवज का स्पशल रेट क्या है और राजस्व परिषद् की स्वीकृति कब तक प्राप्त हो जायेगी ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

प्रतापपुर के किसानों को दिये जाने वाले मुआविजे का स्पेशल रेट निम्नलिखित है—

बेल्ट नं० १ की भूमि क लिये ८,८९६ रु० ११ पैसे प्रति एकड़।

बेल्ट नं० २ की भूमि के लिये ४,४०० रु० प्रति एकड़।

उपरोक्त रेट की स्वीकृति राजस्व परिषद् द्वारा ८ दिसम्बर, १९६७ को दी जा चकी है।

जैतीपुर ब्लाक में नालों पर पुलों की आवश्यकता

३—श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या सिंचाई मंत्री को पता है कि शाहजहांपुर जिले के ब्लाक जैतीपुर की ग्राम खमरिया के पास से सुखरनिया नाला तथा गौरिया, अतू, नौगवां, टाटराबाद, परिउना के पास से डबरी नाला निकलता है जिसम प्रत्यक वष कुछ लोग डूबते हैं ? तो क्या मंत्री जी उपरोक्त नालों पर जनहित में पुल बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

प्रथम भाग—

जी हां प्रश्न में उल्लिखित क्षेत्र में सुखरनिया तथा छबरी नामक नाले हैं किन्तु इन नालों में किसी के डूबने की कोई सूचना सिंचाई विभाग को नहीं मिली है।

दूसरा भाग—

उपर्युक्त दोनों नाले प्राकृतिक नाले हैं अतः उन पर सिंचाई विभाग द्वारा पुल बनाना संभव नहीं है। यह कार्य जिला परिषद् या ग्राम पंचायत द्वारा होना चाहिये।

रुड़की तहसील में कृषि योग्य नहरी भूमि

४—श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला सहारनपुर की रुड़की तहसील के अन्दर गंगा नहर की कृषि योग्य भूमि किस-किस ग्राम के किस किस व्यक्ति को १ अप्रैल, १९६७ से ३० जून, १९६७ तक एलाट की गई है अथवा पट्टे पर दी गई है ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

प्रश्न में उल्लिखित क्षेत्र तथा अवधि में नहर भूमि न तो किसी को एलाट की गई और न किसी को पट्टे पर दी गई थी।

इलाहाबाद जिले में नलकूप लगाने की प्रार्थना

५—श्री धर्मवीरसिंह (जिला मेरठ)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद की मेजा तहसील में १९६७–६८ में ट्यूबवेल लगने का निर्णय सरकार द्वारा हो चुका है ? यदि हां, तो कितने ट्यूबवेल कहां कहां लगेंगे और कब तक कार्य शुरू हो जाने की आशा है ?

६—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद के चायल, मंझनपुर एवं सिराथू क्षेत्र में १९६७–६८ में ट्यूबवेल लगाने की योजना पर सरकार निर्णय ले चुकी है ? यदि हां तो कितने और कहां-कहां लगेंगे ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील और चायल, मंझनपुर एवं सिराथू क्षेत्र में १९६७–६८ में कोई नलकूप लगाने की योजना नहीं है ।

७—श्री धर्मवीरसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक चायल, मंझनपुर तथा सिराथू में कितने ट्यूबवल प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्षीय योजनाओं में लग चुके हैं ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

तहसील चायल में प्रथम व तृतीय योजना काल में कोई राजकीय नलकूप नहीं बना तथा द्वितीय योजना काल में ६ नलकूप बनाये गये ।

तहसील मंझनपुर में उक्त तीनों योजना काल में कोई नलकूप नहीं बना ।

सिराथू तहसील में प्रथम व तृतीय योजना काल में कोई नलकूप नहीं बना । द्वितीय योजना काल में ७ नलकूप बनाये गये ।

विश्व बैंक द्वारा नलकूप निर्माण योजना

८—श्री मुक्तिनाथ राय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किन-किन जिलों में विश्व बैंक द्वारा नलकूपों के निर्माण की योजना है ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

विश्व बैंक द्वारा प्राप्त होने वाले सम्भावित ऋण से वाराणसी और एटा जिलों में नलकूप निर्माण की योजना है ।

सहारनपुर जिले में नलकूप

९—श्रीमती शकुन्तला देवी (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार यह बताएगी कि जिला सहारनपुर में गत पंचवर्षीय योजना में कितने ट्यूबवेल लगने वाले थे, उनमें से कितने बन चुके हैं और कितने बनने बाकी हैं ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में जो प्राक्कलन स्वीकृत हुए उनम से गत पंचवर्षीय योजना में ५३ नलकूप सहारनपुर जिले में बनने थे जो सभी मार्च, १९६६ तक लग चुके थे ।

१०—श्री शिवराजसिंह (जिला मैनपुरी)—

[न्याय मन्त्री की प्रार्थना पर ८वें मंगलवार के लिए स्थगित किया गया ।]

वाराणसी जिले में नलकूप

११—श्री हिम्मत बहादुर (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जनपद के पिरई ग्राम हरहुआ, चोलापुर, पिंडरा और बड़ागांव विकास खण्डों में कितने कितने राजकीय नलकूप लगे हैं ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

वाराणसी जिला में पिरई ग्राम नाम का विकास खण्ड नहीं है, बल्कि चिरई गांव विकास खण्ड है। प्रश्नगत विकास खण्डों में निम्नलिखित राजकीय नलकूप लगे हैं :

चिरईगांव विकास खण्ड	२९
हरहुआ विकास खण्ड	२६
चोलापुर विकास खण्ड	९
पिंडरा विकास खण्ड	२६
बड़ागांव विकास खण्ड	२३

जौनपुर जिले में नलकूपों की मरम्मत

१२—श्री चन्द्रशेखर (जिला वाराणसी)—

क्या सिंचाई मन्त्री बतायेंगे कि जिला जौनपुर में तीन नलकूप जयपालपुर, मदारडीह, और रामनगर सन् १९६५ में रिग्स प्रखण्ड वाराणसी द्वारा बनाए गए थे जिन पर कम्प्रेशर चलाते ही जाली फट गई थी और जिसके फलस्वरूप तीनों नलकूप फेल हो गए और उन्हीं नलकूपों के स्थान पर उन्हीं के निकट सन १९६६ में नए नलकूप का निर्माण किया गया ? यदि हां, तो प्रत्येक नलकूप को दो-दो बार बनाने का अलग-अलग प्रति नलकूप व्यय कितना था और प्रत्येक नलकूप के प्रत्येक बार की बोरिंग, डेवलपमेंट पर रिग व कम्प्रेशर कब-कब और कितने-कितने दिनों तक चलाए गए तथा दोनों बार की बोरिंग में किन-किन व्यासों के पाइप लगाए थे तथा प्रत्येक नलकूप पहले कितने गहरे बनाए गए थे और बाद में कितने गहरे बनाए गए ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

सूचना एकत्र की जा रही है।

गोरखपुर क्षेत्र में रोडवेज कर्मचारियों की मुअत्तली

१३—श्री उग्रसेन तथा श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर रीजन में अभी कितने ऐसे सरकारी रोडवेज कर्मचारी हैं जिन्होंने कर्मचारियों की पिछली हड़ताल में हिस्सा लिया था और इसके फलस्वरूप नौकरी से विलग या निलम्बित कर दिए गए थे और पुनः काम पर वापस नहीं लिए गए ? उनको कब तक काम पर वापस लिया जायगा ?

श्री रामप्रकाश—

केवल ४ कर्मचारी अब तक निलम्बित हैं जिनके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं। न्यायालय के निर्णय के बाद ही उनके मामलों पर विचार किया जा सकता है।

१४—श्री उग्रसेन तथा श्री मधुकर दिघे—

क्या परिवहन मन्त्री बताने का की कृपा करेंगे कि गोरखपुर रीजन में मई, जून तथा जुलाई, १९६७ में कितने कर्मचारी नौकरी से अलग किए गए या निलम्बित किए गए तथा उन पर क्या अभियोग थे ?

श्री रामप्रकाश—

१०२ कर्मचारी निलम्बित तथा १४ सेवा से विलग किए गए। उनके विरुद्ध यात्रियों से निर्धारित किराए से अधिक किराया वसूल करना, भ्रष्टाचार कार्य से अनुपस्थिति, बिना उच्च अधिकारी के आदेश के स्पेशल बस बुक कराना, स्टेशन बन्द रखना, यात्रियों से अभद्र व्यवहार करना, हिंसात्मक कार्यवाही क्रिमिनल केस में अभियुक्त होना, बस को दुर्घटनाग्रस्त करना, बस को चेकिंग के लिए न रोकना, टिकट का हिसाब ठीक न रखना, वे बिल खोना चेकिंग के समय उनके सुपुर्द राजकीय धनराशि का कम पाया जाना, गबन इत्यादि, अभियोग थे।

बझेड़ा रजबहे पर कुलाबे

१५—श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बरेली के फरीदपुर ब्रांच से जो रजबहा बझेड़ा निकला है उस पर कुल कितने स्थायी कुलाबे लगे हुए हैं और इस वर्ष धान तथा गेहूं की सिंचाई हेतु कितने कुलाबे लगाए जायगे तथा १६ अगस्त १९६७ तक कितने अस्थायी कुलाबे लगाने की आज्ञा दी जा चुकी है?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

रजबहा बझेड़ा पर स्थाई कुलाबों की कुल संख्या १३८ है।

इस रजबहे पर इस वर्ष १६-८-६७ से पहले धान के लिए १८ अस्थायी कुलाबे मंजूर किए गए और मौके पर लगाए गए। गेहूं की सिंचाई के लिए अस्थायी कुलाबे नहीं दिए जाते।

तराई सिंचाई खंड, नैनीताल की योजनायें

१६—श्री इन्द्रलाल—

क्या सिंचाई मन्त्री बतायेंगे कि तराई सिंचाई खण्ड नैनीताल की ऐसी कितनी योजनायें कार्य प्रारम्भ होने से रुकी पड़ी हैं कि जिनके लिए उपलब्ध फंड अभी तक प्राप्त नहीं हो सका?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

तराई सिंचाई खण्ड नैनीताल की किसी भी स्वीकृत परियोजना का कार्य उपलब्ध धन के अभाव में नहीं रुका पड़ा है।

१७—श्री नाथूराम शिक्षक—

[न्याय मन्त्री की प्रार्थना पर ९-१-६८ के लिए स्थगित किया गया।]

१८—श्री घनश्याम गिरि (जिला देहरादून)—

[न्याय मन्त्री की प्रार्थना पर ९-१-६८ के लिए स्थगित किया गया।]

रोडवेज वर्कशाप, बरेली के कर्मचारियों का वेतन रोकना

१९—श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि एक सरकारी आदेश के अन्तर्गत समस्त विभागीय कर्मचारियों को गत हड़ताल की अवधि का अग्रिम अवकाश स्वीकार कर के वेतन देने का निर्णय दिया जा चुका है? इस आदेश के अधीन जिन कर्मचारियों का वेतन खजाने से निकाल लिया गया था लेखा अधिकारी राजकीय परिवहन विभाग, बरेली ने ४४ वर्कशाप के कर्मचारियों का वेतन क्यों रोका है?

श्री रामप्रकाश—

शासनादेश के अनुसार सभी कर्मचारियों को वेतन दे दिया गया है।

सदन की कार्यवाही मर्यादित ढंग से चलाने के लिए श्री अध्यक्ष की नेता विरोधी दल से अपील

श्री अध्यक्ष—

आज का कार्य आरम्भ करने से पूर्व मैं दो शब्द सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। कल शाम को जो कुछ यहां पर हुआ उससे मेरे मन में कुछ खेद हुआ। कल सायंकाल ५ बजे जब सदन बैठा मैं माननीय नेता विरोधी दल की तरफ देख रहा था लेकिन उनका स्थान खाली था कारण मुझे यह अवसर न मिला कि मैं कुछ निवेदन करूं। जो स्थिति कल उत्पन्न हुई उसके सम्बन्ध में दो राय की गुंजायश हो सकती है हमारे देश में और बाहर ऐसे मौके आए हैं कि कल जैसी स्थिति होने पर या उससे छोटी स्थिति उत्पन्न होने पर कभी-कभी सम्बन्धित मन्त्रियों ने इस्तीफे दिए हैं। वैसी इससे बहुत बड़ी स्थिति में नहीं भी दिए हैं। इस में दो राय भी हो सकती हैं लेकिन मेरा निवेदन यह है कि विधान सभा का कार्य मर्यादित ढंग से और संविधान के अनुसार चलना चाहिए और इसमें सब का सहयोग मिलना चाहिए उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, माननीय नेता विरोधी दल से जो स्वयं स्वस्थ परम्पराओं में आस्था रखते हैं, जिन्होंने स्वस्थ परम्पराओं का सृजन भी किया है और वे उनमें विश्वास भी रखते हैं, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि वे मुझे कृपा कर अपना सहयोग प्रदान करें ताकि सदन का कार्य मर्यादित ढंग से और संविधान के अनुकूल चल सके। मुझे आशा है कि वे मेरी प्रार्थना पर विचार करेंगे।

श्री चन्द्रभानु गुप्त (जिला अल्मोड़ा)—

अध्यक्ष महोदय मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरा और मेरे साथियों का ध्यान स्वस्थ परम्पराओं की ओर दिलाया। जैसा कि आपने स्वतः कहा मैं उन व्यक्तियों में से हूं और ऐसा समझता हूं कि गणतन्त्र की सफलता के लिए उसको मजबूती देने के लिए स्वस्थ परम्पराओं के अनुसार कार्य होना चाहिए। कल भी इस सम्बन्ध में मैंने कुछ बातें कही थीं। स्वतः सदन ने जो स्वस्थ परम्परायें रची थीं मैंने शासनारूढ़ दल का ध्यान उनकी तरफ कल आमन्त्रित किया था। जब से संविद की सरकार बनी है मैं ऐसा अनुभव करता रहा हूं कि पहले जो व्यक्ति विरोधी पक्ष में बैठते थे और जिन स्वस्थ परम्पराओं की वे चर्चा किया करते थे, यहां सदन में घोषणा करते थे आज शासनारूढ़ दल में बैठ कर वे नाम मात्र भी उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं और उसके विपरीत कार्य किए हैं। स्वयं माननीय मुख्य मन्त्री भी उन कथनों के विपरीत कार्य करते हैं जिनको वे गांधीवादी होने के नाते प्रकाश में लाते हैं और जिनकी वह समय और वे समय घोषणा करते हैं। इस देश के सार्वजनिक जीवन में ४, ५ अवसर ऐसे आए हैं जिनमें नैतिकता का तकाजा था कि मुख्य मन्त्री जी ऐसा व्यवहार करें जिससे लोगों की आस्था गणपतन्त्र में बढ़े और उससे गणतन्त्र की जड़ें मजबूत हों। कल का ही एक अवसर नहीं था जब शासनारूढ़ दल की हार असेम्बली में और असेम्बली के बाहर बैलेट के जरिए हुई काउन्सिल के चुनाव में। इससे पूर्व भी ३-४ अवसर ऐसे आए जब संविद दल की हार हुई। जब-जब संविद दल ने अपने उम्मीदवार खड़े किए और जब-जब मत बैलेट के द्वारा लिए गए उनके खड़े किए हुए उम्मीदवार हारे। कल भी ऐसा ही हुआ। चाहे वह काउन्सिल आफ स्टेट के चुनाव का मसला रहा हो चाहे वह काउन्सिल के सदस्यों का चुनाव रहा हो चाहे उनसे भी बड़ा राष्ट्रपति का चुनाव रहा हो संविद सरकार ने शामिल व्यक्ति और दल सभी ने बड़ी संख्या में इस बात की कोशिश की थी जो व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से मनोनीत किया गया था वह हार जाय। लेकिन वह नहीं हारा और संविद दल अपने उम्मीदवार को विजयी नहीं करा पाया जबकि संविद के कुछ दलों ने यह कह दिया था कि उनके प्रतिष्ठा का चुनाव है।

यही नहीं हर मन्त्रि-परिषद्, कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी की बुनियाद पर चलता है। परन्तु रोजमर्रा हमने अखबारों में क्या देखा? क्या यह नहीं देखा है कि एक मन्त्री दूसरे मन्त्री के बयान के विरुद्ध अखबार में बयान शाया कराता है और शाया करके सरकार को जनता के

हृदय में अश्रद्धा का पात्र बनाता है और उसके प्रति रोष प्रकट कराता है। इससे जनता के मन में गणतन्त्र के प्रति आस्था उठती है। कभी वित्त मन्त्री जी कुछ बयान देते हैं और उसके विपरीत जनसंघ के मन्त्री जो सिंचाई विभाग का संचालन करते हैं वह अपना वक्तव्य निकालते हैं और परस्पर विरोधी वक्तव्य देकर जनता के बीच में भ्रम पैदा करते हैं। मुख्य मन्त्री उसे रोक नहीं पाते हैं। वह मन्त्रिपरिषद्, का संचालन नहीं कर पाते हैं.....

श्री अध्यक्ष--

यह चूंकि क्वेश्चन आवर है इसलिए मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि जरा संक्षेप में कहें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

इस तरह से मन्त्रि लोग जनतन्त्र के सिद्धांतों के विपरीत कार्य करते हैं और कराते हैं। रोजमर्रा हम अखबारों में देखते हैं कि मुख्य मन्त्री जी इस्तीफा देते हैं। परसों तक वह इस्तीफा दिए हुए थे और परसों ही उन्होंने संविद के लोगों से अपील की थी कि भाई मुझे या तो मुख्य मन्त्री के रूप में कार्य करने दो या मुझे जाने दो। अब कल जो सबकी नक्सा नजरों के सामने से गुजरा वह क्या था? उन्होंने एक व्यक्ति को अपने दल की ओर से मनोनीत किया.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपा करके व्यवधान न करें। अगर शान्ति रखेंगे तो काम चलने में आसानी होगी।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

उन्होंने और उनके दल ने एक व्यक्ति को मनोनीत किया और उस दल के साथियों ने इस व्यक्ति को हरा दिया। तो अब मैं नहीं जानता कि कितनी मात्रा में वह दल मुख्य मन्त्री के प्रति स्वतः विश्वास रखता है। जैसा मैंने कहा कि जब-जब अवसर आए हैं और जब-जब बैलेट के जरिए से किसी विषय पर मत पड़े हैं तब तक मुख्य मन्त्री जी को उनके साथियों ने समर्थन नहीं दिया है और उनके मनोनीत व्यक्ति को हरा दिया है और इस प्रकार से उनके प्रति अविश्वास प्रकट किया है।

कल जब यह विषय यहां उठा तो मैं उन मुख्य मन्त्री को एक अपने पुराने दोस्त के नाते उनकी मदद करने की चेष्टा कर रहा था और उनसे निवेदन भी कर रहा था कि वहां आप ऐसी मंडली में पड़े हुए हैं जो मंडली आपकी नीतियों के अनुसार काम नहीं करना चाहती है और रोजमर्रा मन्त्रि-परिषद् की जो कलेक्टिव जिम्मेदारी होती है उसके विपरीत कार्य करते हैं और उसका मजाक उड़ाना चाहती हैं तो आज अवसर आया है कि इस मंडली का साथ छोड़िए और वे तरीके बरतिए जिससे स्वतः उनकी ख्याति में बट्टा न लगे और साथ ही गणतन्त्र को भी धक्का न लगे। इस कारण से मैंने कहा था कि वह मन्त्रि-परिषद्, से इस्तीफा दें। और जब मैंने अपने इस्तीफा की बात कही थी तो उसमें यह बात तो नहीं थी कि कल मैं वहां जाकर मुख्य मन्त्री बन जाऊंगा। यदि वह मन्त्रि-परिषद् का इस्तीफा देंगे और उनके साथ बहुमत होगा तो फिर गवर्नर उन्हें आमंत्रित करेंगे सरकार बनाने के लिए। तब उन्हें यह भी अवसर होता कि वह ऐसे लोगों को अपने मन्त्रि-मण्डल में रखते जो उनकी नीतियों के अनुसार और उनके आदर्शों के अनुकूल कार्य करने को तैयार होते। यही पद्धति गणतन्त्र में अपनाई जाती है और यह उसकी जड़ मजबूत कर सकती है। पिछले ८, ९ महीनों में जो कार्य इस सरकार के द्वारा इसके जिम्मेदार मन्त्रियों के द्वारा हुए हैं वे गणतन्त्र के विरोधी हैं और गणतन्त्र को धक्का देने वाले हैं। उन कार्यों ने जनता के ऊपर केवल यही असर डाला है कि कुछ मन्त्री या मुख्य मन्त्री कुर्सी के इतने पुजारी हैं कि उनकी कितनी भी बेइज्जती हो वे कुर्सी को नहीं छोड़ना चाहते हैं चाहे उनकी नीतियों और सिद्धांतों के कितना ही विरुद्ध कार्य उनके मन्त्रि-परिषद् के सदस्य क्यों न करें। आखिर पहली अप्रैल को हमने भी एक उदाहरण पेश किया था। मैं भी वे तौर-तरीके बरत सकता था जो संविद

[श्री चन्द्रभानु गुप्त---]

सरकार ने ९ महीनों में बरते हैं। हम भी लोगों को प्रलोभन दे सकते थे किसी को मन्त्री किसी को उप मन्त्री और किसी को पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी बना सकते थे। लेकिन हमने एक मिनट भी नहीं लगाया और कुर्सी छोड़कर मुहब्बत से कहा कि आप आइए और कुर्सी संभालिए। क्योंकि आज हम अल्पमत में हैं। हमारी बराबर यह घोषणा रही है कि जनतन्त्र में किसी एक दल की बपौती नहीं रहनी चाहिए जैसी कि संसार के अन्य गणतन्त्रीय देशों में प्रथा रही है कि दल आते रहते हैं और जाते रहते हैं, सरकारें आती जाती हैं, बदलती रहती हैं परन्तु प्रत्येक व्यक्ति इस बात की चेष्टा करता है कि हमारे गणतन्त्र क उच्च आदर्शों की रक्षा हो और उनक अनुसार लोग कार्य करते रहें। इसलिए हम उन चौधरी साहब से जो चौधरी साहब गांधी जी का नाम बराबर लेते रहते हैं, जिन्होंने नए दल को जन्म दिया है, जिन्होंने गांधी की नीतियों के अनुसार काम करने की प्रतिज्ञा की है वे हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत करें, जनता के सामने उदाहरण प्रस्तुत करें और अपने उस मस्तिष्क में तब्दीली लायें जो मस्तिष्क उनका बराबर अहम् से भरा हुआ है, जो उनका मस्तिष्क हमेशा इस बात से भरा रहता है कि वे एक बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं.....

मुख्य मन्त्री (श्री चरणसिंह)--

अध्यक्ष महोदय अब माननीय गुप्ता जी मेरी पर्सनलिटी पर अटैक कर रहे हैं मुझे आशा है आप मुझे भी उसका उत्तर देने की इजाजत देंगे। वे कह रहे हैं कि मेरा मस्तिष्क अहम् से भरा हुआ है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

मैं इसको वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय नेता विरोधी दल का आभारी हूं कि उन्होंने उन शब्दों को वापस ले लिया। मैं उनसे फिर प्रार्थना करता हूं कि वे अपने वक्तव्य को संक्षेप में समाप्त कर दें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

अध्यक्ष महोदय मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जब तक मैं इस दल का नेतृत्व कर रहा हूं और जब तक करता रहूंगा वह गणतन्त्रीय भावना के अनुकूल काम करता रहेगा। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कभी-कभी सदन में ऐसे अवसर आ जाते हैं इसलिए कि पहले जो कुछ नौजवान इधर बैठते थे वह कुछ इस प्रकार की परम्परा डाल गए हैं जिनके कारण इधर के नौजवान भी कभी-कभी विचलित हो जाते हैं और इस प्रकार की बातें, जो मुझे कष्ट देती हैं, हो जाती हैं। मैं उस प्रकार की कार्यवाही का कभी समर्थक नहीं हूं और न कभी उनका हामी रहूंगा। पहले भी जब वे लोग यहां बैठकर इस प्रकार की बातें करते थे तो भी मैं उनको अनुचित समझता था और आज भी समझता हूं। जोश में आकर जब कभी इस प्रकार की उत्तेजना की बात कोई कर बैठता है, जैसा कि आपने स्वयं भी कहा मुझे उसका दुःख होता है। कल भी जो बात हुई वह ठीक नहीं हुई, मुझे उसका दुःख है और मैं उसकोपसन्द नहीं करता। मैं ऐसी बातों को उचित समझता हूं जो गणतन्त्र की परम्पराओं को मजबूती प्रदान करती हैं। मैं चौधरी साहब से भी यह आशा करता हूं कि जिस दल का वे नेतृत्व करते हैं यदि वे उनके साथ उन सारी परम्पराओं के अनुकूल कार्य कर सकते हैं, तो वे अवश्य उसका नेतृत्व करें वरना बिना कानूनी दांव पेच में आए मैं उनमें ऐसा नैतिक बल उभरता हुआ देखना चाहता हूं जिस नैतिक बल का प्रदर्शन गांधी जी ने किया जिसके बल पर उन्होंने मानवता को जगाया और जिसका उदाहरण माननीय चरण सिंह बार-बार देते हैं। मेरी आशा है कि वे उस उदाहरण को लेकर आगे बढ़ेंगे। मैं अपनी ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरा सहयोग आपके साथ और उन परम्पराओं के साथ होगा जिनकी ओर आपने मेरा ध्यान दिलाया है।

श्री अध्यक्ष--

मैं आभारी हूं माननीय नेता विरोधी दल का जिन्होंने मेरी प्रार्थना पर इस बात का आश्वासन दिया कि वे सदन की कार्यवाही को ठीक ढंग से चलते हुए देखना चाहते हैं। मैं इसको स्वस्थ वातावरण का द्योतक समझता हूं।

श्री चरणसिंह--

अध्यक्ष महोदय, मुझ को.....

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

श्रीमन्, क्वेश्चन आवर का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

वह सब मुझ पर छोड़िये।

*श्री चरणसिंह--

अध्यक्ष महोदय, मुझको माननीय गुप्ता जी ने जो कुछ फरमाया है उसको सुनकर बड़ी खुशी हुई। उन्होंने जनतंत्र प्रणाली वगैरा की तरफ मेरा ध्यान दिलाया। मैं मुख्तसरन उनके आर्गुमेन्टस का जवाब देना चाहता हूं। पहली बात जो आपने यह कही है कि लेजिस्लेटिव कौंसिल, कौंसिल आफ स्टेट और प्रेजीडेंशियल एलेक्शन्स में संविद ने जो केन्डीडेट्स खड़े किये थे वे हार गये इससे जाहिर होता है कि सदन का विश्वास इस सरकार में नहीं है। अध्यक्ष महोयद, पहली बात तो यह है कि वह केन्डीडेट्स गवर्नमेन्ट ने खड़े नहीं किये थे, वह संविद ने खड़े किये थे और वह उसमें हार गये। (व्यवधान) मैं इसको फिर दोहराता हूं कि वह केन्डीडेट्स सरकार ने खड़े नहीं किये थे, इसमें गलती कहां पर है? यह सही है कि वह हार गये लेकिन वह कंडीडेट्स हरगिज गवर्नमेन्ट ने खड़े नहीं किये यह वाकया है तो फिर उनकी हार या जीत का असर गवर्नमेंट पर क्यों पड़े?

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)--

क्या गवर्नमेंट भी कोई कैन्डीडेट्स खड़े कर सकती है?

श्री चरण सिंह--

जितनी बातें आपके मन में हैं मैं सबका उत्तर दूंगा, आप शान्ति से जरा सुनें।

श्री अध्यक्ष--

कृपया आपस में बात न करें।

श्री चरणसिंह--

वह कैन्डीडेट्स आउटसाइडर्स थे और जो संविद है वह लेजिस्लेचर दल है, वह उसके मेम्बर भी नहीं थे।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)--

मा नसिंह वर्मा कौन थे?

श्री चरणसिंह--

गुप्ता जी ने कहा कि इधर के कुछ लड़कों का असर नौजवानों पर पड़ गया, तो उन्हीं में से ३ नौजवान मेरे सामने बैठे हैं, अगर उन नौजवानों में अपनी गणना बहुगुणा जी भी कराना चाहते हैं तो करायें.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

मैंने श्री मानसिंह वर्मा का नाम लिया कि वह तो गवर्नमेंट के मेम्बर थे.....

श्री चरणसिंह—

उन्होंने तो स्तीफा दे दिया, आप का उत्तर यही है कि चूंकि वह मिनिस्टर थे इसलिये उन्होंने हारने पर स्तीफा दे दिया।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

अध्यक्ष महोदय, चूंकि कानून और तथ्यों की बात हो रही है इसलिये एक बात मैं नेता सदन को बतलाना चाहता हूं कि जो बात माननीय बहुगुणा जी कह रहे थे जिसे उन्होंने पूरा नहीं कहा वह यह है कि परम्परा यह रही है कि यदि कोई कैबिनेट का मिनिस्टर हार जाय तो सारी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं प्रार्थना करूंगा कि मुख्य मंत्री जी को बोलने दें।

श्री चरणसिंह—

मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस एलेक्शन का असर सरकार पर नहीं पड़ सकता। मेरी राय में कहीं से भी यह साबित नहीं किया जा सकता दूसरे देशों की किसी मिसाल से कि रूलिंग दल का कोई कैन्डीडेट कौंसिल या कौंसिल आफ स्टेट के चुनाव में हार जाय तो स्तीफा सरकार को देना पड़ा हो। ऐसा कहीं, किसी जगह पर नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यहां पर मेरे माननीय मित्र ने यह कहा कि प्रैजिडैन्शियल इलेक्शन में चूंकि संविद का कैन्डिडेट हार गया— श्री सुब्बा राव, इसलिये इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। मैं अपने मित्र का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जब प्रैसिडेन्ट का इलेक्शन हुआ तो पत्रकारों ने चाह्वाण साहब से पूछा कि अगर इलेक्शन में डाक्टर जाकिर हुसेन हार जाते हैं तो क्या गवर्नमेंट आफ इंडिया इस्तीफा दे देगी। इसके उत्तर में उन्होंने स्पष्ट कहा कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के इस्तीफा देने का प्रश्न नहीं उठता। तो मैं अपने मित्रों से पूछना चाहता हूं कि इसका क्या मतलब है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं पुनः प्रार्थना करूंगा कि शांति बनाये रखें। मुझे आश्वासन भी दिया गया था लेकिन फिर भी शांति नहीं हो रही है। मैं चाहूंगा कि आप लोग शांतिपूर्वक सुनें।

श्री चरणसिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह अर्ज करूंगा कि जब माननीय चन्द्रभानुगुप्त जी बोल रहे थे तो कोई उफ भी इधर से नहीं हुआ।..... (कुछ माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)।

श्री अध्यक्ष—

कृपा करके मर्यादित रूप में बैठें और सुनें।

श्री चरणसिंह—

श्रीमन्, मैंने निहायत शांति से जवाब देने की कोशिश की लेकिन उधर से दोस्तों ने बराबर टोंका-टाकी की। आखिर जिस तरह से मैं ठंडे हृदय से जवाब देना चाहता था और जैसा कि मैंने उनकी बात को ठंडे दिल से सुना मैं चाहता था कि वे मेरी बात सुन लेकिन हर बात में इन्टरप्शन हुआ लिहाजा मुझको जोर से बोलना पड़ गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि चाहवाण साहब ने जो बयान दिया मैंने उसका हवाला दिया। जैसा मैंने पहले अर्ज किया उन्होंने कहा था कि प्रेजिडेंशियल इलेक्शन म अगर कांग्रेस पार्टी हार जाती है तो गवर्नमेंट आफ इंडिया जो कि कांग्रेस पार्टी की है, उसके इस्तीफे देने का प्रश्न नहीं उठता। उसके बाद आप की यह दलील गलत है और जितने आपने इन्टरप्शन किए हैं वे अनजस्टिफाइड हैं। माननीय लाल बहादुर शास्त्री एक इलेक्शन में खड़े हुए। इसी तरह से माननीय कृष्णा मेनन खड़े हुए। तो इस तरह के इलेक्शन जो हैं, यह सही है कि वे बाहर के थे एसेम्बली या कौंसिल आफ स्टेट के नहीं थे लेकिन वे एक इलेक्शन में हार गये और जिस पार्टी को सरकार थी, उनको उस पार्टी का कौन्फिडेन्स नहीं मिला। हाफिज मुहम्मद इब्राहीम भी...

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—

यहां पर प्रश्न केवल इतना है कि जिन्हें आपमें विश्वास है और मतदान होने पर उनके वोटों से आप हार जायें और दूसरा बाहर की वोटों में कोई हार जाय तो क्या दोनों मेंकोई फर्क नहीं होता है ?

श्री अध्यक्ष—

कृपा करके आप बैठिए। यदि हर वक्त प्रश्न कीजियेगा तो कैसे काम चल सकता है ?

श्री चरणसिंह—

मैं माननीय गुप्त जी की पांच बातों का क्रमानुसार जवाब दूंगा और जो प्रश्न आपने किया है, अपने उत्तर में उसका भी जवाब आजायगा। एसेम्बली, कौंसिल आफ स्टेट या प्रेजिडेंशियल इलेक्शन में संविद के कैन्डिडेट के हारने का कोई असर नहीं पड़ता है और जो हमारे प्रेसीडेन्ट अर्थात् पूर्व दृष्टान्त हैं, उनके अनुसार कान्फिडेन्स, नोकान्फिडेन्स या सरकार के इस्तीफा देने का प्रश्न नहीं उठता है।

दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि मिनिस्टर्स स्पीकिंग इन डिफरेंस स्टेन्स। यानी जो मिनिस्टर्स हैं वह मुख्तलिफ भाषा में बोलते हैं। कभी कभी बोलते हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि १९६६ की ही बात ले लीजिये, बल्कि १९६५ की माननीय लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में, मैं सेन्ट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स का नाम नहीं लेना चाहता, क्या बिल्कुल मुतजाद भाषा म वह नहीं बोले, क्या पब्लिक स्पीचेज उन की इस तरह की नहीं हैं ? इस पर एडीटोरियल्स लिखे गये हैं। इम्पार्टेन्ट न्यूज पेपर्स के एडीटोरियल्स देख लीजिये, क्रिटिसिज्म करते हुए कि डिक्लेयर्ड पालिसी के खिलाफ उन लोगों ने कहा और २, ४ महीने के अन्दर दो मुख्तलिफ मिनिस्टरों ने एक दूसरे के खिलाफ बात कही है। ऐसा हालांकि नहीं होना चाहिये। मैं मानता हूं कि मिनिस्टर्स की जो भी राय हो वह पब्लिकली एक ही ध्वनि में निकलनी चाहिये। लिहाजा यह भी कोई निर्णायक बात नहीं।

यह बात हम को समझ लेनी चाहिए ७, ८ मुख्तलिफ ख्याल के लोग इधर बैठे हैं। अगर वह मुख्तलिफ बात कह जायें तो एक बार को क्षम्य है, अगरचे यह होना नहीं चाहिय, लेकिन एक ही पार्टी के मिनिस्टर्स मुख्तलिफ आवाज में बोलें वह हरगिज हरगिज समझ में नहीं आ सकता है।

तीसरी चीज उन्होंने यह पूछी कि रेजिगनेशन दिया चरण सिंह ने अभी अपनी पार्टी में दिया। बात ठीक है। दो बार दे चुका। लेकिन उस का मतलब हाउस से क्या ? सदन से उस का कोई मतलब नहीं। (मेरे डिफरेंसेज) मुझे अपने साथियों से शिकायत है, उन को मुझ से शिकायत हो सकती है। जैसा मुझे मालूम है कि कुछ लोगों का कहना है कि चरण सिंह को यह नहीं कहना चाहिये था। लेकिन हमारे आपस के डिफरेंसेज को या मेरे ऐटीट्यूड के मुताल्लिक आप को कहने का कोई हक नहीं है। अगर मैं गवर्नर साहब को इस्तीफा भेज दूं उस के

[श्री चरणसिंह---]
बाद आप कोई बात कहें तो ठीक है। मैं जानना चाहता हूं कि जहां पर ७, ८ नहीं, जहां पर एक ही पार्टी हो क्या आपस में यह नौबत नहीं आती है ? कहां नहीं आती है ? क्या जवाहर लाल जी ने एक दफा इस्तीफा नहीं भेज दिया था पार्टी में ? भेजा। लिहाजा मैंने अपनी पार्टी में इस्तीफा दिया, मुझे अपने लोगों से शिकायत थी और मैं समझता था, उस के बल पर आप कोई आर्गूमेंट बिल्ड नहीं कर सकते।

चौथी बात आप ने कही, रिजल्ट आफ यस्टरडेज वोटिंग। ठीक है। अब आप ने कहा कि वोटिंग रिजल्ट का तकाजा यह है कि इस हाउस का कान्फीडेंस इस सरकार में नहीं है। इस से यह बात साबित नहीं होती। यह क्लीयर बात है कि मिनिस्टर्स और डिप्टी मिनिस्टर्स तक यहां के गैरहाजिर थे। क्या कोई यह समझता है कि मिनिस्टर्स और डिप्टी मिनिस्टर्स भी अगर उन को मौका मिलता यहां आने का तो इस गवर्नमेंट के हक में वोट देने के लिये तैयार नहीं थे ? उन को वक्त नहीं मिला, उन की गलती रही हो, जो कुछ रहा हो। इसी को स्नैप वोटिंग कहते हैं।

कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट गवर्नमेन्ट आफ इंडिया लायी सन् १९६६ में.....

श्री अध्यक्ष---

संक्षेप में आप कहें तो अच्छा हो।

श्री चरणसिंह---

जी हां, संक्षेप में कहूंगा। १९ वां कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल गवर्नमेंट आफ इंडिया लायी लोक सभा में और १६ मई को गवर्नमेंट आफ इंडिया का बिल या मोशन जो था वह डिफीट हो गया। डिमान्ड हुई रेजिगनेशन के लिये। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने रिजाइन नहीं किया।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---

दो-तिहाई मैजारिटी नहीं मिली थी।

श्री अध्यक्ष---

आप को कोई एक्सप्लेनेशन देने का सवाल नहीं है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---

माननीय मुख्य मंत्री गलत भाषण कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम करेक्ट भी न करें।

श्री अध्यक्ष---

मैं इस को अनुचित समझता हूं कि आप बीच में खड़े हो कर इस तरह से बात कहें।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---

जब इस तरह की गलत बयानी होगी तो कैसे काम चलेगा ?

श्री चरणसिंह---

मैंने केवल यह कहा कि गवर्नमेंट आफ इंडिया उस में हार गयी। मैंने मैजोरिटी और माइनौरिटी की बात ही नहीं कही। और मैं जानता हूं कि टू थर्ड्स मजोरिटी चाहिये। अब मैं बेयर मैजोरिटी वाली बात भी लाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि टू थर्डस मैजोरिटी उस में होनी चाहिये। लेकिन एक पहलू यह हो सकता है कि आप एक उसूल की बात लाये और उस में नाकामयाब रहे। आप समझते थे कि आप की टू थर्ड्स मैजोरिटी है, लेकिन उस में नाकामयाब रहे। डिमान्ड हुई रेजिगनेशन की। लेकिन नहीं किया। ठीक है, करना भी नहीं चाहिये।

८ अगस्त, १९६७ को रिपोर्ट पेश की कमिश्नर फार शेड्यूल्ड कास्ट्स ऐंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। उस में कम्यूनिस्टस का एक अमेंडमेंट आया दि हाउस बोटेड ९१ टु ८९ फार ए कम्युनिस्ट अमेंडमेंट विच सौट टु डिक्लेयर दैट सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड इन दी कांस्टीट्यूशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स ऐंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर नाट बीइंग फुली इमप्लीमेंटेड। उसूल की बात है कि....

श्री अध्यक्ष—

अनुवाद कर दें।

श्री चरणसिंह—

जो सेफगार्ड्स कांस्टीट्यूशन में दिये हैं अनुसूचित जातियों के वह पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। मतलब सेंशर हुआ गवर्नमेंट आफ इंडिया पर। वह संशोधन पास हो गया दो वोट से। तो इस्तीफा देना चाहिये था। लेकिन नहीं दिया और ठीक नहीं दिया। यह ठीक है कि उसी रोज शाम को उस रेजोल्यूशन को जो कि अमेंड हो गया था। कम्युनिस्ट अमेंडमेंट से वह ८ वोटों से गिर गया। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर केवल मैजोरिटी, माइनारिटी से कोई अमेंडमेंट के हो जाने मात्र से ही, बिला सरकम्स्टांसेज का लिहाज किये हुए यह कहा जाय कि क्यों न इस्तीफा देना चाहिये, उचित नहीं है। आधे घंटे तक अपोजीशन वहां हुल्लड़ करता रहा और गलत करता रहा।

पहली नवम्बर को फिर इसी तरह से स्नैप वोट में गवर्नमेंट आफ इंडिया हार गयी। यदि गवर्नमेंट लॉस्ट आन ए स्नेप वोट इन दी लोक सभा टु डे बाई दी नैरो मर्जिन औफ टू वोट्स एन्ड दि अपोजिशन मेम्बर्स विल फुली आस्क्ड दि मिनिस्टर व्हाई डोन्ट यू गेट आउट। मिस्टर मधु लिमये आस्क्ड....."

दो वोट से गवर्नमेंट हार गयी स्नैप वोट में और अपोजीशन के कुछ लोगों ने कहा कि क्यों आप यहां बैठे हैं, निकलिये। लेकिन ८ अगस्त के मामले में इसी तरह से तय हो चुका था कि स्नैप वोट है इसलिये थोड़ा कह कर उन लोगों ने छोड़ दिया। अध्यक्ष महोदय, सन् १९५९ में मेरे मित्र जो सिर हिला रहे हैं (बहुगुणा जी) नौजवान वह डिप्टी मिनिस्टर आफ इंडस्ट्रीज थे। तब एक बिल आया था उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन (संशोधन) विधेयक, १९५९। उस वक्त डाक्टर सम्पूर्णानन्द मिनिस्टर आफ इंडस्ट्रीज थे और अमेंडमेंट श्री रामायणराय का था। पूरे दो दिन शायद उस पर डिबेट हुआ था। अन्त में बावजूद आपके अपोजीशन के वह अमेंडमेंट कैरी हो गया था। आपकी स्पीच उसमें दो बार है। कुछ कांग्रेस वालों नें आपके हक में स्पीच दी थी और कुछ अपोजीशन वालों ने आपके खिलाफ स्पीच दी थी और नतीजा यह हुआ था कि वह अमेंडमेंट ४६ और ३४ रायों से कैरी हो गया था। इस पर हमारे माननीय गौरीशंकर राय जी तथा श्री उपाध्यक्ष में निम्नलिखित बातें हुईं:—

"श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि सारे विश्व में यह प्रजातन्त्र की प्रणाली है कि यदि इस प्रकार सरकार का प्रस्ताव गिर जाता है तो सरकार की यह शराफत होती है कि वह इस्तीफा दे देती है। मेरा विश्वास है कि.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप मांग कीजिये सरकार से.....

श्री गौरीशंकर राय—

मतलब मेरा यह है कि अगर उनको हया है, वे प्रजातंत्रीय व्यवस्था मानते हैं तो वे अवश्य इस्तीफा देंगे।"

[श्री चरणसिंह—]

श्री मोतीलाल अवस्थी ने भी फिर यही बात कही। उस वक्त उपाध्यक्ष ने यह कहा—

"मेरे सामने जो विधेयक है उसकी कार्यवाही का मैं संचालन कर रहा हूं। सरकार का क्या कर्त्तव्य है और आपकी क्या मांग है यह आप सरकार से कहिये। मेरे सामने संशोधन के पक्ष में बहुमत आया इसलिये वह स्वीकृत हो गया। अब आगे की कार्यवाही करिये।"

अध्यक्ष महोदय, गौरीशंकर राय जी ने 'हया' वगैरह कह दिया। अब मैं यह नहीं कह सकता कि क्यों बावजूद इस लफ्ज के बहुगुणा जी ने इस्तीफा नहीं दिया था।

यह बात रही उसके जवाब में कि आया इसका तकाजा यह था कि इस गवर्नमेंट को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं। मैंने यहां की, वहां की, रेजोल्यूशन, कांस्टीट्यूशन, बिल, अमेंडमेन्ट सभी की बातें आपके सामने रख दीं। अब मेरे मित्र ने कहा कि डेमोक्रेटिक कन्वेन्शन्स का तकाजा है कि इस्तीफा दें। मैं किसी स्पीच की उम्मीद नहीं करता अपने माननीय मित्र गुप्ता जी से जिसमें प्रजातांत्रिक प्रणाली का जिक्र न हो। मैंने बहुत स्पीचेज सुनी हैं। सुनते सुनते हम बोर हो जाया करते हैं। मैं अपने साथियों से कहता हूं कि अब प्रजातन्त्र प्रणाली का जिक्र होने वाला है। पांच मिनट हुए नहीं कि गुप्ता जी ने जिक्र किया स्वस्थ प्रणाली का, डेमोक्रेटिक प्रणाली का। यह बहुत प्रिय शब्द है मेरे मित्र के। बड़े अच्छे शब्द हैं जोर उन पर देना चाहिए। अब त्रिपाठी जी तो नहीं कहेंगे। मैं उनसे उम्मीद भी नहीं करता। लेकिन मैं और त्रिपाठी जी और दूसरे दोस्त जो एक खयाल नहीं थे गुप्ता जी से, इख्तलाफ राय रखते थे, यह कहा करते थे। माननीय गुप्ता जी दो दफा असेम्बली के एलेक्शन में हार चुके थे मगर चीफ मिनिस्टर बनने को तैयार हो गए और बन भी गए (व्यवधान)। मैं तो अपने माननीय दोस्त से कह रहा हूं, मेरी बराबर उम्र के हैं, छ महीने बड़े हैं, लेकिन जब बराबर प्रजातांत्रिक प्रणाली की बात कही जाती है तो मैंने कहा जैसा कि अंग्रेजी में कहावत है कि "They come with great curse from the mouth of Guptaji" त्रिपाठी जी कहें, मान लूंगा, लक्ष्मीरमण जी कहें, मान लूंगा। लेकिन गुप्ता जी कहें, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। यह डेमोक्रेटिक प्रणाली की बात है। आप मत कहिए किसी और से कहलाइए।

एक बात कही गई कि मैं चीफ मिनिस्ट्री से इतना चिपक गया हूं कि उसको छोड़ने के लिए तैय्यार नहीं हूं। (व्यवधान) यह भी सुन लीजिये अभी बताये देता हूं इसका जवाब। अध्यक्ष महोदय, चीफ मिनिस्ट्री का कौन ख्वाहिशमन्द है। (व्यवधान) मैं इसका ख्वाहिशमन्द हूं। यह बात ठीक है और जिन साहब ने यह कहा है मैं उनको अच्छा पब्लिक वर्कर तभी मानूंगा जब उनकी एम्बीशन हो कि वे सही तौर पर प्राइम मिनिस्टर बन जायं लेकिन नाट एट आल कास्ट। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपा करके शांत रहिए। यह तरीका अशोभनीय है कि इस तरह की आप रनिंग कमेंटरी कर रहे हैं।

श्री चरणसिंह—

क्योंकि आपकी तरफ से यह शब्द कहा गया इसलिए मैं कह रहा हूं और आप उनको सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। माननीय दत्ता जी आपसे मुझे सबक नहीं लेना है। अध्यक्ष महोदय, मैंने सुना नहीं कि आपने क्या कहा ?

श्री अध्यक्ष—

कुछ बातें न सुनना ही अच्छा होता है।

श्री चरण सिंह—

एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मैं चीफ मिनिस्ट्री का ख्वाहिशमन्द हूं हर कीमत पर। मैं पहली बातें कहना नहीं चाहता हूं लेकिन कौन ख्वाहिशमन्द है, यह बताना चाहता हूं। मैं इत्तफाक से चीफ मिनिस्टर हूं और उसके रहते हुये दो दफा इस्तीफा दे चुका हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जब नेता सदन कह रहे हैं तो बीच में व्यवधान करना उचित नहीं है। ऐसी दशा में कोई भाषण नहीं हो सकता है।

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, जो बात मैं कहना चाहता हूं वह कड़वी जरूर लगेगी लेकिन मजबूर हूं। मुझसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि हर सूरत में मुझे इस्तीफा देना चाहिए। (व्यवधान) लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति चीफ मिनिस्टर नहीं है और वह पब्लिकली यह कहे कि घबराओ नहीं मैं जल्दी बनने वाला हूं। अब बताइये किस की ख्वाहिश ज्यादा है? कहां तक यह शोभा देता है? जब श्योर हो जाये और पार्टी तय कर ले और वह चुना जाने वाला हो लेकिन फिर भी शरीफ आदमी अपनी जुबान से कभी भी नहीं कहता है। कौन है ख्वाहिशमन्द चीफ मनिस्ट्री का। मैं हूं लेकिन नांट एट आल कास्ट्स। (व्यवधान) इधर से भी शेम की जा सकती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि...

श्री चरणसिंह—

आप उनको रोकियेगा।

श्री अध्यक्ष—

मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, अभी-अभी नेता विरोधी दल ने आप लोगों से भी यह कहा था कि सदन की कार्यवाही मर्यादित ढंग से चलने दें। इसमें सदन की मर्यादा नहीं बढ़ती। कोई माननीय सदस्य अगर कोई प्रश्न करने के लिए खड़े हो जायं और माननीय नेता सदन उसको स्वीकार कर लें तो ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा, हर समय अगर आप कमेंट करने लगें तो फिर को भाषण हो नहीं सकता। सदन में कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाय तो इस तरह से व्यवधान होता है, फिर शांति से कायवाही नहीं चल सकती है। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जितना कहना चाहते ह उनको कहने का अवसर मिले।

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो कल वोटिंग हुआ, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं उसका असर कान्फीडेंस या नो कांफीडेंस पर नहीं पड़ता, वह एक वाकया हो सकता है। ९ जुलाई को संविद के खड़े हुए चारों कैंडीडेट हार गये जिस तरह से हमारा खड़ा हुआ कैंडीडेट कल हार गया। अगर वह नो कांफीडेंस का द्योतक है तो वह भी नो कांफीडेंस का द्योतक हो गया। लेकिन जब नो कांफीडस मोशन उसके बाद लाया गया तो क्या हुआ? २० वोटों से वह नो कांफीडेंस मोशन खत्म हो गया। इसलिए जब आपके सामने स्वयं यह मिसाल है तो मेरी समझ में नहीं आता है कि कोई जीशऊर उस आर्गूमेंट को रिपीट करे और सब लोग खड़े हो जायं—इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मैं जानना चाहता हूं कि उसमें क्या तक है? नहीं है। हर कैबिनेट गवर्नमेंट को यह तय करने का हक है कि किस मामले को वह इस इम्पार्टेंस का समझती है कि उस पर रेजिगनेशन दे या उस पर हाउस का

[श्री चरणसिंह—]

डिस्सोल्युशन करवाये। सर आइवर जैनिंग्ज की एक किताब है "केबिनेट गवर्नमेंट" उसके बहुत से एडीशंस हो चुके हैं। १९६१ का जो तीसरा एडिशन है उसमें लिखा है—

"What the Government will treat as a matter of sufficient importance...."

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

यह अंग्रेजी की किताब का उद्धरण है। जरा शांति से सुन लें।

श्री चरणसिंह—

मुझे तो इस बात में हंसी आ रही है। मैं तरजुमा इसका कर ही दूंगा। उसमें बात क्या है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मैं आपके जरिए इधर मेरे पीछे बैठने वाले सदस्यों से विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि वे सदन के नेता को गंभीरतापूर्वक सुनें। मुझे भी उनकी बातों का उत्तर देने का अवसर मिलेगा और उनकी बातों का उत्तर दूंगा बजाय इसके आप बीच में उनको टोकें।

श्री चरणसिंह—

मैं आपसे यह अर्ज कर रहा था कि अंग्रेजी में इसलिए पढ़ रहा था क्योंकि अंग्रेजी में किताब थी। इस पर ऐतराज की बात क्या हुई आखिर?

श्री बनारसीदास (जिला बुलन्दशहर)—

इधर की कुर्सियों का कुछ थोड़ा-सा असर है। माननीय उग्रसेन जी की आदतें डाली हुई हैं।

श्री चरणसिंह—

"What the Government will treat as a matter of sufficient importance to demand resignation or dissolution as primarily a question for the Government."

किस प्रश्न को कितने महत्व का कोई गवर्नमेंट समझेगी कि वह रेजिगनेशन दे या हाउस का डिजोल्युजन कराये—यह उसी गवर्नमेंट के तय करने का मसला है और उसी के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब अपोजीशन को क्या राइट है इसके बारे में भी इसमें आगे लिखा है—

"The opposition can always test the opinion of the House by a vote of no confidence."

इसमें साफ दिया है कि अपोजीशन के लिए हमेशा यह रास्ता खुला हुआ है कि वह नो-कांफीडेंस मोशन सदन में ले आए। तो १८३२ से वहां कोई मामला ऐसा नहीं हुआ कि अपोजीशन ने इस्तीफे की मांग की हो और गवर्नमेंट ने रिक्यूज किया हो। जितना उधर से इस गवर्नमेंट को रिमूव करने और इसका डिजोल्यूजन करने के लिए कोशिश की गयी है। मैं कहना चाहता हूं कि वह सब बिसाइड दी प्वाइन्ट है। कांफीडेंस की बात आप बार बार जबरदस्ती ले आते हैं, तो मैं कहूंगा कि या तो आप इसी वक्त जस्ट टूडे नो-कांफीडेंस का मोशन ले आयें वरना मैं रिजोल्यूशन भेजे देता हूं कांफीडेंस का कि कांफीडेंस इस हाउस को है या नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मालूम हो जायगा कि मैं कुर्सी का कितना ख्वाहिशमन्द हूं या नहीं, और इससे ज्यादा मैं अब और क्या कह सकता हूं। यों तो परमात्मा ने आपको जबान दी है, आप चाहे जो कुछ भी कहें। अन्त में केवल एक बात मैं और कहना चहता हूं कि स्वस्थ परम्पराओं की, प्रजातंत्र की मेरे मित्र ने जो बात कही, मैंने उनका अपनी अक्ल से उक्तिपूर्ण उत्तर दे दिया, मैंने कोई अपनी समझ से सख्त बात नहीं कही, फिर भी यदि कोई बात उसमें हो गयी हो तो उसके लिए माफी चाहता हूं।

इतनी बात मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से और कहना चाहता हूं कि यदि आपने पुनः गुप्ता जी को मौका दिया तो आपको सोचना होगा कि आप मुझे फिर मौका देंगे या नहीं ।

श्री बनारसीदास—

माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं यह प्रश्न करना चाहता हूं कि यह ठीक है कि चह्वाण साहब ने यह बात कही और आप मेरी परम्परा को न मानिये, किन्तु जो डाक्टर लोहिया साहब ने कहा है, जो आपके नेता हैं आप उनकी बात को तो मान लीजिए । लोहिया साहब ने कहा था कि यदि सुब्बाराव प्रेसीडेंट एलेक्शन में जीत जायेंगे तो कांग्रेस को इस्तीफा दे देना चाहिए । तो आप उनकी परम्परा को तो मानिए । प्राइम मिनिस्टरशिप के एस्पायरेशन की बात कही गयी । (व्यवधान)

दूसरी बात यह है कि यह सही है कि एस्पायरेशन प्राइम मिनिस्टरशिप भी हो तो क्या उसका साधन कुछ भी हो ? चीफ मिनिस्टर के पद के लिए आपने जो तरीका अपनाया क्या वह गांधी जी के सिद्धांतों के अनुकूल है ? जब आप गांधी जी के सिद्धांतों को मानत हैं . . .

श्री चरणसिंह—

यहां पर ये बातें बहुत गलत तरीके से हो रही हैं, मुझे फिर उनका जवाब देना पड़ेगा ।

श्री मोहनलाल गौतम—

यह प्रश्न गुप्ता जी ने इस्तीफा मांगा और चरणसिंह जी ने इस्तीफा न देनें की दलीलें दे दीं इस पर खत्म नहीं हो जाना चाहिए । इसम इतने सिद्धांतों की और संवैधानिक बातें हो गयी हैं कि यदि वह गलत बातें असेंबली में रह गयीं तो ठीक नहीं होगा । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप इस बारे में थोड़ी सी बहस हो जाने दें । हाउस का समय खच हो तब भी वह ज्यादा जरूरी है कि कुछ चीजें सफा हो जाय नहीं तो उससे हाउस को नुकसान होगा, परम्पराओं का नुकसान होगा और खास कर चौधरी साहब का बहुत नुकसान होगा ।

अध्यक्ष महोदय, चूंकि चौधरी साहब ने कई वाण मेरे ऊपर छोड़े हैं इसलिए मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा. . .

श्री अध्यक्ष—

आप जरा एक मिनट बैठ जायं (श्री झारखंडे राय के खड़े होने पर) माननीय झारखंडे रायजी आप भी कृपा करके बैठ जायं, मैं कुछ कह रहा हूं । मैं माननीय नेता विरोधी दल और सारे सदन से एक बात कहना चाहता हूं । यह बात माननीय गौतम जी ने कही कि यह वाद-विवाद का विषय नहीं था, न कोई समय था उसके लिए । मैंने प्रश्नोत्तर के पहले माननीय नेता विरोधी दल से और माननीय सदन से प्रार्थना की थी और मैं आभारी हूं माननीय नेता विरोधी दल का कि उन्होंने मेरी वह प्रार्थना स्वीकार की और उन्होंने मुझे सहयोग देने का आश्वासन भी दिया कि वह चाहते हैं कि मर्यादित ढंग से सदन की कार्यवाही चले । उसके बाद माननीय नेता सदन ने उसका जवाब दिया और उसमें वे आशा से ज्यादा विस्तार में ले गये लेकिन जो बातें कही गईं हैं वह विस्तार से होने पर भी उनको जवाब देने का अधिकार तो था ही । यहां कोई रेगुलर डिबेट नहीं हो रही है।अगर वे विस्तार में न जाकर संक्षेप में कहते तो ज्यादा अच्छा होगा । माननीय गौतमजी ने कहा कि इस विषय में विचार करने का समय हो । वह प्रश्न इस समय नहीं है । इस समय तो माननीय नेता विरोधी दल यदि कोई स्पष्टीकरण देना चाहें तो मैं उनको अवसर दूंगा लेकिन उनसे प्रार्थना करूंगा वे कृपा करके अपने को वहीं तक सीमित रखें और अगर वह कोई नयी बात कहेंगे तो मैं बाध्य हूंगा कि नेता सदन को भी अवसर दूं जिससे वे अपनी बात कहें । इसके अरिक्त मैं माननीन गौतम जी से विशेषकर और अन्य माननीय सदस्यों से भी प्रार्थना करूंगा कि वे कृपा कर इस विषय के लिए आग्रह न करें कि इसके लिए कोई रेगुलर डिबेट हो । अगर कोई प्वाइन्ट्स इस वक्त एराइज हो गये हैं और अगर व

[श्री अध्यक्ष—]

नियमानुसार आ सकते हों तो वह जिस वक्त सामने लायेंगे मैं अवसर दूंगा, लेकिन इस वक्त माननीय नेता विरोधी दल और माननीय नेता सदन तक ही सीमित रहना चाहिए।

श्री मोहनलाल गौतम—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह निवेदन करूंगा कि प्रश्नों के समय में किसी को भी इस तरह की बहस को उठाने का अधिकार इस सदन को था या नहीं, यह बड़ा गंभीर प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय को भी यह सब प्रश्न उठवा देने का अधिकार प्रश्नों के बाद था या जहां तक प्रक्रिया नियमावली का मेरा अध्ययन है, नहीं है। यह सब प्रश्न उठ सकते थे सवालों के घंटे के बाद और वह इतने विस्तार में गये कि अगर अध्यक्ष महोदय केवल यह आज्ञा देते कि नेता विरोधी दल यह अपील करें कि शांतिपूर्वक कार्यवाही चले और नेता सदन और कुछ और बातें न करते कि गवर्नमेंट कब इस्तीफा देती है इतिहास में कब नहीं दिया, क्या-क्या हुआ इतने बड़े सिद्धांत के प्रश्न लाने को अध्यक्ष महोदय आज्ञा दे देते हैं तो अब तो क्वेश्चन आवर खत्म हो गया, वह भी हमारे ऊपर बन्धन नहीं रहा और अब वह सारे सिद्धांत के प्रश्न हाउस की प्रापर्टी हो गये और इतने बड़े सिद्धांतों की सफाई हुये बगैर चीज रह जाय अगर आपकी आज्ञा होगी तो मैं मान लूंगा लेकिन मेरी प्रार्थना है कि अगर इस वक्त नहीं तो फिर कभी वक्त दें जिससे इस सिद्धांत पर कि कल स्नैप वोट हुआ या नहीं और फिर जो लोग धोखा देते हैं, गुप्ता जी को मुख्य मंत्री बनवाते हैं और फिर मुख्य मंत्री बनने के लालच में धोखा देते हैं वह चीफ मिनिस्टर बन जायं यह सब एसी बातें ह जिसके बारे में सफाई होना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय गौतम जी ने जो प्रश्न उठाया है उसके विषय में मैं कह दूं। माननीय गौतम जी ने दो प्रश्न उठाये। एक तो यह कि प्रश्नोत्तर के समय कोई ऐसा परिवर्तन करना उचित था या नहीं। मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे इस विषय में प्रक्रिया नियमावली में पूर्ण अधिकार है कि मैं कार्यक्रम में आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर दूं। आवश्यकता मेरे सामने थी। कल कुछ माननीय सदस्यों ने सदन में कहा था कि आगे की कार्यवाही नहीं चलने दी जायेगी। उसके बाद मेरे लिए सदन को चलाने के लिए दो ही रास्ते थे यानी कि कानून के द्वारा व्यवस्था यहां पर कराऊं जिसको मैं नहीं चाहता था और दूसरा रास्ता यह कि मैं नेता विरोधी दल से सहयोग के लिए आमन्त्रित करता। वह मैंने किया। मैं उस खतरे को जानता था और क्वैश्चन आवर की बात मेरे सामने थी, लेकिन फिर भी सहयोग की दृष्टि से मैंने नेता विरोधी दल से इस बात को सामने रखते हुए प्रार्थना की कि वह कृपा कर संक्षेप में बोलें लेकिन आप जानते हैं कि जब बात कही जाती है तो उसमें कई बातें आ जाती हैं और इसी प्रकार से उसके जवाब में भी ऐसा ही हुआ। इसलिए अब मैं उस पर बहस का अवसर नहीं समझता हूं लेकिन अगर उसके बाद किसी वैधानिक रूप में इस प्रश्न को सदन के समक्ष रखने की आवश्यकता होगी तो उस पर अवश्य विचार कर लेंगे।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़ी गौर से चौधरी साहब के तर्कों को सुना। मैंने आखिर में जब अपनी बात कही थी तो उसमें यह निवेदन कर दिया था कि मैं बहुत कानूनी मसलों के अन्दर जाना पसन्द नहीं करता। नैतिकता कानूनी मसलों से परे रहता है। मैंने उस प्रश्न को एक नैतिक ढंग से सदन के सामने रखने की कोशिश की लेकिन मेरे प्रश्नों के उत्तर देते हुये चौधरी साहब ने कई जाती मामले सदन के सामने रख दिये। मैं उन जाती प्रश्नों के संबंध में कह देना.....

*आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं बीच में खड़ा हो गया जब कि एक बुजुर्ग बोल रहे थे। लेकिन मैं एक बड़ी उलझन में हूं। आप मेहरबानी करके मेरी और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदन की सहायता करें और इस मामले में जो अव्यवस्था मुझे मालूम होती है उसको दूर किया जाय। हम लोग एक निश्चित एजेंडा लेकर आज सदन के सामने आये हैं। अफसोस है कि यह बातचीत इस प्रकार से शुरू हो गई। आपने जब परिस्थिति में कुछ ऐसा मोड़ देखा तो उसमें आपने अधिकारों का उपयोग करते हुए, जो कि प्रक्रिया नियमावली के अनुसार आपको हैं, विरोधी दल के नेता से सहयोग की अपील की। मैं समझता हूं वह अपील उचित ही थी और उस अपील के आधार पर उस कार्यक्रम में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाना उचित ही था। अब जो यह दोनों बुजुर्गों की बहस शुरू हो गई है कि जब एक उठता है और दूसरा बैठ जाता है। फिर एक उठता है और दूसरा बैठ जाता है और एक दूसरे के उत्तर दिये जाते हैं तो यह कब तक चलेगा। मुझे ऐसा डर मालूम होता है कि इस विश्वास और अविश्वास के संबंध में इन दोनों बुजुर्गों के भाषण से कोई यहां पर बदलने वाला नहीं है। जो उनके विचार दारुलशफा में रहते हैं वहीं यहां पर भी हैं। चाहे ये १०-१२ घंटे अपने भाषण कर लें कोई भी अपने राय बदलने वाला नहीं है। इस वजह से मैं आपसे यह व्यवस्था चाहता हूं कि जो कार्यक्रम आपके आदेश से आपके सचिव ने हम लोगों के पास भेजा है उस पर ही यह विश्वास और अविश्वास का मसला जानने का अवसर हो जायगा कि वह पास हो या नहीं। यह प्राबलम बड़ा गंभीर है। कल जो आपसे कहा गया था कि हम सदन को चलने नहीं देंगे तो वे लोग आज की अपील से भी अपने को बदलने वाले नहीं हैं। सदन की स्थिति बड़ी गंभीर है उसको देखा जाय। इस प्रश्न को सुलझाने के लिए जो दोनों ओर से यह स्पीचेज और काउन्टर स्पीचेज हो रही हैं इनको बन्द किया जाय और एजेंडे को शुरू किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय नेता विरोधी दल को परसनल एक्सप्लेनेशन के लिए बुला चुका हूं। वह थोड़ा-सा समय लेंगे। कोई नई बात नहीं कहेंगे।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

मैं अभी कह रहा था कि माननीय नेता सदन ने जो कुछ मेरे संबंध में बातें कही हैं उनमें एक बात उन्होंने कही उस आदमी को नैतिक बातें कहने का क्या अधिकार है जो ऐसे बातें करता हो कि मैं कल मुख्य मंत्री बनने वाला हूं। तो मैं आपके जरिए से चौधरी साहब को और सदन के साथियों को और बाहर सबको बताना चाहता हूं कि यदि कहीं उन्होंने ऐसा पढ़ा हो और किसी ने उनसे यह बातें कही हो तो वह बिल्कुल मिथ्या बात है। न मैंने कभी इस प्रकार की बात कही और न मैं इस प्रकार की बातें करने की धृष्टता कर सकता हूं। मैं अपने उत्तरदायित्व को समझता हूं।

दूसरी बात उन्होंने कही मेरे मुख्य मंत्री बनने के सिलसिले में। मैं दो दफा हारा और फिर भी मुख्य मंत्री बना दिया गया। यह सही है कि मैं दो दफा हारा और यह भी सही है कि केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं हिन्दुस्तान के बाहर के देशों में जहां गणतंत्रीय परम्परायें चली हैं और वर्षों से चल रही है, वहां मंत्री हारे और बिना प्रारंभ में चुनाव लड़े हुए या हारे जाने पर भी वे मंत्री चुने गये, बाद में चुनाव उन्होंने लड़ा। मैं भी पहले बिना चुनाव लड़े मुख्य मंत्री चुन लिया गया था और बाद में दो महीने के अन्दर चुनाव लड़ कर विजयी हुआ और मुख्य मंत्री के पद को संभालता रहा। इसलिये इस बात की चर्चा करना कि मेरा कार्य गणतंत्रीय नहीं था तथा अनैतिक है इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह कथन गलत है सही नहीं है और परम्पराओं के बिल्कुल विपरीत नहीं है और चौधरी साहब का तर्क परम्पराओं के विपरीत है बात कही गयी है। परम्परायें वही हैं जो कि मेरे केस में बरती गयी हैं और फिर यदि ऐसी परम्परायें नहीं थीं और उनके अनुकूल मैं कार्य नहीं कर रहा था तो स्वयं चौधरी साहब ने भी मेरा नाम तजवीज क्यों किया था कि मैं पार्टी का नेता तथा मुख्य मंत्री बना दिया जाऊं? दूसरी बार भी इस प्रकार की तजवीज चौधरी साहब ने ही की थी। क्या उन्होंने अनैतिकता बर्तनेवाले को चुनवाया? वह ऐसा समझते थे कि एक व्यक्ति परम्परा के अनुकूल

[श्री चन्द्रभानु गुप्त—]

आचरण नहीं कर रहा है तो उसी व्यक्ति को उन्होंने परम्परा के प्रतिकूल जा कर पार्टी के नेता के पद के लिए क्यों जाकर तजवीज किया ?

चूंकि उन्होंने मेरे संबंध में कई पर्सनल बातें कहीं हैं इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वह दो तरह के गठबन्धन समय-समय करते रहे । मैं चौधरी साहब को आपके जरिए कहना चाहता हूं कि जो आचरण आप ने मंत्रिपद पर रह कर किया है, जो आचरण इस प्रदेश में बरता है वह आचरण कोई भी व्यक्ति मंत्रिपद पर रह कर बरत नहीं सकता है । (तालियां) आज आप चर्चा इस बात की करते हैं । आप मुख्य मंत्री पद प्राप्त करने के लिए १९५७, १९५८ और १९५९ में विरोधी पक्ष के लोगों से मिल मिल-कर बात चलाते रहे (व्यवधान) और साथियों के विरुद्ध उनके आदेशों के सिलसिले में गलत टीका टिप्पणी करके विरोधी पक्ष के लोगों को गलत सूचना देते रहे हैं ।

श्री चरणसिंह—

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मुझे जवाब देने का अवसर आपको देना पड़ेगा ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि चूंकि उन्होंने इस तरह की बातें कहीं, इसलिये मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने मंत्रि परिषद के सदस्यों की जो जिम्मेदारी होती है, जो वे शपथ लेते हैं, उस के विपरीत कार्य किया है और यह किया है कि फाइलें मंगा मंगा कर उनके विरोधियों को दिखा दिखा कर बताया है । (व्यवधान) और यह उन का तरीका रहा है और हमेशा इस तरह से उन्होंने कार्य किया है । वह व्यक्ति जो मुझे धोखा दे कर मुझसे कहे कि तुम सरकार बनाओ और खुद विरोधी दल में जाकर मुख्य मंत्री बन जाय, यह एक नीचता की बात है, यह निकम्मेपन की बात है । वह कितनी अनैतिकता की बात है ।

उन्होंने जेनिंग्स की बात को कोट किया है । मैं उसी जेनिंग्स की बात को बताना चाहता हूं और उसी एडीशन से बताना चाहता हूं । अभी उन्होंने जेनिंग्स को कोट किया ।

श्री अध्यक्ष—

कृपा करके सुन लीजिए ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

उन्होंने जेनिंग्स को कोट किया और बताया कि किस हालत में मंत्रि परिषद को इस्तीफा देना चाहिए और नहीं देना चाहिए । मैं भी उसी एडीशन से जेनिंग्स को ही कोट करता हूं । चार चीजें जेनीग्सं ने मंत्रि परिषद् को इस्तीफा देने के लिए बताई है ।

"The first is its loss of prestige."

अगर किसी सरकार का प्रेस्टिज गिर जाता है तो वह इस्तीफा दे देती है ।

"A weak Government is a bad Government." Defeat is a sign of weakness which can be overcome by resignation.

श्री चरण सिंह—

यह क्लैरिफिकेशन नहीं है, ऐडीशन है ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

दूसरी बात उसने कही है "The second is the strength of its cohesion" उसकी कितनी ताकत है यह उस पर जिम्मेदारी दूसरी होती है, "A Government on the verge of disintegration will seize an opportunity to resign." जो गवर्नमेंट टूटने वाली है उसे रेजिग्नेशन दे देना चाहिए ।

"The third is the nature of the issue on which its has been defeated." यानी इश्यू की नेचर क्या है जिस पर उसकी हार हुई ।

चौथी चीज है "The importance of the proposal or matter on which it was defeated."

अर्थात् क्या प्रोपोजल था और उसकी क्या अहमियत है, उसको देखते हुए वह इस्तीफा देती है। यहां सब कोई जानता है, प्रत्येक सदन का सदस्य जानता है कि कांग्रेस दल ने स्पष्ट घोषणा कर दी थी कि हम आपके जो अमेंडमेंट्स हैं उसका विरोध करेंगे, जिनकी कल चर्चा यहां हुई और सदन ने उनकी स्वीकृति नहीं दी। तो इसमें स्नैप वोटिंग का सवाल कैसे उठता है? यह तो सभी जानते थे कि कांग्रेस वाले इसका विरोध करेंगे और उसे गिराने की चेष्टा करेंगे। अगर कोई ऐसा विषय होता जिसका पहले से कोई निश्चय नहीं होता तो बात दूसरी थी लेकिन जो चीज अखबारों में छप चुकी है, जिसकी चर्चा अखबारों में हो चुकी है और कांग्रेस दल अपनी राय दे चुका है कि हम उसका विरोध करेंगे तो कैसे कहा जा सकता है कि यह गलत तरीका है या स्नैप वोटिंग थी। चौधरी साहब, जरूर आप इस दल के नेता हैं, लेकिन जब जब स्वतंत्रता पूर्वक लोगों ने अपना मत दिया है और बैलेट क द्वारा मत दिया है तो उन्होंने आपका साथ नहीं दिया है उन्होंने हमेशा आपके विरोध के पक्ष का साथ दिया है। तो मैंने इससे नतीजा निकाला कि जब उन्हें स्वतंत्रतापूर्वक मत देना होता है तो वह आपका साथ नहीं देते। उन्हें आपने बांध रखा है जबरदस्ती और प्रलोभन के जरिये से और वह कभी वह आपके खिलाफ खुले तरीके से वोट नहीं दे सकते हैं। आप अपने वोट सीक्रेट बैलट से कराकर देखिये कि कितने लोग आपके आदमी हैं। आप कानून के दायरे में चलने की बात करते हैं, अगर आपमें नैतिकता है तो यहां एक बक्सा रखवा कर देखिये और उसमें बैलेट के द्वारा मतदान करा दीजिए।

श्री चरणसिंह—

श्रीमन्, तन्दुरुस्ती इनकी वैसे ही खराब है, ज्यादा गुस्सा न करें।

(व्यवधान)।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मैं इस लिए आपसे कहना चाहता हूं कि ये लोग जो नैतिकता की बात करते हैं, जो गांधीवाद की बात करते हैं, और उन के अनुयायी बनने की बात करते हैं वह मिथ्या प्रचार करते हैं। नैतिकता इसमें है कि स्वतंत्रतापूर्वक प्रत्येक को मत देने का अवसर दें और फिर देखें कि उनके नेतृत्व के पीछे चलने वाले कितने व्यक्ति हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने जब प्रार्थना की थी तो मैं समझता था कि उस से कार्य चलने में आसानी मिलेगी वरना काफी समय लग जायगा। अब यह जो एक्सप्लेनेशन और परसनल एक्सप्लेनेशन की हद से बाहर बात जा रही है। मैं मुख्य मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि केवल वह परसनल एक्सप्लेनेशन तक ही सीमित रखें, कोई नयी बात हो जायगी तो ठीक नहीं होगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मैं आप से एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस बहस को लम्बा करना चाहते हैं...

(व्यवधान)

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं केवल तीन फिकरे कहूंगा...

श्री मोहनलाल गौतम—

प्वायन्ट आफ आर्डर, श्रीमन्। मैं आप से अर्ज करूं कि एक बात गुप्ता जी ने कही, चौधरी साहब ने उसका उत्तर दिया। आपने गुप्ता जी से कहा था कि अपने को वे वहीं तक सीमित रखें जो उन के बारे में कोई बात कही गयी हो और उन्होंने अपना पर्सनल एक्सप्लेनेशन

[श्री मोहनलाल गौतम---]
दिया। कोई नयी बात तो गुप्ता जी ने कही नहीं, जिसका उत्तर देने के लिए आपने उनको खड़ा कर दिया। अगर उन्होंने कोई नयी बात नहीं कही तो उसका जवाब देने का अधिकार चौधरी सहाब को नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

मैं जरा स्पष्ट कर दूं। माननीय गौतम जी ने जब यह बात उठायी तो मैंने माननीय नेता विरोधी दल से प्रारम्भ में ही प्रार्थना की कि सेल्फ डिफेंस में ही स्पष्टीकरण कीजिये। कोई नयी बात न कहें, अगर कोई नयी बात कहेंगे, तो फिर मुझे नेता सदन को अवसर देना होगा। हमेशा से यह परम्परा रही है कि जब नेता विरोधी दल की तरफ से कोई बात कही जाय तो उसका जवाब देने के लिए नेता सदन को मौका मिले। कुछ बात माननीय नेता विरोधी दल ने ऐसी कही जो पहली दफा उन्होंने नहीं कही थी और वह परसनल एक्सप्लेनेशन से बाहर की थी। इसलिए मैं बहुत संक्षेप में उनको जवाब देने का मौका देता हूं।

(व्यवधान)

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, आज जिस वक्त आपने सदन में प्रवेश किया, आप ने नियमों को सस्पेंड नहीं किया। आते ही आपको सदन के सामने यह बात रखनी चाहिये थी कि मैं चाहता हूं कि सदन का काम सुचारु रूप से चलाने के लिए आवश्यक है कि आज क्वेश्चन आवर को सस्पेंड किया जाय और तब फिर इस पर बहस कराते। लेकिन आपने वह नहीं किया। माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल की आप के कक्ष में अन्दर-अन्दर बात हुई और फिर आप सदन में आये और बिना नियमों को सस्पेंड किये हुए आपने इस पर बहस शुरू करा दी। तो मैं चाहता हूं कि बिना नियमों के सस्पेंड किये हुये जितनी कार्यवाही हुई है उसको आज की प्रोसीडिंग्स से एक्सपंज करा दें।

श्री अध्यक्ष---

माननीय नेकराम शर्मा जी ने जो बात कही वह बहुत देर में कही। मैंने जो विशेष परिस्थिति थी उसको देखते हुये ही कि सदन की कार्यवाही ठीक से चले, इस भावना से क्वेश्चन आवर में यह प्रार्थना की थी, उसका जवाब जाय, फिर उसका प्रत्युत्तर मांगा गया तो स्वाभाविक है कि नियमों को सस्पेंड किया जाय और उस पर उस समय किसी एक माननीय सदस्य ने भी इस तरह का कोई एतराज नहीं किया कि क्वेश्चन आवर में और कोई कार्य न किया जाय।

श्री नेकराम शर्मा---

खड़े हुये थे हम लोग।

श्री अध्यक्ष---

मैं प्रार्थना करूंगा कि शान्त वातावरण बना रहे और माननीय नेता सदन बहुत संक्षेप में ही अपनी बात कहें।

श्री चरणसिंह---

आपका आदेश शिरोधार्य है, अध्यक्ष महोदय। मैं केवल चार बातें कहूंगा और उनको केवल आठ वाक्य में कहूंगा, नवा वाक्य नहीं कहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र ने मेरी यह बात कही जो मैंने उनको बाबत चीफ मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश के सिलसिले में कही थी। यह बात तो अखबारों तक में छपी है,

फिर भी उन्होंने यह फरमाया कि यह बात उन्होंने कभी भी नहीं कही, तो मैं उनकी बात को मानता हूं, लेकिन जरा इस बात को भी ध्यान में रखें कि इतनी इम्पार्टिन्ट चीज उनके बारे में छपी और वह उनके नोटिस में नहीं आयी हो, यह बात मेरी समझ में हीं आयी और उसका कोई कन्ट्राडिक्शन भी उनकी तरफ से नहीं आया और उससे अगर यह नतीजा निकाला गया तो वह गलत नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही कि हर जगह हारे हुये चीफ मिनिस्टर हुये हैं। यह ठीक है, हो सकता है कि हिन्दुस्तान में इसकी मिसाल हो कि एक दफा एलेक्शन में हारा हुआ आदमी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया हो, लेकिन यह कहां है कि लगातार दो बार हारा हुआ मेम्बर चीफ मिनिस्टर बना दिया गया हो। तीसरी बात यह है कि...

श्री मोहनलाल गौतम—

मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। मैं जानना चाहता हूं कि यह जो दो आदमियों की पर्सनल बातें हो रही हैं और गुप्त बातें हो रही हैं, जो किसी समय मित्र थे और जिन्हें एक दूसरे की बातें मालूम थीं। चौधरी साहब और गुप्ता जी दोनों चीफ मिनिस्टरी के सिलसिले में मेरे खिलाफ थे, और इन दोनों की अन्दर अन्दर बातें हो रही हैं, तो उन दोनों के खिलाफ जो बातें हैं उनको हमें भी कहने का मौका देंगे? उस वक्त यह दोनों साथ-साथ थे और उनके चीफ मिनिस्टर बनने में चौधरी चरण सिंह साहब का हाथ था, इसलिए हम को कुछ कहने का मौका कब मिलेगा? (हंसी)

श्री अध्यक्ष—

मैं चाहता हूं कि हंसी का वातावरण कायम रहे।

श्री चरणसिंह—

माननीय गौतम जी के स्टैन्डर्ड पर मैं नहीं उतर सकता। नैतिकता की माननीय गुप्ता जी ने बड़ी बात कही—नैतिकता, नैतिकता, नैतिकता, कई बार उन्होंने उसका जिक्र किया, उनका मतलब शायद मोरेलिटी से है। मैंने शुरू में भी उसका जवाब नहीं दिया, मैंने डेमोक्रैटिक कन्वेन्शन्स का जवाब दिया है, और विशेष मुझे नहीं कहना है।

चौथी बात यह कि २७ जुलाई को भी एक बात कही गयी थी, मेरे मित्रों द्वारा भी फिर मेरे कानों तक वह बात आयी, लखनऊ और दिल्ली से भी आयी, मैं उसका कोई जवाब देना नहीं चाहता। वह सब चीजें ऐसी हैं जिन्हें परमात्मा अपने हाथ में रखता है, लेकिन मनुष्य प्रार्थना कर सकता है। मैं आपके द्वारा अपने मित्र से प्रार्थना करता हूं कि उनकी तन्दुरुस्ती चूंकी अच्छी नहीं है, अगर गुस्सा न किया करें तो अच्छा है, वह उन के स्वास्थ्य के लिए भी हितकर होगा। बस यही दरख्वास्त है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

किसी अखबार की चर्चा चौधरी साहब ने की। मैं नहीं जानता कि कितने अखबारों में वह चीज छपी। मेरे सामने तो कोई आया नहीं, एक अखबार की बात १२—१४ रोज बाद मेरे सामने आयी, तो इतने दिन बाद उसका कन्ट्राडिक्शन भेजना मैंने मुनासिब नहीं समझा। अखबारों में तो ऐसी बहुत सी गलत बातें छप जाया करती हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

मैं एक स्पष्टीकरण के प्रश्न पर बोलना चाहता हूं। नौजवानों की बात कही गयी, यहां इस हाउस में तो चौधरी चरण सिंह बुढ़ापे में इठलाते और मचलते हैं... (व्यवधान)।

श्री चरणसिंह—

वह तो बात आपके गुप्ता जी ने कही है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं। चौधरी साहब ने कहा कि यहां एक बार जब मैं उप-मन्त्री था तो गन्ने के सम्बन्ध में जो विधेयक चल रहा था तो एक संशोधन पास हो गया था। उस वक्त आप भी यहां के सदस्य थे, आपको स्मरण होगा कि कांग्रेस दल के अन्दर उस संशोधन के विरोध में कोई नहीं था, और हमारे दल की तरफ से कोई व्हिप भी जारी नहीं हुआ था, इस लिए वह पास हो गया। उस में सरकार की हार का प्रश्न नहीं उठता था। हमारी हया और आज की सरकार की हया में इतना फर्क है कि हया आज इनकी हया पर शर्मा रही है।

मुझे तकलीफ हुई और मैं आशा नहीं करता था कि जिस भाषा को माननीय चौधरी साहब ने प्रयोग किया।

श्री अध्यक्ष—

अब आप भाषा पर न जायं। सेल्फ एक्सप्लेनेशन तक ही अपने आपको सीमित रखें।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

आपने कहा कि आप ने सारी प्रक्रिया को इस लिए शुरू किया, क्योंकि कल कुछ कहा गया था कि हम लोग सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। कुछ आखबारों में मेरे नाम से वह जुमला छपा है। इसलिए यह जरूरी हो गया कि उस क बारे में मैं अपना परसनल एक्सप्लेनेशन दूं। मैं सदन से इस सदन की गरिमा का हामी रहा हूं, अतः उसको नष्ट करने की कभी ताईद नहीं कर सकता। इसी लिए मैं ने आज सबेरे आप से जाकर इस बारे में बातचीत भी की कि सदन के चलने देने में कोई बाधा डालना नहीं चाहता। मैं ने कल जो बात कही थी वह यह कही थी कि यह सदन ठीक तरह से क न्स्टीट्यूटेड नहीं है। ठीक तरह से सदन के मानी हैं कि सदन में एक उत्तरदायी सरकार हो और एक विरोधी दल हो। मैं ने कहा था कि आज ट्रेजरी बेंचेज खाली हैं। उन कुर्सियों पर खाली उन के भूत बैठे हुये हैं।, मंत्रिमण्डल खत्म हो चुका है। कल की दो हारों के बाद इस बारे में मेरी संवैधानिक आपत्ति थी। कल सायंकाल ही माननीय राज्यपाल ने...

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, मैं बहुत देर से देख रहा हूं कि आपने उनको परसनल स्पष्टीकरण की इजाजत दी थी। अगर उसके सहारे वे इस प्रकार की बातें कहते रहेंगे तो हम लोगो का यहां चुपचाप बैठे रहना मुश्किल हो जायगा। आप उनको नहीं रोकेंगे तो हम इस प्रकार चुपचाप कठपुतली की तरह बैठने वाले नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन का वातावरण ठीक बनाये रखना चाहता हूं, इसीलिए मैं ने माननीय बहुगुणा जी से प्रारम्भ में प्रार्थना की थी कि वे अपने को परसनल एक्सप्लेनेशन तक ही सीमित रखें।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

किसी माननीय सदस्य के सम्बन्ध में प्रेस में जब यह बात रिकार्ड हो जाय कि वे सदन को चलने नहीं देंगे, तो इससे बड़ा लांछन उसके सम्बन्ध में और क्या हो सकता है ?

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, उन्होंने कहा और इन के साथ ही पचासों और लोगों ने भी कहा। हम ऐसी बात को सुनने के लिए यहां नहीं बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप उनके कारणों में न जायं। अखबारों में कोई बात छपी जो गलत थी, जिस से भ्रान्ति पैदा होने की गुंजाइश है, उसके बारे में आप सेल्फ एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, उस के विरोध में। लेकिन अगर आप उस के कारण देने लगेंगे, तो वह उस के बाहर हो जायगा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

उसके बारे में मेरी एक संवैधानिक आपत्ति थी अगर उसको आप नहीं सुनना चाहते हैं तो मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर यह है...

श्री अध्यक्ष—

आप यह प्वाइन्ट आफ आर्डर उठा रहे हैं या सेल्फ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

मैं यह मानता हूं कि यह सदन ठीक प्रकार से कांस्टीटयूटेड नहीं है, इस लिए उस को नहीं चलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

अगर नहीं है तो नियमों के अनुसार उनको आप रोक सकते ह। जब आप उस के बारे में कोई संवैधानिक आपत्ति उठायेंगे, उस समय में उस को देखूंगा।

अब प्रश्नोत्तर का जो समय था वह समाप्त हो गया। प्रश्नों के जो उत्तर हैं वह सदन में दिये हुए माने जायेंगे और सदन की प्रोसीडिंग्स के भाग बन जायेंगे। ऐसा माना जायगा कि उनके सारे जवाब दे दिये गये।

श्री शब्बीर हसन (जिला फतेहपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यहां पर नैतिकता और मारेलिटी की बात हो रही है तो मैं उसके सिलसिले में जानना चाहता हूं कि आप के यहां काम करने का ढंग क्या है, वादा कुछ किया जाता है और किया कुछ जाता है और काम ठीक से चलता नहीं...

श्री अध्यक्ष—

आप मेहरबानी करके नियमों की किताब लेकर पढ़ लें और उस के मुताबिक ही यहां अमल करें।

श्री चन्द्रबली—

अध्यक्ष महोदय, आप को जितने अधिकार मिले हैं वह सब जनतन्त्र तोड़क हैं, अगर उन का प्रयोग आप रोज रोज करेंगे, हर जगह करेंगे, हर क्षण करेंगे तो सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

उनके शब्दों पर मुझे आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, व्यवस्था में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता।

श्री चन्द्रबली—

आपने पूरे सवालों के घंटे को खत्म किया और कहा कि चूंकि मेरे मन में यह भावना थी इस लिए सवालों का घंटा समाप्त हो गया। मैं केवल एक सवाल हल करना चाहता हूं कि क्या आप के मन की बात सदन की कार्यवाही बन सकती है, वह नहीं बन सकती, आप घर से अपनी बीबी से बात करके आयें और मन में कोई बात हो और वह यहां अमल में आये। इस तरह से मन की बात तो नहीं चल सकती। नियम को आप ने पहले कैंसिल नहीं किया और मान लिया कि सवालों का घंटा खत्म हो गया और आधा घंटा और बीत गया। अब आप आगे का कार्यक्रम तो बतायें कि उसमें कितना खत्म हो गया, जब तक वह खत्म नहीं होता तब तक आगे की कोई कार्यवाही नहीं होगी, पहले तो अभी सवालों का घंटा ही आरम्भ होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

आपने जो बातें कहीं उस से एक बात से मैं सहमत हूं कि जो अधिकार मुझे दिये गये हैं उनका रोज रोज प्रयोग करना उचित नहीं है, बाकी आप की भाषा के लिए तो आप को बधाई है। जनतन्त्र में जहां बाधा पड़ती है वहां वही अधिकार कभी कभी रक्षा भी करते हैं, मेरी भावना तो केवल रक्षा करने की ही थी और है। यह ठीक है कि बिना कारण उनका प्रयोग रोज रोज नहीं करना चाहिये और शायद प्रश्नोत्तर का समय इस तरह से रोज रोज समाप्त भी नहीं होता, केवल आज ही ऐसा हुआ है, मैं नहीं चाहता कि ऐसा अवसर आये। मैंने अभी प्रश्नोत्तर के सम्बन्ध में कहा था कि जो उत्तर आये हैं वे आज की कार्यवाही का भाग बन जायेंगे ताकि उन से सारे माननीय सदस्य अवगत हो जायं। मैं इस भावना का आदर करता हूं कि ऐसे अधिकारों का प्रयोग रोज रोज न हो, आशा है कि दोबारा इस तरह का अवसर न आयेगा।

अनुपूरक आय-व्ययक को समय से सदन में न प्रस्तुत करने तथा विधान परिषद् में पहले प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में वैधानिक आपत्तियां

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है .....

श्री अध्यक्ष—

आप अभी बैठें, बाद में आप को अवसर मिलेगा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह सदन आज इस योग्य नहीं है कि इस की कार्यवाही आज चल सके। मैं ऐसा इस लिए कहता हूं कि हमारी प्रक्रिया नियमावली की धारा १८३ में आय-व्ययक और वित्तीय विषयों के विषयों के सम्बन्ध में प्रक्रिया दी है, उस में लिखा है कि ऐसा वार्षिक वित्तीय विवरण ऐसे दिन पर सभा के समक्ष रखा जायगा जो राज्यपाल नियत करें। वह उसी दिन पेश हो जाना चाहिये। कल के कार्यक्रम में छपा था कि राज्यपाल के आदेश से ५ बजे वित्त मन्त्री अतिरिक्त अनुदान प्रस्तुत करेंगे लेकिन जब सदन कल इस कार्य के लिए इकट्ठा हुआ तो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने सदन को स्थगित करा दिया और इस कारण से बजट पेश न हो सका और आज भी शायद राज्यपाल महोदय ने अभी तक पूरक बजट प्रस्तुत करने की आज्ञा नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष—

राज्यपाल की आज्ञा मेरे पास आ चुकी है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

राज्यपाल की आज्ञा अब आ गयी है यह ठीक है लेकिन वह कल पांच बजे बजट पेश नहीं कर सके और सदन को स्थगित करना पड़ा। मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के अनुसार निश्चित समय पर बजट उपस्थित न करना भी सरकार में अविश्वास का होना माना गया है।

श्री अध्यक्ष—

वह पढ़ दीजिए ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

श्रीमन्, इस समय मेरे पास वह पुस्तक नहीं है। लेकिन मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि क्या सरकार आज, कल के कांड के कारण, लीगली कान्स्टीट्यूटेड है ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण और संवैधानिक है और इस सम्बन्ध में मेरी जो राय होगी वह मैं बाद में दूंगा। मैं चाहूंगा कि इस विषय पर सरकार की ओर से भी जो कहना चाहें वे कह लें, उसके बाद ही मैं अपनी राय व्यक्त कर सकूंगा।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि इस अनुपूरक बजट की प्रतियां कल शाम ही विधान परिषद् में बांट दी गयी हैं। बजट के किसी भाग का यदि प्रकाशन हो जाय जनता में या उसकी प्रतियां कहीं बांट दी जायं और उसके बाद क्या वह बजट, जैसा कि इस सदन का मौलिक अधिकार है कि यहां पर सब से पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यहां न लाकर विधान परिषद् में बांट दिया जाय और उसको पुनः यहां पर लाया जा रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस पर सरकार का क्या उत्तर है ?

श्री अध्यक्ष—

इसके माने यह है कि इस समय दो संवैधानिक आपत्तियां आयी हैं। एक तो यह जैसा कि माननीय बहुगुणा जी ने कहा कि कल नियत समय पर बजट नहीं प्रस्तुत कर सके, सदन के सम्मुख, और सदन को स्थगित होना पड़ा, उसके कारण आज सरकार प्रॉपर्ली कान्स्टीट्यूटेड नहीं है और एक माननीय रामायण राय जी की दूसरी आपत्ति यह है कि बजट की प्रतियां कल विधान परिषद् में बांट दी गयीं इसलिए वह अनौपचारिक है। इन दोनों आपत्तियों पर मेरी जो राय होगी वह मैं बाद में दूंगा पहले सरकार की बात सुन लूं कि उन्हें क्या कहना है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, यह दूसरा जो प्रश्न है इसी से सम्बन्धित, मैंने विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न आप की सेवा में दिया था, उस पर क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

जब मुझे समय मिलेगा, तो मैं उसे भी लूंगा।

मुख्य मन्त्री (श्री चरणसिंह)—

श्रीमन्, जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि यह हाउस प्रॉपर्ली कौन्सटीट्यूटेड नहीं है, मैं इसको नहीं समझ पाया लेकिन चूंकि यह डिफीट हो गयी थी.....।

श्री अध्यक्ष—

जो उन्होंने कारण दिया है वह यह है कि कल सप्लीमेंट्री बजट नियत समय पर सदन में प्रस्तुत न हो सका और उसे स्थगित करना पड़ा, इसलिए इनका कहना है कि हाउस प्रौपर्ली कान्सटीट्यूटड नहीं था।

श्री चरणसिंह—

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इन्होंने कल यह कहा था कि हम हाउस को नहीं चलने देंगे। अब वे यह कहते हैं कि यह उन्होंने हरगिज नहीं कहा। हो सकता है कि हमारे कानों ने हमें धोखा दिया हो। कल साढ़े ४ बजे भी इन्होंने यह बात कही और उस पर आप ने जवाब दिया, यह सब प्रोसिडिंग में दर्ज होंगी। ५ बज सब दोस्त खड़े हो गये उस वक्त भी मैंने यह बात सुनी कि हाउस में यह कहा गया कि हम हाउस को नहीं चलने देंगे, तब मैंने आप से यह दरख्वास्त की कि आप सदन को स्थगित कर दीजिए। लिहाजा बजट यहां पर पेश न हो सका। अगर कल पेश नहीं हो सका तो आज पेश नहीं हो सकता, यह मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा कोई कानून है? संविधान का तकाजा है कि जिसको एक दिन सप्लीमेंट्री बजट पेश करने का अधिकार है तो उसे यह भी अधिकार है कि वह उसे उस दिन न कर के दूसरे दिन करे। जो आदमी एप्वांइंट करता है वह उसमें माडिफिकेशन कर सकता है, उसे कैंसिल कर सकता है अथवा रिएप्वाइंट कर सकता है। गवर्नर की इजाजत आ गयी है वह गवर्नर की किसी काबलियत या गलती की वजह से नहीं हो सका ऐसी बात नहीं है। बल्कि वह हाउस के वातावरण की वजह से पेश नहीं हो सका। इसलिये उनका एतराज कोई मानी नहीं रखता।

श्री अध्यक्ष—

रामायण राय जी का यह एतराज भी है कि कौंसिल में यह बजट वितरित हो गया जिससे इसकी गोपनीयता समाप्त हो गयी।

श्री चरणसिंह—

मुझे पता नहीं कौंसिल में क्या हुआ। अखबार में भी पूरी तरह से नहीं पढ़ा लेकिन मैंने यह सुना है कि वहां पेश नहीं हुआ। पेश होने जा रहा था लेकिन रुक गया। अगर आपको शक हो तो आप इस रूलिंग को कल के लिये स्थगित कर दें लेकिन मेरी निश्चित राय है कि इसमें कोई बल अथवा दम नहीं है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

कल अगर श्रीमन्, तय करेंगे तो फिर बजट आज भी पेश नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—

जो एजंडा पर है वह सब होगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

दूसरी बात जो इसमें विशेष रूप से निहित है वह यह है जो रामायण राय जी ने कही। एक इतिहास प्रसिद्ध घटना है जिसमें डोल्टन के द्वारा बजट का एक हिस्सा बढ़ोत्तरी या घटोत्तरी करके जाहिर हो चुका था, उस पर पूरी सरकार ने इस्तीफा दिया। मेरा यह कहना है कि अगर यह बजट पेश हो चुका है कौंसिल में तो इसको अब यहां पेश नहीं किया जा सकता।

श्री चरणसिंह—

कोई नई चीज आती उसके लिये यह बात लागू होती हो लेकिन सप्लीमेंटरी के लिये जो खर्चा पहले हो चुका है, उसके मुताल्लिक यह आपत्ति बिलकुल लागू नहीं होती।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—

जैसा कि मुख्य मंत्री के कहने से आभास मुझे लगा कि यह ठीक है कि बजट और अनुपूरक बजट में अन्तर है। निश्चित ही यह पार्लियामेंटरी पद्धति है कि जिससे सार्वजनिक अहित होता हो लाभ हानि की जिससे संभावना हो ऐसा रहस्य प्रकाशित हो तो आपत्ति उठाई जा सकती है। वह पूरक बजट में ही हो सकता है, जिसके जरिये कर का नया प्रस्ताव लाया गया हो। उसके लिये यह लागू हो सकता है। अनुपूरक बजट में निश्चित मदों में अधिक खर्च किया जाता है। सदन से उसकी इजाजत ले ली जाती है। कौंसिल में अगर अनुपूरक पेश भी हो चुका है तो इसमें कोई वैधानिक बाधा उत्पन्न नहीं होती है जिसकी वजह से यह यहां नहीं रखा जा सकता। अध्यक्ष महोदय, अगर आप संविधान की धाराओं को देखें तो चाहे पूरक आय व्ययक हो अथवा अनुपूरक आय-व्ययक हो दोनों पर एक ही प्रकार से लागू होती है। बहुत सी अप्रत्याशित रकमें अनुपूरक बजट में भी रखी जाती हैं। माननीय रामायण राय जी से मैं आग्रह करूंगा कि वे बताने की कृपा करेंगे कि अनुपूरक बजट पेश करने के लिये संविधान में मूल बजट पेश करने के मुकाबले में कोई अन्यत्र धारायें लागू होती हैं। इस अनुपूरक बजट में कौन सा नया कर लागू होता है यह मुझे बतला दें ?

श्री रामायण राय—

वर्तमान संसदीय परंपरा यह है कि कोई भी धनराशि जिसे इस सदन ने स्वीकृत न किया हो उसे आप को खर्च करने का अधिकार नहीं है। इस सम्बन्ध में आप बजट मैनुअल देख लें।

श्री अध्यक्ष—

यह मैं देख लूंगा। आप कवल यह बतला दें कि कौन सी वे चीजें हैं जो कर से सम्बन्धित हैं।

श्री रामायण राय—

मेरा कहना यह है कि अनुपूरक बजट पर वे सारी चीजें लागू होती हैं जो मूल बजट पर लागू होती हैं।

श्री अध्यक्ष—

कोई लिखी पढ़ी चीज है तो मुझे दिखला दें। या यह आप की राय है ?

श्री रामायण राय—

मेरा कहना यह है भारतीय संविधान में कोई नया नियम अनुपूरक अनुदानों के लिये नहीं दिया गया है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद २०५ (२) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं:

(2) The provisions of articles 202, 203 and 204 shall have effect in relation to any such statement and expenditure or demand and also to any law to be made, authorising the appropriation of money out of the Consolidated Fund of the State to meet such expenditure or the grant in respect of such demand as they have effect in relation of the annual financial statement etc."

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—]

इसके अतिरिक्त अनुच्छेद २०२, २०३ और २०४ भी पूरक बजट से सम्बन्धित हैं। रामायण राय जी का यह कहना सही है कि बजट को प्रस्तुत करने के अनुबन्ध संविधान में वही है जो पूरक बजट के लिये हैं। उसमें कोई अन्तर नहीं है। अब केवल एक ही बात श्रीमन् के सामने है कि कौंसिल म क्या हुआ। मुझे नहीं मालूम कि उस बजट में क्या है लेकिन वह कौंसिल में प्रकाशित हो चुका।

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री प्रतापसिंह)—

व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, इस हाउस में बजट न बांटा गया, न वापस लिया गया और कौंसिल में क्या हुआ इसका नोटिस तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक कि सही बात एसर्टेन न कर ली जाय। दूसरे हाउस में क्या हुआ क्या उसके मुताल्लिक बहस यहां हो सकती है ?

श्री अध्यक्ष—

स्वास्थ्य मन्त्री जी ने जो व्यवस्था उठाई उस पर मुझे यह कहना है उसकी चर्चा तो अवश्य हो सकती है। मान लो नासिक म छपा होता, उसका लीकेज हुआ होता तो उसकी चर्चा अवश्य होती। लेकिन उसका प्रभाव क्या पड़ेगा यह अलग चीज है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

यह निश्चित है कि मूल बजट तथा अनुपूरक बजट में कोई अन्तर नहीं है। अब कौंसिल में यह चीज प्रकाशित हुई या नहीं तो श्रीमन् पहलेउसे देख लें। लेकिन यह मेरी निश्चित राय है कि अगर कौंसिल में वह पेश हो गया तो फिर वह अनुपूरक बजट इस सदन में पेश नहीं हो सकता। अब आप इसका दूसरा रूप देखें। अगर वह कौंसिल में पहले पेश हो सकता है तो फिर यह हमको पहले से दे क्यों नहीं दिया जाता जैसे कि और साहित्य दे दिया जाता है। बजट की एक सेंक्टिटी होती है। उसे छिपा कर रखा जाता है। अगर वह प्रकाशित हो चुका है तो फिर यहां पेश नहीं किया जा सकता न ही उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय नेता सदन ने, अध्यक्ष महोदय, आप को यह सूचना दी कि यह बजट कौंसिल में पेश ही नहीं हुआ। फिर त्रिपाठी जी ने कहा कि हम को ज्ञात नहीं है कि उसमें क्या प्रोपोजल्स है। माननीय प्रताप सिंह जी ने कहा कि पूरी घटना हमारे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है कि आज यह बजट यहां पर पेश हो सकता है या नहीं चूंकि कौंसिल में वह पेश हो चुका है इस पर अपनी रूलिंग कल तक के लिये रिजर्व कर दीजिये जैसा कि माननीय नेता सदन ने कहा है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अध्यक्षजी, मैंने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया था वह सीमित प्रश्न था। बजट जब सामने आयेगा तब उस पर वह आपत्ति हो सकती है, कैसे होगा, क्या होगा, वह अलग चीज है। मैंने तो यह कहा था कि कल ५ बजे बजट सदन में प्रस्तुत न कर जो जिम्मेदारी मुख्य मन्त्री जी की थी उसका वहन करन में वह असफल रहे। इस सदन में भी अवसर आये हैं, शायद १९६० की बात है, बजट पेश करने के समय विरोधी दल के लोगों ने बहुत शोर किया था लेकिन तत्कालीन वित्त मंत्री ने माननीय अध्यक्ष से आज्ञा ले कर बजट प्रस्तुत कर दिया था और यह सभी जानते हैं कि बजट एक लाइन में प्रस्तुत होता है कि मैं माननीय राज्यपाल की आज्ञा से यह बजट प्रस्तुत करता हूं कितना भी शोरगुल होता हो। इस उत्तरदायित्व से भाग जाने वाला मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल नहीं रह जाता। इसलिए मैं फिर इसकी सफाई करता हूं कि चूंकि मंत्रिमंडल उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सका इसलिये मेरी आप से प्रार्थना है कि माननीय

मुख्य मन्त्री ने जो अभी कहा है कि उस पर आप और गहन विचार कर लीजिये तो मेरी भी आप से प्रार्थना है कि आप कल तक का सदन को समय दें और तब तक इस इल्लीगली कांस्टीटयूटेड गवर्नमेंट को, जो हमारा आब्जेक्शन है, उस को कायम रखा जाय तब तक सदन चलता रहे।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, गवर्नर महोदय ने कल ५ बजे सायंकाल के लिये आज्ञा दी थी कि अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जाय। मैं जानना चाहता हूं कि गवर्नर महोदय को मुख्य मन्त्री जी ने या कौंसिल आफ मिनिस्टर्स ने क्या यह लिख कर भेजा कि कल वह क्यों नहीं प्रस्तुत हो सका? और यदि लिख कर भजा तो क्या लिख कर भेजा और उस पर गवर्नर महोदय ने क्या आदेश दिया? जब तक यह बात मालूम न पड़ जाय तब तक निर्णय देने में आप को भी कठिनाई होगी। तो माननीय मुख्य मन्त्री जी पहले यह बतायें कि क्या उन्होंने लिख कर भेजा और यदि भेजा तो क्या लिखा?

श्री अध्यक्ष—

दो प्रश्न मेरे सामने हैं। एक प्रश्न तो जो माननीय बहुगुणा जी ने उठाया। वह तो एक सीमित प्रश्न है कि कल ५ बजे माननीय राज्यपाल द्वारा समय निर्धारित हुआ था बजट को प्रस्तुत करने का। माननीय मुख्य मन्त्री जी के प्रस्ताव पर सदन उठ गया और वह कल प्रस्तुत नहीं हो सका। इस लिए उनकी आपत्ति है कि सरकार लीगली कांस्टीट्यूटेड नहीं है। दूसरा प्रश्न माननीय रामायणराय जी ने उठाया। उसका सम्बन्ध विधान परिषद् की कुछ कार्यवाही से है। उन्होंने एक बात यह कही कि विधान परिषद् में वह बजट बंट गया और उसके लिये कुछ और माननीय सदस्यों ने भी कहा कि चूंकि सप्लीमेंटरी और मूल बजट के लिये एक ही प्राविधान है कांस्टीट्यूशन में इसलिये उसकी सीक्रेसी वायलेट हुई और वह दोबारा प्रस्तुत नहीं हो सका। इन दोनों प्रश्नों को एक साथ मिलाना ठीक नहीं होगा। पहले वाले प्रश्न पर मैं अभी अपनी सम्मति दे रहा हूं और दूसरे प्रश्न पर चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ बताया नहीं कि वहां क्या हुआ इसलिये मुझे स्वयं वहां की कार्यवाही देखनी पड़ेगी। तो मैं उसको देखने के बाद बजे के बाद और बजट प्रस्तुत होने के पहले अपनी व्यवस्था दे दूंगा।

पहली वाली बात पर मेरी व्यवस्था यह है कि कल ५ बजे राज्यपाल ने समय निर्धारित किया था। विधान सभा में जो स्थिति उत्पन्न हुई उसमें काम का चलना असम्भव हो गया। उस स्थिति में क्या हो सकता था? कई बातें हो सकती थीं। जो अवरोध था उस को दूर किया जाता नियमों के अनुसार। वह और भी दुखद कांड होता या सदन स्थगित हो जाता। उस समय मैंने माननीय नेता सदन की तरफ देखा। उन्होंने प्रस्ताव किया कि सदन स्थगित कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि वह स्थिति ऐसी थी कि उसमें सदन की शोभा और आज जो वातावरण देख रहे हैं वह उससे ही है। इसलिये इस विशेष उत्पन्न हुई परिस्थिति में इस कारण कल सदन स्थगित करना पड़ा और निर्धारित समय पर बजट नहीं लिया जा सका। कल इस कारण माननीय बहुगुणा जी ने उदाहरण दिया कि पिछले दफा बजट हल्ला गुल्ला में पढ़ दिया गया। यह हो सकता था लेकिन मैं यह नहीं कहता कि यह गलत था या सही था। कुछ राय यह हो सकती है कि वह गलत था। जब सदन अशान्त वातावरण में हो उस समय बजट को प्रस्तुत कर देना और पास करा लेना एक असंदिग्ध बात हो जायेगी। जो हुआ उस कारण मैं नहीं समझता कि सरकार का कोई फेलियोर या जिम्मेदारी है और इस कारण से इस नतीजे पर आना कि सरकार लीगली कांस्टीट्यूटेड नहीं है या ५ बजे बजट नहीं हो सका इसलिये यह सरकार अवैध है ऐसा मैं नहीं समझता हूं।

(माननीय नेता सदन के खड़े होने पर)

श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, मैं ऐसी धृष्टता न करता लेकिन माननीय अध्यक्ष मेरा नाम पुकार चुके थे। मैं एक बात की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं कि चाहे अनुपूरक बजट हो या पूरा बजट हो, उसकी कापियां दोनों में एक साथ बंटती हैं। हमारे यहां भी और विधान परिषद् में भी। लकिन कल जो आपका ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार की ओर गया होगा कि विधान परिषद् में कल कापियां बंट गईं और यह भी समाचार है कि १५ मिनट बाद वापस ले ली गईं। यहां नहीं बंटी यह प्रयत्क्ष है। साइमलटोनियसली कापियां नहीं बंटी और हमारा यह विशेषाधिकार है कि अगर बजट को विधान परिषद् अस्वीकार कर दे तो वह यहां आता है और हम पास कर देते हैं तो वह स्वीकार हो जाता है। यहां कापियां बंटी नहीं और वहां बंट गईं और ४५ मिनट तक हाउस में टेबिल पर रखी रहीं। इसके बाद सरकार ने वापस ले लीं तो मैं समझता हूं कि यह लीकेज है। जब इतना हो जाये तो सरकार के लिये रहना एक दम मुश्किल हो जाता है। यह छोटा मोटा प्रश्न नहीं है बल्कि यह एक लीकेज है। ऐसी दशा में सरकार कैसे टिक सकती है? मैं इस पर व्यवस्था चाहता हूं

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय कमलापति त्रिपाठी जी का आभारी हूं कि उन्होंने जो सुझाव दिया है और प्रकाश डाला है वह दूसरी बात से संबंधित था जिस पर मुझे व्यवस्था देनी है। इसको मैं देखूंगा और इस बीच में कोई माननीय सदस्य यह बता सकें कि गोपनीयता भंग होने का कोई प्रमाण है, किसने पढ़ा या कोई जानकारी देना चाहे उसको भी मैं सुनने के लिये तैयार हो जाऊंगा।

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, पहली बात यह है कि मुझे मालूम हुआ है कि यह सवाल वहां उठाया गया था और वहां अध्यक्ष की रूलिंग यह हुई कि कोई गोपनीयता भंग नहीं हुई है। कोई अनियमितता या कोई गोपनीयता भंग नहीं हुई, कोई लीकेज नहीं हुआ। (व्यवधान) बाइंडिंग है या नहीं।

श्री अध्यक्ष—

नजीर कोट हो रही है।

श्री चरण सिंह—

दूसरी बात यह है कि आर्टिकिल २०५ में केवल यह है कि दोनों सदनों में बजट पेश किया जायगा। उसमें कहीं नहीं है कि पहले इस जगह किया जायगा या साइमल्टेनियसली किया जायगा। केवल वोटिंग आन डिमांड में प्रिविलेज लोअर हाउस का है। लेकिन प्रेजेंटेशन के सिलसिले में साइमल्टेनियसली हो या आग पीछे इस पर संविधान साइलेंट है। सिर्फ यह है कि दोनों जगह पेश होगा। यह ठीक है कि कुछ कापियां तकसीम हुई थीं लेकिन फौरन विड्रा हो गया। यह बात मैं आपकी नोटिस में लाना चाहता था।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

अध्यक्ष महोदय, अभी नेता सदन ने जो यह बताया कि विधान में कोई ऐसा प्राविजन नहीं है कि इस सदन में ओरिजिनेट हो उसका प्रेजेंटेशन साइमल्टेनियसली हो या न हो। जहां तक मेरा अध्ययन है वह यह बताता है कि जहां तक हाउस आफ कामंस के प्रिविलेजेज हैं और कुछ वहां की की परम्परायें हैं जहां हमारे संविधान में कोई ऐसी चीज नहीं दी हुई है वही वहां की परम्पराय लागू होती हैं। वह चीज यह है कि बजट यहीं प्रस्तुत और प्रकाशित होना चाहिये उसके उपरान्त या साथ ही साथ वह कौंसिल में जा सकता है। जितनी मेरी कांस्टीटयूशनल ला की जानकारी है और पद्धतियों की जानकारी है उसके अनुसार जो बात माननीय नेता सदन ने कही है वह सही प्रतीत नहीं होती।

श्री रामायण राय--

मान्यवर, माननीय नेता सदन ने तर्क पेश किया है उनका कहना है कि संविधान में कहीं ऐसा नहीं है कि एक साथ दोनों सदनों में पेश होता है।

श्री अध्यक्ष--

यह माननीय नेता विरोधी दल कह चुके।

श्री रामायण राय--

मैं दूसरी बात की ओर संकेत कर रहा हूं। देखना यह है कि सीक्रेसी मेंटेन हो, गोपनीयता की संरक्षता हो। अगर दोनों सदनों में साथ ही पेश न हो तो कैसे गोपनीयता रहे।

श्री अध्यक्ष--

पुनरावृत्ति न कीजिये।

श्री रामायण राय --

उसका परिणाम यह हुआ माननीय त्रिपाठी जी ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि जो वहां पेश किया गया था उसमे कोई नया टैक्स नहीं लगा है।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने प्रश्न पूछा आप बताइये।

श्री रामायण राय--

उन्होंने कहा कोई नया टैक्स नहीं लगा है कोई नया खर्चा नहीं होने वाला है। पुराने खर्चों का संभवतः बजट था। अनुच्छेद २०५ यह साफ-साफ कहता है कि कोई अतिरिक्त व्यय हो जाय तो उसमें २०३ और २०७ का सारा प्रकरण लागू होता है। त्रिपाठी जी स्वयं कबूल करते हैं वहां पर प्रकाशित हो गया। तो उन्हीं के तर्क के आधार पर यह सिद्ध होता है कि गोपनीयता भंग हुई है। उसके बाद मंत्रिमंडल का बैठा रहना असंसदीय है।

श्री कृष्णानन्द राय--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है

श्री रामनारायण--

मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण करना चाहता हूं।

श्री कृष्णानन्द राय--

मेरा निवेदन है कि नियमावली के अनुसार जो प्रिसीडेंट्स होते हैं वह हम लोगों का ऐसा सौभाग्य या दुर्भाग्य है कि वह प्रिसीडेंट्स खत्म होते चले जा रहे हैं। एक प्रिविलेज का प्रश्न है, अध्यक्ष जी, यदि आप निर्णय दे देंगे, वह कौंसिल में पेश हुआ उसका क्या असर पड़ेगा, यहां पेश हो सकता है या नहीं बहुगुणा जी के प्रश्न पर आपने निर्णय दे दिया माननीय रामायण राय के प्रश्न पर निर्णय दे दिया जायगा तो हम लोगों का जो प्रिविलेज का प्रश्न हुआ है उस प्रश्न पर आपकी रूलिंग बाइंडिंग हो जायगी। तो आप प्रिविलेज के मामले को देख लें और सारी बातों को देख कर चाहे आज चाहे कल इस पर निर्णय दें।

श्री रामायण राय--

तो जल्दी-जल्दी निर्णय न दें पहले आप प्रीविलेज वाले मामले को देख लें।

श्री अध्यक्ष--

किसी मामले से इस मामले का विरोधाभास नहीं है। मैं यह समय पर लेता ही लेकिन उसके पहले कोई प्रश्न आ जाय तो उस पर मैं सदन के सामने चर्चा तो रोक नहीं सकता।

श्री नेकराम शर्मा--

श्रीमन्, आप इस बारे में संविधान का आर्टिकिल १९८ देखें 'ए मनी बिल शैल नाट बी इन्ट्रोड्यूस्ड इन लेजिस्लेटिव कौंसिल ।

आफटर ए मनी बिल हैज बीन पास्ड बाई दी लेजिस्लेटिव असेम्बली आफ ए स्टेट हैविंग ए लेजिस्लेटिव कौंसिल इट शैल बी ट्रांसमिटेड टू दी लेजिस्लेटिव कौंसिल--तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसके बाद एप्रोप्रिएशन बिल आता है इसलिये यह पावर जो दी गयी है.....

श्री अध्यक्ष--

आप यह मानकर क्यों चल रहे हैं कि यह मनी बिल है ।

श्री नेकराम शर्मा--

अगर आपने ओरिजिनेट इसको यहां पर नहीं किया और वहां पर पास हो जाय तो यहां पर ओरिजिनेट होना चाहिये। इसके बाद कौंसिल में साइमल्टेनियसली साथ-साथ जाता है।

(श्री हरीशकुमार गंगवार के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

मैंने अपनी व्यवस्था रिजर्व रखी है क्या आप उस पर ही कुछ कहना चाहते हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

जी हां ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है आप उस पर कह क्योंकि आप भी कानून के पंडित हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार--

यह बात कही गयी कि आर्टिकिल २०५ पर भी सब प्राविधान लागू होते हैं जो आर्टिकिल २०३ व २०४ में हैं इसमें मेरा निवेदन यह है कि २०३ कंसालिडेटेड फंड के बारे में है उनमें असेम्बली बहस नहीं कर सकती ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

यह प्वाइंट नेता सदन कह चुके हैं इसलिये कोई आपको नई बात कहनी हो तो आप कहिये ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

तो मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरा प्रश्न यह था कि एक बजट की कापी हमारे यहां बंटनी चाहिये अगर मेरे यहां बिना बंटे उसकी कापी दुनिया में कहीं भी बंटी हो तो वह लीकेज है और यदि लीकेज है तो वह सरकार नहीं रह सकती ।

श्री गंगाराम (जिला कानपुर)--

जो रूलिंग आपने रिजर्व रखी है उस पर मुझे कहना है। जो पोजीशन कामन हाउस में थी उसमें बजट हाउस में पेश हो सकता था या नहीं इसको आपको देखना है।

श्री अध्यक्ष--

कौंसिल में जो बजट प्रस्तुत हुआ उससे कहा जाता है कि लीकेज हो गया तो देखना है कि लीकेज हुआ या नहीं और उसका परिणाम क्या हुआ यह हम देखना है।

श्री गंगाराम--

जो बजट यहां पर पेश नहीं हुआ वहां पर पेश हुआ; तो हमें देखना यह है कि यहां पर क्यों नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष--

मैं तो इस नजीते पर पहुंच चुका हूं और अपनी व्यवस्था भी दे चुका हूं कि जो परिस्थितियां हाउस में थीं उनसे विवश होकर ऐसा हुआ। तो इसमें आप देखें कि फाल्ट किसकी है। मैं फंडामेंटल ला की बात आपके सामने रख रहा हूं। जिस पार्टी के फाल्ट के कारण ऐसा होता है वह उसका एडवांटेज नहीं उठा सकती। (कई सदस्यों के खड़े होने पर) माननीय मंत्री जी इधर खड़े हुए हैं और कई माननीय सदस्य खड़े हुए हैं। आप माननीय मंत्री जी, बैठ जायं, अगर कुछ कहना हो तो मुझे लिखकर भेज देंगे और मैं उस पर विचार कर लूंगा। माननीय बेचनराम जी, आप भी बैठ जाइये और आप भी अवश्य मुझे लिखकर भेज दें। मैं उसे देख लूंगा और विचार करके तब निर्णय दूंगा। सारे सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि यह खुली हुई बात है कि घंटे भर के अन्दर कोई लिखा हुआ प्रमाण इस विषय पर उनको मिल जाय तो मुझे पहुंचा दें।

प्रश्नों के गलत उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में खाद्य उप मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब मेरे सामने दो विशेषाधिकार के प्रश्न आये हैं। पहला तो माननीय इंद्रमणि जी का है। इसमें जो कल खाद्यमंत्री जी ने यहां उत्तर दिये थे उससे संबंधित है। यह बहुत विस्तृत सवाल है और इस पर जानकारी किये बिना विचार नहीं कर सकता। मैं माननीय खाद्य मंत्री जी के पास भेज रहा हूं और फिर इस पर विचार कर लेंगे।

अनुपूरक आय-व्ययक समय पर प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में वित्त मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

दूसरा माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने उपस्थित किया है, अभी सदन में जिसका जिक्र था। वह इस तरह से है कि "कल दिनांक १८-१२-६७ को सायंकाल ५ बजे का समय अनुपूरक अनुदान उपस्थित करने के लिये महामहिम राज्यपाल द्वारा निश्चित किया गया था। परन्तु विधान सभा में उसको उस समय पेश न करके उसकी कापियां विधान परिषद् में वितरित कर दी गयीं। यह कार्य स्पष्ट रूप से नियमों एवं संविधान का उल्लंघन एवं विधान सभा का अवमान है।

अतएव माननीय वित्त मंत्री इस अवमान एवं विशेषाधिकार के उल्लंघन के दोषी हैं।"

इस प्रश्न पर बहुत विस्तार से बातचीत हुई है। अगर माननीय कल्पनाथ सिंह जी कोई नयी बात कहना चाहें तो बहुत संक्षेप में कह लें और मैं इन दोनों पर ४ बजे शाम व्यवस्था दूंगा। प्रार्थना इतनी जरूर है कि जो बातें आ चुकी हैं उनकी पुनरावृत्ति न हो।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, अभी स्वयं मुख्य मंत्री जी ने कहा कि विधान परिषद् में एक व्यवस्था हो चुकी है कि बजट तो रख दिया गया है लेकिन लीकेज नहीं हुआ है। इससे यह साबित हुआ कि कल वहां उस हाउस में बजट की कापी रख दी गयी थी। सबसे पहले बजट की कापी इस

[श्री कल्पनाथ सिंह--]

हाउस में रखी जानी चाहिये थी क्योंकि इसी बजट के आधार पर विनियोग विधेयक आयेगा और वह उस हाउस में रखा नहीं जा सकता है इसलिये उसको सबसे पहले यहां रखा जाना चाहिये। इससे अवश्यमेव हमारे विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है। इसके अलावा माननीय त्रिपाठी जी ने जो बातें कहीं हैं वह तो हैं ही। आप इस विषय पर और माननीय सदस्यों को सुनने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

डेढ़ घंटे से तो इसी विषय पर बहस हो रही है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बात कह दी कि बजट में यह नहीं लिखा हुआ है कि वहां पहले हो या यहां पहले हो। माननीय मुख्य मंत्री जी या और बहुत से माननीय सदस्य ऐसे हैं जो बहुत पुराने हैं। मैं नहीं जानता कि इस प्रकार की कोई परम्परा कायम है कि पहले इस प्रकार से हुआ है या नहीं। बहुत सी बातें परम्परा पर चल रही हैं। अगर इस प्रकार की कोई मान्यता और परम्परा है तो ठीक है और अगर नहीं है तो उस पर गम्भीरता के साथ विचार होना चाहिये।

श्री बेचनराम (जिला मिर्जापुर)--

श्री अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रोसीजर में कुछ ऐसे नियम हैं जिनको आप अपने अधिकार से किसी वक्त भी ससपेंड कर सकते हैं।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--

व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह देख रहा हूं कि यहां पर सिंचाई मंत्री जी अपना दफ्तर खोले हुये हैं और सारे कागजात पढ़ रहे हैं। तो क्या यह सदन की अवहेलना नहीं है कि हम लोगों को न सुनकर वह अपनी फाइल में व्यस्त हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैं यह अपेक्षा करता हूं कि इसमें कुछ सन्तुलन बरता जाय। आज सिंचाई मंत्री जी के सब प्रश्न थे। इससे संबंधित सारे पत्र उनके पास होने चाहिये।

श्री बेचनराम (मिर्जापुर)--

संचालन नियमावली में कुछ ऐसे नियम हैं जिनको आप अपने विशेषाधिकार के द्वारा रोक सकते हैं और सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन मूल प्रश्न जो कल्पनाथ सिंह जी ने विशेषाधिकार का उठाया उसमें कुछ ऐसे कार्य हैं जिनमें हमारा सदन स्वतंत्र रूप से करने के लिए सक्षम है। वह नियम मैन्डेटरी हैं डाइरेक्टरी नहीं है। नियम १८३ में इन दोनों के संबंध में एक ही बात कही गई है। अगर यह डाइरेक्टली होता तो गवर्नर साहब की समय नियत करने की इच्छा पर रहता और इस विषय में कोई व्यवस्था हो सकती थी। इससे सदन की अवहेलना नहीं होती। लेकिन चूंकि यह नियम मैन्डेटरी है गवर्नर साहब के लिये जरूरी होगा कि वह समय नियत करें। जब तक गवर्नर साहब इसमें परिवर्तन नहीं करते हैं तब तक यह बजट यहां पर पेश नहीं हो सकता है। मेरा निवेदन यह है कि गवर्नर साहब ने जो समय नियत किया है वह मैन्डेटरी है। उसको वेव करने का किसी को अधिकार नहीं है। यह विषय ऐसा है कि अगर यह हमारी प्रोसीजरल कार्यवाही में खप सकता तो ठीक था लेकिन ऐसा नहीं है। यह ऐसा विषय है जो मेंडेटरी है। जब गवर्नर साहब के द्वारा समय नियत कर दिया गया है तो उसके द्वारा ही दूबारा समय नियत होना चाहिये।

श्री भैरव दत्त धूलिया द्वारा संविद छोड़ने की सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब मुझे एक सूचना देनी है और वह यह है कि: "माननीय अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश लखनऊ । महोदय, मैंने संलग्न व्यक्तव्य में दिये कारणों से संविद से अपना संबंध विच्छेद करने का निश्चय किया है । कृपया आप मेरे वक्तव्य को सदन में पढ़ देने की अनुकम्पा करें। साथ ही मेरा निवेदन है कि मेरे लिये आप निर्दलीय सदस्य के रूप में सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था कर दें। भवदीय, भैरवदत्त बलिया ।"

एक सदस्य---

कारण क्या है ?

श्री अध्यक्ष---

उनका जो वक्तव्य है वह अखबारों में आ चुका है और बहुत लम्बा है । मैं केवल इतना कह सकता हूं कि कारण है संविद की जो नीतियां हैं उससे उनको असंतोष है। मैं उसे पढ़ने नहीं जा रहा हूं। सारांश उसका है संविद की नीतियों से असंतोष (तालियां)---

श्री भैरवदत्त धूलिया (जिला गढ़वाल)---

अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपना स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

स्पष्टीकरण का अधिकार केवल उन मंत्रियों को है जो कैबिनेट से इस्तीफा देते हैं। सभी सदस्यों को नहीं है।

श्री भैरवदत्त धूलिया--

या तो मेरा वक्तव्य पढ़ दीजिये अन्यथा स्पष्टीकरण की इजाजत दीजिये।

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)---

एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी आप के मुखारविन्द से यह निकला कि केवल मंत्री यदि इस्तीफा दें तो उनको स्पष्टीकरण का अधिकार है। चौधरी साहब ने आपकी ही अध्यक्षता में एक स्टेटमेंट दिया था और वह सिर्फ यह था कि वह एक पार्टी छोड़ कर दूसरी में जा रहे हैं। इसलिये यह जो आप ने अभी व्यवस्था दे दी वह उसके विरुद्ध है जो आप ने पहले व्यवस्था दी थी। इसलिये मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप अपनी पहली सही परम्परा के अनुकूल जो व्यवस्था दी थी उसको कायम रखें और इस समय डेढ़ बजे भूख का समय है उस के कारण शायद जो आप के मुखारविन्द से व्यवस्था निकल गयी है उसे सही करके धूलिया जी को स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान करें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

मुझे भी सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष--

माननीय गौतम जी ने जो बात कही वह तो ठीक है, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि यह बात मुझ से न संयोग से निकली और न भूल से। यह आज ही नहीं निकली बल्कि इस पर पहले चर्चा भी हो चुकी है और इस पर मत भी व्यक्त हो चुके हैं और बड़े विस्तार से यह विचार व्यक्त

[श्री अध्यक्ष—]

किया था कि एक आदमी अगर किसी दल का परिवर्तन करता है तब मैं उस को स्पष्टीकरण का अवसर नहीं दूंगा। अगर कोई समूह सदस्यों का दल परिवर्तन करता है तो उसे समूह के नाते अवसर दूंगा और चौधरी चरण सिंह के पहले जब इस प्रकार के समूह विधान सभा में मत परिवर्तन किये हैं तो उन को अवसर दिये गये थे। उसी प्रकार चौधरी चरण सिंह को अवसर मिला और अगर ईश्वर न करे या ईश्वर करे कि ऐसे अवसर फिर आयें तो मैं फिर अवसर दूंगा।

श्री उग्रसेन—

मुझे आप ने वायदा किया था कि आप समय देंगे।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

मुझे एक निवेदन करना है और आप को यह स्मरण दिलाना है कि आप के इसी सदन में जो एक्साइज मिनिस्टर, श्री अख्तर अली साहब थे उन्होंने प्रेस में एक वक्तव्य दिया था और उसे पढ़ कर अध्यक्ष महोदय ने यहां सुनाया था। जब कि उन्होंने सदन में कोई बात नहीं कही थी बल्कि प्रेस कांफरेंस में वह बात कही थी। लेकिन उस पत्र को आप ने यहां पढ़ कर सुनाया। आज माननीय धूलिया जी यहां पर आग्रह कर रहे हैं। यदि वे आग्रह न करते तो कोई बात नहीं थी। आप वह वक्तव्य न पढ़ते, लेकिन यदि उनका आग्रह है तो आप को उसे पढ़ कर सुनाना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेकराम जी, आपने अपनी आपत्ति पर विचार नहीं किया। अख्तर अली साहब मिनिस्टर थे इसलिये वक्तव्य दे सके, धूलिया साहब अभी नहीं हो पाये हैं।

श्री उग्रसेन—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो व्यवस्था का प्रश्न रखा जा रहा है और हमारे नवल किशोर जी उठाने जा रहे हैं वह अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं और नेकराम जी ने जो कहा उस पर आप अपनी व्यवस्था दे चुके हैं। हमारे फरीदी साहब ने जो अपना बयान पढ़ा था तो वह ३–४ लोगों के बारे में था और वह दल के नेता की हैसियत से बोल रहे थे।

अध्यक्ष—

आपके बिना याद दिलाये हुए मुझे याद है।

श्री उग्रसेन—

मैं नेक राम जी को क्या कहूं। हमारे बहुगुणा जी से कहना चाहता हूं कि मंत्रिमंडल की सूची में वह आ गये हैं उनको चिन्ता नहीं होनी चाहिये।

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६७

शिक्षा उपमंत्री (श्री अनन्तराम जायसवाल)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६७ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा चाहता हूं।

श्री भैरवदत्त धूलिया (जिला गढ़वाल)—

श्रीमन, मुझे यह भी कहना है कि हमारा मत जो होगा वह विषय की गम्भीरता को देख कर होगा, यह भी मैंने उसमें कहा था।

श्री अध्यक्ष—

मैंने पढ़ दिया था। ठीक है, आपने स्पष्ट कर दिया।

प्रश्न यह है कि कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६७ को पुरः स्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६७ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'घ" आगे पृष्ठ ३३१ पर)

किंग जार्ज मेडिकल कालेज तथा गांधी मेमोरियल ऐंड एसोसियेटेड हास्पिटल्स विधेयक, १९६७

स्वास्थ्य मंत्री (श्री प्रताप सिंह)--

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से किंग जार्ज मेडिकल कालेज तथा गांधी मेमोरियल ऐंड एसोसियेटेड हास्पिटल्स विधेयक, १९६७ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा चाहता हूं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)--

मैं इसका विरोध करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की इस विधान सभा के इतिहास में जो विधेयक आज माननीय प्रतापसिंह जी के द्वारा पेश किया जा रहा है जिसकी वह आज्ञा चाहते हैं वह विधेयक मेरी नजर में विश्वविद्यालय के लिये और हमारी शिक्षा संस्थाओं के लिए एक काले विधेयक के रूप में हमेशा देखा जायगा ।

श्री रमाशंकर अग्रवाल (जिला आगरा)--

व्यवस्था का प्रश्न है । अनुज्ञा के प्रश्न पर नियमों में भाषण की व्यवस्था नहीं है । क्या इस पर भाषण दे सकते हैं? क्या आप भाषण की अनुमति दे रहे हैं ? जब इस पर विचार होगा तो भाषण दे सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य नियम भी पढ़ें और सदन में रहें भी । कल इस पर बात हुई और लम्बी बहस हुई, लम्बा वाद-विवाद हुआ । वह दे सकते हैं, अवश्य दे सकते हैं ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

श्रीमन, कोई संवैधानिक प्रश्न उपस्थित हो तो दिया जा सकता है । उसका कोई विरोध तो किया नहीं...

श्री अध्यक्ष--

नियम में 'संवैधानिक" से पहले और भी कुछ लिखा हुआ है, मैंने उस समय भी कह दिया था । नियम १२३ (२) इस प्रकार है--

"यदि ऐसे प्रस्ताव का विरोध किया जाय तो अध्यक्ष यदि वे ठीक समझें प्रस्ताव करने वाले सदस्य और प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य दिये जाने की अनुज्ञा देने के पश्चात् विना और वाद-विवाद के प्रश्न रख सकेंगे ।

परन्तु जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाय कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्र पात करता है जो सभा की विधायिनी क्षमता से परे है, तो अध्यक्ष उस पर पूर्ण रूपेण चर्चा की अनुज्ञा दे सकेंगे ।"

[श्री अध्यक्ष--]

तो इस पर मैंने माननीय बहुगुणा जी को बोलने की आज्ञा दी है। अगर वे उसका साधारण विरोध कर रहे हैं तो फिर उनके बाद माननीय मंत्री को ही अधिकार होगा बोलने का। उसके बाद मैं प्रश्न उपस्थित कर दूंगा। और अगर वे उसकी वैधानिकता पर कहेंगे तो फिर आगे मैं देखूंगा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

श्रीमन्, मैं इसका साधारण विरोध कर रहा हूं, वैधानिकता का प्रश्न इसमें नहीं है। सरकार इस विधेयक के द्वारा जो काम करने जा रही है वह क्या है? हमारे उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ विश्वविद्यालय है उसकी एक शाखा, जो लखनऊ मेडिकल कालेज है उसका नियन्त्रण उससे हटा कर सरकार अपने मातहत उसका एक डिपार्टमेंट बनाने की योजना का कुचक्र रच रही है और उसके ऊपर अपना कंट्रोल करने की चेष्टा कर रही है। मान्यवर, मुझे याद है कि माननीय प्रताप सिंह जी जब इधर बैठते थे बीच में १९६२-६७ में, तो वे यहां के सदस्य नहीं थ, लेकिन मैं उनको १९५७-६२ की याद दिलाता हूं कि वे अक्सर कहा करते थे कि यूनिवर्सिटीज के आटोनामी पर विश्वविद्यालयों के स्व पर किसी प्रकार तिल भर भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये, और यदि सरकार कोई ऐसा कार्य करती है तो वह अनैतिक कार्य है, अप्रजातांत्रिक कार्य है। इन शब्दों से चौधरी साहब चौंकते हैं, लेकिन मैं इन दोनों शब्दों "नैतिक और प्रजातांत्रिक" की बार बार रामना की तरह से उनको स्मरण दिलाना चाहता हूं क्योंकि उनके राज्य काल में इन दोनों शब्दों की हत्या हो रही है। मान्यवर, लखनऊ मेडिकल कालेज लखनऊ विश्व विद्यालय का हिस्सा रहा है और उससे उसको निकालने के लिये जो कारण बतलाये गये हैं कि यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ठीक और गलत काम किये गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में यहां बड़े बड़े कमीशन और कमेटीज ने जांच की और जब उसने अपनी कोई सिफारिश लागू करने की बात की तो यही माननीय प्रतापसिंह जी ने यहां कहा कि यूनिवर्सिटी की आटोनामी में हस्तक्षेप न किया जाय। जब कभी वाइस चांसलर के चयन के तरीकों के बदलने की बात आयी तो उनकी तरफ से यह कहा गया कि यह ठीक नहीं है यूनिवर्सिटी क काम में हमें जरा भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। लेकिन आज खुद ये ही क्या कर रहे हैं? अगर यूनिवर्सिटी में कोई गलत काम हुआ है तो उसके लिये सरकार के पास ऐक्ट मौजूद है। यूनिवर्सिटी ऐक्ट के मातहत चांसलर को पावर है, गवर्नर को पावर है कि वह उसकी जांच करावे और यदि उसके अन्दर कोई गलती या खराबी पायी जावे तो उसे मिटा दे, उसे हटा दे। तो ये जो सारे कार्यकलाप हैं, सिद्धान्त रूप से जो विश्वविद्यालयों की आटोनामी के समर्थक हैं उनके दृष्टि में यह निहायत अनुचित है कि सरकार इस तरह से मेडिकल कालेज के कार्यक्रम में हस्तक्षेप कर और उसके लिये बहाना गलत किया जाय। लोगों में चर्चा चलती है कि फिलहाल मेडिकल कालेज के लिये पैसे बढ़ाने की इनकी कोई योजना नहीं है, मेडिकल कालेज में कितना काम करना चाहिये उसकी तरफ कोई तवज्जह नहीं है, डाक्टरों का समय लिखापढ़ी के कामों में कितना जाता है कितना प्रशासन और मरीजों में जाता है इसको कैसे ठीक किया जाय, कालेज की कोई योजना नहीं है, उसका कंट्रोल कैसे मिल जाय सरकार शक्ति के पंजे के फैलाव में कैसे उसे पकड़ लिया जाय, असेम्बली का अधिकार कैसे कायम किया जाय यूनिवर्सिटी का अधिकार कैसे कम किया जाय यह सरकार केवल अधिकारों को कम करने की इसी चेष्टा में लगी है और इसके लिये कुचक्र रचे जा रहे हैं। यही अधिकार किसी भी देश के प्रजातंत्र की जान व शान हुआ करती है। विश्वविद्यालय के साथ साथ यह सरकार सदन के अधिकारों को भी कम करने का कुचक्र रच रही है जैसा कि कल ही देखने में आया और आज इस विधेयक द्वारा यह विश्वविद्यालय पर इसका पहला आक्रमण है। यह आक्रमण बरदाश्त नहीं होगा। यूनिवर्सिटीज की एग्जीक्यूटिव बाडीज ने इसका विरोध किया। डाक्टरों ने इसका विरोध किया है, अगर आप वहां की व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिये विधेयक लाये होते, नर्सों का वेतन बढ़ाने के लिये कोई व्यवस्था लाये होते, अस्पताल में शैय्याओं को बढ़ाने

को बात होती, वहां के कर्मचारियों को सुविधायें देने की बात होती, तो ऐसे विधेयक का स्वागत होता। मगर आप तो वहां के मैनेजमेंट पर, डाक्टरों की नियुक्ति एवं उनके ट्रान्सफर्स को अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। यह सदन उसका विरोध करेगा, इसे कतई स्वीकार नहीं कर सकता अगर यह सरकार जिसके दिन नपे तुले हैं इस विधेयक को पास कराने में सफल भी हो गयी तो वह एक काला धब्बा लेकर जायेगी और मैं समझता हूं यह सदन अपने ऊपर यह जिम्मेदारी नहीं लेगा और कोई ऐसी चीज पास नहीं करेगा जिससे यूनिवर्सिटीज की आटोनामी का हनन हो। आप कहेंगे कि कांग्रेस के जमाने में भी यह प्रस्ताव आया था और वे लोग तो इसे पास करने वाले थे. हम उनके ही काम को कर रहे हैं। यह सरकार हमारी ऐसी उत्तराधिकारी है कि हमारे नाम पर ही सब कुछ कर रही है। क्राइस्ट के बारे में एक कहावत है कि एक बार उन्होंने किसी गवाह से कहा कि वह उनका नाम व्यर्थ बार बार न लें। यह जो सरकार अवसरवादिता की सरकार है, यह कृपया हमारा नाम न ले। एक वक्त बोरकेसी ने यह सलाह दी थी कि ऐसा विधेयक लाया जाय, मगर कांग्रेस मंत्रि परिषद्, ने उसे स्वीकार नहीं किया। आज यह सरकार जो भ्रष्टाचार खत्म करने का बड़ा ढोल पीटती थी, यूनीवर्सिटी आटोनामी की बड़ी बात करती थी, ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ बोलती थी, आज उसी ब्यूरोक्रेसी के चंगुल में स्वयं फंस गयी है। माननीय मंत्री जी इस विधेयक को लाकर बड़ी गलती कर रहे हैं और अगर उनके विचार यूनीवर्सिटीज के बारे में पहले जैसे ही हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि वे इस पाप के काम को अपने हाथों में न लें। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करने की जो अनुज्ञा मांगी गयी है उसका विरोध करता हूं।

(कुछ माननीय सदस्यों के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष—

अगर कोई संवैधानिक आपत्ति होती तब तो मैं और माननीय सदस्यों को भी अवसर देता, मगर यहां साधारण विरोध हुआ है. इसलिये विरोधक के बोलने के पश्चात्, अब मैं माननीय मंत्री जी को अवसर दूंगा कि वे बोलें।

*श्री प्रतापसिंह—

अध्यक्ष महोदय मैं अपने मित्र और पुराने साथी बहुगुणा जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस बिल का साधारण ही विरोध किया, और कोई ऐसा टैक्नीकल डिफेक्ट नहीं बताया जिसके कारण यह विधेयक यहां प्रस्तुत न किया जा सके। जहां तक विश्वविद्यालय की सार्वभौमिकता का प्रश्न है, इस संबंध में मैं इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में से ही एक लाइन पढ़ना चाहता हू– ".... मेडिकल कालेज विश्वविद्यालय का "संघटक कालेज" बना रहेगा और वह विश्वविद्यालय तथा इंडियन मेडिकल कालेज के विनियमों के अधीन उसी सीमा तक रहेगा जैसा आज तक रहा है"..... जिस जमाने में माननीय गुप्ता जी विश्वविद्यालयों की आटोनामी का हनन करने का प्रयत्न कर रहे थे उस समय हम विद्यार्थी थे और हमने उस समय रचनात्मक आन्दोलन किया था आज की तरह से नहीं कि जो विद्यार्थियों को भड़का कर पोस्ट-आफिस जलवा दिया....

(इस समय १ बजकर ५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र पीठासीन हुए।)

हमने एक महीने तक विश्वविद्यालय का आन्दोलन चलाया और उसमें हमने विजय प्राप्त की। मैं उस जमाने में आटोनामी की बात करता था और आज भी करता हूं। इस बिल में ब्यूरोक्रेसी की कोई राय नहीं है। मैंने इस विचार को शुरू किया था। हमारा उद्देश्य यह है कि सारे प्रदेश के मेडिकल कालेजों को इस आइडियल कालेज से लाभ प्राप्त हो। दूसरे हम इस कालेज का विकास चाहते हैं। इसमें हम पोस्ट-ग्रेजुएट और रिसर्च का सेन्टर बनाना चाहते हैं। चंडीगढ़ में मैंने देखा था और जैसा दिल्ली में मेडिकल संस्था है वैसा हम इसे बनाना चाहते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रतापसिंह—]

इसके साथ ४ ५ जो दूसरे कालेज हैं उनका क्या स्वरूप होगा उसे मैं सदन के सामने रखूंगा। मेडिकल कालज के बारे में विश्वविद्यालय का फाइनल से रहेगा जैसा अब तक है और इंडियन मेडिकल काउंसिल इसकी सुपरवाइजरी बाडी होती है, सरकार नहीं। इंडियन मेडिकल कौंसिल के इंसपेक्टर इसका निरीक्षण करते हैं, हम नहीं करते हैं। जितनी ग्रांट इस कालेज को दी जाती थी उसके लिये हमसे दोनों अ र के दोस्तों ने कहा कि इसे मत रिलीज करो, लेकिन हमने कहा कि नहीं, इसमें हमारे बच्चे पढ़ते हैं ग्रान्ट जानी चाहिये। हमने कहा कि रिलीज करना हमारा फर्ज है। मेडिकल कालेज की उन्नति के लिये जो भी सुझाव आवेंगे मैं उनका स्वागत करूंगा।

इस प्रि-मेडिकल टैस्ट में, मैं उस विश्वविद्यालय का नाम नहीं लूंगा बजाय इंटर के बी० एस० सी० के स्टैंडर्ड के पर्चे रख दिये जिसका नतीजा यह हुआ कि ६,००० बच्चों को फिर से परीक्षा देनी पड़ी। जब हमने यूनिवर्सिटी वालों से बात की तो उन्होंने आटोनामी की बात की। बड़ी मुश्किल से उस पर्च को बदलवाया। हम विश्वविद्यालय की आटोनामी पर हमला नहीं कर रहे हैं। विद्यार्थियों को और प्रोफेसरों को जो सुविधायें मिलती थीं वे अब भी मिलेंगी। इसका प्रबन्ध हम ठीक करना चाहते हैं ताकि जो लेजर पैंसिल से लिखे हुए हैं और जिन पर किसी के हस्ताक्षर तक नहीं हैं वे ठीक हो जावें। उनमें घाटा है उसे ठीक करना चाहते हैं। हम उसके लिये खर्चा देते हैं तो हमें उसके इन्तजाम को भी देखना होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुगुणा जी भी चाहेंगे कि जहां हम जनता का पैसा देते हैं वहां गड़बड़ी न हो।

२० वर्ष तक यह कालेज कांग्रेस सरकार के पास रहा लेकिन उसने कोई ऐसे नियम नहीं बनाये जिससे डाक्टरों को शिक्षकों को, सन्तोष हो। हमने रूल्स बना दिये हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन से वे एप्रूव भी हो गये हैं। हम रूल्स के खिलाफ काम नहीं करना चाहते हैं और अगर करेंगे तो कोई भी डाक्टर आवेदन पत्र दे सकता है। अभी तक प्रदेश के एक महापुरुष इसके मंत्री रहे और उन्होंने जिसे भी चाहा उसे आगे कर दिया और जिसे नहीं चाहा उसे पीछे कर दिया। एसा हमने नहीं किया। हमने डाक्टरों से कहा कि तुम्हारी सीनियरीटी के रूल्स से प्रोमोशन होगा और अगर कोई असन्तुष्ट है तो वह हमें बता सकता है। हम यह नहीं देखते हैं कि कौन डाक्टर किस बंगले से बाहर निकलता है। हमने कह दिया है कि जो डाक्टर हमारे बंगले के ज्यादा चक्कर लगावेगा उसका नम्बर २ होगा और जो डाक्टर अस्पताल में ज्यादा काम करेगा उसका नम्बर १ होगा।

इन शब्दों के साथ मैं बहुगुणा जी से और सदन से प्रार्थना करता हूं कि इस बिल को चलने दें। डेमोक्रेसी इज नाट बाई मेंजारीटी, डमोक्रेसी इज बाई डिसकशन। अगर आप अच्छे संशोधन लावेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। यह कोई स्टेज नहीं है कि बिल को आने ही न दिया जाय। राजनीतिक दायरे से बाहर होकर इस पर सोचना होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज तथा गांधी मैमोरियल ऐन्ड एसोसियेटेड हास्पिटल्स विधेयक, १९६७ को पुरः स्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रतापसिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से किंग जार्ज मेडिकल कालेज तथा गांधी मेमोरियल ऐन्ड एसोसियेटेड हास्पिटल्स विधेयक, १९६७, को पुरः स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ ३७६–३८१ पर)।

श्रम मंत्री, श्री प्रभु नारायण सिंह तथा वित्त मंत्री, श्री रामस्वरूप वर्मा द्वारा दिल्ली में धारा १४४ का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में नियम १०४ के अंतर्गत प्रस्ताव

श्री चन्द्रभानु गुप्त (जिला अल्मोड़ा)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव मैं सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं, वह इस प्रकार है। सदन को खेद है कि उत्तर प्रदेशीय सरकार के मंत्रि-मंडल के दो माननीय सदस्यों, श्रम मंत्री श्री प्रभुनारायणसिंह एवं वित्त मंत्री श्री रामस्वरूप वर्मा, ने पूर्व घोषणा कर मंत्री रहते हुए दिनांक १२ दिसम्बर १९६७ को दिल्ली जाकर शान्ति एवं व्यवस्था के लिये वहां लगी धारा १४४ का उल्लंघन कर संविधान और विधि की मर्यादा को अपूर्व क्षति पहुंचाई और स्वच्छा से अपने विरुद्ध न्याय-दन्ड का आह्वान किया। उक्त कार्य से जनतंत्र के मूल सिद्धांतों को भारी चोट पहुंची और जन-साधारण की आस्था जनतंत्र में ही डिग गई।

सदन को यह भी खेद है कि इस प्रकार संवैधानिक निष्ठा एवं मर्यादा तथा जनतांत्रिक लोक व्यवहार की राजकीय एवं शासकीय परम्पराओं एवं मान्यताओं के उल्लंघन के बाद भी उक्त दोनों मंत्री प्रदेशीय सरकार में बने हुए हैं।

उपाध्यक्ष जी, जो प्रस्ताव मैंने सदन के सामने प्रस्तुत किया है वह एक महत्व का प्रस्ताव है इसलिये कि यह सदन परम्पराओं को बनाता है, परम्पराओं का अनुसरण कराता है, गणतंत्र की रक्षा के लिये तथा संविधान की रक्षा के लिये सदा इस बात की चेष्टा करता है कि वह संविधान के तहत में सारा कार्य करे। इसलिये करे कि हमने गणतंत्र की शासन की पद्धति रजामन्दी से स्वीकार की है और इसलिये स्वीकार किया है कि वही पद्धति और सारे देशों की पद्धतियों से उत्तम पद्धति है और उसी पद्धति के अनुसरण से मानव अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है और अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकता है। इसलिये जो संविधान हमने अपने देश में बनाया है उसके अन्तर्गत, विधान के अन्तर्गत रते हुए सब को अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया है और देश के प्रत्येक नागरिक से यह आशा की जाती है कि वह विधान की धाराओं के अनुकूल कार्य करगा। और विधान को किसी स्थिति पर अश्रद्धा का पात्र बनने न देगा। यदि नागरिक विधान के प्रति और संविधान के प्रति अश्रद्धा प्रकट करेंगे तो नागरिक जीवन हमारे बीच में दूभर हो जायगा और जनतंत्र को वह मजबूती प्रदान नहीं कर सकेगा जिसकी ख्वाहिश प्रत्येक गणतन्त्र में विश्वास करने की होती है। मुझे यह भली भांति विदित है कि केन्द्रीय सरकार ने जो भाषा संशोधन विधेयक पार्लियामेंट में विचार के लिये प्रस्तुत किया था उस के विषय में देश के बहुत से नागरिकों के हृदयों में आशंकायें हैं जो कि हिन्दी भाषा को जल्दी से जल्दी प्रत्येक क्षेत्र में राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते हैं। मैं उन व्यक्तियों में से हूं जिनकी यह अभिलाषा है कि हिन्दी हमारे देश में हर स्थान पर राष्ट्र भाषा का रूप ले ले और देश में जहां-जहां अंग्रेजी में कार्य संचालन होता है उसके स्थान पर हिन्दी में कार्य संचालन होने लगे। मैं इस बात का समर्थक रहा हूं। आज भी उन व्यक्तियों में से हूं जो यह समझते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी भावना इस प्रकार की है जो मुझसे अधिक भावुक हैं और अपनी भावुकता का परिचय आवेश में आकर कभी कभी इस प्रकार दे डालते हैं जो भविष्य के लिये एक खतरनाक चीज हो जाती है, जो दूरदर्शिता के नाते गणतंत्र के विश्वासों को फैलाने के लिये हानिकारक हो सकती है। नागरिकों में अपने विश्वासों और आस्था को जाग्रत करने के लिये उन्हें मजबूती देने के लिये कभी-कभी ऐसे काम कर डालते हैं जो कि विधान का उल्लंघन करने वाले कार्य होते हैं और ऐसा करके वह जो सजा विधान के उल्लंघन की होती है उसको अपने ऊपर ओढ़ते हैं। परन्तु यह कभी नहीं देखा कि जो विधान के संरक्षक हों जो कि विधान की उन परिपाटियों और परम्पराओं के अनुरूप दूसरों को चलाना चाहते हों जिनके द्वारा विधान शक्ति पाता हो वे ही स्वतः कानून को भंग करने वाले व्यक्ति के रूप में हमारी नजरों के सामने

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

आयें। जो मंत्री शपथ लेता है कि वह विधान की रक्षा करेगा, वह विधान के आदर्शों का पालन करेगा यदि वही मंत्री जनता के बीच में जाकर घोषणा कर के संविधान तथा विधि के विपरीत काम करता है तो वह जनता के समक्ष एक एसा दाहरण पेश करता है जिस से कि ऐसे तत्व अधिक मात्रा में और अधिक संख्या में उभर सकते हैं जो कि अनुशासन को खत्म करवा सकते हैं, जो अनुशासनहीनता हमारे बीच में फैला सकते हैं और जो हमारे बीच में ऐसे नय नागरिक को पैदा नहीं होने देना चाहते जिनका उत्पन्न करना हर उस आज के नागरिक का जो कि उत्तर-दायित्वपूर्ण पदों पर बैठा है, महान् कर्तव्य है। हममें से ऐसे बहुत से व्यक्ति जिन्होंने कि देश के विभिन्न राजनैतिक आन्दोलनों में भाग लिया है और वर्षों पहले से हिस्सा लिया है अपने को गुलामी क चंगुल से छुड़ाने के लिये और समाज में नवीन परिस्थितियां पैदा करने के लिये और नवीन परिस्थितियों को लाने के लिये उस समय के कानून का उल्लंघन किया है। परन्तु यह सब कार्य हमने तब किया जब हम स्वतंत्र नहीं थे। देश में उस से ऐसी परिस्थितियां और वातावरण बना और उससे गुलामी से छुटकारा पाने के लिये देश को एक शक्ति मिली जिससे कि हम अपने को गुलामी के चंगुल से छुड़वा सके। लेकिन आज तो गुलामी के चंगुल से छुड़ान का कोई विषय हमारे सामने नहीं है। आज हम स्वतन्त्र हैं जनता के चुने हुये प्रतिनिधियों ने समझ-बूझकर, सोच-विचार करके, विचार-विनिमय कर के एक विधान का निर्माण किया है और उन कारणों से किया जिनका निवेचन मैंने प्रारम्भ में अभी किया है। तो क्या आज यह उचित होगा कि हम अपने ही कानून का उल्लंघन करें? क्या यह उन व्यक्तियों के लिये शोभा की बात होगी और दूसरों के लिये उत्साह पैदा करने वाली बात होगी कि वे ही स्वयं उन विधियों का और कानूनों का उल्लंघन करें? मैं ऐसा समझता हूं कि जो लोग आज उत्तरदायित्वपूर्ण स्थानों पर बैठे हैं यदि वही कानून का उल्लंघन करते हैं, ला एन्ड आर्डर की व्यवस्था को जा कर तोड़ते हैं, तो वह ऐसे तत्वों को हमारे बीच में उभारते और जागृत करते हैं जिनको कानून की रक्षा के लिये हमें दबाना है। मेरा नम्र निवेदन उपाध्यक्ष जी, आप के द्वारा सदन के समक्ष है कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह इधर का बैठने वाला हो या उधर का बैठने वाला हो, चाहे वह किसी भी दल से सम्बन्धित हो, इस गम्भीर प्रश्न पर निष्पक्षता के साथ विचार करना है और निष्पक्षता से विचार करके ऐसी प्रवृत्तियों को अपने बीच में नहीं फैलने देना है, जो हमारे बीच में अराजकता लावें या हमारे बीच में कानून भंग करने की दिशा में लोगों का अधिक ध्यान खींचे। यदि कोई महत्वपूर्ण जगह पर बैठा हुआ व्यक्ति जान बूझकर ऐसा कार्य करता है कि जिससे गलत तत्वों को प्रोत्साहन मिलता है तो वह देश के नौजवानों को गुमराह करता है, वह उन्हें ऐसे गलत रास्ते पकड़ने की दिशा में ले जाता है जिस गलत रास्ते से हमें कल के समाज को बनाने के लिये, नवयुवकों को दूर रखना है। माननीय प्रभुनारायण सिंह और माननीय राम स्वरूप वर्मा जी ने दिल्ली में घोषणा करके जिस प्रकार से दफा १४४ को तोड़ा वह गणतंत्र के इतिहास में एक अनोखी घटना है। वे उस विधेयक के प्रति, जो कि केन्द्रीय सरकार ने लोक सभा के विचारार्थ प्रस्तुत किया था अपना रोष प्रकट करना चाहते थे। उनकी भावनाओं के अनुसार उनको इस विधेयक से काफी धक्का लगा था। उनका यह भी कहना था कि यह जो विधेयक था वह हमारे संविधान के अनुरूप नहीं था, परन्तु ऐसे व्यक्ति जिन्हें सब परिस्थितियां मालूम हैं जिन्हें देश के हालात से भली भांति जानकारी है, यदि वे इन परिस्थितियों को देखते हुए कोई ऐसा कदम अपना रोष प्रकट करने के लिये उठाते हैं जो देश की एकता को ही भंग करता हो तो यह बात उन व्यक्तियों द्वारा समझी जा सकती है। कौन नहीं जानता है कि हमारी कमजोरियों के कारण, जिनमें केन्द्रीय सरकार की कमजोरियां भी हैं और प्रदेशीय सरकारों की कमियां भी शामिल हैं, इन १७ वर्षों के अन्दर हम हिन्दी की वह सेवा नहीं कर सकें जैसी कि हमें करनी चाहिये थी। दक्षिण के प्रदेशों में हम लोगों को उस दिशा में नहीं खींच सके जिसमें हमें खींचना चाहिये था और हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाकर अंग्रेजी को जो स्थान प्राप्त था उसे अपने बीच से हटाते। जो परिस्थितियां २–३ वर्ष पहले दक्षिण में उत्पन्न हुयीं उनका तकाजा है कि दक्षिण के निवासियों और नवयुवकों को किसी प्रकार इस प्रकार का आश्वासन हो कि उनके ऊपर हिन्दी नहीं थोपी

जायगी और वे अंग्रेजी के माध्यम से जब तक वे हिन्दी के माध्यम से कार्य करने में हिन्दी न सीख लें, कार्य करने की सहूलियत पा सकेंगे। केन्द्रीय सरकार ने इन परिस्थितियों का अध्ययन करके और उन आश्वासनों का अध्ययन करके जो उस समय के तत्कालीन प्रधान मंत्री ने दक्षिण के निवासियों को दिये थे एक विधेयक बनाया। मैं उन व्यक्तियों में से रहा हूं कि जो विधेयक की बहुत सी धाराओं से सहमत नहीं थे। यद्यपि हमारा मत था कि परिस्थितियों को देखते हुये हमें किसी प्रकार से दक्षिण के निवासियों को आश्वासन देना चाहिये, हमने और हमारे बहुत से साथियों ने जो कि लोक सभा के सदस्य हैं, काउन्सिल आफ स्टेट्स के सदस्य हैं उन्होंने उस विषय में उन धाराओं का विरोध भी किया, सुझाव भी अपने रखे, स्वतः हमारे दल ने भी कुछ सुझाव रखे उन्हें केन्द्र में अपने दल के पास भिजवाया, उन प्रतिनिधियों के पास भिजवाया जिनके द्वारा हम विधेयक में परिवर्तन चाहते थे। हमें प्रसन्नता है कि कई संशोधन हमारे प्रतिनिधियों की सिफारिश पर तथा स्वतः हमारे दल की सिफारिश पर बदले गये। अभी भी कुछ और ऐसी बातें हैं जिन्हें हम तबदील होते हुये देखना चाहते थे। दुर्भाग्य से सब धारायें जिन में हम परिवर्तन चाहते थे हमारे विचारों के अनुकूल नहीं बदली गयीं। परन्तु हमने एक तरीका बरता और वह तरीका एक कांस्टीट्यूशनल तरीका था अपने विरोध का। यह कार्यवाही हमने कानून के ढंग से की क्योंकि वही ढंग तो है कानून का जो हमें अधिकार देता है, कांस्टीट्यूशनल ढंग से कार्य करने का।

यदि कोई मंत्री समझता है कि उस ढंग से परे कोई कार्य करना है तो फिर ऐसे व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वह अपने पद का त्याग करे और जैसे और नागरिक अपने रोष को चाहे वह उस का ढंग गलत हो, रोष प्रकट करने का कानून न हो, प्रकट करने की चेष्टा करता है तो करे। परन्तु एक व्यक्ति अपने पद पर रहते हुये यह नारा बुलन्द करे कि वह सत्याग्रह करना चाहता है और सत्याग्रह इसलिये करना चाहता है कि वह अपना रोष और अपनी आवाज उन तक पहुंचाना चाहता है जो विधेयक को पास करना चाहते हैं, मेरा नम्र निवेदन है कि ऐसा व्यक्ति अनुचित कार्य करता है और उस की अनधिकार चेष्टा है पद पर रहते हुये संविधान की धाराओं के विरुद्ध कार्य करने की विविध की धाराओं के विरुद्ध कार्य करने की। इसलिये इस सदन का कर्तव्य है कि वह इन गम्भीर विषयों पर विचार करे और यदि वह मुझसे सहमत है कि जो तरीका मैंने अभी रोष प्रकट करने के विषय में प्रस्तुत किया है वह सही है तो फिर यह सदन उस प्रस्ताव को, मैंने जिसे सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया है, स्वीकार करे। ऐसा करना इसलिये आवश्यकीय है कि आगे जो कोई मंत्री आयें और मंत्री आयेंगे जायेंगे, दल आयेंगे जायेंगे, कोई भी मंत्री किसी दल का क्यों न हो ऐसी कार्यवाही करने की इजाजत न पा सकेगा जो सदन की तथा संविधान की गरिमा को धक्का लगाये। यह दुर्भाग्य की बात है कि इन मंत्रियों ने मुख्य मंत्री जी का नाम इस्तेमाल किया। यह बात तो वह कह सकते थे कि हमारी सरकार इस विधेयक की विरोधी है इन्हें अधिकार था क्योंकि सरकार ने विरोध भी किया था। तो वह कार्य जो कराना चाहते थे वह कार्य तो इस सदन के द्वारा ज्यादा सुगमता से और ज्यादा दूरदर्शिता के साथ पूरा किया जा सकता था। माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करते कि वह इस विधान सभा को जल्द से जल्द बुलायें। क्योंकि जहां तक हिन्दी को राष्ट्रभाषा जल्द से जल्द बनाने का विषय है उसमें कोई दो मत नहीं हैं। उधर और इधर के बैठने वाले लोगों में कोई विरोध नहीं है। चौधरी साहब जो २० साल तक मंत्री रहे उनका कसूर है। कमलापति जी का कसूर है और जो सदस्य जमाने से इस सदन में चले आ रहे हैं उ ा कसूर है कि वे हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाने में वह तेजी न दिखा सके जो उनको दिखाना आवश्यक था औ हिन्दी में प्रदेश के सारे कार्य नहीं कर सके जिनको करना नितान्त आवश्यकीय था। मैंने १९६२ में केन्द्रीय सरकार से मिल कर कुछ ऐसे फैसले कराये थे कि हिन्दी के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिये हमें प्रदेश में विभिन्न विषयों की टेक्स्ट बुक्स तैयार करानी चाहिये। केन्द्रीय सरकार ने रजामन्दी दी थी कि इस कार्य के करने में केन्द्रीय सरकार आधा खर्चा देगी और आधा खर्चा प्रदेशीय सरकार देगी। कबीर साहब एजूकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने खुद बुला कर यह

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

दावत दी कि हम कुछ विषयों के अध्यापकों को छांट लें जो उनमें रुचि रखते हैं टेक्स्ट बुक्स तैयार करने के लिये और यह प्रयत्न किया जाय कि जल्दी से जल्दी विज्ञान के विषयों क संबंध म टक्स्ट बुक्स उनक द्वारा तैयार करावें। दुर्भाग्य से यह कार्य पिछली सरकार नहीं कर सकी जो कि उसे करना चाहिये था जबकि और प्रदेशों की सरकार के सामने यह सबक हमें प्रस्तुत करना चाहिये था। केवल नारों से हिन्दी राष्ट्र भाषा का रूप ग्रहण नहीं कर सकती। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि विद्वान लोगों से हिन्दी में पुस्तकें तैयार कराई जावें और लोगों को वह मसाला दिया जाय जिससे वे हिन्दी म ज्ञान प्राप्त कर सकें और अपने को उसी प्रकार उपयोगी नागरिक बना सकें जिस प्रकार के नागरिक की आज के युग में देश को उठाने के लिये नितांत आवश्यकता है। वह कार्य आग बढ़ना चाहिये और इस प्रदश की सरकार को उस कार्य की जिम्मेदारी लनी चाहिय क्योंकि यह प्रदेश सब स बड़ा प्रदेश है और हिन्दी भाषा-भाषी लोग अधिक संख्या म इस प्रदेश में रह रहे हैं। वह बात तो मैं समझ सकता हूं, परन्तु यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि इस सरकार के मंत्रीगण केवल केन्द्रीय सरकार के प्रति रोष प्रकट करने के लिये वह कार्यवाहियां करें जिससे देश में ला ऐंड आर्डर की व्यवस्था बिगड़े और लोगों के हृदय में गणतन्त्र के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हो। मैं और अधिक न कहते हुये इसलिये सदन से निवेदन किया चाहता हूं कि बिना दल की बात को सामने रखते हुये जो प्रश्न मैंने उठाया है, मेरा विरोध किसी दल के प्रति है उस कारण से नहीं उठाया ह, म प्रभुनारायण जी और रामस्वरूप जी में, उनके कार्य करने की क्षमता में, बहुत से गुण देखता हूं, लेकिन यह बात जो उन्होंने की है वह मुझे खटकती है और मेरे ऐसे व्यक्तियों की खटकेगी। हम जो कि उस पीढ़ी से संबंध रखते हैं जो अब थोड़े दिनों में जाने वाली है, काफी मात्रा में चले भी गये, आज मेरी पीढ़ी के लोगों का यह कर्तव्य है कि वे उन साथियों क समक्ष ऐसे उदाहरण रखें जिससे कि जो कल सारी जिम्मेदारियां अपने कन्धों पर ओढ़ने वाले हैं वे एसे रास्ते न पकड़ें जो रास्ते देश की प्रगति में घातक सिद्ध हों और अधिक मात्रा मे देश के लोगों में गणतन्त्र के लिये अश्रद्धा पैदा करने वाले हों। मैं और अधिक न कहते हुये इस प्रस्ताव को सदन के निष्पक्ष विचार के लिये प्रस्तुत करता हूं और इस आशा और विश्वास से कि सदन का प्रत्येक सदस्य मान्यताओं की रक्षा के लिये कानून के भंग करने वालों को सही मार्ग प्रदर्शित करेगा।

*शिक्षा उपमंत्री (श्री अनन्तराम जायसवाल)—

मान्यवर, केन्द्रीय सरकार ने इस भाषा विधेयक में जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसके रूप में जो राष्ट्रघात और जन द्रोह प्रकट किया उसी के विरुद्ध आदरणीय प्रभुनारायण जी और रामस्वरूप जी ने १२ दिसम्बर को दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रतिरोध किया या सिविल नाफरमानी की। उनके इस व्यवहार को लेकर यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और इस सदन से चाहा गया है कि वह खेद प्रकट करे उनके इस व्यवहार पर। साथ ही यह भी जाहिर करे कि उसे खेद है कि वह मंत्रिमंडल में इस वक्त तक क्यों हैं। मैं माननीय गुप्ता जी से और उनके साथियों और अनुचरों से निवेदन के साथ कहना चाहूंगा.....

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—

यह अनुचर क्या शब्द है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

फालोअर। (व्यवधान) मैं यह कहना चाहूंगा कि इस वक्त कानून को कौन तोड़ रहा है ? दिल्ली सरकार तोड़ रही है या इन लोगों ने तोड़ा है। और इस संदर्भ में मैं संविधान की कुछ धाराओं को यहां पर पेश करना चाहूंगा। अनुच्छेद ३४३ में यह साफ तौर से दिया हुआ है कि भारतीय संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिन्दी होगी। साथ ही साथ उसमें यह भी कहा गया है कि संविधान के लागू होने के १५ वर्षों के बाद तक अंग्रेजी उन सभी सरकारी कामकाजों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में जिसमें उसका उस वक्त तक इस्तेमाल होता रहा है आगे भी होता रहेगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहें तो अपने आदेश के द्वारा अंग्रेजी के साथ हिन्दी का चलन भी कर सकेंगे। इसका तीसरा अंश है कि १५ साल के बाद भी कानून बनाकर कुछ विशिष्ट कामों में अंग्रजी का इस्तेमाल चलाया जा सकेगा। फिर अनुच्छेद ३४४ में कहा गया है कि राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे जिसका कार्य होगा कि वह सिफारिश करे कि भारतीय सघ के राजकाज में हिन्दी का उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग किस प्रकार बढ़े और अंग्रेजी पर रोक कैसे लगाई जाय। इसके बाद ३४५ में हर राज्य को छूट दी गई है कि वह कानून बनाकर अपने इलाके की जुबान या हिन्दी को राजकाज की भाषा बनायेगा। इसके बाद ३४६, ३४७ तथा ३४८ में हमारा दूसरे राज्यों के साथ तथा केन्द्र के साथ पत्राचार किस भाषा में होगा, हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में किस भाषा में कार्यवाही होगी तथा हमारे ऐक्ट और बिल किस भाषा में होंगे वगैरा वगैरा। फिर ३५१ में यह प्राविधान किया गया है कि भारत सरकार का कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी के विकास और शब्द भंडार को बढ़ाने के लिये कार्यवाही करे।

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारे प्राविधानों पर आप गौर करें तो उनसे एकमात्र यही ध्वनि निकलती है, यही दिशा मिलती है कि हिन्दुस्तान के राजकाज की भाषा हिन्दी है और साथ ही साथ १५ साल में संविधान के लागू होने के बाद सरकार की कार्यवाही इस तरह से चलाई जायगी कि अंग्रेजी धीरे-धीरे हट जाये और उसकी जगह हिन्दी ले ले।

कुछ लोग ३४३ (३) का हवाला देंगे कि उसमें व्यवस्था की गई है कि १५ साल के बाद भी हम कानून बनाकर अंग्रेजी का इस्तेमाल कुछ प्रयोजनों में कर सकते हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि हमारे संविधान के रचयिता मूर्ख नहीं थे। वे अच्छी तरह से जानते थे कि हो सकता है कि १५ साल के बाद भी ऐसी नौबत रह जाय कि जिसमें अंग्रेजी का इस्तेमाल जरूरी पड़ जाय। इसलिये इस गुंजायश को ध्यान में रख कर यह प्राविधान जोड़ दिया कि एक आध विशिष्ट विषयों में अग्रजी का इस्तेमाल किया जा सकेगा अन्यथा नहीं। यदि २६ जनवरी, १९६५ के बाद भी सभी कामों में अंग्रेजी के इस्तेमाल की बात होती तो वही शब्द इस्तेमाल करते जो पहले किये गये हैं कि उन तमाम कामों में जिनमें अंग्रेजी का इस्तेमाल होता रहता है आगे भी होगा। लकिन शब्दावली यह नहीं है बल्कि यह है कि कुछ विशिष्ट कामों में कानून बनाकर अंग्रजी का इस्तेमाल किया जायेगा। गांधी जी के साथ भाग्य ने दो परिहास किये। एक तो यह कि वे अहिन्सा के पुजारी थे और शिकार हुए हिन्सा के और दूसरा यह कि उनके समान दृढ़ संकल्पी युग युग में नहीं हुआ और वे दूसरे देशों के लिये मिसाल बन गये हैं। लेकिन उनके अनुयायी निकले संकल्प-विहीन। घोषणा तो कर देते हैं लेकिन संकल्प नहीं है और दृढ़ता की कमी है जिसकी वजह से उन्होंने अमल नहीं किया जो संविधान में किया गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने संकल्प विहीनता का परिचय दिया और १५ साल के बाद भी वह कार्यवाही उन्होंने नहीं की जिससे अंग्रेजी हट जाये और हिन्दी आ जाय। खाली इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने संविधान की मंशा को तोड़ा और उसकी आत्मा का हनन किया और उसके विपरीत अंग्रेजी भाषा विधेयक को १० मई, १९६३ को पेश किया, यदि मैं भूल नहीं करता। उस दिन मेरठ में अंग्रेजों के खिलाफ फौजियों ने विद्रोह किया था। उस पवित्र दिन को कानून लाया गया था। उसमें क्या व्यवस्था कर दी गयी? १५ साल के बाद भी हिन्दी के साथ अंग्रेजी का इस्तेमाल चलता रहेगा। एक तरफ संविधान में यह व्यवस्था की गयी है कि हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा है और पन्द्रह साल में भारत सरकार की ऐसी कार्यवाही होगी कि धीरे धीरे अंग्रेजी को हटा कर हिन्दी आ जाय। उसके बाद इस तरह का कानून आता है। मैं सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या यह कानून परस्पर विरोधी नहीं है? अगर परस्पर विरोधी है तो क्या वह अवैध नहीं है? अब जो कानून पेश किया गया उस पर गौर करें। उसमें उस चीज को दोहराया गया है जो १९६३ के कानून में थी। उसके आगे और इजाफा किया गया कि भारत सरकार के वे मंत्रालय, विभाग और कार्यालय जिनमें हिन्दी

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

का इस्तेमाल होता रहा है अब के बाद यानी इस कानून के बन जाने के बाद हिन्दी के बजाय अंग्रेजी का इस्तेमाल एक मंत्रालय, विभाग या कार्यालय और दूसरे मंत्रालय, विभाग या कार्यालय के बीच जो संचार चलेगा वह अंग्रेजी में चलेगा ।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या विषयान्तर भाषण नहीं हो रहा है ? यह तो सभी जानते ह कि केन्द्रीय सरकार ने गलत काम किया ।

श्री उपाध्यक्ष--

वह नहीं बैठ रहे हैं । आप बैठ जाइये ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

उसमें व्यवस्था की गयी है कि हिन्दी के बजाय अंग्रेजी का इस्तेमाल होता रहे उस वक्त तक जब तक दोनों मंत्रालयों, विभागों या कार्यालयों या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व अथवा नियन्त्रण में चलने वाले कम्पनियों में काम करने वाले कर्मचारी या अधिकारी हिन्दी नहीं सीख जाते हैं । उसके साथ उसमें एक विधि अंग्रजी को हटाने की दी गयी है । उसमें यह कहा गया है कि अंग्रेजी तबतक रहेगी जब तक सब की सब विधान सभायें प्रस्ताव द्वारा पारित न करें कि वह अंग्रेजी को समाप्त करना चाहती हैं । और इतना ही काफी नहीं हैं । वह प्रस्ताव फिर संसद के दोनों सदनों के सामन आयेगा । उस पर विचार किया जायगा । और फिर यह भी लाजिमहोगा कि दोनों सदनों में यह प्रस्ताव पारित हो कि अंग्रेजी हटायी जाय । तब अंग्रेजी हटायी जा सकती है वरना नहीं हटायी जा सकती है । मैं निवेदन करूंगा कि ऐसा कानून बना कर देश के दस्तूर, संविधान को तोड़ा जा रहा है । इसलिये अगर माननीय गुप्ता जी को या हमारे दूसरे साथियों को कानून तोड़ने की आदत न पड़ गयी होती, संविधान का आदर करना जानते होते तो इस कानून का डट कर वह भी विरोध करते जैसा हमारे प्रभुनारायण जी ने या रामस्वरूप जी ने किया है । अगर वह गांधी जी के सविनय अवज्ञा आन्दोलन के सिद्धांत को न भूल गये होते तो वह वही कदम उठाते जो माननीय प्रभुनारायण और माननीय रामस्वरूप जी ने उठाया : (व्यवधान) तर्क का जवाब तर्क से चलेगा । इसमें दिमाग लगता है । यह कानून जनतन्त्र के विरुद्ध जाता है । जनतन्त्र का मतलब होता है, कायदे-कानून का राज्य । अपने देश का सबसे बड़ा कानून संविधान है । और दिल्ली में बैठकर जैसा मने श्रीमन्, अर्ज किया वह सरकार उसी संविधान को तोड़ती है तो फिर यहां कोई कायदे-कानून का राज्य कैसे चल सकता है । इसके अतिरिक्त कोई भी आदमी....

एक सदस्य--

इस भाषा विधेयक के औचित्य और अनौचित्य को जांचने की निहाई हाईकोर्ट है या सुप्रीम-कोर्ट अथवा पार्लियामेंट ही है, यहां यह उसकी मेरिट पर क्यों जा रहे हैं ? यह प्रश्न यहां का तो नहीं है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, मैं तो यह शब्द कहने जा रहा हूं कि दिल्ली की सरकार, जो कानून तोड़ने पर उतारू है और कानून तोड़ रही है, संविधान का हनन कर रही है, उसको रोकने के लिये, और देश की जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिये ऐसा इन आदरणीय मंत्रियों के द्वारा किया गया है । जो लोग चाहते हैं कि जनतन्त्र चले तो जनतन्त्र तो जनता की भाषा के जरिये ही चलना संभव है । तो सभी लोग जो जनतन्त्र चलाना चाहते हैं उसकी रक्षा करना चाहते हैं इन मंत्रियों के विचारों को पसन्द करेंगे ।

आज से पूर्व जितने बड़े बड़े महापुरुष हुये हैं उन्होंने जनभाषा में ही अपने विचार व्यक्त किये हैं । बड़े बड़े लोगों ने उसे ही अपनाया है । गौतम बुद्ध राजा के बेटे थे । ऐसा नहीं कि वह

संस्कृत नहीं जानते थे किन्तु उन्होंने अपने धर्म के प्रचार के लिये जनभाषा का ही सहारा लिया और उसी कारण से उसका इतना प्रसार व प्रचार संभव हो पाया। इसी तरह महात्मा तुलसीदास जी ने भी, जिनक समय की परम्परा थी कि रामायण का गुणगान देववाणी में किया जा सकता है लेकिन उन्होंने उस परम्परा के साथ विद्रोह करके जनभाषा में अपनी रचनायें की हैं। यही कारण है कि तुलसीकृत रामायण आज घर घर में विद्यमान है और सारे भारत में समझी जाती है, किन्तु बाल्मीकि कृत जो रामायण देवभाषा में है वह कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती है। मान्यवर, गांधीजी तो गुजराती इलाके के आदमी थे, जो कि चाहते थे कि कांग्रेस राज्य जनता तक जाय। उस समय के देश के सभी नेताओं में स वह किसी से अंग्रेजी में ज्ञान कम नहीं रखते थे फिर भी उन्होंने अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिये अंग्रेजी का न सहारा लिया और न गुजराती क, उन्होंने हिन्दी यानी हिन्दुस्तानी को ही अपनाया उसे ही अपना सहारा बनाया। गांधी जी देश के जिस किसी भाग में जाते थे, चाहे वहां का क्षेत्र गुजराती का हो या मराठी का, मलयालम का हो या कन्नड़ का वह सभी जगह जनभाषा हिन्दी में ही बोलते थे उसी के माध्यम से अपना काम चलाते थे और यह भाषा सभी जगह अच्छी तरह समझी जाती थी उससे किसी को कोई बाधा नहीं होती थी क्योंकि वह जानते थे कि इसी भाषा क जरिये इस देश की भौतिक और मानसिक उन्नति संभव है। वह हिन्दी से इतना अधिक प्रम करते थे फिर उसे इतना गौरव और महिमा देते थे कि यदि वह कहीं डिक्टेटर होते तो भारत से अंग्रेजी को कलम के एक इशारे से गायब कर देते। आज स्वर्गीय नेहरू जी के आश्वासनों की बात कही जाती है, शायद इसलिये ऐसा हो रहा है कि आज उनकी सुपुत्री गद्दी पर हैं, देश की बागडोर उनके हाथों में है। अगर आज ही गांधी जी के लोग वहां पर बैठे होते तो शायद उन्हें आज उनके बचनों की याद आती और मैं कहना चाहूंगा कि गांधी जी के बचनों को पूरा करने से देश का स्वाभिमान बढ़ता, देश की प्रगति होती और देश की भौतिक और मानसिक दोनों प्रकार की शक्तियां आगे बढ़ सकती थी। लेकिन ऐसा न करके यह भाषा का विधेयक पेश किया गया है और यह विधेयक अपने संविधान को तोड़ता है, जनतन्त्र के साधारण नियमों के विरुद्ध है। तब फिर क्या किया जाए ? वहां पर बहुमत है ऐसे लोगों का जो मान नहीं रहे हैं, तो उसके लिए गांधी जी ने ही क्या हमें सिखाया है, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का सहारा नहीं लिया चम्पारन का जो गांधी जी का रूप है, नमक सत्याग्रह का जो गांजी जी का रूप है और इसी तरह से अन्य आन्दोलनों के गांधी जी के जो रूप हैं उनकी याद आखिरकार थोड़ी देर के लिये कर लें और मैं चाहूंगा कि इस प्रस्ताव पर चर्चा करते समय आप अपनी आत्मा की आवाज को न दबायें, खुलकर इस पर बहस करें और अगर निष्पक्ष हो कर सोचेंगे तो आप भी इसी ततीजे पर पहुंचेंगे कि जो इन दोनों मंत्रियों ने काम किया है वह सराहनीय है। कानून कहीं से टूटता नहीं है। गांधी जी ने भी कहा है कि जो जुल्म होते हुए देखता है वह भी अपराध का उतना ही बड़ा भागी होता है जितना बड़ा अपराध करने वाला, जुल्म करनेवाला, और इतना बड़ा राष्ट्रीय घात, इतना बड़ा जनद्रोह अपने देश में चल जाय और लोग खाली तमाशा देखते रहें, जो जानदार लोग हैं, जो नया हिन्दुस्तान और उसका नया समाज बनाना चाहते हैं वे कभी इस चीज को बरदा त नहीं कर सकते हैं और उसी के लिये उनको इस तरह से उपायों का सहारा लेना पड़ा है और वह भी शान्त प्रतिरोध है। क्या किया था इन लोगों ने, गांधी जी बरसहा बरस यहां सिखाते रहे और जो हथियार दे गये उसका उपयोग। मान्यवर, अगर इन लोगों में जरा भी चेतना होती तो आज यह प्रस्ताव इस सदन में न आया होता, बल्कि उसके स्थान पर यह प्रस्ताव आया होता कि जो विधेयक लोक सभा द्वारा पारित किया गया है वह अप्रजातांत्रिक है, अपने संविधान के प्रतिकूल है, और इसलिए यह सदन उस प्रस्ताव की निन्दा करता है और अपने इन दो बहादुर साथियों का सम्मान करता है। उनको शाबासी देता है।

इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम सब जो यहां विधायक की हैसियत से बैठे हैं उनको बताना नहीं है कि क्या वैध है और क्या अवैध है। आप सभी लोग मुझसे ज्यादा समझदार

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

है और इस पर इस दृष्टिकोण से चर्चा करेंगे तो आप भी इसी नतीजे पर आयेंगे कि दिल्ली में जो अवैध, अप्रजातांत्रिकता है उसको रोकने के लिये जो सहारा लिया गया वह खाली यही नहीं कि उचित है बल्कि वह बधाई और शाबासी के लायक भी है ।

*श्री बनारसीदास (जिला बुलन्दशहर)—

(कुछ माननीय सदस्यों द्वारा खड़े होते ही खाँसने पर)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो माननीय सदस्य सरकारी बेंचों पर बैठे हुए हैं वे अपनी जिस सभ्यता का परिचय दे रहे हैं वह आपके सामने है। माननीय उग्रसेन जी जैसे व्यक्ति जो वैधानिकता को बहुत ज्यादा समझ गये हैं जरा थोड़ा धैर्य से मुझे सुनने की कृपा करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो सदन के सामने प्रस्तुत है इस पर भाषा विधेयक जो दिल्ली में पास किया गया है उसके गुण दोष का प्रश्न नहीं है। हमारे देश की क्या भाषा हो, संविधान के अनुच्छेद ३४३ के अन्दर लिखा है और किस प्रकार उसके अन्दर संशोधन किया गया है, यह पार्लियामेंट का क्षेत्र है। यहां पर तो केवल प्रश्न यह है कि यहां के दो मंत्री कानून को तोड़ने के लिये गये और कानून को तोड़ा यह संविधान के अनुसार है या नहीं। जहांतक हमारे जायसवाल जी की बात है, उन्होंने कहा कि कानून तोड़ा संसद ने और इसलिये जब उनकी आवाज नहीं सुनी गयी तब शान्तिमय ढंग से उन्होंने गांधी जी के पथ का अनुसरण किया। मैं निवेदन करता हूं कि जब गांधी जी अफ्रीका में थे और वहां सत्याग्रह किया था तब वहां ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने रिक्रूट्स दिये थे, क्योंकि उनको विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार उनकी बात सुनेगी। उस वक्त हमारे देश के अन्दर कोई प्रतिनिधि शासन नहीं था। हमारा शासन होता था पार्लियामेंन्ट के द्वारा और पार्लियामेंट के अन्दर कोई आवाज नहीं पहुंच सकती थी। यहां की जनता अपनी इच्छा के अनुसार शासन नहीं कर सकती थी। गान्धी जी ने कहा कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रिजन्टेशन। जब कि हमारा तिनिधित्व नहीं है और शासन चलाने में हमारा अधिकार नहीं है तो गांधीजी ने शान्तिमय उपायों से सरकार को बदलने की बात सोची। गान्धी जी ने इसलिये एक नवीन लाइफ अहिन्सात्मक ढंग से यहां पर पैदा की। संविधान पास हो जाने के बाद जब कि ५ साल के बाद वैध उपायों से सरकार को बदलने का अधिकार है और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि १९६७ के चुनाव के बाद आप लोग उस पक्ष के अन्दर बैठे हुए हैं और हम लोग इधर बैठे हुए हैं, तो श्रीमन्, जब कि आज जनता के द्वारा आपको सरकार बदलने का अधिकार हैं और इसी प्रकार से केन्द्रीय सरकार को भी बदला जा सकता है ५ साल के बाद में। यदि कुछ व्यक्ति बहुमत की उपेक्षा करना चाहें, और यह कहें कि जो वह प्रतिपादित करते हैं वह सत्य है तो फिर इसका निर्णय कौन करेगा। इसका मतलब यह होगा कि अल्प मत के लोग अपने मत को बहुमत के ऊपर लादने का प्रयत्न करेंगे। यदि बहुमत फैसला नहीं करेगा तो क्या यह ५० करोड़ जनता करेगी ? वह फैसला तो उसके प्रतिनिधियों के द्वारा ही किया जायगा। जब हमारे देश में संविधान बना तो उस संविधान के अन्दर एक प्रजातान्त्रिक राज्य यहां पर स्थापित किया गया। कोई ग्रीक स्टेट या एथेन्स स्टेट नहीं बनी। यहां पर एक प्रतिनिधित्व शासन की व्यवस्था की गई ताकि देश के तमाम प्रतिनिधि एक स्थान पर बैठकर यह फैसला कर सकें।

पार्लियामेन्ट में एक विधेयक बनाया गया। अगर यह संविधान के खिलाफ है तो इसकी रक्षा कौन करेगा। हमारा संविधान जो है वह कोई अलिखित नहीं है। वह संविधान सीमित है। उसमें लिखा हुआ है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं यदि उनके विरुद्ध कोई प्रदेशीय विधान सभा या संसद् कोई कानून बनायेगी तो उसकी वैधता को चुनौती दी जा सकती है। जायसवाल जी ने ३४३ के अन्दर बताया कि हिन्दी यहां की भाषा १५ साल के बाद घोषित हो गई है और १५ साल के बाद संसद् को यह अधिकार दिया गया उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये, लेकिन फिर अंग्रेजी को कायम कर रहे हैं स्पेशल परपज के लिए। अगर यह संविधान के अनुसार नहीं है और ३४३ के अनुसार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं है तो कोई भी एक नियमित ढंग से सुप्रीम कोर्ट में उसकी वैधता को चुनौती दे सकता है। क्या उसकी चुनौती १४४ को तोड़ कर दी जा सकती है ? उसकी चुनौती गलियों के अन्दर दी जा सकती है। इस विधान सभा के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री ने कल एक विधेयक पेश किया। उस विधेयक का फैसला यहां की विधान सभा करेगी या लखनऊ की गलियों में तय किया जायगा। उसका फैसला यहां बहुमत के द्वारा किया जायगा। अभी स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक विधेयक यहां पर पेश किया है। उसका फैसला पब्लिक मीटिंग के द्वारा होगा या इन प्रतिनिधियों के द्वारा होगा? या गाली देकर किया जायगा? हम यह मान चुके हैं कि विधान सभा इसका फैसला करेगी। हम चाहे उसके विरुद्ध हों लेकिन उसका फैसला यहां पर होना ही उचित है।

मुझे खेद है कि इस विवाद में जायसवाल जी ने इसको दूसरी दिशा में खींचने का प्रयास किया। इसमें इस समय यह विचारणीय प्रश्न नहीं है कि जो पार्लियामेंन्ट में विधेयक बना उसपर क्या विचार हैं। वह तो वहां पर पास हो गया और केवल ४१ आदमियों ने उसके विरूद्ध अपना मत प्रकट किया था। पत्र लिखने की बात कही गई कि इसी भाषा में लिखे जाते थे। मैं नहीं जानता कि तुलसी और गांधी जी की क्या भाषा थी और आज यह क्या भाषा है। हमारे संविधान के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार की भाषा हिन्दी है। मद्रास के अन्दर जब गान्धी जी जाते थे तो वह हिन्दी में बोलते थे तो उसका अनुवाद कोई तामिल या मलयालम में करता था, गांधी जी के हिन्दी के शब्दों को मलायलम में कहा जाता था। केवल आकर्षण से लोग उनको सुनते थे। मंत्र द्वारा ही वह उन की बात नहीं समझ जाते थे। जन भाषा का मतलब है कि जो कुछ हम कहना चाहते हैं उसको कोई भी श्रोता समझ सके। तो हमारी भाषा हिन्दी है और तमाम देश के अंदर अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषायें हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि क्या इस विधेयक को इस हुल्लड़बाजी से ही पास करवाया जायगा। जो अभद्र व्यवहार विधायक कर रहे हैं और अपनी शराफत का परिचय दे रहे हैं यह क्या तरीका है ? मैं कहता हूं कि यह शराफत के खिलाफ है। (व्यवधान)

श्री चन्द्रशेखर (जिला वाराणसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय बनारसी दास जी ने कहा कि यह अभद्र व्यवहार है। मैं चाहता हूं कि शब्द "अभद्र" को वह वापस लें। पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में इंटरेप्शन्स होते हैं और वह होते रहते हैं। वह बात अभद्र नहीं हुआ करती।

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, अगर अभद्र व्यवहार शब्द का प्रयोग आप असंसदीय समझते हैं और उसका प्रयोग करना आप अपनी व्यवस्था में असंसदीय करार देंगे तो मैं अवश्य इस शब्द को वापस ले लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

आप भाषण जारी रखें—

श्री बनारसीदास—

तो श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि इस समय सदन के सामने भाषा विधेयक के गुण दोष का प्रश्न नहीं है। यह कोई हमारे दल का प्रश्न नहीं है। हम को इस बात का अत्यन्त खेद है कि हमारे दो माननीय साथी यह हो सकता है कि वे आज उधर बैठे हों— उन्होंने विधि द्वारा स्थापित एक कानून को तोड़ा। श्रीमन्, जब माननीय प्रभुनारायण सिंह जी तथा उन के साथियों ने मंत्रिपद का भार ग्रहण किया था उस समय उन्होंने शपथ ली थी संविधान के अनुसार कि हम संविधान के अनुसार अपने कार्यों का संपादन करेंगे, बिना किसी भय, पक्षपात आदि के कार्य करेंगे और साथ-साथ उन्होंने यह भी शपथ ली थी कि हम गोपनीयता को भंग नहीं करेंगे, यही नहीं, सदस्यता ग्रहण करते समय यह शपथ लेनी पड़ती है कि जो संविधान है उस के प्रति

[श्री बनारसी दास]

मेरी निष्ठा रहेगी, हिन्दुस्तान की एकता और उस की सार्वभौमिकता की मैं रक्षा करूंगा और इस लिये माननीय प्रभुनारायणसिंह जी ने जो संविधान के प्रति शपथ ली मंत्रिपद ग्रहण करने से पहले, इस सदन में अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, क्या उन्होंने उस की रक्षा की ? क्या उन्होंने शपथ को नहीं तोड़ा । श्रीमन्, एक प्रश्न पैदा होता है कि संविधान में लिखा है कि राज्य के और केन्द्र के क्या संबंध होंगे । लेकिन आज दो मंत्री यहां से जा कर यूनियन टेरीटरी, दिल्ली में कानून तोड़े, कल बंगाल में जा कर कानून तोड़ें, और परसों तामिलनाड में जाकर कानून तोड़ें तो इस का मतलब होगा कि एक राज्य का विवाद दूसरे राज्य से हो जायगा । श्रीमन्, वे मंत्री की हैसियत से गये, स्टाफ कार उन के पीछे पीछे थी, उनके साथ अर्दली गये थे, उनके कर्मचारी भी थे । तो स्वयं जब आप सत्याग्रह करने गये थे तो मंत्री की हैसियत से आप ने अपनी कार का, अपने कर्मचारियों का इस्तेमाल किया, सरकार की स्टाफ कार का इस्तेमाल किया, तो क्या इन सब का इस्तेमाल करते हुए आप वहां अवज्ञा करने गये थे ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे मुख्य मंत्री जी के आदेश से गये थे या मंत्रिपरिषद् का कोई इस तरह का फैसला था ? यदि मंत्रिपरिषद् का फैसला था तो यह मंत्रिपरिषद् ८ करोड़ जनता की तरफ से बोलती है। क्या यह लड़ाई का ऐलान ८ करोड़ जनता की तरफ से था ? अगर ऐसा था तो उन के साथ पी० ए० सी० और यहां की मैजिस्ट्रेसी क्यों नहीं गयी ? तो इसका मतलब यह है कि अगर हम इस सिद्धांत को मान लें तो क्या उत्तर प्रदेश का राज्य घोषणा करेगा एक सिविल वार की केन्द्र सरकार के खिलाफ और वहां की पुलिस यहां की पी०ए०सी० का या पुलिस का मुकाबला करेगी ? वरना इसका क्या अर्थ हो सकता है ? श्रीमन्, माननीय प्रभुनारायण सिंह और उनके साथियों ने धारा १४४ को तोड़ा, तो क्या एक मंत्री कानून तोड़ सकता है एक विधायक जो कि यहांपर विधान के ऊपर शपथ लेता है । मैं मानता हूं कि महात्मा गांधी ने, थूरो ने, टाल्सटाय ने कहा है कि ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब मनुष्य कानून की अवज्ञा कर सकता है । जबकि वैध उपाय न हों, जबकि अहिंसात्मक तरीके से उसको बदलने का मौका न हो तभी । आज अहिंसा के नाम पर संसार के अन्दर बड़े बड़े परीक्षण किये गये हैं । बल के नाम पर जनता की आवाज को चलने की जहां कोशिश की गयी है, बाद में समय न बतलाया है कि उस वक्त के लोग जो सोचते थे वह ठीक था । तो क्या आनून तोड़ करके या प्रदर्शनों के द्वारा आप अपनी बात को किसी पर लादेंगे ?

यह कहना कि पार्लियामेंन्ट ने कानून तोड़ा और हम संविधान की रक्षा करने के लिए गये तो क्या आपने सुप्रीम कोर्ट का स्थान ले लिया था इस संविधान के अनुसार? इस संविधान की रक्षा करने का काम सुप्रीम कोर्ट का है, प्रभुनारायण का नहीं । हमारे यहां के कितने ही कानूनों को हाई कोर्ट ने अवैध करार दिया । श्री सुब्बाराव, जो कि सुप्रीप कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उन्होंने तो यहांतक फैसला किया कि मौलिक, बुनियादी अधिकारों के संबंध में हमारी पार्लियामेंट को भी टू थर्ड मैजारिटी से संविधान को बदलने का अधिकार नहीं है । तो श्रीमन्, सुप्रीम कोर्ट ही कानून का इंटरप्रिटेशन करेगी, उसका मत ही अन्तिम होगा-- सत्याग्रह के द्वारा प्रभुनारायण सिंह का नहीं, कानून तोड़ करके राम स्वरूप वर्मा का नहीं ।

आज आप किस चीज का प्रतिपादन करना चाहते हैं ? जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हिन्दी विधेयक के खिलाफ जिसकी शिकायत हो वैध ढंग से वह प्रदर्शन कर सकते हैं । साइन बोर्डों का जलाना, आग लगाना, सरकारी संपत्ति का नुकसान करना, उसका मतलब यह है कि बाजार में ५०-१०० आदमी रिवाल्वर हाथ में लेकर एक आतंकवाद का, हिंसा का राज्य कायम कर सकते हैं । यह पथ जनतंत्र का नहीं है । यह रास्ता डिक्टेटरशिप का है । अहिंसा का मार्ग हमको जनतंत्र की तरफ ले जाता है, हिंसा का मार्ग डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाता है । गांधी जी ने जब हिटलर को पत्र लिखा, स्टेलिन को पत्र लिखा सन् ४२ में, तो कहा कि खून की नदी पार करके स्टेलिन, रूस के डिक्टेटर, दुनियां को एक शान्ति के किनारे पर ले जाना चाहते हैं ।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

गांधी जी ने अंग्रेजी माल की होली जलाने की इजाजत कैसे दी?

श्री बनारसीदास—

कारण यह था कि उस समय विदेशी शासन था। हमारे देश का शोषण होता था। हमारे पास कोई वैध उपाय नहीं था। ब्रिटिश सरकार ने हमारे यहां का जो स्वदेशी उद्योग था, एक प्राहिबिटिव ड्यूटी लगा करके हमारी तिजारत को नष्ट कर दिया था। महात्मा गांधी ने इसलिए स्वदेशी के आन्दोलन को शुरू किया। किसी की जबरदस्ती नहीं, लोगों ने स्वेच्छा से अपने कपड़ों को जलाया और बाद में स्वदेशी कपड़ों को धारण किया।

मैं अपने को सीमित रखूंगा, माननीय जायसवाल जी ने जो कहा, प्रश्न यह है कि क्या माननीय मंत्रियों को विशेष स्थितियों के अन्दर भी कानून तोड़ने का कोई अधिकार था? मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा था कि जो संविधान और विधि से स्थापित सरकार है, जिसके प्रतिनिधि रूप आप बैठे हुए हैं, आपको सरकार बदलने का अधिकार है और दिल्ली में आपने प्रयास किया सरकार के बदलने का सन् १९६७ के अन्दर। आप लोग कहते हैं कि अहिंसात्मक क्रान्ति हुई। वह बात अलग है कि सरकारें बदलें और बदल सकती हैं ५ साल के बाद में। केन्द्र के अन्दर बहुत मुमकिन है कि यह हो, लेकिन प्रश्न यह है कि आज देश के अन्दर क्या दो दल ही प्रतिनिधित्व करते हैं? क्या जनसंघ और संसोपा ही एक मात्र प्रतिनिधित्व करते हैं राष्ट्रीय भावना का? क्या कम्युनिस्ट पार्टी, क्या स्वतंत्र पार्टी, क्या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और किसी और पार्टी ने उसका साथ दिया? मैं पूछता हूं कि क्या संसोपा के सदस्यों ने वहां जाकर अंग्रेजी साइन बीर्ड को तोड़ा? क्या संसोपा के सदस्यों ने महाराष्ट्र में जाकर अंग्रेजी साइनबोर्ड को तोड़ा? केरल के अन्दर जहां मलयालम बोली जाती है, क्या माननीय प्रभुनारायण सिंह और उनके जोशीले मित्रों की हिन्दी सेना जायेगी? क्या महाराष्ट्र और मद्रास में उनकी हिन्दी सेना जायेगी? क्या बंगाल में हिन्दी सेना जायेगी और वहां के संसोपा सदस्य हिन्दी आन्दोलन का नेतृत्व कर सकेंगे? (व्यवधान)

मेरे दोस्त कहते हैं कि अंग्रेजी को हटाओ। अंग्रेजी यहां से हटायी गयी है। आपकी इस बात से यह प्रत्यक्ष है कि आपको हिन्दी से कोई प्रेम नहीं है बल्कि आपका यह एक चुनाव स्टंट है। गांधी जी का नाम बार बार लिया गया लेकिन गांधी जी यह नहीं कहते थे कि किसी के साथ जबरदस्ती करो ....

श्री रमाशंकर अग्रवाल (जिला आगरा)—

हिन्दी के बारे में गांधी जी के स्वयं के क्या विचार थे और उनको आपने क्यों दफना दिया?

श्री बनारसीदास—

मेरे खयाल से इस देश के अन्दर दो विचारधारायें ह, एक गोडसेवादी और एक गांधीवादी। मुझे आश्चर्य है कि आज इस देश के अन्दर ज्यादातर लोग गोडसेवादी ही हैं जिन्होंने गांधी जी को क्रुसीफाई किया। इस मौके पर मुझे एक कहानी याद आती है कि इब्राहीम के दो लड़के थे—एक ईसा और दूसरा जुदा। ईसा के ऊपर उनके बाप का ज्यादा प्रेम रहा बनिस्बत जुदा से। एक दिन जुदा ईसा की खाल ओढ़ कर अपने बाप के पास गया। उसका बाप अंधा था। उसने टटोल कर देखने के बाद कहा कि बेटा बोलो। जब उसकी आवाज उसने सुनी तो कहा कि खाल तो ईसा की है लेकिन जबान जुदा की है। इसी तरह से गांधी जी को क्रुसीफाई करने वाले लोग भी आज गांधी जी का नाम लेकर इस तरह की बातें कहते हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है माननीय प्रभुनारायण सिंह, उग्रसेन जी और जायसवाल जी के ऊपर जब कि वे गांधी जी को क्रुसीफाई करने वालों के हर कृत्य पर उनका कदम-कदम पर समर्थन करते हैं। मैं कहता हूं कि क्या मद्रास के अन्दर हिन्दी, हिन्दी पुलिस के द्वारा अपनायी जानी चाहिये? क्या गांधी जी ने यही कहा था? संविधान के अन्दर हमारी भाषा.....

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मने अपने भाषण में कहीं भी हिन्दी की बात नहीं कही। अंग्रेजी को हटाने की बात हमने कही और उसके रेफरेंस में जो संविधानमें लिखा है उसका हवाला दिया अंग्रेजी

[श्री अनन्त राम जायसवाल]
को हटाने के ऊपर, लेकिन माननीय बनारसी दास जी इस तरह से बोल रहे हैं जिससे मालूम होता है कि हम लोग देश की और जो विभिन्न भाषायें हैं उनके दुश्मन हैं ऐसा नहीं है। हम किसी के ऊपर हिन्दी लादने के पक्ष में नहीं हैं लेकिन साथ ही साथ हम यह भी चाहते हैं कि हमारे ऊपर अंग्रेजी न लादी जाय।

श्री बनारसीदास--

श्रीमन्, जैसवाल जी ने कहा कि अंग्रेजी हमारे ऊपर न लादी जाय। कोई भाषा किसी के ऊपर लादने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। आज भी है कि यूनियन पब्लिक सर्विस की परीक्षायें आगे चल कर क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से भी होगी। उसमें लिखा है कि हिन्दी या अंग्रेजी किसी एक भाषा की जानकारी अनिवार्य होगी। इसलिये श्रीमन्, मैं यह कहता हूं कि अंग्रेजी के लिये हमारा नहीं बल्कि सत्याग्रही सेना का काम है जो माननीय प्रभुनारायण सिंह के नेतृत्व में मद्रास में जाय और उनसे कहे कि संविधान में हिन्दी या अंग्रेजी लिखा हुआ है इसलिये आप लोग अंग्रेजी के बजाय हिन्दी को ही अपनावें बंगाल और नागालैण्ड में जाकर कहिये कि हिन्दी को अपनायें (व्यवधान)

वित्त मंत्री (श्री रामस्वरूप वर्मा)--

सन् १९४६ में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने काश्मीर में जाकर कानून को तोड़ा था वह क्या था ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे शान्तिपूर्वक दूसरे के विचारों को सुनें।

एक सदस्य--

बोलने के लिये क्या समय का निर्धारण नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष--

समय का कोई निर्धारण नहीं है मगर मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य जो बोलें वे कृपया कम से कम समय लें।

श्री बनारसीदास--

मुझे माननीय रामस्वरूप वर्मा जी के अज्ञान पर थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। उन्हें मालूम होना चाहिये कि नेहरू जी ने जो काश्मीर में कानून को तोड़ा और जिसका उन्होंने हवाला दिया उस समय काश्मीर हिन्दुस्तान का भाग नहीं था (व्यवधान) वह एक अलग राज्य था जिसका हमसे मतलब नहीं था।

श्री रामस्वरूप वर्मा--

एक देश का प्रधान मंत्री क्या दूसरे राज्य में जाकर सत्याग्रह कर सकता है ? (व्यवधान)

श्री बनारसी दास--

आपके सामने इतिहास में कई मिसालें मौजूद हैं। प्रधान मंत्री के तो आदेश पर एक देश की सेना दूसरे देश से युद्ध कर सकती है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप वर्मा--

अमेरिका के संविधान को देखिये वहां पर ३-४ बार स्टेट्स ने केन्द्र के खिलाफ बगावत की है। यह कोई नयी बात नहीं है। यह होता रहा है। (व्यवधान)

श्री बनारसीदास--

मुझे दूसरा आश्चर्य हुआ माननीय वर्मा जी की दूसरी अज्ञानता पर। अमेरिका में पहले स्टेटस बनीं फिर फेडरेशन बना और वहां संविधान में कुछ और अधिकार भी हैं जबकि हमारे यहां संविधान के द्वारा किसी स्टेट्स को यह अधिकार नहीं है कि वह केन्द्र के खिलाफ बगावत कर सके : श्रीमन्, यदि राज्य को यह अधिकार होगा तो केरल और बंगाल आदि भी ऐसा ही आचरण करेंगे। कुछ लोग तो देश को स्प्रिंग बोर्ड बनाना चाहते हैं और मुक्ति सेना की बातें करते हैं और इस देश की सार्वभौमिकता को खत्म ही करना चाहते हैं। क्या माननीय वर्मा जी इसका समर्थन करते हैं। एक राज्य को दूसरे राज्य के खिलाफ एक राज्य को केन्द्र की सत्ता के खिलाफ विद्रोह करने का अधिकार नहीं है किसी भी सरकार को जनमत को लेकर अपने पक्ष को केन्द्र के साथ प्रतिपादित करने का अधिकार है लेकिन वह कायदे से। श्रीमन्, यह जाहिर है कि माननीय प्रभुनारायण सिंह जी और माननीय वर्मा जी ने इस प्रदेश कोष से जिसके हम सब मालिक हैं इस प्रदेश की ८ करोड़ जनता के पैसे का इस्तेमाल करके केन्द्रीय सरकार के प्रति उन्होंने बगावत की है और केन्द्र और प्रदेश के संबंधों को तोड़ा है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश बन्द का नारा लगाया गया था, प्रदर्शनों को संगठित किया गया विद्यार्थियों को भड़काया गया, जिस सरकार की तरफ से ऐसा किया गया वह सरकार कानून और व्यवस्था रखने में सक्षम नहीं है और उसने हमें एक अराजकता की लपेट में डाल दिया है। मुझे आश्चर्य उस समय में हुआ जब माननीय प्रभुनारायण सिंह जी ने मैजिस्ट्रेट के सामने जाकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे साथ साधारण नागरिकों जैसा व्यवहार किया गया। मैं नहीं समझ पाया कि क्या कोई समाजवादी मंत्री हो जाने पर कोई असाधारण नागरिक हो जाता है क्या वह कोई प्रिविलेज्ड क्लास का व्यक्ति बन जाता है ? क्या वे ब्राह्मण बन गये और सब शूद्र बन गये जो उनके साथ दूसरी प्रकार का व्यवहार किया जाता ? मैं नहीं समझ सका कि इतनी बड़ी विकृति माननीय प्रभुनारायण सिंह और राम स्वरूप जी के मस्तिष्क में कैसे आ गयी ?

गन्ना विकास उप मंत्री (श्री महो लाल)--

क्या आप ब्राह्मण और शूद्र के अन्तर में विश्वास रखते हैं ?

श्री बनारसीदास--

मैं यह कह रहा था कि कोई भी सदन का सदस्य जो प्रतिभासम्पन्न है वह ऐसी बातें नहीं कह सकता कि हमारे साथ एक साधारण नागरिक जैसा व्यवहार क्यों किया गया। प्रत्येक व्यक्ति कानून के सामने समान है। यह कैसे हो सकता है कि दफा १४४ तोड़ने के जुर्म में माननीय प्रभुनारायणसिंह जी के साथ एक व्यवहार किया जाय, एक एम०एल०ए० के साथ दूसरा व्यवहार किया जाय, और एक साधारण नागरिक के साथ तीसरा व्यवहार किया जाय। क्या यह समाजवादी व्यवस्था का प्रतिपादन करता है, जो बात आपने कही। अकबर ने एक बात बड़े मजे की कही है लेकिन ठीक ही है कि लोगों को लीडर बनने का शौक तो है लेकिन आराम के साथ। आराम के साथ सरकारी कार पर जाकर वहां आप दफा १४४ तोड़ने के लिये गये। क्या यह एक प्रकार का नाटक नहीं था ? इसलिये श्रीमन्, यह प्रस्ताव जो माननीय नेता विरोधी दल ने प्रस्तुत किया है वह अविवादास्पद है। हम इसको किसी पार्टी का प्रश्न बनाना नहीं चाहते हैं। यह सारे सदन की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय सदन के सब सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस बात को न सोचें कि उनकी कुर्सी इस प्रस्ताव के गिरने से छिन जायगी, आप कृपा करके यह देखें कि इस सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा इन दो मंत्रियों के कार्य से नष्ट हुई है या नहीं हुई है। यदि आप समझते

[श्री बनारसी दास]

हैं कि उन्होंने अपनी शोथ का उल्लंघन किया था, जो उन्होंने संविधान के प्रति ली थी और स्वयं कानून के बनाने वाले होकर कानून को तोड़ा, जैसा कि मैजिस्ट्रेट ने कहा, मंत्री लोग जो विधि की स्थापना करने वाले हैं वे एक साथ में ही कानून तो बनाने वाले और तोड़ने वाले नहीं बन सकते। इसलिये इन शब्दों के साथ में माननीय विरोधी दल के नेता ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं और मुझे बड़ा खेद है हालांकि मेरा कोई व्यक्तिगत द्वेष श्री प्रभुनारायण सिंह से नहीं है, केवल कर्त्तव्यनिष्ठा की भावनाओं से प्रेरित होकर ही यह प्रस्ताव लाया गया है जिस का मैं समर्थन करता हूं।

*उद्योग मंत्री (श्री प्रभुनारायणसिंह)--

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विरोधी दल के नेता ने जो प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है उस संबंध में जो कानूनी स्थिति है, क्योंकि कानून की ही चर्चा इस समय यहां बहुत हुई है, इसलिये मैं पहले कानूनी स्थिति के संबंध में ही अपनी बात कहना चाहता हूं। जहां तक सवाल हिन्दी का है या देश की जनभाषाओं के प्रश्न की बात है जो देश में आज उठ खड़े हुये हैं उस सम्बन्ध में नेता विरोधी दल का जो प्रस्ताव है या अन्य दोस्तों की जो राय है उस संबंध में ही मैं अपनी थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि श्री बनारसी दास जी, जिन की कि विधिविधान का बहुत अरसे से ज्ञान है और जब यहां पहली सरकार थी उसमें विधायी कार्य सरकार के सम्पन्न कराना उन्हीं के सुपुर्द था, उन्होंने कहा कि हमने यह ऐसा काम किया जिस की वजह से हमें गवर्नमेंट में नहीं रहना चाहिये।

मैं आपके और माननीय विरोधी दल के नेता के सामने वह स्थिति रखना चाहता हूं जो कि किसी मंत्री की मंत्रिपद की शपथ लेने के बाद संविधान के अनुसार होती है। संविधान के तीसरे परिशिष्ट में या तृतीय अनुसूची में मंत्रिपद की शपथ के संबंध में प्रपत्र दिया हुआ है कि "मैं.....अमुक.....ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्त्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अन्तःकरण से निर्वहन करूंगा।" तो यह जो प्रतिज्ञा या शपथ है यह भारत के संविधान के प्रति है यानी उसकी जो मर्यादा है उसकी गरिमा की हम रक्षा करेंगे। पहली शपथ यह हुई। दूसरी गोपनीयता की शपथ है जिसमें यह बात कही गई है कि "मैं..... अमुक.....ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिये लाया जायगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उस किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्त्तव्यों के उचित निर्वहन के लिये ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।" तो जहां तक कि मंत्रिपद की शपथ का प्रश्न और संविधान के प्रति आस्था का प्रश्न है। हमने संविधान की किसी धारा का उल्लंघन नहीं किया है। संविधान में जो निष्ठा का प्रश्न है वह निष्ठा मैं समझता हूं कि अगर उधर के माननीय दोस्तों से ज्यादा नहीं तो कम भी हम में नहीं है। जहां तक गोपनीयता का प्रश्न है यदि श्री बनारसी दास जी या नेता विरोधी दल को ऐसा लगता है कि हमने मंत्रिपरिषद् के उस फैसले को कहा कि २६ जनवरी, सन ६८ के बाद यह सरकार किसी भी सरकारी कामकाज को अंग्रेजी में नहीं करना चाहती और न करने देना चाहती है और उसका फैसला है कि सारा कामकाज उस तारीख के बाद केवल हिन्दी में होगा इस फैसले को हमने बताया या यह बताया कि अंग्रेजी को खत्म कर के यहां हिन्दी को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं और उसके लिये जो कुछ भी हमें करने की जरूरत है उसके लिये हम समुचित प्रयत्न कर रहे हैं और बहुत तेजी से कर रहे हैं। इतनी बात को बताना यदि हम गोपनीयता का हनन समझते तो मैं समझता हूं कि जिस कार्य को यह कांग्रेस सरकार यहां बैठकर २० साल में न कर सकी उसको इस सरकार ने ८-९ वर्ष में करने का प्रयास किया है। इससे उन को आज घबराहट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है और ऐसा उन्हें लगने लगा कि जैसे हम ने गोपनीयता की शपथ का कोई उल्लंघन किया है। जिस समय हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल जी ने संसद में अहिन्दी भाषियों को यह आश्वासन दिया उस समय मैं भी संसद में लोक सभा का सदस्य था और उस हैसियत से मैं भी वहां मौजूद था। उस समय फ्रेंक एन्थौनी का प्रस्ताव था कि अंग्रेजी को संविधान के आंठवें परिशिष्ट में एक भाषा के रूप में जोड़ दिया जाय। उस समय प्रधान मंत्री के बोलने के तुरन्त बाद मैं संसद में बोला था। उस मौके पर, जो मुझे याद है वह यह कहा था कि अहिन्दी भाषी प्रान्त के लोग जब तक अंग्रेजी को नहीं हटाना चाहेंगे तब तक अंग्रेजी रहेगी लेकिन उन्होंने कोई जुमला नहीं कहा था कि कानून बन कर या संविधान को बदलकर ऐसा कोई काम किया जायगा तो ऐसी स्थिति में जो आज उनके आश्वासन के नाम पर जो कार्य हो रहा है और जिस प्रकार से संविधान की धारा ३४३ की हत्या की जा रही है उसके रहते हुये मुझे अपेक्षा थी कि इस प्रदेश की कांग्रेस जिसके अध्यक्ष माननीय कमलापति त्रिपाठी हों, वह इस भाषा विधेयक का जो कि केन्द्रीय सरकार लायी है पार्टी के भीतर और बाहर विरोध करती तो केन्द्रीय सरकार इस प्रकार का विधेयक लाने की हिम्मत न करती।

आज प्रश्न यह है कि संविधान की धारा ३४३ में स्पष्ट रूप से वह दिया हुआ है कि इस देश की राज काज की जो भाषा है वह हिन्दी होगी। इस सम्बन्ध में मैं माननीय नेता विरोधी दल का ध्यान आकर्षित करता हूं कि इसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि राजकाज की भाषा हिन्दी होगी। अंग्रेजी में शब्द "शैल" का प्रयोग किया गया है। तो ऐसी स्थिति में मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक इस देश की राजकाज की भाषा का सम्बन्ध था, जब संविधान सभा में इसका प्रश्न आया तो माननीय पुरुषोत्तम दास टंडन ने, जिनका इस देश और प्रदेश के इतिहास में बहुत ही विशिष्ट स्थान रहा है, उन्होंने हिन्दी की अगवायी की थी। उस समय झगड़ा अंग्रेजी का नहीं था। उस समय केवल झगड़ा हिन्दुस्तानी और हिन्दी का था उसमें हमारी जीत हुयी थी। उस समय हम क्रान्ति के इतिहास से बाहर निकले थे। उस समय जब हम संविधान सभा में गये हमारी भावनायें अत्यन्त प्रखर थीं इसलिये हमने राजकाज की भाषा हिन्दी को कबूल किया था। आज इतने समय के उपरान्त जिस प्रकार से हिन्दी की जान मारने का प्रयास किया गया है उसमें उत्तर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी का हाथ रहा है। इस प्रदेश जिसकी जन संख्या ८ करोड़ के लगभग है, कांग्रेस को कम से कम अपनी आवाज को उठाना चाहिये था। मैं इस सम्बन्ध में अहिन्दी प्रदेश के उन मंत्रियों की याद दिलाता हूं कि जिन्होंने हिन्दी के विरोध में केन्द्रीय सरकार से अपना त्याग-पत्र दिया था। श्री सुब्राम नियम के साथ-साथ और दूसरे मंत्रियों ने भी त्याग-पत्र दिये थे लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आज हिन्दी प्रदेश के जो मंत्री केन्द्रीय मंत्रि मंडल में हैं उन्होंने क्या किया। उनका फर्ज था कि इस प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर उन्हें भी त्याग पत्र दे देना चाहिये था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह भाषा विधेयक क्या है जिसका इतना विरोध किया गया और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि इसका इतना विरोध न होता तो आज हमारे देश में अंग्रेजी हमेशा के लिये बैठ जाती और हिन्दी हमेशा के लिये खत्म हो जाती। इनकी पार्टी की केन्द्रीय सरकार ने इस भाषा विधेयक में यह प्राविधान कर दिया था कि सरकारी नौकरी में हिन्दी को जानना जरूरी नहीं होगा।

मान्यवर, जरा सोचें विरोधी पक्ष के लोगों को इस सवाल पर ही गुस्सा आना चाहिये था ८ करोड़ जनता की कांग्रेस पार्टी को गुस्सा आना चाहिये था और इन्हें अपनी बात को जोरों के साथ कहना चाहिये था। जहां यह कहा जाय कि हिन्दी का जानना जरूरी नहीं है इसका मतलब यह है कि अंग्रेजी का जानना जरूरी है और जब तक सरकारी काम काज के सिलसिले में नौकरियों में अंग्रेजी रहेगी तब तक हिन्दी कभी भी इस देश में प्रतिष्ठित नहीं हो सकती है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस बात का निर्णय लिया कि जो भाषा विधेयक लाया गया है वह भाषा विधेयक हिन्दी के साथ ही विश्वासघात नहीं है बल्कि हिन्दुस्तान की सभी जनभाषाओं के साथ विश्वासघात है और ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश के मंत्रियों को इस बात

[श्री प्रभुनारायण सिंह]

का अभिमान है कि उन्होंने फैसला लिया कि भाषा विधेयक का विरोध करेंगे। लेकिन हमारे दोस्तों ने कभी खुल कर इस बात को नहीं कहा भीतर-भीतर भले ही कहते हों।

यह सही है कि जनता के न्यायालय में इन बातों का फैसला होता है और जो माननीय बनारसीदास कहते हैं वह भी सही है कि शायद इससे उन की राजनीति कुछ खराब होगी। मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दी के मामले में जो मौजूदा कांग्रेस का रुख है वह प्रदेश में कांग्रेस को खत्म कर के रहेगा। संविधान के अनुच्छेद ३४३ में साफ तौर से कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिये प्रयोग होने वाले अंकों के लिये भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप होगा। और यह भी कहा गया है कि १५ वर्षों के लिये अंग्रेजी उसी तरह व्यवहृत होती रहेगी जिस तरह से संविधान लागू होने से पहले व्यवहृत होती थी। फिर यह प्रतिबन्ध लगाया गया है कि १५ वर्ष के बाद भी अंग्रेजी चलाना है तो उन प्रयोजनों के लिये लागू होगी जिन प्रयोजनों के लिये कानून में व्यवस्था होगी। संविधान की मंशा यह है कि १५ वर्ष के बाद अंग्रेजी उस तरह से व्यवहृत नहीं होगी जिस तरह से संविधान लागू होने के बाद व्यवहृत होती है। और जो भाषा विधेयक लाकर के अनुच्छेद ३४३ की मंशा को तोड़ कर के अंग्रेजी को उसी तरह से व्यवहृत करने की बात करना और धारा ३४३ को बिना संविधान को बदले हुये तत्काल खत्म करना यह अपनी जगह पर संविधान को तोड़ना है। यह जो हम कहते हैं कि धारा ३४३ के अनुसार कार्य करो यह उचित कार्य है। संविधान में कहीं पर यह बात नहीं दी हुई है कि आज यदि कोई एक सूबा न चाहे तो अंग्रेजी अनन्तकाल तक बनी रहे। ऐसा नहीं है।

आज उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हिमांचल प्रदेश और उसी के साथ हरियाणा तत्काल हिन्दी के पक्ष में है। उसी के साथ-साथ महाराष्ट्र, गुजरात मैसूर और पंजाब हिन्दी के विरोधी नहीं हैं। उसी के साथ साथ आन्ध्र प्रदेश, केरल, बंगाल, उड़ीसा असम धीरे-धीरे चाहते हैं कि अंग्रेजी जाय। केवल दो सूबे ऐसे-ऐसे तमिलनाड और नागालैण्ड जो अंग्रेजी को अनन्तकाल तक बनाये रखना चाहते हैं। भाषा विधेयक में यह कह कर कि जब तक सभी राज्य अंग्रेजी को हटाने के लिये तैयार नहीं होंगे तब तक अंग्रेजी बनी रहेगी। इसका सीधा मतलब है कि संविधान की धारा ३४३ के अनुसार १५ वर्ष का समय समाप्त होने पर भी अंग्रेजी हटाना नहीं चाहते हैं। अब यदि १५ वर्ष के समय को आप बढ़ाना चाहते थे तो १०, १५ साल का समय ले लेते। लेकिन ऐसी भाषा लाकर के कि जब तक सभी राज्य अंग्रेजी को हटाने के के पक्ष में नहीं होंगे तब तक अंग्रेजी इस देश में से नहीं हटेगी सीधे-सीधे संविधान की हत्या है। १५ वर्ष की सीमा थी संविधान में। अगर यह समय कम था तो १० साल की मर्यादा या १५-२० साल की मर्यादा ले लो। लेकिन यह कहना कि जो लोग अनन्तकाल तक अंग्रेजी को इस देश में बनाये रखना चाहते हैं उनके हाथों में इस सवाल को छोड़ कर आप यह कहना चाहें कि इस देश की ४५ करोड़ जनता हिन्दी को इस देश की राजकाज की भाषा के लिये तैयार हो जाय लेकिन ४ करोड़ जनता या उसके कुछ अगुआ यदि नहीं तैयार होते अंग्रेजी हटाने के लिये तो अंग्रेजी इस देश में लदी रहे इस बात को कभी कबूल नहीं किया जा सकता है।

हमारा तो इतना ही कहना था कि हिन्दी सूबों में अंग्रेजी न लादी जाय। जो सूबा अंग्रेजी रखना चाहे वह अंग्रेजी रखे। केन्द्र उससे अंग्रेजी में व्यवहार करना चाहे करे, लेकिन हिन्दी सूबों पर अंग्रेजी न लादी जाय। मैं वित्त मंत्री जी की प्रशंसा करना चाहता हूं कि उन्होंने केन्द्रीय सरकार से लड़ाई कर के रिजर्वबैंक आफ इंडिया से हिन्दी में लिखा पढ़ी करने का विधान कर लिया। उन्होंने केन्द्र से लिखा पढ़ी कर के इंडियन हाई कमीशन इन ब्रिटेन से हिन्दी में पत्र व्यवहार करने का विधान कर लिया। लेकिन केन्द्र द्वारा राज भाषा विधेयक पास करने के बाद अब हमको हिन्दी के साथ अंग्रजी की भी प्रतिलिपि भेजनी पड़ेगी और हिन्दी जितनी आगे बढ़ी थी उतनी ही उसे पीछे हटना पड़ेगा। जहांतक भारत की जन भाषाओं का प्रश्न है, हमारे ऐसे लोग भारत की जन भाषाओं में कोई मतभेद नहीं चाहते। हमारे ऐसे लोग चाहते हैं कि हिन्दी और

उर्दू में, हिन्दी और बंगला में, हिन्दी और गुजराती में, हिन्दी और मलायलम में, हिन्दी और कन्नड़ में उसी नाते का सम्बन्ध हो जैसा गंगा और जमुना में सम्बन्ध है। उर्दू तो मुझे माननीय कमलापति जी की वजह से सीखने का इस वजह से मौका मिल गया क्योंकि जब वह गृह मंत्री थे तो हमें वर्ष भर के लिये जेल में रख दिया गया था और उस वक्त एक साल उर्दू पढ़ने का मौका मुझे जेल में मिला था। और इसके लिये मैं पंडितजी का बहुत ऋणी हूं। लेकिन हमारा और वित्त मंत्री जी दोनों का यह फैसला है कि हम तमिल सीखेंगे और जब तामिलनाड में जायेंगे तो तमिल भाषा में ही भाषण करेंगे। यह इसलिये कि हम तमिलनाड के लोगों के दिल में यह बिठाना चाहते हैं कि हमारा तमिल से झगड़ा नहीं है। हमारा झगड़ा तो अंग्रेजी से है।

जो संविधान की बात कही गयी, संविधान की कौन हत्या कर रहा है? मैं नहीं जाना चाहता हूं इसकी तफसील में, माननीय बनारसीदासजी और नेता विरोधी दल से कहूंगा कि अपने सीने पर हाथ रख कर कहें मैं माननीय कमलापति जी को जानता हूं कि यदि उनकी पार्टी का प्रतिबन्ध न हो तो वे निश्चित रूप से इस बात को कहेंगे कि केन्द्रीय सरकार राजभाषा के प्रश्न पर संविधान की हत्या कर रही है।

श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला जौनपुर)—

मैं आपको बता दूं कि मैंने यह स्टेटमेंट दिया है और आपकी इस राय से इतना मैं सहमत हूं कि जो भाषा विधेयक रहा है वह संविधान की सीमाओं का उल्लंघन करता है। (हर्ष ध्वनि)

श्री प्रभुनारायणसिंह—

मैं आभारी हूं उनका और विरोधी दल के नेता का भी क्योंकि आखिर मुझे भी बीस-पचीस साल की राजनीति में उनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिला है। तो मुझे तो अच्छी तरह से उनके दिल की भावनायें मालूम हैं। तो मैं यह कह रहा था कि हमने संविधान को नहीं तोड़ा। प्रश्न यह है कि जो हमने प्रतीकात्मक विरोध किया राजभाषा विधेयक का उसको करना कहांतक ठीक था, कहां तक ठीक नहीं था। यह राय बन सकती है हमारे कुछ माननीय दोस्तों की कि वह प्रतीकात्मक विरोध करना ठीक नहीं है। लेकिन हमारी राय यह है कि वह प्रतीकात्मक विरोध करना ठीक था। और मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोग कोई ऐसी बात तो करना नहीं चाहते थे। सीधी सी बात है कि लोहिया जी के निवास स्थान से चले। रास्ते में कोई घटना नहीं घटी। हम तो संसद भवन जाकर प्रधान मंत्री से मिल कर इस बात को कहना चाहते थे कि यह भाषा विधेयक वापस लेना चाहिये और इसके साथ-साथ हम यह चाहते थे कि हमारी आवाज और उत्तर प्रदेश के ८ करोड़.....

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

व्यवस्था का प्रश्न। माननीय त्रिपाठी जी ने यह कह दिया कि यह संविधान का उल्लंघन हुआ है और जब उस उल्लंघन की रक्षा के लिये माननीय मंत्री जी वहां उसके विरोध में गये और गिरफ्तार किये गये तो फिर बहस किस बात की है। असल में बहस इस बात की है कि उन्होंने जो यह कार्य किया वह गलत किया या सही किया। मैं आदरणीय त्रिपाठी जी से सहमत नहीं हूं कि संविधान की सीमा का उल्लंघन केन्द्रीय सरकार ने नहीं किया।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, मुझे कहना यह है कि प्रस्ताव माननीय नेताविरोधी दल ने पेश किया है उसमें उन्होंने भाषा विधेयक का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने यह भी नहीं कहा है कि भाषा विधेयक संविधान के अनुकूल है या प्रतिकूल है। उसमें यह प्रश्न उठाया गया है कि माननीय मंत्री जी ने अपने प्रदेश में कानून और विधि की रक्षा के लिये तरह-तरह के ऐक्ट

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

बनाये और उनके लिये वे उत्तरदायी हैं लेकिन वही मंत्री जी किसी दूसरे प्रदेश में जाकर उस कानून को तोड़ें तो इसके लिये खेद प्रकट किया गया है। मुझे आप आज्ञा देंगे तो मैं इस पर बोलूंगा। माननीय नेकराम जी को अकारण भ्रान्ति हो रही है। प्रस्ताव बहुत स्पष्ट है।

श्री प्रभुनारायणसिंह—

अब एक प्रश्न यह है कि जब इस भाषा विधेयक से संविधान की परिधि को तोड़ा गया है, तो उसका प्रतीकात्मक विरोध होना चाहिये और जो विरोध किया गया वह प्रतीकात्मक विरोध था जिसमें उत्तर प्रदेश की भावना निहित थी और जिसे केन्द्रीय सरकार को समझाना था कि उसकी कद्र करके वह भाषा विधेयक को या तो वापस ले अथवा उसमें संशोधन करे। माननीय बनारसीदास जी ने कहा कि हमारे साथ कोई विशेष व्यवहार नहीं किया गया। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि जब कभी हम कांग्रेस के राज्य में जेल गये तो ए० और बी० क्लास की सुविधा रही और जब साथियों के साथ रहे तो सी क्लास में रहे। ४२ में भी अंग्रेजों के जमाने में जेल जाने का मौका मिला और ५ हजार रुपया इनाम भी था। लेकिन जब गिरफ्तार किया गया तो जो शिष्टाचार उस समय की सरकार ने बरता वह शिष्टाचार आज की केन्द्र की सरकार ने नहीं बरता। (शेम–शेम) इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि जो साधारण शिष्टाचार भी है, जो हर नागरिक तथा बन्दी के साथ बरता जाना चाहिये वह साधारण व्यवहार भी केन्द्रीय सरकार की तरफ से नहीं बरता गया। हमने केवल यह कहा और यहां तक हुआ कि हमको "बी" क्लास दिया गया और जब पार्लियामेंट में बयान हो गया और प्रिविलेज का सवाल उठा तो काटकर "ए" कर दिया गया। हम यह कहना चाहते हैं कि हमने कोई गलत बात नहीं कही। सवा पांच बज चुके थे। हमने यह कहा कि ५ मित्रों के बयान हुये हैं, सात के बाकी हैं और पूरी शहादत बाकी है। विधि विधान के पंडित लोग इतना तो कहते कि सवा पांच बज चुके हैं, ५ के बयान हुये हैं ७ के बाकी हैं और पूरी शहादत बाकी है, रात भर बैठने के बाद भी वह पूरी नहीं हो सकती है लेकिन फिर भी जो ज्यादती की गई है वह कहां तक न्यायसंगत है। विधि विधान के अन्दर है। एक भी बयान जनतंत्र के हिमायतियों की तरफ से नहीं आया जहां तक सुविधा की बात है हमारे जैसे लोग बहुत सुविधा लेना भी नहीं चाहते हैं। वह तो शिष्टाचार की बात है और उसको राजनयिक होने के नाते जो लोग भी करते हैं, चाहे वे सूबे के हों या केन्द्र के हों जब माननीय गुप्ता जी गिरफ्तार होंगे तो उनकी प्रतिष्ठा और इज्जत का खयाल रखा जायेगा जिस हैसियत से उन्होंने सूबे की राजनीतिक सेवा की है, उसका ध्यान रखा जायेगा माननीय गुप्ता जी और त्रिपाठी जी जो इतने बुजुर्ग हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं मैंने एक माननीय सदस्य का बयान अखबार में पढ़ा था। उसकी चर्चा करना नहीं चाहता हूं क्योंकि वह सदन की बात नहीं है। उसमें बड़ी गन्दी और गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। मुझसे बयान निकालने के लिये कहा गया तो मैंने कहा कि इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है।

कानून शिकनी का सवाल उठाकर, आज इस सिलसिले में कानून की बात की जा सकती है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे दिल में केवल यह बात है कि भाषा विधेयक के आने से संविधान की हत्या हुई है, संविधान की सीमा का उल्लंघन हुआ है और संविधान की मर्यादा को ठेस पहुंची है, ऐसी दशा में हम अपेक्षा करते हैं, छोटे लोग छोटी बात कर सकते हैं क्योंकि वे ऐसा करने के आदी होते हैं लेकिन जब राष्ट्र का बड़ा सवाल है तो हमेशा साहस और हिम्मत के साथ इसमें फैसला लेना चाहिये और उसी से, बात तय होती है बराबर नहीं होती है। ऐसी दशा में जो बड़े लोग हैं उनसे हमारी प्रार्थना है कि वे कम से कम दिल्ली के सिंहासन तक उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज को पहुंचायें और इसके लिये गुप्ता जी और त्रिपाठी जी आदि जवाब दें। जीवन में कभी-कभी आवश्यकता होती है कि बड़े सवाल पर जिसमें संविधान की हत्या होने जा रही हो या बड़ी चीजें खत्म होने जा रही हों तो उस समय साहस के साथ कार्य करना पड़ता है। ऐसी दशा में हमारी तरफ से जो कार्यवाही हुई है उसके सिलसिले में

मंत्रिपरिषद् से हटने का सवाल संविधान या किसी कानून की धारा के मातहत नहीं आता है और ऐसी दशा में जो बात मैंने सदन के सामने प्रस्तुत की और उसी क साथ साथ यह भी कहना चाहता हूं कि जहां तक संविधान का प्रश्न है, हम उसकी रक्षा करना चाहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि यदि संविधान नहीं रहेगा तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात होगी। मैं ३-४ साल अंग्रेजी राज्य में जेल में रहा हूं तो ५/६ साल कांग्रेसी राज्य में भी जेल में रहा हूं और मैं स्वयं भुक्त भोगी हूं कि आखिर किस तरह की स्थिति रहेगी। लेकिन संविधान के रहते हुए कम से कम नागरिक के अधिकारों की तो सुरक्षा है। जब संविधान की हत्या होती है तो अगर कहीं रोष का इजहार किया जाय तो कानूनशिकनी का बहाना लेकर इतना बड़ा माहौल नहीं उठाना चाहिये। केवल इतना मानना चाहिये कि एक बड़े कार्य के सिलसिले में जिसमें संविधान की हत्या हो रही थी जिसको माननीय दोस्त मानते हैं, उसमें हमने अपने रोष को व्यक्त किया। इन सारी चीजों को इस पृष्ठभूमि में देखना चाहिये। मैंने चह्वाण साहब से कहा कि मर्यादा और शिष्टाचार की बात जरूर रहनी चाहिये। मैंने उनसे कहा कि भगवान वह दिन न दिखाए, आज आपकी ताकत केन्द्र में ज्यादा है, कल वह खिसके, तो ऐसा कार्य करें जिससे सार्वजनिक जीवन में मर्यादा और शिष्टाचार सदा कायम रहे।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उपाध्यक्ष जी·····

श्री प्रभुनारायण सिंह—

(श्री कमलापति त्रिपाठी के माइक्रोफोन के ठीक करने पर) वह भी साथ नहीं दे रहा है।

*श्री कमलापति त्रिपाठी—

जब आपने साथ छोड़ दिया, जब सजीव ने साथ छोड़ दिया तो जड़ ही तक साथ देगा।

इस बहस में शायद मैं, अगर यह बहस चलती तो एक आध दिन के बाद ही बोलता। लेकिन हमारे भाई प्रभुनारायण सिंह ने बार-बार मेरा नाम लिया और कुछ ऐसी बातें कहीं जो मैं समझता था कि उनके जैसा विचारशील व्यक्ति कुछ दूसरे ढंग से कहेगा। आज जो प्रश्न उपस्थित है वह संविधान का प्रश्न नहीं है। जो प्रश्न यहां उपस्थित है वह भाषा विधेयक को लेकर उसके प्रकाश में संविधान को देखने का प्रश्न नहीं है। संविधान की मर्यादा का उल्लंघन हुआ या नहीं इसमें दो राएं हो सकती हैं। मेरी स्वयं अपनी राय यह है कि जो भाषा विधेयक आया वह संविधान की सीमाओं का अतिक्रमण करता है। इस बात को मैंने स्पष्ट रूप से अपने वक्तव्य में पत्रों द्वारा दिया। इतना ही नहीं मैंने इस विषय को केन्द्रीय सरकार के सामने, प्रधान मंत्री से भी कहा। पत्र भी लिखा। बहुतों की राय हो सकती है कि संविधान की सीमा का वह उल्लंघन नहीं करता। आज वह प्रश्न हमारे सामने नहीं है, क्योंकि संविधान का उल्लंघन हुआ या नहीं इसका फैसला लाठी, सोंटा, और डंडा से और सड़क पर नहीं किया जायगा। इसके लिये संविधान ने स्वयं कोई विधि बनायी है। उसी से निर्णय हो सकता है। उस विधि का प्रयोग न करके जब हम चलते हैं तो हम संविधान की रक्षा नहीं करते हैं बल्कि उसकी जड़ काटते हैं। वह विधेयक संविधान की सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है या नहीं इसका फैसला पार्लियामेंट करेगी।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं एक जानकारी चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मैं बोल रहा हूं। पार्लियामेंट उसका फैसला करेगी, सारे देश के प्रतिनिधि वहां बैठे हैं, मैं यदि होता पार्लियामेंट में तो वहां अपनी राय देता, मेरे बहुत से मित्रों ने राय दी। हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के ही बहुत से आदमियों ने उसके विरुद्ध अपनी राय दी। मैं यह भी जानता हूं कि संविधान की सीमा के विषय को लेकर काफी देर तक बहस हुई। पार्लियामेंट के सामने वह चीज गई, उसने उसे देखा, प्रतिनिधियों को जो अपनी अपनी राय देनी थी, वह उन्होंने दी और अन्ततोगत्वा वह बहुतम से पास हुआ। आगे चलकर संविधान की ही यह मान्यता है कि जो चीज पार्लियामेंट से बहुमत से स्वीकार हो जाए, देश उसे मानता है, उसे स्वीकार करता है, जब तक कि किसी अन्य विधेयक द्वारा पार्लियामेंट उसे अमेन्ड न कर दे उसे अस्वीकृत न कर दे। फिर भी यदि कोई चीज गलत हुई है तो उससे भी बड़ी शक्ति सुप्रीमकोर्ट वर्तमान है, वह उसके औचित्य और अनौचित्य का फैसला करेगी। न जाने किसी संविधान की धाराएं जहां तक मैं समझता हूं सुप्रीमकोर्ट ने अल्टरावायरस घोषित कर दीं और बहुतों में उसने परिवर्तन कर दिया। तो संविधान में उसका तरीका दिया हुआ है कि यदि कहीं संविधान का उल्लंघन होता है तो कैसे उसको रोका जा सकता है, उसकी विधि दी हुई है। उसी का यदि हम उल्लंघन करके चलेंगे तो संविधान की रक्षा करने की बात गलत हो जायगी।

जो प्रस्ताव माननीय सदन में रखा गया है उसमें इस बात का विवाद नहीं है कि भाषा विधेयक कैसा था, उसने क्या किया। केवल इसमें यह था कि यदि कुछ लोग जो यह मानते हैं कि भाषा विधेयक पेश होने से संविधान का अतिक्रमण हुआ है, तो क्या उसे रोकने के लिये उन्होंने जो कदम उठाया है, जो रास्ता अपनाया है क्या वह उचित था ? आज केवल हमारे सामने यही प्रश्न है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जो प्रस्ताव नेता विरोधी दल ने पेश किया है वह कानून का नहीं है वह औचित्य का है, वह परम्परा स्थापित करने का है, जो विधान सभाओं, पार्लियामेंट और परम्पराओं की पवित्रता बनाये रखने का है। वह प्रस्ताव किसी काम को उचित प्रकार से करने का है। कानून का प्रश्न तो छोटा-मोटा हो जाता है, बड़ा काम यह है कि जो कदम हमने उठाये हैं वह उचित थे या नहीं। हिन्दी के प्रश्न को लेकर मुख्य प्रश्न को छिपा देने की कोशिश जो आज की जा रही है यह उचित बात नहीं है। ऐसे प्रश्न को उठाकर जिसमें को दो रायें नहीं है कि हिन्दी राष्ट्रभाषा होनी चाहिये, प्रस्ताव के मूल भाव को धूमिल करने की चेष्टा की जा रही है। जहां तक हिन्दी का सवाल है, मैं तो हिन्दी का एक नम्र सेवक मात्र हूं। मुझे ९-१० वर्ष इसी उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। और जहां तक मुझे स्मरण है, मेरे सहयोगी मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, मैंने कभी भी हस्ताक्षर अंग्रेजी में नहीं किए होंगे। शायद ही कोई नोट हो जो मैंने अंग्रेजी में लिखा हो, सभी हिन्दी में लिखे हैं। अनेक बार ऐसा हुआ है जब मेरे पास नोट्स अंग्रेजी में आए हैं, तो मैंने लिख दिया है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है हिन्दी में लिखकर भेजो।

मैं संविधान सभा की भाषा समिति का एक मेम्बर था जिसने हिन्दी को देश में स्थापित किया, जिसका विचार था इंडिया दैट इज भारत। मैं उसका मेम्बर था और मेरे टंडन जी महराज उस समय मौजूद थे। मैं स्वयं यद्यपि गांधी जी की हिन्दुस्तानी के पक्ष में था, हमने यह कहा था कि हिन्दी ही होनी चाहिये, हिन्दुस्तानी कोई शब्द नहीं है। हिन्दी में उर्दू के कुछ शब्द आ जाने मात्र से यदि हिन्दी हिन्दुस्तानी हो जाती है तो वह केवल एक शैली है वह भाषा नहीं है। भाषा में संस्कृत, अरबी, फारसी के शब्द अधिक आ जाने से वह कोई अलग भाषा नहीं हो जाती है। उसका रूप केवल एक शैली मात्र है, जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी के भी शब्द आ जाते हैं, जैसे लालटेन है, रेल है, वह भी हिन्दी के व्याकरण के बंधन बंधकर हिन्दी हो गये। हिन्दुस्तानी कोई भाषा नहीं है। बड़ा संघर्ष था और उसमें जैसा आपने कहा सही बात है कि हमारे प्रधान मंत्री उसके विरुद्ध थे, वह चाहते थे कि हिन्दुस्तानी रखी जाय और इस पर वोटिंग हुई, और हम एक वोट से जीते। तो हिन्दी के प्रति अनास्था का कोई सवाल नहीं है। हिन्दी हमारे देश की राष्ट्रभाषा हो चुकी है, उसे संविधान की मुहर लगाकर इस पद पर बैठाया

जा चुका है और इसलिये हम नहीं कहते कि हिन्दी राष्ट्रभाषा है क्योंकि हम हिन्दी भाषी ह, इसलिये हम मानते हैं कि इस देश की बीस बाईस करोड़ जनता हिन्दी बोलने वाली है और समझने वाली है। इससे भी ज्यादा लोग हैं जो भले ही बोल न सकते हों मगर हिन्दी को समझ तो लेते ही हैं। बहुत बड़ा जनभाग ऐसा है जो हिन्दी को समझता है और हिन्दी में अपना कामकाज करता है। अपनी परम्परा, अपने इतिहास और अपनी सांस्कृतिक धारा के अनुसार हिन्दी इस देश की राष्ट्रभाषा है उसका किसी से झगड़ा नहीं है। न तो मिल से, न गुजराती से, न बंगाली से, यद्यपि अब वह झगड़े में पड़ गयी है। तमिल की ओर से हिन्दी का विरोध होता है, बंगाल की ओर से होता है जबकि तमिल और बंगाल से हिन्दी का कोई विरोध नहीं है। तमिल को छोड़कर भारतवर्ष की सभी भाषाओं का आधार संस्कृत है और हिन्दी भी है। तेलुगू हो, कन्नड हो, मलयालीके तो ७५ प्रतिशत शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत के शब्द हैं। बंगला का तो कहना ही क्या, अगर कोई बंगला बोलने लगे और दूसरे को संस्कृत का ज्ञान हो तो वह सारे का सारा बंगला समझता चलता है। उसका आधार संस्कृत ही है।

अब हिन्द चूंकि बहुत अधिक बोली जाती है और उसकी एक कड़ी संस्कृत से चली आ रही है यही दृष्टि रही है हमारे द्वारा हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने की। इसको किसी पर लादने का सवाल नहीं है, न यह साम्प्रदायिक सवाल है; हमारे जैसे लोग कभी इस प्रश्न को इस दृष्टिकोण से नहीं देखते कि हमारी भाषा है इसलिये इसको दूसरों पर लाद दिया जाय। मगर आज यह झगड़े में पड़ गयी है। आज बंगाल विरोध करता है, यद्यपि बंगला से हिन्दी का कोई विरोध नहीं है, आज तमिल विरोध करता है यद्यपि तमिल से हिन्दी का कोई विरोध नहीं है। प्रश्न राष्ट्रभाषा का है। वह राष्ट्रभाषा है उसे उस प: प: अ सी करा ा है। केवल नारे उ ने से राष्ट्रभाषा राष्ट्रभाषा तो नहीं बन जायगी। वह संविधान की किसी धारा से भी राष्ट्रभाषा नहीं बनेगी। आप भाषा के इतिहास को देखें तो ज्ञात होगा कि केवल कानून बनाने से कोई राष्ट्रभाषा राष्ट्रभाषा नहीं रहती। राष्ट्रभाषा तो राष्ट्र स्वीकार करता है और अगर स्वीकार नहीं करता है तो वह राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती और न वह चलेगी। प्रश्न यह है कि हमारे देश का बहुत बड़ा भू भाग है जो राष्ट्रभाषा चाहता है या नहीं। गांधी जी की बात करना फिजूल है। उन्होंने बारबार कहा था कि हिन्दी राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा होगी। दक्षिण हिन्दी प्रचार सभा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार समिति गांधी जी ने स्थापित की और दक्षिण में हिन्दी का बहुत प्रचार किया। आज तेलुगू और आन्ध्र या केरल में जो भी हिन्दी का प्रचार है, गुजरात या महाराष्ट्र में है, उसका बहुत बड़ा श्रेय महात्मा गांधी की इ हीं समितियों को है। इसको राष्ट्र भाषा माना जा चुका है इसमें दो राय नहीं, परन्तु सवाल यह है कि राष्ट्रभाषा जो हमें बनानी है वह हम तब बना सकते हैं जब उसके लिये सही दिशा में आगे बढ़ें। इसमें किसी को विरोध नहीं है इधर के बैठे हुये लोग इससे विरोध नहीं करते। कहा गया है कि हिन्दी सम्बन्धी नीति के कारण कांग्रेस खत्म हो जायगी। कांग्रेस खत्म हो जाय इसमें कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस खत्म हो जाय और देश की एकता बनी रहे तो कांग्रेस खत्म होने के लिये तैया है। वह जीवित रहकर देश का विघटन नहीं चाहती। हम चाहते हैं कि भाषा को इस दृष्टि से कि यह भाषा साधन हो देश के अन्दर एकता स्थापित करने का जिसमें ५० करोड़ आदमी रहते हैं। देश में भिन्न-भिन्न भाषा लोग बोलते हैं। हरएक को अपनी भाषा से प्रेम होता है। जसे मां क दूध से प्रेम है उसी तरह से भाषा से प्रेम होता है। भाषा एक भावना उत्पन्न करती है। भाषा से सब का प्रेम है। प्रदेशीय भाषा से प्रेम होता है। उससे उसकी संस्कृति बनती है। उससे उसकी कल्पना, साहित्य, और जीवन के दूसरे प्रयोग होते हैं। जो भाषा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है उनका अपना-अपना स्थान है जिसमें वह फली और फूली है। जैसे बंगला और तामिल है। जो हिन्दी का नाम लेने वाले हैं उनको यह बात भी ध्यान में रखना है चाहे वह यह बात मानते हों कि उनकी भाषा संस्कृति पर आक्षेप हो रहा है और उसका प्रभाव नौकरियों पर भी पड़ेगा, परन्तु इसके साथ ही यह बात भी है कि दूसरी ओर सोचें। अभी पिछला चुनाव मद्रास में तामिल भाषा के नाम पर लड़ा गया यह कहकर कि यह कांग्रेस हमारी भाषा और संस्कृत को नाश कर रही है और हिन्दी को लादने वाली है।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

इसी बुनियाद पर सारा चुनाव लड़ा गया और हर कांग्रेसी वहां पर हारा। सुब्रम्हणम ने इस्तीफा दिया वह कहां तक उचित था मैं नहीं जानता। लेकिन जैसा अभी उधर से कहा गया कि बड़ी भारी हिन्दी की सेवा की गई मुझे यह लगता है कि इससे आप वोट कैच करने की बात सोच रहे हैं। यदि हिन्दी के नाम पर हम विचलित होते रहे तो न यह राष्ट्र रहेगा और न यह भाषा रहेगी। अगर भाषा के नाम पर यह हमारा देश विभाजित हो जाय तो यह राष्ट्र भाषा कहां रहेगी? जब देश बंट जायगा तो फिर क्या दशा होगी। आज ऐसी परिस्थिति है कि इससे इन्कार करना तथ्य से आंख मूंदना है। जो चीज प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है उससे आंखों को बन्द नहीं किया जा सकता। देश के अन्दर जितने भी प्रदेश हैं वे सब हिन्दी को राष्ट्र भाषा स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हैं। इसलिये प्रश्न यह है कि यदि हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाना है तो इस सदन को इस पर विचार करना है कि किस तारीख से बनाना है। भाषा है एक माध्यम सारे देश को एकता के सूत्र में आबद्ध करने का। उस बात को लेकर देश टुकड़ों में विभाजित हो तो फिर हम क्या करें। राष्ट्र भाषा उस समय वह बन सकती है जब उसको सारा देश स्वीकार करे। किस तरह से सारा देश उस को स्वीकार करे। आज यह प्रश्न है। इसके लिये हमारे सामने दो ही रास्ते हो सकते हैं जिनसे हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। एक है तलवार के जरिये बन्दूकों की संगीन पर अहिन्दी भाषी प्रदेशों से कहें कि तुमको हिन्दी सीखना पड़ेगा। हमारी केन्द्रीय सरकार संविधान को लेकर और बन्दूक और पुलिस को लेकर तमिल, मलयालम और बंगला वालों पर आक्रमण करे कि तुम हिन्दी को स्वीकार करो नहीं तो तुम्हारे गले पर संगीन रखी है। दूसरा इसके अलावा क्या तरीका हो सकता है जिसको ले कर हम चलें और उनके हृदय में जो आशंका पैदा हो गई है उस को निर्मूल करें। उसके लिये यही तरीका हो सकता है कि स्नेह के साथ उनकी आशंकाओं को दूर करते हुए उन को हिन्दी की तरफ आकृष्ट करें। यही दो तरीके हो सकते हैं। इनके अलावा और तीसरा तरीका नहीं हो सकता है। उन को प्रजातान्त्रिक तरीके से हिन्दी की ओर ले जायं या तलवार बन्दूक के बल पर यह सोचने की बात है।

हमारे वर्मा जी ने एक अजीब सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में वहां की जो फेडरेटेड स्टेट हैं उन्होंने बगावत से काम कराये हैं अपने देश के केन्द्र के प्रति बगावत कर के। वर्मा जी भी सिखा रहे हैं कि जो हमारा राष्ट्र संघ बना हुआ है उसके विरुद्ध बगावत की जाय जैसे कि अमेरिका में कर रहे हैं। जाने दीजिये उनके तर्क को, लेकिन उनके यह कहने का और उस बगावत का समर्थन करने का क्या अर्थ है इसके माने हैं कि वह राष्ट्रीय संघ के प्रति बगावत के लिये प्रेरित करते हैं। वह समझते हैं कि राष्ट्रीय संघ के विरुद्ध हमको, छोटे प्रदेश को बगावत करने का अधिकार है। यह किस तरफ ले जा रहे हैं आप लोगों को? अज हमारा विरोध इस बात से होता है। हमारा विरोध इसी बात से होता है कि आज आप लाठी के जरिये से राष्ट्र भाषा की स्थापना नहीं कर सकते। आज हिन्दी का जितना बड़ा नुकसान कानून तोड़ कर किया जा रहा है उतना बड़ा नुकसान न कोई संविधान कर सकता है और न कोई और। अगर आप राष्ट्र भाषा की स्थापना करना चाहते हो तो आप को इन दो बातों से एक को चुनना होगा। आज एक तरफ राष्ट्र के विभाजन का सवाल है और दूसरी तरफ हम राष्ट्र की एकता के लिए राष्ट्र भाषा चाहते हैं। आज अगर किसी आशंका किसी भ्रांति अथवा किसी अविवेक के कारण देश में विघटन की प्रवत्ति पैदा करने का कारण वह राष्ट्र भाषा हो रही है तो सिवाय इसके और में कोई माध्यम नहीं है कि आप विवेक से चलें और उन भ्रांतियों को निर्मूल करें। आज आप मंत्री हो। कांग्रेस कभी ऐसा गलत काम नहीं करेगी जिस से देश की स्वाधीनता खतरे में आये, देश की एकता भंग हो और देश का विघटन हो और अगर ऐसा करते हुए कांग्रेस को मिट जाना पड़े तो वह मिट जायगी, मिट जाना पसंद करेगी। हम ने उन सिद्धान्तों को स्थापना की जिनकी बिना पर देश में एकता रहे। हम जानते हैं कि हमारे देश की हमारे राष्ट्र की एकता पर ही हमारी स्वतंत्रता निर्भर करती है। हम जानते हैं कि देश की शक्ति एक रहने में है और इतिहास इस बात का साक्षी है कि

भारत कभी एक राष्ट्र नहीं हुआ। इस देश में कभी एक राष्ट्रीयता उत्पन्न नहीं हुई बावजूद इसके कि सांस्कृतिक एकता होती रही है समय-समय पर लेकिन राजनीतिक दृष्टि से हमारा देश कभी एक नहीं हुआ और हमारी दुर्बलता का सब से बड़ा कारण और हमारी बराबर पराजय का कारण, सब से बड़ा कारण यही रहा है कि राजनीतिक दृष्टि से यह कभी एक नहीं रहा। यह कांग्रेस की देन है कि उसने एक कल्पना देश के सामने रखी है कि हमारा सारा राष्ट्र एक है। जो कुछ उसने किया है वह आप स्वीकार करें। इतिहास आप के सामने इसका साक्षी है और उस में यह हमारा कांस्ट्रीब्यूशन है अपने देश की राजनीति में कि हमारा राष्ट्र एक है।

जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय सारी जातियां, सारे धर्म, सारी बिरादरी, तरह-तरह के विश्वास के लोग, जिनकी तादाद सैकड़ों में थी, हमारे देश में थे हम ने उस भिन्नता में अभिन्नता उत्पन्न करने की चेष्टा की। आज उसी पर हम खड़े हैं। हम हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनायेंगे और उसे हम देखना चाहते हैं और देश को एक रख कर, इस विचार से इस दृष्टि से कि हमारी स्वतंत्रता, हमारे विचार, हमारे कार्य, हमारी भाषा, हमारी एकता में सहायक हो। इस दृष्टि से मैं चाहूंगा कि हम इस पर विचार करें। इस को हम भूल नहीं सकते। अगर आप इस को भूलते हैं तो आप राष्ट्र के जीवन के एक अंग को भूलते हैं। अब भाषा विधेयक में हमारी पार्टी ने भी यह प्रस्ताव किया है कि हम चाहते हैं कि अंग्रेजी वाले अंग्रेजी चलायें जब तक चलाना चाहें पर अहिन्दी भाषा भाषी प्रदेशों के मस्तक पर हिन्दी न लादी जाय। उन्होंने विधेयक में बहुत से संशोधन किये हैं और हम उन संशोधनों का स्वागत करते हैं। कई संशोधन जो हम चाहते थे वह उन्होंने किये हैं। मेरी दृष्टि से एक संशोधन और आवश्यक था और वह यह है कि अगर अहिन्दी भाषा भाषी प्रदेशों से हमें पत्र व्यवहार करना हो तो हम को बाध्य न किया जाय कि हम को अंग्रेजी का ट्रान्सलेशन अपने पत्र के साथ भेजना होगा। केन्द्र की सरकार ने यह मंजूर कर लिया है कि आप यहां से पत्राचार हिन्दी में करो। अगर उन्हें ट्रान्सलेशन कराना होगा तो वह अपने घर में बैठ कर करा लेंगे। यह उन्होंने मंजूर किया है। क्या यह मुनासिब नहीं है कि यदि हिन्दी भाषी प्रदेश कह दें कि वे हिन्दी में पत्राचार करेंगे तो अनुवाद की आवश्यकता क्या है? उन्होंने स्वीकार किया है कि हिन्दी या अंग्रेजी किसी एक भाषा का अनुवाद कराना आवश्यक है और उन्होंने यह भी कर लिया है कि एक साल के अन्दर परीक्षा का माध्यम रीजनल लैंग्वेजेज हो जायंगी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। उनका जो आग्रह रहा है वह यह कि अंग्रेजी का अनुवाद भेजा जाय। आपने उनके साथ रियायत करने की बात कही है। यद्यपि हमने आवाज उठायी थी कि इसको भी हटाने की आवश्यकता है। तो आप कैसी बात कह देते हो? सिवाय इसके कि बातों को इधर से उधर करके दूसरे के सर पर मढ़ देने की बात। हिन्दी का प्रश्न वह प्रश्न नहीं है। हिन्दी के विरोध में कोई सवाल नहीं है। सवाल यह है जिस पर उत्तर नहीं दिया कि हिन्दी का मसला अगर तय किया जायगा तो क्या लाठी से, सोंटे से या गालियां दे कर के तय किया जायगा? क्या इस तरह से तय किया जायगा कि हमारे दरवाजे पर आ कर यह कहा जायगा कि तुम्हारी अर्थियां फूंक रहे हैं? अगर तय करेंगे हमारे प्रभुनारायण सिंह जी उन विद्यार्थियों को उन बच्चों को उभार करके कि तुम यह करो और फिर इस पर गर्व करेंगे कि हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं तो यह रक्षा नहीं कर रहे हैं बल्कि इतिहास को, देश को, खतरे में डाल रहे हैं।

मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न करने की बात है कि हर आदमी आकर के जो मंत्री बना हुआ है अपने प्रदेश में तो १४४ लगावे और कहे कि जो तोड़ें उन को पकड़ करके बन्द कर दो और बन्द किया है प्रदेश में १४४ लगाकर ऐंटी-इंगलिश एजीटेशन में और लोगों को गिरफ्तार किया है और बन्द किया है और दूसरे लोग जाते हैं मंत्रिमंडल के कि हम १४४ धारा तोड़ेंगे। यह डबल स्टैंडर्ड किसका है मैं जानना चाहता हूं। आप इसका उत्तर दें। आप सोचें कि आप क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं। उग्रसेन ने कहा कि सेंट्रल

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

मिनिस्टर आये तो गिरफ्तार कर लो। यानी दिमाग अगर खब्त हो जाय किसी का तो कौन इलाज हो सकता है सिवाय आगरे के? कोई इलाज नहीं हो सकता। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक जगह वही काम कर के कानून और विधि की रक्षा करोगे? आप की ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी है। मैं पूछना चाहता हूं मुख्य मन्त्री जी से कि आप के मंत्री क्या आप की राय से दिल्ली गये थे? और पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्रिमंडल ने स्वीकार किया था कि वे जायं बाहर रेड करने के लिये और दिल्ली में १४४ तोड़ें? तो क्या आप समझते हैं कि जो कुछ उन्होंने किया वह ठीक है?

(इस समय ४ बजकर १३ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

क्या प्रेरणा आप दे रहे हैं? हमारे बच्चे जिन पर पुलिस की लाठियां पड़ी हैं अगर वह १४४ तोड़ते हैं तो वह क्या बुरा करते हैं जब आप स्वयं तोड़ रहे हैं? और आप विधि की ओर संविधान की दुहाई देते हैं--

"अंधे बधिर न कहहिं अस श्रवण बन्द तो.....

आज तो प्रश्न यह है कि आपने क्या बुलायी है विधान सभा की मीटिंग इस प्रश्न पर? अगर बुला ली होती और प्रस्ताव रख दिया होता तो हम उसका समर्थन करते कि प्रदेश की जनता का और हम सब का मत है कि इस धारा में यह संशोधन कर दिया जाय। क्या कभी आग्रह किया विधान सभा बुलाने का? बहरहाल अगर कर दिया होता तो देखते। यही विधि का तरीका रहा है। गांधी जी का नाम लेते हो। हमारे भाई ने कहा कि गांधी जी ने होलियां जला दीं विलायती कपड़ की। अरे अपने घर से निकाल कर लोगों ने जला दिया। हमने पिकेटिंग किये हैं विदेशी कपड़े की दूकानों पर, शराब की दूकानों पर धरने दिये हैं। कभी यह नहीं कहा कि हम दूकान लूट लेंगे या फूंक देंगे। न किसी का साइनबोर्ड जबरदस्ती उतरा। यह कहा कि भाई साहब, विलायती कपड़ा बेचना बन्द करो और पुलिस ने पकड़ लिया तो गिरफ्तार हो कर चले गये। गांधी जी ने कहा है सत्याग्रह करने के लिये। मान्यवर, गांधी जी ने कहा है--"सिविल डिसओबिडिएंस इज एन एफेक्टिव सब्स्टीट्यूट आफ आर्म्ड रेबिलियन"। किसी आर्म्ड रेबिलियन को जगह नहीं होती है लोकतंत्र में, अगर आप इस दृष्टि से कोई सत्याग्रह या कानून शिकनी हो तो उसके लिये भी लोकतंत्र में जगह नहीं है। लोकतंत्र चल नहीं सकता है इस तरह से। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कुछ दिन पहले यहीं से भाषण करते हुए कहा था कि लोकतंत्र में कानून शिकनी के लिये कोई जगह नहीं है। मुझे उम्मीद है कि चौधरी साहब इसे भूले नहीं होंगे कि यहीं बोलते हुए उन्होंने कहा था। आज आप मुकाबला करते हैं उन अंग्रेजों से जिनका अनउत्तरदायित्वपूर्ण शासन इस देश में मौजूद था और पुलिस राज्य कायम था? जब कि लाठी-सोंठे और संगीनों से राज्य किया जाता था और जब कि बन्दे मातरम् कहना भी जुर्म था। उस समय देशभक्ति अपराध थी। जो देश का नाम लेते थे वे तो अपमानित होते थे, उस अराजकता का मुकाबला आप आज से करते हैं? यह ठीक है कि जिन्होंने बीस वर्ष तक देश को रास्ता दिखलाया और अधिकार में रहे उन को आप ने बदल दिया।

आप कानून बदल कर कानून में परिवर्तन करते और दूसरा कानून लाते, इसका आपको अधिकार है। पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट को मर्द को औरत और औरत को मर्द बनाने का अधिकार नहीं है, लेकिन इसके सिवा उसे सब अधिकार है। वह जो कुछ चाहे कर सकती है। आप कहते हैं कि आप ने कानून को तोड़ा है। माननीय नेता विरोधी दल का जो प्रस्ताव है वह प्रस्ताव केवल इस बात के लिये है कि मंत्रियों के लिये यह उचित नहीं था कि वे इस तरह से किसी कानून का विरोध प्रकट करें। उनकी ज्वायंट रिस्पांसिबिलिटी है। उनके लिये खुला रास्ता था कि वे चौधरी साहब को लिखते और इस्तीफा देकर दफा १४४ तोड़ने के लिये जाते, तब हमें या किसी को कोई शिकायत न होती। लेकिन आपने एक गलत

परम्परा डाली है और एक अनुचित कदम उठाया है, विवेक के विरुद्ध काम किया है और संविधान के विरुद्ध भी काम किया है। इस तरह से आप ने हिन्दी की सेवा नहीं की बल्कि देश की एकता को नष्ट करने व विघटन की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। आपने बजट हिन्दी की सेवा करके देश के लिये अहितकर काम किया है और इसलिये यह विधान सभा खेद प्रकट करती है।

श्री अध्यक्ष—

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सदन की यह इच्छा है कि यह कल भी चले ?

(आवाजें—कल भी चले।)

मैं इतना और जानना चाहता हूं कि कल कितनी देर तक आप इसको चलाना चाहते हैं?

(आवाजें—कल दिन भर यह चले।)

श्री नेकराम शर्मा—

मेरा विचार है कि यह परसों भी चले क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी इस पर अपना विचार प्रकट करना चाहेंगे। इसलिये यह सदन परसों भी इस पर चर्चा करें।

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री जी को कुछ कहना है ?

मुख्य मन्त्री (श्री चरणसिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव के पक्ष में और विपक्ष में काफी तकरीरें वैसे तो हो चुकी हैं और यों मजमून ऐसा है कि इसके ऊपर एक हफ्ते तक बहस हो सकती है, लेकिन देखना यह है कि क्या इतना समय दिया जाय ? क्या ऐसी आवश्यकता है, क्या कोई नई बात सामने आवेगी, मेरे खयाल से नहीं आवेगी, तो यह हो सकता है कि आप चाहें तो एक घंटा समय बढ़ा दें तो आज ही खत्म हो जाय। अगर नहीं हो तो कल दो घंटे और दे दीजिये लेकिन कल सारा दिन लेना तो मैं अनावश्यक समझता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि एक तरफ से माननीय नेक राम शर्मा जी दो दिन की मांग करते हैं, तो माननीय नेता विरोधी दल भी अपनी राय दे दें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मैं समझता हूं कि कल तो पूरा दिन आप इस पर दे ही दें, विचार विनिमय के लिये क्योंकि सभी इस पर अपने विचार प्रकट करना चाहेंगे। मैं चाहूंगा कि कल जब आखिरी वक्ता बोलें उस वक्त तय करेंगे कि और कोई सदस्य तो इस पर नहीं बोलना चाहते हैं। फिर दूसरे दिन की बात करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

मेरी कठिनाई यह है कि साधारणतः बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को यह तय करना होता है कि कितना समय किसमें लगे, अगर यह सदन स्वीकार कर ले उसके लिये प्रस्ताव को माननीय न्याय मंत्री जी शायद बीमार हैं या अन्य किसी कारणों से यह सम्भव नहीं हो सका। शासन की ओर से भी कोई जोर नहीं दिया गया कि मैं ऐसा करूं। वैसे मैं समझता हूं कि उसकी मीटिंग कराना आवश्यक है। अब जब तक इस विषय पर मतैक्य नहीं है, मैं समझता हूं कल तो इस पर बहस होगी ही, दोनों पक्ष इसके लिये सहमत हैं, और कल ही हम यह तय करेंगे कि कितना समय इसके लिये दिया जाय।

श्री चरणसिंह—

क्या आप ने यह तय कर दिया है कि कल सारे दिन इस पर बहस होगी ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने इतना ही कहा है कि कल इस संबंध में हम तय करेंगे कि कितना समय दिया जाय, सारे दिन चलेगा, एसी बात मैंने नहीं कही है।

प्रदेश में भाषा विधेयक संबंधी आन्दोलन में हुई क्षति के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास कल और आज काफी संख्या में काम रोको प्रस्ताव आये हैं। कानून के अनुसार उन लोगों के प्रस्ताव को छोड़ कर जिन्होंने आज पुनः दिये हैं, शेष लैप्स हो जाते हैं। करीब १५-१६ माननीय सदस्यों ने एक ही विषय से संबंधित कामरोको प्रस्ताव तथा नियम ५२ आदि के प्रस्ताव दिये हैं। मैंने उनमें से माननीय नेकराम शर्मा जी का कामरोको प्रस्ताव स्वीकार किया है, शेष प्रस्ताव उसी के अन्तर्गत आ जाते हैं। चूंकि श्री नेकराम शर्मा के प्रस्ताव की परिधि इतनी चौड़ी है कि उसमें अन्य सभी प्रस्ताव भी आ जाते हैं, इसलिये मैंने उनके प्रस्ताव को ही स्वीकार किया है, जो इस प्रकार है —

"प्रदेश में भाषा विधेयक के संबंध में हाल ही में हुये आन्दोलन के फलस्वरूप लाखों रुपये और जन-सम्पत्ति एवं जन क्षति हुई है। इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा करने के उद्देश्य से यह सदन आज का अपना कार्य स्थगित करता है" इसी विषय पर जो और लोगों ने अपने प्रस्ताव दिये हैं उनके नाम हैं सर्वश्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा, नवल किशोर, लक्ष्मीरमण आचार्य, चन्द्रशेखर सिंह, बेचनराम, अश्विनी कुमार चतुर्वेदी राकेश, अश्विनी कुमार शुक्ल, कल्याणचन्द्र मोहिले, रामदुलारे पटेल, उग्रसेन तथा मधुकर दिघे।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, हमारा भी था .....

श्री अध्यक्ष—

हां, उनका भी था, मैंने सोचा था कि जो विषय आज चल रहा है उसमें उसका समावेश हो जायेगा, लेकिन मैं उस को भी इसमें सम्मिलित करे लेता हूं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव मैंने दिया था जो फारेस्ट डिपार्टमेंट की भूमि के संबंध में था, उसे आप माननीय मुख्य मन्त्री के पास ही भेज दें...

श्री अध्यक्ष—

वह मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी के पास भेज दूंगा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

वह बहुत आवश्यक है। रबी की फसल खड़ी हुई है। अगर फारेस्ट में उसे लेना भी हो तो अभी न लिया जाय। इलाहाबाद में संसोपा के लीडरजश्री सालिगराम जायसवाल ने भी कहा है कि हम लगान-बन्दी आन्दोलन करेंगे। ३ साल का लगान लिया जा रहा है। स्थिति बड़ी भयंकर है। मुख्य मंत्री जी इस पर भी विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष—

मैं एक ही ले सकता था और यह सर्वाधिक महत्व का इसलिये हो जाता था कि १६ माननीय सदस्यों का एक ही विषय पर कामरोको प्रस्ताव था।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

नानक सागर की बात है ।

श्री अध्यक्ष—

आप उसकी प्रतीक्षा कीजिये।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

हमारा कोई कामरोको प्रस्ताव नहीं है। हमारे दल के सदस्यों ने नियम ५२ दिया था।

श्री अध्यक्ष—

कामरोको और नियम ५२ में इतना अन्तर है कि उसे ५६ में लीजिये और उसे ५२ में। दोनों में समय सदन का लगना है। मैंने उचित समझा कि आपका भी उसी में समाविष्ट कर दिया जाय। मैं आपका मतलब समझ गया। वह ठीक है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इसे स्वीकार किया ।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

व्यवस्था का प्रश्न है। कल भी एक ऐसा कामरोको प्रस्ताव लिया गया था। २७,००० आदमी निकाले जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप व्यवस्था में दुर्व्यवस्था कर रहे हैं। आप कृपया बैठें।

श्री नेकराम शर्मा—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रदेश में भाषा विधेयक के संबंध में हाल ही में हुए आन्दोलन के फलस्वरूप जो लाखों रुपये की जन-सम्पत्ति एवं जन क्षति हुई है, इस लोकमहत्व के प्रश्न पर विचार करने के लिए यह सदन आज का अपना कार्य स्थगित करता है।

श्री अध्यक्ष—

इस पर, माननीय मुख्य मंत्री जी, आपको आपत्ति हो तब तो वोटिंग का प्रश्न उठेगा, वरना....

मुख्य मंत्री (श्री चरणसिंह)—

यह काहे के बारे में है ? मैं माफी चाहूंगा, मेरा ध्यान और तरफ था।

श्री अध्यक्ष—

सारे प्रदेश में हिन्दी के बारे में जो आन्दोलन हुआ उसमें विभिन्न स्थानों पर लाठी-चार्ज हुआ। इस पर विभिन्न मत व्यक्त किये गये हैं। ये सारे प्रश्न इसकी परिधि में आ जाते हैं।

श्री चरणसिंह—

मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

तो इस पर हमें फौरन बातचीत करना है। आपकी अनुमति हो तो मैं अभी ५१ वाले पर घोषणा कर दूं।

श्री चरण सिंह—

अभी तो मुमकिन न होगा। क्या उसको आप अभी ले रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

सिद्धान्ततः जो कार्य-स्थगन का नियम है वह यह अपेक्षा करता है कि जैसे ही कार्य-स्थगन प्रस्ताव आये सदन का कार्य स्थगित कर दिया जाय और कोई सदन का कार्य न हो। इसकी सूचना मैंने इत्तफाक से आज ही नहीं, कल भी भेज दी थी क्योंकि इस तरह का एक कल भी स्वीकार किया था और आज भी १० बजे इसकी सूचना भेज दी थी जिसका प्रत्यक्ष यह मतलब है कि सरकार को इस बारे में तैयार होकर आना चाहिये। इस विषय में अगर कोई विशेष कठिनाई हो तो बतायी जाय।

श्री चरणसिंह—

मेरी अन्डरस्टैंडिंग यह नहीं थी कि आज ही वह आने वाला है। लेकिन अगर आपकी राय आज ही उसको लेने की है तो मुझे उस बारे में कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन अनुपूरक मांगों का क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो पांच बजे लिये जायेंगे, तब यह काम बन्द हो जायगा।

श्री नेकराम शर्मा—

जब एक बार कामरोको प्रस्ताव शुरू हो जाता है तो उसको बराबर दो घंटे तक चलना चाहिये। उस बीच में कोई और काम नहीं आना चाहिये। इसीलिये तो उसको कामरोको प्रस्ताव कहा जाता है। अगर ऐसा नहीं हो सकता हो तो श्रीमन्, इसको कल के लिये स्थगित कर दें। लेकिन जिस समय यह आरम्भ हो जाय, और कोई कार्य उसके बीच में न हो।

श्री अध्यक्ष—

जो आपने कहा साधारणतः ठीक तो यही है कि सदन का जो साधारण काम चल रहा है उसको रोक कर उसको ले लिया जाय। लेकिन यह भी आपको अच्छी तरह स्मरण होगा कि इसी सदन में समय-समय पर ही नहीं बल्कि बहुधा यह होता रहा है कि जिस दिन कामरोको प्रस्ताव आता है उसके १–२ दिन बाद वह लिया जाता रहा है। जब मैंने सुबह उसको शासन के पास भेज दिया था तो साढ़े चार बजे तक शासन को काफी समय उसको देखने का मिल जाता है। इसलिये मैं यह आशा करता था कि आज उसको ले लिया जायगा। लेकिन हमारे यहां यह जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, जो राज्यपाल की अनुमति से यहां लिये जाते हैं, उनको तो अवश्य ही प्रायोरिटी दी जाती है। अगर आप लोग यह चाहते हैं कि इसको दूसरे दिन ले लिया जाय तो मुझे उसमें कोई एतराज न होगा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

अभी आपने कामरोको प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए अपने श्रीमुख से यह कहा कि इस पर बहस शुरू हो। आपने मुख्य मंत्री जी से भी पूछा और उन्होंने भी कहा कि उनको भी आपत्ति नहीं है। अब जब यह चीज आपके श्रीमुख से निकल गयी तो लौटे कैसे ? आपकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे किया जाय हमें तकलीफ तो इस बात की है।

श्री अध्यक्ष—

बहुगुणा जी, सुनने में कुछ भ्रांति अवश्य हुई है। जिस समय नेकराम जी ने इसको प्रस्तुत किया तो मैंने कहा कि अगर माननीय मुख्य मंत्री को कोई आपत्ति न होगी तो ले लिया जायगा वरना वोटिंग की आवश्यकता होगी। और यह भी कहा था कि वादविवाद आरम्भ होने के पहले नियम ५१ के बारे में भी घोषणा करना चाहता हूं। इसका मतलब यह स्पष्ट था कि मैंने यह नहीं कहा कि तुरन्त ही आरम्भ हो जाय।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रातः काल एक प्रश्न यह उठाया गया था कि बजट की लीकिंग कौंसिल में हो गयी है। उस पर आपने यह व्यवस्था दी थी कि मैं उस पर शाम को व्यवस्था दूंगा। अब आप कह रहे हैं कि ५ बजे बजट पेश करने की अनुमति देंगे। कृपा करके पहले आप यह निर्णय कर दें कि उसका लीकेज तो नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

अगर उस ओर आप मेरा ध्यान न भी दिलातीं तो भी मैं उस ओर जागरूक था और पांच बजे पहले उस पर व्यवस्था देता। जहां तक कामरोको प्रस्ताव का सवाल है आप चाहें तो इसको मैं कल ले लूं। उसके बाद आज अगर आप ही बैठना चाहें और सदन के दोनों पक्षों को कोई एतराज न हो तो आज वर्ना कल के लिए ही रख लिया जाय।

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था मुझे तो सहूलियत कल ही में थी लेकिन अगर आग्रह है तो आज भी तैयार हैं। बाकी मेरा अब भी यही सुझाव है कि इसको कल ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, तो इस को कल लिया जायगा।

नानक सागर बांध टूटने से हुई क्षति के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

अब नियम ५१ के अन्तर्गत कुछ सूचनायें आई हैं और उनमें से मने एक श्री राममूर्ति जी की सूचना को स्वीकार किया है।

श्री मदनमोहन मिश्र (जिला रायबरेली)—

अब तो हमें भी मौका दे दीजिये भगवन, हमने क्या बिगाड़ा है आपका कि आप आगे वालों को ही मौका देते हैं और पीछे वालों कोआप अक्सर नहीं देते। यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, कल भी हम न इस को रखा कि कामरोको प्रस्ताव के रूप में लिया जाय और सदन की कार्यवाही को स्थगित किया जाय। आप हमें भगवन क्यों मौका नहीं देते, आप मौका न दें लेकिन हम तो अपनी बात आप के कानों में अवश्य डालेंगे।

श्री अध्यक्ष—

आपने रायबरेली में श्रीमती इंदिरा जी के आगमन के बारे में दिया था, मैंने वह माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भेज दिया है।

श्री मदनमोहन मिश्र—

अगर यह सरकार शांति व्यवस्था कायम नहीं रख सकती तो एक मिनट भी इसको यहां रहने का अधिकार नहीं है, वह यहां से इस्तीफा दे।

श्री अध्यक्ष—

मेरी व्यवस्था यह है कि मैं जिन माननीय सदस्यों को बोलने के लिये कहूंगा केवल उन्हीं का भाषण लिखा जायगा और जिन्हें नहीं बुलाऊंगा और वह खुद ही खड़े हो जायेंगे उनका भाषण नहीं लिखा जायगा।

श्री राम मूर्ति जी का प्रस्ताव है कि "दिनांक ७–८ सितम्बर, १९६७ की रात्रि को१–३० बजे सरकार की लापरवाही से नानकसागर बांध टूट गया, जिससे लगभग दो सौ गांवों में धन-जन की अपार क्षति हुई। उपरोक्त बांध के टूटने की आशंका पहले से ही पैदा हो गई थी। जिसके संबंध में स्थानीय जनता ने सिंचाई विभाग के संबंधित अधिकारियों को सूचना भी दे दी थी। किन्तु अधिकारियों ने सिंचाई मंत्री को पूरा भरा बांध देखने की इच्छा पूरी कराने के लिये इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मंत्री जी भी इस सूचना के प्रति पूर्णतः उदासीन रहे और सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया गया। न्यायिक जांच न करा कर सरकार ने जो कमेटी इस दुर्घटना की जांच हेतु बनाई है, उसके अध्यक्ष पद पर शासक दल के एक सदस्य को नियुक्त किया है, जिससे जनता में इस कमेटी के प्रति कोई आस्था नहीं रह गई है, साथ ही अपार धन-जन की क्षति के बावजूद सरकार द्वारा संबंधित क्षेत्र में कोई ठोस राहत कार्य नहीं किया गया है।

सरकार के उपरोक्त कार्य से जनता में भय और क्षोभ व्याप्त है।

इसी विषय में एक और भी आया है जो माननीय रमा वल्लभ मिश्र का है। वह भी यही है कि दिनांक ७-८ सितम्बर, सन् ६७ की रात को नैनीताल जिले में स्थित नानकसागर बांध लगभग १-३० बजे रात को फट गया जिसके कारण लगभग ४६ लोगों की जानें गई और हजारों घर बरबाद हुए, हजारों पशु मारे गये, लाखों रुपये की सम्पत्ति की क्षति हुई और लगभग १,५०० एकड़ जमीन में अब भी बालू जमा है जोकि कृषि के योग्य नहीं रह गई है। लोग अब भी पीड़ित हैं और उनका पुनर्वास नहीं हो सका है।

मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अभी कुछ मिनट काम करना है उसके बाद इसको अभी ले लें, अभी थोड़ी-सी चर्चा होना है?

सिंचाई मंत्री (श्री टम्बरेश्वरप्रसाद)—

अभी ले लें, ठीक है।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग एक बात को समझने की कृपा करें और वह यह कि दफा ५१ में १ और नियम ५२ में एक और एक कामरोको प्रस्ताव लिया जा सकता है। जो आप देते हैं वे अवश्य ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन मुझे अपेक्षाकृत महत्व देखना पड़ता है। जो मैंने इस समय लिये हैं, वे अधिक महत्वपूर्ण थे। मैंने अभी व्यवस्था कर दी है कि जो लोग मेरी अनुमति के बिना खड़े होकर बोलेंगे, उनका भाषण नहीं लिखा जायगा।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, पिछली विधान सभा के अध्यक्ष ने यह परम्परा डाली थी कि वे इस ८ करोड़ जनता वाले प्रदेश के लोगों की बातों को नियम ५२ के अन्तर्गत दूसरे ढंग से लें ताकि जनता के सवाल इस विधान सभा में चमकें। देवरिया में गन्ने की हड़ताल हो रही है। गौरी बाजार,

बैतालपुर और देवरिया की मिलें बन्द हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी एक लाख रुपया लेकर गन्ने का रेट ४/१-२ तय कर आये हैं, जिसका नतीजा बहुत बुरा हो रहा है। श्री नूर को जान से मारने की धमकी दी जा रही है।

श्री अध्यक्ष—

अब आप संकेत कर चुके हैं। अब आप बैठ जायं। मैं कह चुका हूं कि आपके जो प्रस्ताव हैं अधिकांश उसमें से महत्वपूर्ण हैं। मैंने आपके प्रस्ताव को माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भेज दिया है लेकिन इन ४०–५० को पढ़ कर सुनाना कठिन है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जहां तक माननीय चन्द्रबली सिंह जी की भावनाओं का संबंध है मैं उनका बहुत आदर करता हूं क्योंकि वे मेरे मित्र हैं। नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय नेकराम जी का एक विशिष्ट विषय पर प्रस्ताव है और हमारा एक विशिष्ट विषय पर है लेकिन आपने ऐसा किया है कि उनकी टांग हमारे में जोड़ दी और यह बड़ी खूबी से कहा कि दोनों एक में लिये जा सकते हैं। उनका कहना है कि लाखों रुपये का नुकसान हुआ है और हमारा यह कहना है कि पुलिस के कप्तान ने हमारे बच्चों को बोटा है, डंडे मारे हैं, उन पर तेजाब फेंका है। आपका यह कहना कि जब इस पर चर्चा करेंगे तो दोनों बात कर लेंगे, उचित प्रतीत नहीं होता है। होना तो यह चाहिये था कि उनका नियम ५२ के अन्तर्गत अलग से लेते और हमारा अलग से लेते वरना एक ही भाषण में हम जब सुरा पीटेंगे तो आप कहेंगे कि आप गलत बात करते हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने जब इस बात को अनुज्ञा दी, अनुमति दी कि इस पर चर्चा कर लें तो यह तो प्रत्यक्ष है कि उसमें सब बातें आ जायें। उसमें रोक लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता। माननीय नेकराम की सभी भावनाओं से प्रेरित संयोग से इसमें सभी बातों का समावेश है अतः मैंने इसको लिया है। इसमें सब बातें आ जाती हैं।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, पहले जो अध्यक्ष थे, वे कम से कम ५२ के अन्तर्गत प्राप्त हुए प्रस्तावों को एक-एक को पढ़ कर सुनाते थे।

श्री अध्यक्ष—

मैंने स्पष्ट कर दिया है।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, यहां पर एक भ्रांति उत्पन्न हो गयी है। अभी-अभी माननीय उग्रसेन जी ने कहा कि वे माननीय चन्द्रबली सिंह जी की भावनाओं का आदर करते हैं। माननीय चन्द्रबली सिंह जी ने अभी-अभी यहां पर यह कहा है कि माननीय मुख्य मंत्री ने एक लाख रुपया लेकर गन्ने का दाम ४–१/२ रुपया कर दिया है और वहां की मिलें बन्द हैं, तो मैं यह नहीं समझा कि क्या वे उनकी सभी बातों का आदर करते हैं?

श्री उग्रसेन—

माननीय चन्द्रबली सिंह ने नियम ५२ को पढ़ने और लेने की बात कही उससे मेरा मतलब है। आजकल माननीय नवल किशोर जी रोज गाली देते हैं, हमने वह आदत छोड़ दी है। (हंसी)

अनुपूरक आय-व्ययक को समय से प्रस्तुत न करने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना तथा गोपनीयता भंग से संबंधित वैधानिक आपत्ति पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

सुबह जो मेरे सामने प्रश्न था माननीय कल्पनाथ सिंह जी का और माननीय रामायण राय जी ने जो आपत्ति उठायी थी उस पर जो मैंने सोचा वह आप के सामने रख दूं।

"मैंने आज माननीय कल्पनाथ सिंह जी द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार के प्रश्न को देखा। उनका कहना है कि कल ५ बजे का समय अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत करने के लिये राज्यपाल द्वारा निश्चित किया गया था, परन्तु विधान सभा में उसको उस समय पेश न करके उसकी प्रतियां विधान परिषद् में वितरित कर दी गयीं और यह कार्य स्पष्ट रूप से नियमों एवं संविधान का उल्लंघन एवं विधान सभा का अवमान है।

माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने इस प्रश्न को उठाते समय यह स्पष्ट नहीं किया कि संविधान के किन उपबन्धों का उल्लंघन उक्त प्रतिक्रिया से हुआ। न यह ही स्पष्ट किया कि किस प्रकार विधान सभा का अवमान हुआ।

प्रातः इसी प्रकार की आपत्ति माननीय बहुगुणा जी के द्वारा उठाये जाने पर मैं यह व्यवस्था कर चुका हूं कि कल ५ बजे अनुपूरक अनुदान उपस्थित न कर सकना उन असाधारण परिस्थितियों के कारण हुआ जिन पर सरकार का कोई काबू नहीं था।

जहां तक विधान परिषद् में उनकी प्रतियों के वितरण का प्रश्न है संविधान ने दोनों सदनों में आयव्ययक को प्रस्तुत करने के लिये एक सी प्रक्रिया निर्धारित की है। उसमें यह भी प्राविधान नहीं है कि कहां पहले और कहां बा को हो, परन्तु ऐसी परम्परा रही है कि दोनों सदनों में साधारणतः एक ही समय पर आय-व्ययक और अनुपूरक आय-व्ययक भी प्रस्तुत होते रहे हैं। कदाचित् इस परम्परा के अन्तर्गत शासन द्वारा कल उसी समय पर जब कि विधान सभा में अनुपूरक अनुदान उपस्थित करना अपेक्षित था विधान परिषद् में भी उस को प्रस्तुत करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की गयी और उसी के अन्तर्गत उस की प्रतियां भी वितरित की गयी होंगी।

विधान परिषद् की कार्यवाही से साधारणतया इस सदन का कोई संबंध नहीं है और न ही वहां किये गये किसी कार्य पर विचार करना इस सदन के लिये बांछनीय है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इसी कारण से मेरा यह मत होता है कि इस से कोई संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ और हमें कुछ नहीं करना चाहिये। लेकिन इस के आगे मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि "माननीय श्री कल्पनाथ सिंह जी के प्रश्न में निहित शिकायत, जिस की ओर माननीय श्री रामायण राय जी ने भी आज प्रातः सदन में ध्यान दिलाया था, यह भी हो सकता है कि उक्त कार्य द्वारा अनुपूरक अनुदानों की गोपनीयता भंग हुई और वह एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न हो सकता है। इस पहलू से भी मैंने इस विषय को देखा। जैसा कि नेता विरोधी दल ने भी आज प्रातः बल दिया था कि हमारे इस सदन के विशेषाधिकार वही हो सकते हैं जो हाउस आफ कामन्स के हैं। मैंने हाउस आफ कामन्स तथा लोक सभा में हुई इस प्रकार की घटनाओं की ओर देखा। हाउस आफ कामन्स में बजट लीकेज की दो विशेष घटनायें हुई हैं। एक १९३६ में तथा दूसरी १९४८ में, जो टामस केस और डाल्टन केस के नाम से संसदीय जगत में प्रसिद्ध हैं। दोनों ही अवसरों पर हाउस आफ कामन्स के सम्मानीय अध्यक्ष ने यह निर्णय दिया था कि बजट की गोपनीयता भंग होना, विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन के अवमान का प्रश्न नहीं होता। यद्यपि पार्लियामेंट को उस के बारे में आवश्यक जानकारी और कार्यवाही करने का पूरा अधिकार है। दोनों ही प्रश्न पर जानकारी हेतु कार्यवाही की गयी थी। इस प्रकार की एक घटना हमारे देश में १९६० में मद्रास

में तथा दूसरी १९५६ में लोक सभा में हुई थी। लोक सभा के माननीय अध्यक्ष ने भी हाउस आफ कामन्स को उक्त दोनों प्रसिद्ध मामलों का हवाला देते हुए उन्हीं विचारों की संतुष्टि की थी और यह मत व्यक्त किया था कि बजट की गोपनीयता भंग होना विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं हो सकता।

उत्तर प्रदेश विधान सभा में भी इस प्रकार की एक आपत्ति १९५६ में माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी द्वारा उठायी गयी थी, उस समय इस पीठ से यही निर्णय किया गया था कि अनुपूरक अनुदानों की प्रतिलिपियों के अग्रिम वितरण से किसी प्रकार की गोपनीयता भंग नहीं हुई।

माननीय आयंगर जी ने भी एक अवसर पर जब १९५९ में लोक सभा में इस प्रकार की एक घटना फिर घटित हुई तो फिर वही मत व्यक्त किया था। उक्त सारे तथ्यों के आधार पर मेरा यह निश्चित मत है कि उक्त घटना से कोई विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता। मेरे इस विचार की पुष्टि हाउस आफ कामन्स और लोक सभा की उक्त घटनाओं से भी होती है। जहां तक वर्तमान घटना का संबंध है वह तो वास्तव में उन सारी घटनाओं से, जिनकी ओर मैंने अभी संकेत किया, भिन्न है, क्योंकि यहां पर न तो यह शिकायत है कि सरकार की किसी गल्ती से किसी प्रकार अनुपूरक अनुदानों की गोपनीयता पर प्रभाव पड़ा, यहां तो यह तक स्पष्ट रूप से न तो शिकायत करने वालों ने और न समर्थन करने वालों ने बताया कि गोपनीयता किस प्रकार भंग भी हुई।

इसके अतिरिक्त एक बात और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं। अनुपूरक अनुदानों की गोपनीयता और साधारण आय-व्ययक की गोपनीयता में भी बड़ा मौलिक अन्तर है, क्योंकि साधारण आय-व्ययक में नये करों के प्रस्ताव होते हैं जबकि अनुपूरक अनुदानों में, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद २०५ में है, जिसका आज सदन में बार-बार जिक्र भी किया गया यह निर्धारित है कि इसके द्वारा केवल अनुपूरक अनुदान ही मांगे जाते हैं। इनमें किसी कर का प्राविधान नहीं होता। अतः साधारण आय-व्ययक की तथा अनुपूरक अनुदानों की गोप-नीयता में भिन्नता है।

एक और बात मैं इस विषय में बताना आवश्यक समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो शिकायत की है उससे भी आधिक से अधिक उनका यही कहना है और जिसको वे गोपनीयता भंग समझते हैं वह घटन विधान परिषद में हुई थी। अतः अगर इस दशा में कोई कार्यवाही होनी उचित होती तो उसके लिये माननीय विधान परिषद् ही सक्षम होता।

इस प्रकार दोनों विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न जो माननीय श्री कल्पनाथ सिंह ने उठाया था और माननीय श्री रामायण राय जी द्वारा उठाई हुई आपत्ति-दोनों को अमान्य घोषित करता हूं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। श्रीमन् ने जो व्यवस्था दी उसके प्रति मैं अपना सम्मान प्रकट करता हूं लेकिन अब एक प्रश्न इतना-सा रह जाता है कि पूरक बजट की जब गोपनीयता भंग हो गयी तो क्या उसे दोबारा सदन के सामने रखा जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष—

मुझे डर था। मैंने विस्तार से संदर्भ सहित जो व्यवस्था दी वह काफी लम्बी है और सदन का समय नष्ट करने का दोषी न होते हुए भी इतना विस्तार से कहने के बाद भी मैं अपनी बात साफ न कर सका। मैंने गोपनीयता भंग नहीं मानी। अनुपूरक अनुदान और साधारण आय-व्ययक

[श्री अध्यक्ष--]

में जो भिन्नता होती है उसे भी मैंने बतलाया और उसके बाद यह प्रश्न स्वतः समाप्त हो जाता है। इस दशा में मैं उसमें कोई आपत्ति नहीं समझता और न यह उचित समझता हूं कि मैं उसके पेश होने में रुकावट डालूं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मैं एक ही पहलू श्रीमन् के सम्मुख उपस्थित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय आचार्य जी, आप जब इस पर विचार प्रकट कर रहे थे उस समय मैंने आपको रोका नहीं था। मैं बहुत आदरपूर्वक जो भी आप और कहते उसे सुनता लेकिन अब मेरी आप से प्रार्थना है कि मैंने इस पर व्यवस्था दे दी है।

एक बात की मैं सदन से जानकारी चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी बतलायें कि कल जो अनुपूरक बजट पर समय निश्चित था और कल जो प्रस्ताव हमने स्वीकार कर लिया था उस पर अब कब बहस होगी? बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी या तो समय निश्चित कर दे या फिर परसों....

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)--

आप बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी की बैठक बुला लें सदन की बैठक के बाद और तय कर लें कि कब क्या होगा, वर्ना यहां उन सब बातों पर चर्चा इतनी ज्यादा हो जायगी कि फिर राज्यपाल द्वारा दिया गया समय चौधरी साहब के हाथ से निकल जायगा।

श्री अध्यक्ष--

कल बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी की बैठक में ही यह तय कर लिया जायगा। सुबह मैं उसे बुलाने का प्रयास करूंगा।

कतिपय विषय

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, २५ नवम्बर के "नवजीवन" में एक समाचार निकला जिसमें माननीय वित्त मंत्री जी ने सिंचाई मंत्री जी को कहा कि अगर यह विभाग मेरे सुपुर्द होता तो मैं १५ करोड़ रुपये की बचत कर सकता था। और ठीक उसके बाद २८ नवम्बर को माननीय सिंचाई मंत्री जी का "स्वतंत्र भारत" में यह बयान छपा है कि वित्त मंत्री पहले अपने विभाग....

श्री अध्यक्ष--

आप अगर अखबार के आधार पर कहना चाहते हैं....

श्री कल्पनाथसिंह--

मैं अखबार के आधार पर इसलिये बात कर रहा हूं कि दोनों वर्जन्स हैं और चूंकि दोनों मिनिस्टर यहां मौजूद हैं इसलिये यह बात साफ करा दें क्योंकि संविधान की धारा १६४ (२) के अन्तर्गत संयुक्त उत्तरदायित्व है और ये दोनों मंत्री आपस में लड़ रहे हैं। तो यह पहले साफ हो जाय, उसके बाद बजट पेश हो कि आखिर १५ करोड़ रुपया बचने जा रहा है या नहीं।

श्री अध्यक्ष--

इसके जानने का अवसर होगा, जब आय-व्ययक प्रस्तुत हो कर उस पर वाद विवाद होगा तब यह प्रश्न ज्यादा अच्छा होगा। उस वक्त पूंछियेगा।

अब वित्त मंत्री जी तैयार रहें इसको प्रस्तुत करने के लिये और कर्मचारीगण इसकी बांटें।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो आज आपने व्यवस्था दी है बजट की गोपनीयता के सम्बन्ध में उससे उत्पन्न एक प्रश्न मूक रह गया है वह मैं प्रस्तुत करता हूं। अनुपूरक बजट और सामान्य बजट का कुछ भेद आपने बताया। मैं जानना चाहता हूं कि अनुपूरक बजट के द्वारा अगर १० करोड़ रुपये का गल्ला सरकार खरीदने वाली हो तो क्या उसकी गोपनीयता पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने माननीय बहुगुणा जी, यह नहीं कहा कि उसकी गोपनीयता की रक्षा नहीं करना चाहिये। मैंने केवल यह कहा कि गोपनीयता अनुपूरक बजट की और साधारण बजट की, उसमें अन्तर है।

वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के अतिरिक्त अनुदान

वित्त मंत्री (श्री रामस्वरूप वर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के अतिरिक्त अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं।

वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के प्रथम अनुपूरक अनुदान

वित्त मंत्री (श्री रामस्वरूप वर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से वित्तीय वर्ष १९६७–६८ के प्रथम अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, हमें एक निवेदन करना है कि जो मंत्री दिल्ली में आकर कानून की धारा को तोड़ते हैं उन्हीं के बजट में अंग्रेजी में १९६७–६८ छपा हुआ है।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय त्रिवेणी जी ने सवाल उठाया है वह सवाल गलत है। यह हिन्दी के अंक बिगड़े हैं। इसमें अंग्रेजी का कोई सवाल नहीं है।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, हिन्दी राष्ट्र भाषा है, इसमें बजट आया है, यह बड़ी खुशी की बात है। लेकिन जो लोग हिन्दी नहीं जानते हैं उनको अगर उर्दू भी कर दिया करें तो बहुत अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री जी, यह माननीय त्रिवेणी जी को आपत्ति है कि जो बजट वितरित हुआ है, उसमें अंग्रेजी के अंक ऊपर लिखे हैं। इसके विषय में आप कुछ प्रकाश डालना चाहें तो डाल दें।

श्री त्रिवेणी—

श्रीमन्, अन्दर भी अंग्रेजी में लिखा है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपकी संतुष्टि के लिये मुख्य मंत्री जी से बात कह दी। अगर वह जरूरत समझेंगे तो कहेंगे।

श्री त्रिवेणी—

माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर कब बयान देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने उत्तर नहीं दिया। मैंने उनसे कह दिया है। आप उनसे उत्तर ले लीजिएगा। आप प्रश्न कर लीजिये, मैं जवाब दिलवा दूंगा।

नानक सागर बांध टूटने से हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

सिंचाई मंत्री (श्री टम्बरेश्वरप्रसाद)--

अध्यक्ष महोदय, नानक सागर बांध तृतीय पंचवर्षीय योजना में १९५६-५७ से लेकर १९६२-६३ तक बना ....

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, पांच बज कर दस मिनट हैं। यह जो स्टेटमेंट मांग रहे हैं.....

श्री अध्यक्ष--

मैं स्थगित करता हूं। यानी स्टेटमेंट न हो। तो कब सुविधा होगी ?

श्री नवलकिशोर--

कल दे दें।

श्री अध्यक्ष--

मैं उनका आदर करके अब स्थगित करता हूं। इसको फिर लेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ९ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
१९ दिसम्बर, १९६७।

संसदीय ज्ञान संस्थान उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७० पर)

वित्तीय वर्ष	आर्थिक सहायता (रुपयों में)		सुधार कार्य का विवरण
	वार्षिक मरम्मत हेतु	सुधार कार्य हेतु	
१९६०–६१..	८,०००	..	..
१९६१–६२..	८,०००	..	..
१९६२–६३..	८,०००	४२,०००	वार्षिक मरम्मत के अतिरिक्त बांध को मजबूत किया गया व ४ फीट ऊंचा किया गया तथा बांध की चौड़ाई ५ फीट से १६ फीट की गई।
१९६३–६४..	२८,०००	४०,०००	वार्षिक मरम्मत के अतिरिक्त २ मील २ फर्लांग का रिटायर्ड बांध बनाया गया।
१९६४–६५..	८,०००	६५,०००	" " " "
		८७,८९०	बचाव कार्य किया गया।
१९६५–६६..	८,०००	१७,०००	उक्त रिटायर्ड बांध को ३ मील और
		९०,०००	आगे प्रसारित किया गया।

उत्तर प्रदेश संसदीय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७८ पर)

नत्थी किया गया ब्योरा

गोरखपुर जिले के ग्रामों में जहां पर बिजली दी गई है उसके निम्नलिखित दर हैं:

(१)	२० किलोवाट तक लघु शक्ति के लिए औद्योगिक, प्राइवेट निजी नलकूपों तथा पम्पिंग सेटों के लिए	दर—पहले १५० किलोवाट आवर प्रति बी० एच० पी०। कनेक्टेड लोड प्रतिमाह १४.५ रु० प्रति किलोवाट आवर। शेष १३ पैसे प्रति किलोवाट आवर। छूट—२ पैसे प्रति यूनिट छूट दी जायगी। यदि बिल का भुगतान निर्धारित समय के अन्दर ही होता है। उक्त दरों पर १ सितम्बर, १९६७ से निजी नलकूपों तथा पम्पिंग सेटों को छोड़ कर २० प्रतिशत सरचार्ज भी लगेगा।
(२)	प्रकाश तथा पंखे के लिए ..	दर—३८ पैसे प्रति किलोवाट आवर की दर से। छूट—३ पैसे प्रति यूनिट छूट दी जायगी यदि बिल का भुगतान निर्धारित समय के अन्दर ही किया जाय।

विधान सभा सचिवालय गोरखपुर

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८७ पर)

अकबरपुर तहसील, जिला फैजाबाद के अन्तर्गत उपभोक्ताओं की सूची जिनका इकरारनामा ३१ मार्च, १९६७ तक हो चुका था

क्रम-संख्या	नाम तथा पता
१	श्री सरयू प्रसाद, ग्राम व पोस्ट पैंतीपुर।
२	श्री राम सुमेर यादव, ग्राम व पोस्ट सोनगांव।
३	श्री राम मूरत सिंह, ग्राम ताजपुर, पोस्ट रामपुर सकरवारी।
४	श्री मलिक आले हसन, ग्राम व पोस्ट लौरपुर।
५	श्री कलपू यादव, ग्राम कसेरूआ, पोस्ट पैंतीपुर।
६	श्री रामकुमार, ग्राम कसेरूआ, पोस्ट पैंतीपुर।
७	श्री राम अधार वर्मा, ग्राम कसेरूआ, पोस्ट पैंतीपुर।
८	श्री गिरजा प्रसाद चौबे, ग्राम व पोस्ट जलालपुर अकबरपुर।
९	श्री याद अली, ग्राम व पोस्ट अकबरपुर।
१०	श्री कामता प्रसाद सिंह, ग्राम राजेपुर, डा० पैंतीपुर।
११	श्री भगवती प्रसाद वर्मा, ग्राम अशर्फाबाद, डा० रामपुर सकरवारी।
१२	श्री माता बदल वर्मा, ग्राम जबरा, डा० अकबरपुर।
१३	श्री कमला प्रसाद सिंह, राजेपुर, डा० बन्दीपुर, जलालपुर अकबरपुर।
१४	श्री राम कुमार वर्मा, ग्राम अशर्फाबाद, डा० रामपुर सरवारी, अकबरपुर।

अ० प्र० सं०

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३३१ पर)

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, १९६७

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६५ को आगे आये हुए प्रयोजनों के निमित्त और संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारतीय गणराज्य के अठारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९६७ कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १३, १९६५ की धारा ४ का संशोधन

२—कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६५, की धारा ४ में, उपधारा (५) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा रख दी जाय, अर्थात्—

"(६) उपधारा (१) से (३) तक में या उपधारा (५) के अधीन जारी की गयी किसी विज्ञप्ति में अथवा आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ में किसी बात के होते हुए भी, सीतापुर में स्थित नेहरू इंस्टीट्यूट आफ आपथलमोलाजी ऐण्ड रिसर्च, आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ के अधीन आगरा यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध रहा समझा जायगा और सदैव से सम्बद्ध रहा समझा जायगा ।"

अध्यादेश सं० ५, १९६७ का निरसन तथा अपवाद

३—(१) कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९६७, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

(२) इस निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम १२ दिसम्बर, १९६७ को प्रारम्भ हो गया हो ।

उद्देश्य तथा कारण

कानपुर विश्वविद्यालय की स्थापना होने के उपरान्त नेहरू इन्स्टीट्यूट आफ आपथलमोलाजी ऐण्ड रिसर्च, सीतापुर को सीतापुर में स्थित कुछ अन्य संस्थाओं के साथ नवम्बर, १९६६ में कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया गया था क्योंकि सीतापुर, कानपुर विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में आता है। इस समय कानपुर विश्वविद्यालय से मेडिकल शिक्षा से सम्बन्धित कोई दूसरी संस्था सम्बद्ध नहीं है और कानपुर विश्वविद्यालय में अभी मेडिकल फैकल्टी भी नहीं है। मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया ने यह विचार प्रकट किया है कि वह उपर्युक्त इन्स्टीट्यूट के डी० ओ० एम० एस० डिप्लोमा को तभी मान्यता देंगे जब कि यह इन्स्टीट्यूट आगरा विश्वविद्यालय से पुनः सम्बद्ध हो जहां पहले से ही मेडिकल फैकल्टी है। इसके लिये कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६५ में संशोधन करना आवश्यक था। चूंकि विधान मण्डल का सत्र नहीं हो रहा था अतः उक्त अधिनियम में संशोधन करने हेतु एक अध्यादेश १२ दिसम्बर, १९६७ को प्रख्यापित किया गया था।

तदनुसार, उक्त अध्यादेश को निरस्त करने के लिये विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

राम प्रकाश,
उप मुख्य मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३३४ पर)

किंग जार्ज मेडिकल कालेज तथा गांधी मेमोरियल ऐन्ड एसोसियेटेड हास्पिटल्स विधेयक, १९६७

लखनऊ विश्वविद्यालय से राज्य सरकार को किंग जार्ज मेडिकल कालेज तथा गांधी मेमोरियल ऐन्ड एसोसियेटेड हास्पिटल्स, लखनऊ के नियंत्रण और प्रबंध के पुनः संक्रमण की और उससे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिए।

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के अठारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है —

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम किंग जार्ज मेडिकल कालेज तथा गांधी मेमोरियल ऐंड एसोसियेटेड हास्पिटल्स अधिनियम, १९६७ कहलायेगा।

परिभाषाएं

२—जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) "गांधी मेमोरियल ऐंड एसोसियेटेड हास्पिटल्स" का तात्पर्य गांधी मेमोरियल हास्पिटल्स, क्वीन मेरी हास्पिटल, कस्तूरबा क्लिनिक ऐंड हास्पिटल्स (ट्यूबरक्यूलोसिस), चिल्ड्रन हास्पिटल, लेपरासी हास्पिटल तथा ब्लड बैंक से है और इसके अन्तर्गत ऊपर लिखित किन्हीं भी अस्पतालों तथा ब्लड बैंकों से संलग्न या अनुलग्न सभी अस्पताल, औषधालय तथा प्रयोगशालायें भी हैं;

(ख) "किंग जार्ज मेडिकल कालेज" के अन्तर्गत ऐसे सभी औषधालय, व्याख्यान कक्ष, संग्रहालय, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, छात्रावास तथा बोर्डिंग हाउस हैं, जो कालेज के सम्बन्ध में या उसके उपसाधन अथवा अंग के रूप में प्रयुक्त किये जा रहे हों;

(ग) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य लखनऊ विश्वविद्यालय से है; और

(घ) "राज्य सरकार" को किये गये उल्लेखों के अन्तर्गत यूनाइटेड प्राविन्सेज की सरकार को भी किया गया उल्लेख समझा जायगा।

संस्थाओं का सरकार को पुनः संक्रमण और सम्बद्ध उपबन्ध

३—(१) उसी दिनांक को और उसी दिनांक से जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निश्चित करे और जिसे आगे निश्चित दिनांक कहा गया है —

(क) किंग जार्ज मेडिकल कालेज तथा गांधी मेमोरियल एन्ड एसोसियेटेड हास्पिटल्स, जिन्हें आगे सामूहिक रूप से "संस्था" कहा गया है, का नियन्त्रण और प्रबन्ध जो १ मार्च, १९२१ से कार्यकारी आदेश द्वारा राज्य सरकार से विश्वविद्यालय को संक्रमित किया गया था और साथ ही उससे संलग्न या संबंधित सभी सम्पत्तियों तथा परिसम्पत्तियों का, जो उक्त संक्रमण के समय विद्यमान थीं, नियन्त्रण और प्रबंध विश्वविद्यालय से राज्य सरकार को पुनः संक्रमित और उसमें निहित हो जायगा;

(ख) संस्था से संलग्न या सम्बद्ध सभी सम्पत्तियां तथा परिसम्पत्तियां, चाहे वे राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को किये गये सहायक अनुदान से या अन्यथा अर्जित या सृजित की गयी हों, विश्वविद्यालय से राज्य सरकार को संक्रमित तथा उसमें निहित हो जायेंगी;

(ग) खण्ड (ङ) में उपबन्धित अवस्था को छोड़ कर किसी भी संस्था के कार्यकलापों के सम्बन्ध में उत्पन्न या प्रोद्भूत अथवा उपागत विश्वविद्यालय के सभी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार, कर्त्तव्य, ऋण, दायित्व तथा आभार चाहे वे संविदात्मक हों या अन्य प्रकार के हों राज्य सरकार को संक्रमित हो जायेंगे:

(घ) किसी वसीयतनामे, विलेख पत्र या अन्य लेख्य में विश्वविद्यालय के पक्ष म किये गये सभी उल्लेखों से, चाहे वे निश्चित दिनांक के पूर्व या उसके पश्चात् किये गये हों अथवा निष्पादित किये गये हों, जिसमें किसी संस्था के प्रयोजनों के लिये विश्वविद्यालय के पक्ष में कोई उत्तरदान (बीक्वेस्ट), दान, धर्मस्व (इन्डाउमेन्ट) या न्यास (ट्रस्ट) हो, यह समझा जायगा मानो कि वे उल्लेख विश्वविद्यालय के स्थान पर राज्य सरकार के पक्ष में थे;

(ङ) इस अधिनियम के उपबन्ध के अधीन रहते हुए, निश्चित दिनांक के ठीक पूर्व किसी संस्था के कार्यकलापों के संबंध में सेवायोजित पूर्णकालिक अध्यापक, अधिकारी या अन्य सेवक, जब तक कि वह निश्चित दिनांक से नब्बे दिन के भीतर राज्य सरकार को अपने इस आशय की लिखित सूचना न दे दें कि वह राज्य सरकार का कर्मचारी नहीं होना चाहता, राज्य सरकार का अध्यापक, अधिकारी या अन्य सेवक हो जायगा और वह उसी कार्यकाल तक तथा उन्हीं शर्तों पर और सेवा निवृत्ति के लाभों के या अन्य मामलों के सम्बन्ध में उन्हीं अधिकारों तथा विशेषाधिकारों पर अपना पद धारण करेगा जिस प्रकार वह विश्वविद्यालय के अधीन धारण करता यदि यह अधिनियम पारित न होता और वह इस प्रकार तब तक बना रहेगा जब तक कि राज्य सरकार के अधीन उसका सेवायोजन यथाविधि समाप्त न कर दिया जाय अथवा जब तक कि उन शर्तों में राज्य सरकार द्वारा यथाविधि परिवर्तन न कर दिया जाय।

(२) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को संक्रमित सम्पत्तियों का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिये किया जाता रहेगा जिन प्रयोजनों के लिये उनका उपयोग निश्चित दिनांक के ठीक पूर्व किया जा रहा था अथवा जिन प्रयोजनों के लिये उनका उपयोग करना अभिप्रेत था।

सेवाओं के संबंध में अपवाद

४--(१) धारा ३ की उपधारा (१) के खण्ड (ङ) की कोई बात ऐसे सरकारी सेवक पर लागू नहीं समझी जायगी जो निश्चित दिनांक के ठीक पूर्व, राज्य सरकार से विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर हो।

२--तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी--

(क) धारा ३ की उपधारा (१) के खण्ड (ङ) के अधीन विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी की सेवाओं के संक्रमण के कारण अथवा उक्त खण्ड म अभिदिष्ट नोटिस के परिणाम स्वरूप उसकी सेवाओं की समाप्ति के कारण कोई ऐसा कर्मचारी किसी प्रतिकर का हकदार न होगा, और

(ख) कोई ऐसा दावा किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकारी द्वारा ग्रहण नहीं किया जायगा ।

विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिकर का दावा

५—(१) यदि धारा ३ के उपबन्धों के कारण विश्वविद्यालय को अपनी किन्हीं सम्पत्तियों तथा परिसम्पत्तियों स वंचित होना पड़े तो वह, निश्चित दिनांक से छः माह के भीतर राज्य सरकार के पास दावा प्रस्तुत कर सकता है जिसमें ऐसी सम्पत्तियों तथा परिसम्पत्तियों के ब्योरे दिये जायेंगे, और जिसमें प्रत्येक मद के सम्बन्ध में ब्योरे और अर्जन की रीति, अर्जन के दिनांक को उसका मूल्य, निधियां जिनसे वे अर्जित की गयी थीं और उसका बाजार मूल्य जो निश्चित दिनांक को हो, उल्लिखित किया जायगा ।

(२) उपधारा (१) के अधीन कोई दावा प्राप्त होने पर, राज्य सरकार एतद्पश्चात् दी गयी रीति से कार्यवाही करेगी, अर्थात्—

(क) यदि राज्य सरकार और विश्वविद्यालय अनुसूची में निर्दिष्ट सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुये ऐसी सम्पत्तियों और परिसम्पत्तियों के जिनके लिये प्रतिकर देय हो, ब्योरों के सम्बन्ध में और उनके लिये देय प्रतिकर की धनराशि के सम्बन्ध में सहमत हों तो राज्य सरकार इस प्रकार निर्धारित प्रतिकर का भुगतान करेगी;

(ख) यदि खण्ड (क) में अभिदिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में राज्य सरकार और विश्वविद्यालय आपस में सहमत न हों तो राज्य सरकार उस दिनांक से जब दावा प्रस्तुत किया जाय, एक वर्ष के भीतर विवादास्पद मामला न्यायाधिकरण को अनुसूची में निर्दिष्ट सिद्धांतों के अनुसार निर्णय के लिये अभिदिष्ट करेगी ।

(३) उपधारा (२) के खण्ड (ख) में अभिदिष्ट न्यायाधिरण राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगा और उसमें एक सदस्य होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, रहा हो अथवा होने के लिये अर्ह हो, और उसको निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय किसी दीवानी न्यायालय को प्राप्त होते हैं, अर्थात्— ऐक्ट संख्या ५, १९०८

(क) किसी व्यक्ति को बुलाना और उसे उपस्थित होने के लिये बाध्य करना तथा शपथ पर उसका बयान लेना;

(ख) लेख्यों को प्रकट तथा प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना!

(ग) शपथ-पत्र पर साक्ष्य लेना;

(घ) साक्षियों का बयान लेने या लेख्यों का परीक्षण करने के लिये कमीशन जारी करना ।

(४) न्यायाधिकरण को अपनी प्रक्रिया विनियमित करने और अपनी सक्षमता के भीतर सभी विषयों पर निर्णय देने का अधिकार होगा और अभिलेख में प्रत्यक्षतः कोई अशुद्धि होने की दशा में वह अपने किसी निर्णय का पुनर्विलोकन कर सकता है अथवा उसमें किसी अंकीय या लेखन अशुद्धि को ठीक कर सकता है, किन्तु उसके अधीन रहते हुए, न्यायाधिकरण का अपन क्षेत्राधिकार के भीतर किसी मामल पर निणय अन्तिम तथा निश्चायक होगा ।

(५) प्रतिकर की धनराशि, यदि कोई हो, उक्त प्रकार से निर्धारित हो जाने पर, विश्वविद्यालय को ऐसे निर्धारण के दिनांक से छः माह के भीतर नगद भुगतान कर दी जायगी ।

६—कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के संबंध में नहीं की जा सकेगी जो इस अधिनियम के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिये अभिप्रेत हो । इस अधिनियम के अधीन किये गये कार्य का संरक्षण

७—(१) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है । नियम बनाने का अधिकार

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रक्खे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यननों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन करने के लिये, सहमत हों, किन्तु इस प्रकार के किसी परिष्कार या अभिशून्यनों का प्रतिकूल प्रभाव नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर नहीं पड़ेगा ।

८—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिये राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा, लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२० या तदधीन बनाये गये किसी परिनियम, अध्यादेश, या अन्य संलेख में ऐसे आनुषंगिक तथा प्रासंगिक अनुकूलन और परिष्कार, चाहे वे परिवर्द्धन, संशोधन या लोप के रूप में हों, ऐसे दिनांक से जो निश्चित दिनांक से पूर्व न होगा कर सकती है जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझे; कतिपय परिनियत संलेखों को अनुकूल बनाने और उन्हें परिष्कृत करने का अधिकार

"प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया जायगा ।

(२) ऐसा प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रक्खा जायगा ।

९—(१) राज्य सरकार, इस अधिनियम को प्रचलित करने के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के लिये गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा निदेश दे सकती है कि यह अधिनियम ऐसी अवधि में जो उक्त आदेश में निर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों या परिष्कारों के अधीन रहते हुए, चाहे वह परिवर्द्धन, संशोधन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझे, प्रभावी होगा: कठिनाइयों को दूर करना

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया जायगा ।

(२) ऐसा प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रक्खा जायगा ।

अनुसूची

[धारा ५ (२) देखिये]

प्रतिकर निर्धारित करने के सिद्धान्त

१—धारा ५ के अधीन देय प्रतिकर, यदि कोई हो, वह धनराशि होगी जो निश्चित दिनांक को विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों तथा परिसम्पत्तियों के मूल्य के कुल योग के बराबर होगी जिसकी संगणना पैरा २ के उपबन्धों के अनुसार की जायगी, जिसमें से पैरा ३ के उपबन्धों के अनुसार संगणित उक्त दिनांक को विश्वविद्यालय के दायित्व तथा आभार की कुल धनराशि कम कर दी जायगी।

२—(क) चूंकि, संस्थाओं से सम्बन्धित राज्य सरकार की सम्पत्तियां तथा परिसम्पत्तियां, जैसी कि वे १ मार्च, १९२१ को विद्यमान थीं, कार्यकारी आदेश द्वारा उक्त दिनांक से विश्वविद्यालय को संस्थाओं के नियन्त्रण के संक्रमण के पश्चात् राज्य सरकार में निहित बनी रहीं, अतः वे उस सम्पत्ति में जिसका मूल्य निर्धारित किया जायगा, सम्मिलित नहीं की जायेंगी।

(ख) चूंकि, राज्य सरकार, भारत सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संस्थाओं को दिये गये किसी सहायक अनुदान से सृजित सम्पत्तियां तथा परिसम्पत्तियां निश्चित दिनांक के पश्चात् उन प्रयोजनों के लिये काम में लायी जाती रहेंगी जिनके लिये सहायक अनुदान दिया गया था, अतः वे उस सम्पत्ति में जिसका मूल्य निर्धारित किया जायगा, सम्मिलित नहीं की जायेंगी।

(ग) चूंकि, ऐसी सम्पतियां तथा परिसम्पत्तियां जिनका उल्लेख किसी ऐसे वसीयतनामे, विलेख-पत्र या अन्य लेख्य में हो जिसमें किन्हीं दो संस्थाओं के प्रयोजनों के लिये विश्वविद्यालय के पक्ष में कोई उत्तरदान, दान, धर्मस्व, या न्यास हो और उसी से अर्जित कोई सम्पत्ति या परिसम्पत्ति निश्चित दिनांक के पश्चात् भी राज्य सरकार द्वारा उसी प्रयोजनों के लिये काम में लायी जाती रहेगी, अतः वे भी उस सम्पत्ति में जिसका मूल्य निर्धारित किया जायगा, सम्मिलित नहीं की जायेंगी।

(घ) सभी अन्य सम्पत्तियों तथा परिसम्पत्तियों के बाजार मूल्य का निर्धारण, जैसा निश्चित दिनांक को हो, निम्नलिखित प्रकार से संगणना करके किया जायगा:

(१) पट्टे की सम्पत्तियों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये अधिमूल्य की कुल धनराशि में से, प्रत्येक ऐसे अधिमूल्य की दशा में उतनी धनराशि कम कर दी जायगी जिसका ऐसे अधिमूल्य के साथ वही अनुपात होगा जो पट्टे की समाप्त हुई उस अवधि का जिसके सम्बन्ध में अधिमूल्य दे दिया गया हो, पट्टे की कुल अवधि के साथ हो;

(२) विश्वविद्यालय को देय ऋणों की धनराशि, चाहे वे ऋण प्रतिभूत हो या अप्रतिभूत, उस सीमा तक जहां तक वे उचित रूप में वसूल होने योग्य समझे जायें;

(३) विश्वविद्यालय द्वारा संस्थाओं के नाम में अथवा उनके लेखे में धृत नकद धनराशि, चाहे वह किसी बैंक में जमा हो या अन्य प्रकार से हो;

(४) पूर्ववर्ती खण्डों के अन्तर्गत आने वाली मूर्त परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों से भिन्न सभी मूर्त परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों का मूल्य।

३—संस्थाओं के कार्यकलापों के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा उपागत दायित्वों तथा आभारों की कुल धनराशि, जैसे वे निश्चित दिनांक को हों, पैरा २ में निर्धारित सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जायगी।

उद्देश्य और कारण

किंग जार्ज मेडिकल कालेज एवं उसके छात्रावास और अस्पताल जिन्हे इस समय गांधी मेमोरियल ऐंड एसोसियेटेड हास्पिटल्स कहा जाता है, १ मार्च, १९२१ तक प्रांतीय सरकार के प्रत्यक्ष प्रबन्ध के अधीन एक सरकारी संस्था थी। उक्त दिनांक से उस संस्था का नियंत्रण एक कार्यकारी आदेश द्वारा लखनऊ के नव स्थापित विश्वविद्यालय को संक्रमित किया गया था और तब से इस का अनुरक्षण विश्वविद्यालय द्वारा ही किया जा रहा है। इस अवधि में सरकार ने अन्य चार नये मेडिकल कालेज—आगरा, कानपुर, इलाहाबाद तथा मेरठ में स्थापित किये और ये मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध अस्पताल सरकार के नियंत्रण तथा प्रबन्ध में हैं। लोक हित में यह इष्टकर समझा जाता है कि राज्य के विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध समस्त मेडिकल कालेज तथा उनसे सम्बद्ध अस्पतालों का अनुरक्षण और विकास एकीकृत प्रणाली से होना चाहिये। यह भी उचित है कि शिक्षक वर्ग की सेवायें भी पांचों मेडिकल कालेजों के बीच अन्तः संक्रमणीय हों। अतएव, यह प्रस्ताव है कि गांधी मेमोरियल ऐंड एसोसियेटेड हास्पिटल्स के साथ किंग जार्ज मेडिकल कालेज को विश्वविद्यालय के नियंत्रण से हटाकर पुनः सरकार के नियंत्रण में दे दिया जाय। मेडिकल कालेज विश्वविद्यालय का "संघटक कालेज" बना रहेगा और वह विश्वविद्यालय तथा इंडियन मेडिकल कौंसिल के विनियमों के अधीन उसी सीमा तक रहेगा जैसा आज तक रहा है। किन्तु सरकार द्वारा उसके प्रबन्ध को अपने हाथ में ले लेने का प्रस्ताव है। वतमान पूर्णकालिक अध्यापकों तथा अन्य कमचारियों के काय करते रहने के सम्बन्ध में तथा अन्य सम्बन्धित एवं आनुषंगिक विषयों के सम्बन्ध में भी उपबन्ध बनाये जा रहे हैं।

तदनुसार यह बिधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

प्रताप सिंह,
स्वास्थ्य मन्त्री।

विधान परिषद उ० प्र०

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ११६ एल० ए०—१९६८—८४६।